

प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति

लेखक

ग्रो अनन्त सदाशिव अन्नतेच्छर, एम ए, पल एड थो, डी ब्लॉड
प्राचीन इतिहास और सस्कृति विभाग के प्रधानाध्यापक,
काशी विश्व विद्यालय ।

भारत दर्पण ग्रन्थमाला
(ग्रन्थ संख्या १)

प्रकाशक संघ विकल्प
भारती भट्टाचार्य
लीढ़र प्रेस, प्रदान ।

प्रथम संस्करण
मूल्य— ५
संवत् २००४

मुद्रक
सदाशिवराव चित्र
आदय प्रेस, बनारस

प्रमत्तावना

मेरे प्रथ अभीतक प्राय पहले अपेजी में प्रकाशित हुए थे। पीछे नज़ारा सरस्वत राष्ट्र मैंने अपनी मातृभाषा मराठी में प्रकाशित किया। मगर 'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति' सर्वप्रथम हिंदी में ही प्रकाशित हो रही है। अनेक फटिनाइयों के कारण इस रामेता सत्करण अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका। मराठी सरस्वत राष्ट्र में ही रहा है। प्रथ का सर्वप्रथम हिंदी में प्रकाशित होना इस समय नचित ही है। निरुद्ध भविष्य में हिंदू राष्ट्र भाषा के पद पर आहट होगो। इसलिये हिंदू वासियों ने लिए गए आशयक साही गया है कि उनके मौलिक प्रथ सर्वप्रथम हिंदी में ही प्रकाशित हों।

प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पर हिंदी में ऐसा प्रथ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है जो उसका मानोपाग निरूपण करे। अपेजी में इस विषय पर अनेक प्रथ हैं। तु ये उसके अनेक पहलुओं से से एक या कुछ पहलुओं पर प्रकाश ढालते हैं। मगर भारतीयों के राज्यशासन विषयक तत्त्व और मिथातों का मानोपाग विवेचन करके उनकी शासन पद्धति का साधार और सपूण बण्णन करनेवाला प्रथ अब तक अपेजी में भी नहीं है। प्रत्युत प्रथ इस कमी का पूरा करने के लिए जिम्मा गया है।

इस प्रथ की विशेषताओं पर पाठों का ध्यान आठूष करना अनुचित न होगा। अयशास्य, नीरि रास्त्र आदि के जो प्रथ शासनपद्धति का विशेष रूप से विवेचन करते हैं, केवल उन्हीं के आधार पर यह प्रथ नहीं लगता गया है। इन पर्यों मध्यन्तरिक विषयों के विवेचन साधन सामग्री तो मिलती है पर वह कहाँ तक तक्तिक थी और क्वानिक काल्पनिक इसके पार में कभी कभी सशय दत्तन हो सकता है। अतएव वैदिक, धोर्म और जैन वाद्याय, रानवरगणी के समान प्राचीन इविदास, मीर्गेन्थनीम्, युआनच्चाग सद्दा विदेशी इविदासरात्र तथा यात्रियों के पृच्छात, प्राचीन शिळालेखों, दानपत्रों आदि साधनों से प्रत्यक्ष प्रेति दामिक व सत्य से अधिक मध्य जो समग्री प्राप्त होती है उसका

मी सहारा लेकर प्राचीन भारतीय शासनपद्धति वे साधार, सागोपाग कितु अनतिविरहृत विवेचन दरने था प्रयत्न हमने इस प्रथ में निया है। प्राचीन भारतीय इतिहास वैदिक, उपनिषद, मौर्य, गुप्त आदि यात्रा स्टॉ में विभाजित है। विवेचित संस्थाओं और शासनतत्वों का विकास उपर निर्दिष्ट कालखण्डों में किन प्रकार हुआ यह दिसाने का प्रयत्न प्रत्येक अध्याय में किया गया है। विभिन्न प्राचीन में शासन संस्थाओं का विकास कभी कभी किस कारण भिन्न प्रकार से हुआ इधे भी बतलाने था, जहाँ सभव था, प्रयत्न किया गया है।

प्रथम अध्याय में प्राचीन भारत के राज्यशासन के प्रथों का इतिहास देकर उनका स्वरूप और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश ढाला गया है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उमके पौन बीन से प्रकार ये, उनका स्वरूप क्या था, राज्य का ध्येय और वर्ण क्या होना चाहिये आदि प्रत्यनों के विषय में प्राचीन भारतीयों के क्या विचार थे, उनका परिचय द्वितीय और तृतीय अध्यायों में दिया गया है। चौथे अध्याय में राज्य और नागरिकों के भेदभाव किस प्रकार के थे, नागरिकों की विभिन्न श्रेणियों के अधिकार कहाँतक समान थे—इन विषयों था विवेचन किया गया है। इन अध्यायों का सबध इस प्रकार राज्यशासन के मूल सिद्धांत से है।

इन अध्यायों में राज्यशासन के मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन करके पचम अध्याय से शासनपद्धति का बणन प्रारम्भ होता है। पचम अध्याय में नृपतत्र का विवेचन है। नृपपद का विकास कैसे हुआ, कालातर में किस मर्यादा तक वह दैवी माना जाने लगा, राजा के अधिकार कैसे सीमित किये जाते थे, उसम विवरी सफलता मिलती थी, आदि विषयों की चर्चा इस अध्याय में की गयी है।

गणतंत्रों या प्रजासत्तात्मक राज्यों की उत्पत्ति क्य और कैसे हुई, उनका विकास किस प्रकार हुआ उनमें वासिन्दा राज्य सत्ता सामान्य जनता के हाथ में किस अश तक थी, उनके बीन पौन से प्रकार ये, त ग सरकार और लोकसभा एक दूसरे से रिस प्रकार संबद्ध थे, गणतंत्रों का हास और विनाश क्य और क्यों हुआ इत्यादि विषयों की चर्चा पृष्ठ अध्याय में की गयी है। चैत्रीय लोकसभा के अधिकारों का विवेचन सप्तम अध्याय में है।

केंद्रीय सरकार की रूपरेखा का दिग्दर्शन अष्टम और नवम अध्यायों में है। मन्त्रिमण्डल की उत्पत्ति, सत्ता और दार्यपद्धति का वर्णन अष्टम अध्याय में दिया है। केंद्रीय सरकार और शासनाधिकारी कार्यसचालन किम प्रकार करते थे, प्रातीय और जिले के शासकों का निरीक्षण, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण कैसे किया जाता था, अनेक शिलालेखों और प्रथों में विदरो हुई सामग्री के आधार पर, इन प्रथों का उत्तर इस अध्याय में दिया गया है।

दशम और एकादश अध्यायों में प्रातो, जिले, नगरों और प्रामों के शासनप्रबन्ध का वर्णन और इतिहास दिया है। विभिन्न प्रातों में इस विषय में कौन कौन से भेद थे इस प्रबन्ध का उत्तर भी, शिला लेखों से उपलब्ध सामग्री के आधार पर, इहीं अध्यायों में दिया गया है।

त्रयोदश अध्याय में सप्तांश और करद सामतों के समय पर प्रशारा ढाका गया है और यह भी बतलाया गया है कि स्वतंत्र राज्य परस्पर देसा व्यवहार करते थे।

राजा, गणतंत्र, केंद्रीय सभा, इत्यादि जो राज्यपत्र के विविध अंग हैं उनका विकास प्राचीन भारत में एक कालायड से दूसरे कालायड में हमें हुआ उसका सम्यक ज्ञान पाठों को पढ़के तेरह अध्यायों से ठीक दृढ़ होगा। किंतु विविध कालायडों में सप्तर्ण राज्यपत्र किम प्रकार था, उका ज्ञान न होगा। इस प्रभ का उत्तर चतुर्दश अध्याय के प्रथम छठ में दिया गया है।

प्राचीन इतिहास और सस्थाओं का ज्ञान हमें ऐने ज्ञान के लिए ही गत न करना चाहिये, वरन् इसाटए भा कि आघुनिक समस्याओं के हल करने म हम उनसे कहाँतक सहायता मिल सकता है। अतः यह अ तम अध्याय के दूसरे खट में प्राचीन भारतीय शासनपद्धति के गुण दोष, उनसे राष्ट्र को क्या लाभ पहुँचा और कौन सी ज्ञान हुई, स्वतंत्र भारत के नव विधान के निर्माण म हमें उनमे कुछ लभ हा सकता है या नहीं, इन प्रश्नों का विवेचन किया गया है।

यह पुस्तक एक सशाधनात्मक प्रथ है। यादा है कि इसमें विशेषज्ञों को भी अनेक विषयों के घारेम हुठ नये मिदात और निष्पर्य ज्ञात होंगे। प्रथ में प्रतिपादित सव महत्व के सिद्धातों और विधानों के लिये मूल आधारमूल प्रथों के सदर्म या द्वरण पादटिपरिणीयों में दिये गये हैं। उनसे अन्वेषकों को अधिक अध्ययन की सामग्री मिलेगी। किंतु

प्रथ का लेखन तथा विपयप्रतिपादन इस दर्गा से किया है कि साधारण सुशिक्षित लोग भी उसे पढ़ कर समझ सकें तथा लाभ ढाल सकें। मशोधनात्मक प्रथा रोचक एवं सुशोध भाषा में लिखने का यह प्रयत्न कहाँतक सफल हुआ है इसका निर्णय पाठक हो करेंगे।

मातृभाषा हिंदी न होने, तथा उसमें लिखने के अभ्यास के अभाव के कारण मेरे लिए हिंदी में ग्रन्थ लिखना कठिनाई सा था। ऐसे इस काय में मुझे मेरे भूतपूर्व छात्र तथा लखनऊ के 'स्पतन भारत' के विद्वान् सपादक श्रीयुत अशोकजी, एम० ए०, ने अनमोल सहायता दी। इसके लिये मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। सभव है कि पाठकों को कुछ स्थान पर मराठी भाषा के विशिष्ट शब्दों (जैसे Trustee के लिये विवरत Tribute के लिये रंडणा) वा वास्तव रचनार्थ का आभास हो। जब हिंदी राष्ट्रभाषा होगा, और उसमें मराठी, गुजराती वगाली आदि भाषाभाषों लिखने की गोली, तब कुछ अश तक उसका स्वरूप बदलना अनिवाय सा हो जायगा। अमेरिका की अप्रेजी में जैसे 'अमेरिकेनिजम' आती है वैसे ही महाराष्ट्रीयों का हिंदी में कुछ 'मराठीपन' अवश्य आयेगा। आशा है कि हिंदी की अतिगत्वा उससे लाभ ही पहुँचेगा।

राज्यशास्त्र विषय के अनेक शब्दों के हिंदी प्रतिशब्द अभीतक निश्चित नहीं हुए हैं, Republic, Democracy, Oligarchy, Political Obligations आदि शब्दों के हिंदी प्रतिशब्दों के विषय में अभी तक हिंदी लेखक एकमत नहीं है। ऐसे शब्दों के निर्माण तथा निश्चित करने में मुझे मेरे सहाय्यापक प्रो० बन्हेयाळाळ यर्मा, प्रो० केशवप्रसाद मिश्र, प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिश्र टॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा और टॉ० राजवर्णी पाटे से सहायता मिली। इमलिये मैं उनका धन्य वाद देना चाहता हूँ। जब शब्दों के निर्माण में स्वभावन साहृत भाषा के शब्दभटार का आश्रय लेना पड़ा। इन सब शब्दों की सूची परिशिष्ट न० १ व २ में ग्रन्थ के अंत में दी गयी है। पुस्तक पढ़ने के पूर्व यदि पाठक पढ़ले हिंदी की और तत्पञ्चात् अंगजी की सूची देखें तो मुझे आशा है कि उन्हें प्रयोगठन में सहायता मिलेगी।

सस्तुतादि भाषाओं के प्राचीन प्रथाओं व प्रवृत्ति और प्राचीन द्विधास के अनेक राजाओं और राजवर्णों का काल सामाजिक पाठकों ने विदित नहीं होता। ग्रन्थ में उनका अनेक बार न्हलंगा करना

आवश्यक था। अनेक स्थानों में उनका काल भी कोशिंह में दिया गया है। किंतु पाठकों के सुभीते के लिए परिशिष्ट ३ में इन सबको कालसूची अकारादिक्रम से दी गयी है। आगे है उसके कारण पाठकों को प्रथपठन में वही सहायता मिलेगी।

पाठ टिप्पणियों में प्रयों के नाम का चलेस संचेप में करना अपरिहाय है। संक्षिप्त प्रेय नामों की अकारादिक्रम से सूची परिशिष्ट ४ में दी गयो है। उसे भी पाठक कृपया प्रथम देयें। परिशिष्ट ५ में आधार मूल सर्वत्र तथा अप्रेज़ी प्रथा के नाम दिये गये हैं। परिशिष्ट ६ में विस्तृत वर्णनुक्रमणिका दी गयी है जिससे पाठकों को प्रयावरगत कोई भी विषय असानी से मिल जायग।

मेरे सहाध्यापक और राज्यशास्त्र के जन्यापक प्रो० कन्द्रियालाल चर्मा जा ने इस प्रथ की पाहुलिपि सपूण पढ़ा और उसका भाषा, शब्दरसायग और सिद्धांतों के बार में मुझे अनेक महत्व की सूचनाएँ दी। मैं उनका धृत आभारी हूँ। मेरे दूसरे सहध्य पर और भूतपूर्व शिल्प प्रो० अवधि शिरो नारायण जा ने मुझे इस प्रथ के मुद्रित (प्रक) देखने में और शुद्धपत्र बनाने में धृत सहायता की है, जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देवा हूँ।

इस प्रथ के सम्प्रथम हिंदा में प्रकाशित होने का श्रय मेरे भूतपूर्व छात्र और भारती महर प्रथमाला के विद्वान् सपादक पटिव वासुदेव उपाध्याय जा को है। यदि वे प्रेमादर से इस प्रथ के लेखन में मुझे प्रयत्न नियोजित न करते तो वह इतना जल्दी प्रकाशित न होता। मुझे विरचनात् है कि इस प्रथ के प्रशाशन से हिंदा भाषा भाषियों का प्राचान भारतीय शासनपद्धति का सपूण और साधार हान प्राप्त होगा और हमारा सम्राट् ८ अग व गुण दापा का विश्वसनाय चित्र। मलेगा।

वारा विश्वविद्यालय
दमत पद्मी म०२००४
१५-२-१९५८

} अनत सदाशिव अब्देकर

विषय सूची

अध्याय	विषय	प
१	१ राज्यशासन के आधार माय	१
२	२ राज्य की उत्पत्ति और प्रकार	११
३	३ राज्य का उद्देश्य, स्वरूप और काय	२२
४	४ राज्य और नागरिक	३७
५	५ नृपत्र	४६
६	६ राजराज्य या प्रजात्र च	५८
७	७ केंद्रीय कोक-समा च	६१
८	८ सत्रि महल च	८०
९	९ केंद्रीय शासन कार्यालय व शासन विभाग च	८८
१०	१० प्रांतीय, प्रादेशिक, जिला और नगर शासन द्वयाथा च	१५१
११	११ प्राम शासन पद्धति च	१६८
१२	१२ आय और व्यय	१८५
१३	१३ अतर राष्ट्राय संघ च	२११
१४	१४ सिद्धायलोकन और गुणदाय विधेयन	२३१
	परिचय १, विशिष्टायक शास्त्रसूची-हिन्दी-अंग्रेजी	२४६
	परिचय २, विशिष्टायक शास्त्रसूची-अंग्रेजी हिंदी	२५१
	परिचय ३, काळ-सूची	२५३
	परिचय ४, संविस ग्रन नाम सूची	२५५
	परिचय ५, आधारभूत ग्रन	२५८
	परिचय ६, यर्णुनुक्तमणिका	२६
	परिचय ७, गुदिपत्र	२७
	प्रस्तुत प्रथाएँ के भाष्य ग्रन	२७१

प्राचीन भारतीय शासन पद्धति

अध्याय १

राज्य शासन के आधारग्रन्थ

इस प्रथमा विषय प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र और शासन की स्फुरेता है। उसको शुल्क करने से पहले यह बनाना आवश्यक है कि मिन ग्रन्थों और साधन सामग्री के सहायता से हमको इस विषय का रान हो सकता है। इससे पता चल जायगा कि इस कार्य में हमें किन विठ्ठिनाइयों का सम्मान करना और किन सीमाओं के भीतर रहना है।

बाल राज्य शास्त्र का बाद्भूत इमे ५०० ई० पू० के एहते नहीं मिलता। इसमें कोइ आश्रय की बात नहीं क्योंकि व्याकरण निरस्त और स्वोतित ऐसे अपनौंकिक और दर्च धार्मिक विषयों के स्वतंत्र बाद्भूत का विस्तार भी ८०० ई०पू० के अ सपास ही आरम हुआ। अत ६०० ई० पू० के पहिने यज्ञशास्त्र के स्वतंत्र बाद्भूत की अपेक्षा नहीं बी जा सकती।

वैदिक और प्रादाण काड में यज्ञशास्त्र के ग्रन्थ न होने पर भी वैदिक बाद्भूत मर में इतस्तत सुष्टु बचन मिलने हैं जिनसे ताकालीन राज्यशास्त्र और यज्ञशास्त्र का खोड़ा परिचय मिल जाता है। यजुवेद म तो राज्यशास्त्र विषयक उल्लेख बहुत कम है^१। पर अथव वेद में उनकी सरल्या पर्याप्त है। परन्तु उनका सबध प्राय राजा से ही अधिक है^२। यजुवेद की सहिताओं और भाषणों में राज्याभिप्रेक तथा राज्यारोहण या उसके बाद किये जाने वाले यशों

१ निम्नलिखित स्थल विषय महात्व के हैं।

१० १६३, १० १७३, १० १६६, १० १२४ ए; ३० ६७,६, १० ७८ १,
४ ४२, ६ ६२,६; ७ ६,८, ६ २८ ६, ४ ४, १, ३ ४२ ८, १ -२ १०-१८,
१ ६७ १, १ २५ ए, संपा १,१३० १।

२ निम्नलिखित स्थान महात्व के हैं।

३ २-८, ६ ८८, ८ १२, ७ १२, ६ ४० २, २० १२७, ४ २२, १६ १;
८ १०, ८ १३।

ल वर्गन स्थान स्थान पर मिलता है। इसमें राजपद की प्रतिष्ठा कैसी थी, एकमर्मचारी कौन थे, प्रजा से कौन-कौन से कर घटूल किये जाते थे इत्यादि वेष्य में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें बहुत है ऐसे स्थल भी हैं जिनमें विभिन्न जातियां के परस्पर संबंध, अधिकार और स्थिति का विवेचन है जिससे भी राज्यतंत्र पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

ई० पू० ८ वीं शताब्दी से व्याकरण, निष्ठा, छद और ज्योतिष आदि विषयों का विशेषाध्ययन शुरू हुआ। इन विषयों के पढ़ित अपने अपने विषयों से स्वतन्त्र ग्रन्थ हित्वाने लगे जिनसे अथवा अध्यापन का कार्य सुकर होने लगा। राज्यशास्त्र का आरम्भ भी इसी सुग में हुआ, परंतु उपर्युक्त विषयों के बाद उम्बवत् धर्मशास्त्र के साथ। हुमार्गवद् इस विषय के सब प्राचीनतम् ग्रन्थ हो उम्बवत् ई० पू० छठीं शताब्दी में रचे गये, नष्ट हो गये।

राज्यशास्त्र के निर्माताओं के उल्लिखित और ग्रन्थों के परिचय इमें कष्ट गद्यभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही होता है। यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों विषय, रूप, हठिकोण और परपराएँ भिन्न हैं फिर भी इनमें उल्लिखित पूर्व ग्रन्थों के नामों में अत्यन्त नहीं है। महाभारत का इस विषय का उच्चात प्राय सक्षात्कामक ही है। इसमें कहा गया है कि प्रारम्भ में महाकाली ने उस समय हुई अराजकता का अत फरके समाज व्यवस्था पुनः स्थापित करने के बाद ३ लाख लोकों में विशाल राज्यशास्त्र की रचना भी। इसे ब्रह्मण शिव वेशालाक्ष, द्वद्वय वृद्धस्ति तथा द्वुकु ने संक्षेप किया^१। राज्यशास्त्र के जय ग्रन्थकारी में मनु, भारद्वाज और गौरशिरस् का भी उल्लेख है।

इन देवताओं के नामों से यह न समझ नेना चाहिये कि इन ग्रन्थों का गतित्व क्षेत्र महाभारतकार अथवा कौटिल्य की कल्पना में ही था। प्राचीन ग्रन्थ के लेखकों की यह प्रथा थी कि वे बहुधा स्वयं भृत्यात् रहकर अपने ग्रन्थों और देवताओं या पौराणिक ग्रन्थियों के नाम दे दिया करते थे। मनुस्मृति, गाहृत्यस्मृति, पराशरस्मृति तथा द्वुकुनीति आदि ग्रन्थों के नाम इसके उदाहरण हैं।

इस निष्कर्ष की पुष्टि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी होती है, जिसमें

तै० स० ३४-५, ८९१, का० स० ३१ १०, १५ च, श० द्वा० १७ ३ ४,

८३ ११ ३३ द-५, ४४७ ६३४८ १३ १३ द, २० २-८; ४४१,

दै० द्वा० १३४, २३३, ८ १०-१२, १३, २३ ३३, ४० श्रा० ३३ ४

शास्त्रिपर्यं ४७, ८८

अनेक रथलों में^१ विशालाक्ष, इद्र (बहुदत), बृहस्पति, शुक्र, मनु, मारद्वाज और गौरशिरस् का उल्लेख करके इनके मतव्यों पर विचार किया गया है। इनके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में पराशर, पितृन, कौणपदत, घातप्राचि, घोटमुख, घातयन, और चारायण आदि राज्यशास्त्र के प्रणेताओं की भी उल्लेख है।

आय शास्त्रों की भाँति राज्यशास्त्र में भी विमिन्न परपराएँ थीं। कुछ मनु प्रजापति को अपना गुरु मानते थे, कुछ देवगुरु बृहस्पति को, कुछ उनके प्रतिद्वंदी अमुरों के व्याचार्य शुक्र उद्यनस् को। कुछ ब्रह्मा के अनुयायी थे तो कुछ इद्र के और कुछ शिव के। प्रारम्भ में शास्त्र के प्रवेशार्थियों के लिए सूत्रों की रचना हुद होगी बाट म इहै विशद ग्रन्थों का रूप दिया गया। ये ग्रन्थ लिखे तो गये मनुष्यों द्वारा पर नाम इन पर देवताओं या ऋषियों के दिये गये।

दुर्भीग्यथा इनमें से कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। ऐसा जान पहता है कि कुछ ग्रन्थों की सामग्री तो महामारत के शातिर्व के राजधर्म अर्थाय में समाविष्ट कर ली गयी और वार्षी ग्रन्थ कौटिल्य की अनुपम रचना अर्थशास्त्र द्वारा पहले पिछाड़े गये और पीछे छुत हो गये। फिर भी कुछ १ वीं शताब्दी तक उपलब्ध थे, वर्णोंकि सुरेश्वरप्राचार्य कृत यात्रवलह्यस्मृति का चाल-नीदा टीका में विशालाक्ष का एक श्लोक उद्धृत किया गया है^२।

फिर भी अर्थशास्त्र के उल्लेखों से उपयुक्त छुत ग्रन्थों के स्वरूप का अदाज लग जाता है। राज्यशास्त्र इस समय अध्ययन का नया विषय था इसलिए अनेक प्रयकार वेद, दयन तथा वाता के मुकाबले राज्यशास्त्र के महत्व की चर्चा से ही अपने ग्रन्थ आरम्भ करते थे। उद्यनस् तो यहाँ तक कह गये हैं कि सदार के सब शास्त्रों में केषल रायशास्त्र ही अध्ययन योग्य विषय है।

इन ग्रन्थों में वृपतत्र का ही विवेचन है और आदर्श राजा के गुणों और उचिती शिक्षा के बगन ने ही अधिकार्य स्थान ले लिया है। कोश, बल और दुर्गों के सम्बन्ध में उठनेवाली कठिनाइयों का भी सवित्रत बर्गन है। मनिमहल के कार्य और रूप रेता का भी विशद बर्गन मिलता है और ज्ञात द्वारा है कि मन्त्रियों की सख्त्या और गुणों के बारे में काफी मतभेद था। राष्ट्रनीति के

^१ देस्त्रिये पृष्ठ ६ १७, २७-२९, ३२-३४, ३३, १७७, १९२, २४३, २४८, ३१२ ३२८-३०, ३४५, ३८२ (अर्थशास्त्र द्वारा शामशास्त्री रामादित द्वितीय संस्करण)

^२ अथशास्त्र (विवेदम् स० स०) मात्र १ भूमिका पृष्ठ ६

सिद्धों की भी विवेचना की गयी है। भारद्वाज की राय घल्कान के सामने छुक जाने की है तो विशालाक्ष के मत में लड़ते लड़ते मर मिटना ही अपेक्षकर है। यात्याधि ने धार्माण्य के सिद्धों को अस्वीकार और द्वैगुण्य का समर्थन किया है। मालम होता है इन ग्रन्थकारोंने अरव्यवस्था सबसी प्रश्नोंपर विचार नहीं किया, कम से कम अर्थशास्त्र में इस विषय पर इनके मतभ्यों का उल्लेख नहीं है। राज्य की आय सत्या प्रौतीय कर्मचारियों पर नियन्त्रण के प्रश्न पर विचार किया गया है परतु इषानीय शासन का विषय छोड़ दिया गया है। इन ग्रन्थों में दृढ़ और व्यवहार (दीयारी और पौजदारी) चोरी, डवैतो, गवन आदि अपराधों के लिए दृढ़ की व्यवस्था^१ भी है। अत में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये ग्रन्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पूर्ववर्ती थे और उनमें अपशास्त्र के ग्रन्थ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सप्तम अध्याय में वर्णित विषयों का विवेचन या। अवश्य ही अपशास्त्र का विवेचन उनकी अपेक्षा बहुत गहरा है।

महाभारत भी राज्यशास्त्र का महत्वपूर्ण आकर प्रथ है। शातिपद के राजधर्म पर्व के अध्यायों में राजा के यत्यों और दासन-व्यवस्था के अनेक श्रांगों का अत्यत विशद वर्णन है। इसमें राज्यशास्त्र की महत्वा का वर्णन है (अध्याय ६३-६४) और त्रुज्य तथा राजतत्र की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण सिद्धात स्थापित किये गये हैं (अध्याय ५६, ६६, ६७)। कह अध्यायों में राजा और मन्त्रियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का वर्णन है। (५५-५६, ७०-७१, ७६, ८४, ९६, १२०)। छ अध्यायों में कर व्यवस्थाका विवेचन है (७१, ७६, ८८, ९७, १२०, १३०), परतु राजकर्मचारियों के कर्तव्यों का विवरण अर्थशास्त्र (अध्याय २) के समान विशद नहीं है। स्वएधू शासन व्यवस्था का धगन ऐदेश में एक अध्याय में है (८०) परतु परापूर्व नोति और सघि विप्रद विषय को अधिक इषान दिया गया है (अध्याय २०, ८६, ९६, १००-१०३, ११० और १२३)। पित्तदेश महाभारत का राजधर्म विभाग का विवेचन पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों से अधिक उविस्तर और सांगोषाद है। सभवत इसमें उनके कुछ सिद्धात और कुछ श्लोकों का भी समावेश हुआ है।

शाति पर्व के राजधर्म यज्ञ के अध्याय के अतिरिक्त भी महाभारत के कुछ अध्यायों में राज्यतत्र पर विचार किया गया है। सभा पर्व के पूर्वे अध्याय में

¹ देखिये—अर्थशास्त्र में पृष्ठ ३, ९८, १२०, १२१, १२२, १२३, १२६ और १२८।

आदर्श राज्यशास्त्र का सरस और मुद्र वान है। आदिपर्व के १४२वें अध्याय में विदेष परिरियतियों में राज्य-आरम्भार में कृनीति का भी समर्थन किया गया है। समारह के ३२ वें और बनपत्र के २५ वें अध्याय में व्यापद्रम का इहा मनोरचक विवेचन है।

महामारत के पश्चात् कौटिल्य का प्रसिद्ध अर्थशास्त्र का उल्लेख करना अमरात है। वह राज्यशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रथम है। यह भी उपर्युक्त ग्रंथों की अंगी में आता है परन्तु इसमें सब विषयों का पूर्ण सविन्तर विवेचन किया गया है, पहले के आचारों के भतों पर विचार किया गया है और अपने भत द्वितीय ग्रंथों में। प्रथम विमाग में नृपतत्र से सबद्व विषयों का विचार है। दूसरे विमाग में अनेक अधिकारियों का कर्तव्यक्षेत्र और अधिकारों का वान किया गया है। अग्र दो विमागों में दीवानी तथा फौजदारी कानून, दाय विमाग तथा रम्मरिकाओं का विवेचन है। पाँचवें विमाग में राजा के अनुचरों के कर्तव्यों का वान तथा उठवें में राज्य के उत्त प्रकृतियों के स्थान और कर्तव्यों का विचार है। तेष्ठ ६ विमागों में परराष्ट्रनीति—विमिन राजाओं से सबम, उनको परामृत करने के दायाय, संघ विश्व हेतु उपयुक्त अवधि, युद्ध चलाने के तरीके, शत्रुओं पे फूट डालने के उपाय आदि का विवरण दर्शाया है।

अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य शासन का में राजा को मागनिदेशन काना था। नृपतत्र या शासनव्यवस्था के मूल सिद्धांतों का दार्यानिक विवेचन उसमें नहीं मिलता है। शासन की यात्तिक उपस्थितियों को मुझमाना हो इसका उद्देश्य या और युद्ध तथा शातिकाल में शासन पत्र का क्या स्वरूप और कार्य होना चाहिये इसका लेना व्यौरेवार बांन अर्थशास्त्र में हुआ है वह बार के ग्रंथों में—शुक्लनीति के अतिरिक्त—और कहीं नहीं मिलता।

अर्थशास्त्र के चतुर्थ के बारे में इहा मतभेद है। सर्वेश्वी द्यामशास्त्री गगपत शास्त्री, न० ना० ८०, रिय, फौट और जायसपाल के मत स वह चतुर्थ के प्रख्यात मता कौटिल्य की ही कृति है। परन्तु सबकी विट्ठनित्य छोड़ी, कीष और देवदत्त माडाप्पर का मत है कि प्रख्यात प्रथ बृत्त बाद में इसकी सन् की पहली कुठ शताब्दियों में लिखा गया। दोनों में स किसी

३ द्यामशास्त्री—अर्थशास्त्र की भूमिका, आपमान—इदूर पौलिन भर्येविषय सी०, छ०—इष्टकषास्त्रिय, १२२४, अर्थशास्त्र का परपरागत कानून, इ० ४० ३००, स्वीकार करते हैं। भगव ब्रोडी इटोलशासन द्व भर्येशास्त्र, कीष—सकून जिटरचार, पृष्ठ ४६८ से, तथा विश्वनिधि, गणितक र इतर जिटरेचर माग ३, अर्थशास्त्र इसमें बहुत शासन उपस्थिति है।

को पुष्टि में पक्के प्रभाग नहीं मिलते और बाद में ग्रथ में थोड़ी बहुत जोड़-जाहँ होने के कारण इसके रचनाकाल को समस्ता और भी उल्लङ्घ गयी है। विंगसनित्य आदि का कहना है कि यदि ग्रथ चाशगुप्त मौर्य के मन्त्री कौटिल्य प्रणीत है तो इसमें यूनानी इतिहासकारों द्वारा वर्णित मौर्य साम्राज्य और शासनधर्मस्य का उल्लेख क्यों नहीं मिलता। इसमें नगर भी प्रबन्ध समितियों और विदेशियों की देखरेख का ऐक मी नहीं है। इसने अतिरिक्त इसमें कौटिल्य का नाम अन्य पुरुष में प्रयुक्त है इसमें भी स्पष्ट है कि इसका लिखनेवाला कोई और ही नहीं था।

श्यामगांत्री और जायसवाल इसके पिरोध में कहते हैं कि पुस्तक ने अन में स्पष्ट लिपा हुआ है कि एदों का उच्छेद करनेवाले कौटिल्य ने इसकी रचना की है। यह कहना भी गलत है कि प्रथकार मौर्य साम्राज्य के विराटार ग अपरिचित या क्योंकि उसने शिखा है कि भारत में साम्राज्य की सीमा दिमाल्प से ऐकर समुद्र तक हो सकती है। ग्रथ का लक्ष्य अौरत या साधारण राज्यतात्र का वर्णन करना था। विशाल साम्राज्य की स्थापना तो भारत के इतिहास की असाधारण घटना थी अत उसका विशेष वर्णन नहीं किया गया है। अवश्य ही अर्थशास्त्र में कुछ विविन्न विमांगों के अध्यक्षों पा ही उल्लेख है, नगर पञ्चायती का वर्णा सभवत इसलिये नहीं किया गया होगा कि वे गैरमस्कारी कृष्णाण थीं। भारतीय ग्रथकारों में अपने नाम का प्रथम पुरुष के बजाय अन्य पुरुष में उल्लेख बहुत माधारण आता है, इसलिए कौटिल्य के नामोल्लंघन से ही छिप नहीं होता कि ग्रथ कौटिल्य का रचा नहीं है।

कौटिल्य ने जिस समाज का चित्रण किया है उसमें विषदाओं के नियोग और पुनर्विषयाद रुद्र थे, रिवाहविच्छेद अरात नहीं था और लड़नियों पा ग्रियाह सूतुशाति के पश्चात् प्रौढ़वस्त्या में होता था। यह रिवति मौर्ययुग में थी। बोद्धों के प्रति अवहा (पृष्ठ १६६) तथा परिवार का प्रबन्ध किये जिना भिजु होने को मनाहो (पृ० ४८) भी यह बताती है कि ग्रथ की रचना एस समय हुई जब थोड़वर्म राज्यमें नहीं बन गया था परतु उसका प्रचार इतना था कि लाग परिवार थोड़कर भिजु बनने को उद्यत रहते थे। ग्रथ में राज कर्मचारी के लिये अनेक बार 'युक्त' शब्द पा ग्रयोग हुआ है। अगोक क शिलालेखों म भी यह शब्द इसी अथ में प्रयुक्त हुआ है, परतु बाद म इसका चलन न रहा।

इन सब बातों तथा ग्रथ-समाप्ति के लोक से यह तो छिद्र है कि कम स कम ग्रथ का मूल भाग मौर्यकाल का द्वी है और उसक कौटिल्य के ही विचार

है। बाद में उसमें इधर उधर कुछ संशोधन होते रहे। जैसे प्रथ में चीन का उल्लंघन अवश्य ही बाद का है क्योंकि ३०० ई० पू० में चीन देश के घारे में यह नाम रुद्ध नहीं हुआ था। इसी प्रकार सुरग शब्द बाले स्पष्ट भी था^१ के ही समय से है, जैसे कीर्किंसन 'सिरिक्स' से ही यह शब्द निकला है। पृ० २५५ में कौटिल्य के सुभावने भारद्वाज के विचार रखे गये हैं। इसका उद्देश्य निष्पद्धरूप से दो विरोधी छिद्रात उपस्थित करना भा हा सकता है, परन्तु यह भारद्वाज की अध्यानता देना उद्देश्य हो तो यह अध्यायभाग भी बाद में बोड़ा गया हो सकता है।

इस प्रकार कुछ बाक्यों या अध्यायों को डोडकर प्रथ का शेष भाग अवश्य ही मौयकालीन और कौटिल्यकृत है।

कौटिल्य द्वारे राजनितिज्ञ ही नहीं धर्म, राजनीति के एक समदाय के समर्पण थे इसीसे उनका और उनके प्रथ का बाद के युग में भी समान होता रहा। राजनीति के बाह्यमर में अथशास्त्र का बहा स्थान है जो व्याखण शास्त्र में पाणिनि की अप्राप्यायी का। पाणिनि की माँति कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्तियों को परास्त कर दिया और उनके प्रथ धार्म धीमे उपचित तथा विद्वत् हा गय। पाणिनी को रचना इतनी श्रेष्ठ है कि परवर्ती वैदाकरण उसके आगे बढ़ना अभ्यव समझते थे। यही बाद म राज्यशास्त्र के मौलिक प्रथों का अभाव हाने का एक कारण है। इस अभाव का एक और कारण हो सकता है। २०० ई० पू० से २०० ई० तक रचित मनु, विष्णु और याज्ञवल्क्य समृद्धियों में राजा के कताय, राजकमचारियों के कार्य, दण और व्यवहारावधान, परराष्ट्रधर्म आदि विषयों का विवेचन किया गया है। यह विवेचन अर्थशास्त्र के समान विस्तृत तथा गमीर न होते हुए भी साधारण व्यवहार के लिये यথेष्ट था। उपर्युक्त समृद्धियों में इन विषयों के अतिरिक्त वग, आश्रम, प्रायश्चित्त वैषु विषयों का विवेचन भी मिलता था, अत विशुद्ध राज्यशास्त्र के प्रथों की अपेक्षा वे प्रथ अधिक उपयुक्त और लोकप्रिय हुए।

उपर्युक्त समृद्धियों में शासनसमस्याओं का स्थूलरूप से ही विचार किया

^१ सस्तुत बाह्यमय में एह और अथशास्त्र-शाहस्रश्य अथशास्त्र है। यह पहुँच बाद की रचना है और इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है। इसकी रचना समयत १२वीं शताब्दी में किसी निति कोटि के व्यक्ति ने की और इस पर नाम दे दिया इहस्पति का जो इस शास्त्र के आदि भावार्थों में है।

राज्यशासन के आजार प्रथ

गया है। यदि देश में गमीर राजनीतिक चित्तन होता रहता तो अवश्य ही ये प्रथ अपर्याप्त सिद्ध होते और नये प्रायों की रचना होती। पर ऐसा न हुआ। व्यवहार, मनुष्यत्व इत्यादि प्रायों के द्वारा राज्यशासनविधयक प्राय का स्वरूप बदा के लिये निश्चित हो गया। बाद के सुग में नये खिदात स्थापित ही नहीं किये गये। इसका कारण बाद के विद्वानों की बुद्धि का घर्म और नीति से अत्यधिक प्रभावित होना ही है। पहले के आचारों का मत या कि राजा प्रला का इष्ट है और अस्याचारी राजा को मारना पाप नहीं। यदि राज हस्ता के प्रश्न पर विशुद्ध लौकिक और व्यवहारिक दृष्टिसे विचार किया गया होता तो बहुत से नये खिदात और प्रथ रखे गये होते। प्रता के लेवर होने के कारण राजा के क्षमता यह है, राजा यदि निरकुश शासन करने लगे तो प्रजा उसका वेधानिक या यावदारिक प्रतिकार करें करे, किस रिप्ति में प्रजा राजनीता कर सकती है, किस प्रकार क्षमता से मुक्त होती है और राजा को कर देना बद कर सकती है, किस प्रकार जनमत प्रभावों हो, राजवध ए आत्मरात्क उपाय से पहिले प्रजा को नैति सीमा उपाय व्यवहार पर नैति है। राजसेन्य के मुकाबले में ये कहाँतक उपल हो सकत हैं, ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जिन्हें विचारने से अनेक नये खिदात प्रकाशित हुए होते और इस विषय पर बाद की शाताविद्यों में प्रचुर साहित्य रचा जाता। पर तु हमारे आचारों ने यहल धार्मिक और नैतिक दृष्टिये ही इस प्रश्न पर विचार किया। राजाका कर्त्तव्य तनमनधन से दृष्टि होता है तो देवता उसे दढ़ देंगे। प्रजा के पाप उठके प्रतीकार का कोई च्युत होता है तो देवता उसे दढ़ देंगे। विभिन्न राजान या। यदि चढ़ कर्त्ता-ये व्यवहारिक उपाय नहीं या। अनेक स्थलों पर यह कहा गया है कि दुर्योचारी राजा पागल मुक्ते की भाति क्षम्य है, परन्तु कैसे और किनके द्वारा यह नहीं कहाया गया। काव्य और दशन शास्त्र में मारतीयों की इस समय नवनवो मेयशाळिनी प्रतिमा पुतोतर सुग में इस देव प्रथमें न जाने वैसी निस्तेज थी ही गयी।

उत्तीर्ण लेखों में पता चलता है कि स्थानीय शासन और कर्यवस्था में देश के विभिन्न भागों में बहुत वैभिन्न था। विभिन्न राज्यों में समय समय पर नये कर लगाये जाते थे और भिन्न भिन्न प्रांगों में स्थानीय शासन ना विकास भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ था। इन नये विरयों पर मी नये प्रथ लिया जा सकते थे। पर ऐसा उभयत इत्यतिष्ठ नहीं हुआ कि कर और शासन नये प्रथ लिया जाया था। परन्तु ये इन स्थानीय विभिन्नताओं के अनुसार होते थे और यन्म नास्त्र ये प्रमाणभूत प्रथों में इन स्थानीय विभिन्नताओं का शासन नहीं दिया जाया था।

मौर्य शासनपद्धति से गुरुओं की शासनपद्धति काफी विभिन्न थी, अगे चलकर हृषि और उसके उत्तरकालीन राजाओं के समय में भी इस क्षेत्र में कुछ पेरेपार हुए। इस विषय पर ग्रथ लिखे जा सकते थे। किंतु ऐसा नहीं हुआ। मालूम होता है कि राज्यशास्त्रों की सम्मति में ये पेरेपार विशेष महत्व के नहीं थे, इसलिये नवे ग्रथ नहीं लिखे गये।

कुछ लोगों का अनुमान है कि कौटिल्य के बाद राजनीति के ग्रन्थों के अमाव का कारण इ० पू० २०० से ३०० इ० तक के विदेशी आक्रमण और विदेशी राज्यों की स्थापना है। परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि यूनानी, शक, पहलव बुशान राजाओं के राज्य पश्चात के परे बहुत योङे समय तक ही रह सके। मध्यदेश और विहार, जो ५०० द० पूछ स ही आये सत्त्वति के केंद्र थे, विदेशी राज्य से मुक्त ही रहे।

बत इस इस निकर्प पर पहुँचते हैं कि ईसा के प्रथम सहस्राब्द में राजनीति के साहित्य क्षेत्र में मौलिक ग्रन्थों के अमाव के कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सर्वोपर प्रभाव, राजनीतिक चिंतन का अमाव और शासन-व्यवस्था में किसी महत्वपूर्ण विकास का न होना हो या। कुछ एक मामूली ग्रथ या सप्रद अवश्य बनाये गये परन्तु उनमें फोड़ नहीं बात न थी।

पर्वती काल में जो कुछ ऐसे ग्रथ रखे भी गरे उन पर अर्थशास्त्र की ही धाक स्पष्ट दिखाद देती है। उदाहरण के लिए कामदकीय नीतिसार को लीजिये जो समवत् गुप्तकाल में ५०० इ० के आस-पास लिखा गया। यह कौटिल्य के ग्रथ का छद्मेवद सज्जेपीकरण मान रहा है। इसके गुप्तनाम लेखक ने इसे अनुच्छुप उ० में इसीलिए बोঁधा कि विद्यार्थी इस प्रामाणिक ग्रथ को कठस्य कर सकें। परन्तु इस ग्रथ में शासनव्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। राजा और उसके परिवारों के वर्णन ने ही सारी जगह छक्क ली है इसक पता चलता है कि इस समय नृपतन कितना शक्ति शाली हो चुका था। अर्थशास्त्र का गगतप्रवाला अध्याय इसमें ही नहीं क्याकि समवत् इस समय तक गगतों का अस्तित्व ही मिट चुका था। दोवानो और पौजदारी का नून, दायविमाग, वण्यव्यवस्था इत्यादि विषय भी छोड़ दिये गये हैं क्याकि सृष्टिसारों ने इस अपना विशेष विषय यना लिया था।

शुक्लनीति भी प्राचीन मारतीप्र राज्यतन के अध्ययन के लिए बड़े काम थी है। इसकी रचनात्मिय अनिश्चित है। अय ग्रन्थों के समान इसमें भी राज्य अध्यवा शासन सत्र का सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया गया है परन्तु इसमें शासन-व्यवस्था का जैसा संगोष्ठीग विवरण है जैसा अर्थशास्त्र के बाद के रिसी

अय प्रथ में नहीं है। इस प्रथ के समय तक गणतांत्रों का नामनिशान मिट चुका था अत इसमें भी नृपतुद का ही धर्णन है। राजा और उसके मनियों तथा फर्मचारियों के धार्यों के अतिरिक्त इसमें परराष्ट्र और राजनीति का धर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। याय को व्यवस्था का भी इसमें पूरा विवरण है। प्रथगद समाज शास्त्र और समाज नीतिके कुछ प्रश्नों पर भी विशद विचार किया गया है। इस प्रथ की रचनाशैली और समाजचिप्रण कामदक्षीय नीतिकार और नारदसूति जैसा ही है अत इसे एवं शतांद्री के अतिम चरण में रखा जा सकता है। इसके बुद्ध लोक जिनमें उत्तर पश्चिम में यज्ञों के होने का उल्लङ्घन और ताप तथा यारूद का धर्णन है (चौथा अ० ७, १५३) वाद के हो सकते हैं। कुछ विद्वान् इस १६ धों शतांद्री में रखते हैं परन्तु यह गङ्गत है क्योंकि ११०० से १६०० के बीच में इसे गये प्रथा से इसकी शैली और विचारधारा एकदम भिन्न है।

११०० ई० के बाद से मारतीय चाहू-भ्रष्ट की अधिकाश शाखाओं से मौलिकता बाती रही। राज्यशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है। ११०० से १७०० तक बहुत से ६कानात्मक प्रथ रखे गये जिनमें धर्म के विभिन्न अर्गों का सविरतार धर्णन किया गया है। राजनीति पर भी इन प्रथों में अध्याय लिये गये हैं जिन्होंने नावोन्य फिल्मुल नहीं हैं। इस धोनी के कुछ उत्तेजनीय प्रथ ये हैं। लक्ष्मीधर (११२५) का राजनीति कल्पत्रह, देवगम्भृ (१२०० ई०) का राजनीतिकाढ, चंद्रश्चर (१२२५ ई०) का राजनीति गताकर, नीलकण्ठ (१६२५ ई०) का नीतिमयूल तथा मित्र मित्र (१६४० ई०) का राजनीति प्रकाश। अधिकतर प्रथ मुरोदिसीं के वर्षकाढ की दृष्टि से लिये गये हैं। राजनीति प्रकाश में राज्याभिपेक का धर्णन १०० पूर्वों में है। नीतिमयूल में बड़े विस्तार से घटाया गया है कि राजा किस प्रकार नदाय, और द्वौर कराये दुस्वप्न और अपशङ्कन होने पर क्या करे और उपदेशों के नियाकरण के लिए क्या शाति कराये। इन प्रथों में अमात्य, दुग, छोप परराष्ट्र और राजनीति का भी वर्णन है पर उसमें कोई यी नशीलता नहीं है। इस विभिन्न विधयों पर पूर्य आचार्यों के ही उद्दरण अधिकार दिए गये हैं। शिवानी के मंत्री रामचंद्र पत अमात्य ने भी मराठी में १६८० ई० के लगभग राजनीति पर एक छाटी सी रचना की थी पर इसमें भी कोई नये विचार नहीं हैं। प्राचीन राजनीति के विद्यार्थी को इन मध्यवालीन प्रथों से बहुत कम सहायता मिल सकती है।

अध्याय २

राज्य की उत्पत्ति और प्रकार

राज्यशास्त्र के व्याधुनिक ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति पर वहे विस्तार से विचार किया जाता है। सदप्रथम राज्य की किस प्रकार उत्पन्न हुई इसके तत्कालीन प्रमाण तो मिल नहीं सकते। सामाजिक या राजनीतिक संघरण से परिचित लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर अपने राज्य की किस प्रकार स्थापना की इसके उदाहरण इतिहास में बहुत मिलते हैं परं पहले मनुष्य न राजनीतिक संघरण का शान प्राप्त करके किस प्रकार राज्य की स्थापना की इच्छी तो पुराणे और किष्टियों के सहारे कल्पना ही की जा सकती है। आधुनिक लेखक वैज्ञानिक प्रणाली और विकासवाद के सिद्धांतों के आधार पर अपना अपना मत प्रतिशादन करते हैं। इस समय मी आदिम अवस्थामें रूढ़ीवादी जगली जातियों की मिथ्यति के तिरीक्षण से उनके कुछ सिद्धांतों की पुष्टि भी होती है। परंतु पुराने विचारों को, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, वे सुधरन उपलब्ध न थे। प्राचीन भारत में अधिकतर संस्थाओं की उत्पत्ति दैवी ही मानी जाती थी और राज्य की उत्पत्ति भी इसी प्रकार समझा जाती थी।

महाभारत^१ और दीर्घाकाय में^२ राज्य की उत्पत्ति पर विचार किया गया है और विभि न उप्रदाय वथा समय के होनपर मी दोनों प्रथ के विचारों में महत्वपूर्ण साम्य है। दोनों का कहना है कि मनुष्य समाज की सुष्टि के बाद बहुत दिनों तक सत्युग, सुर और शांति का स्वग्राम रहा, लाग समावत धार्मिक होते थे और सरकार तथा कानून या विविन्यमोक विना ही शांति वार सदाचारपूर्वक रहते थे। भारत में ही नहीं पश्चिम म भी दृष्टि क आदिकाल में सत्युग की कल्पना की गयी है।

भैरो आदि कुछ यूनानी लेखकों ने भी इस धारणा का उल्लेख किया है कि सुष्टि के आदि में शांति और सदाचार के सर्वं गुण एक दौर दौरा या जिउक

१ दातिप्रथा, अध्याय ३८

२ भाग ३, पृ० ८९-९०

सामने खतमान अच्छे से व्यच्छे राज्य मी पीके हैं ।^१ अठारहवीं शताब्दी का फ्रैंच ग्रथकार इसे मी आदिम स्वर्णयुग पर विश्वास रखता था ।

महाभारत में लिखा है कि बहुत समय तक दिना राजा और यायाधीश के ही समाज सत्पथ पर चलता रहा परतु बाद में किसी प्रकार अब पतन आरम्भ हो गया । लोग सदाचार से अष्ट होकर स्वार्थ, लोभ और धार्षना के बश में हो गये और जिस स्वर्णीय व्यवस्था में वे रहते थे वह नरक बन गये । मात्स्य-याय, जिसकी लाडी उसकी भूमि, का बोलबाला हुआ । बलवान् निर्वर्णों को खाने लगे । देवदा मी यह सब देखकर चितित हुए और उहोने इस दुदशा का अत फरने का निश्चय किया । लोग भगवान् ब्रह्म के शरण में गये । ब्रह्माजी इस निश्चय पर पहुँचे कि मनुष्य जाति को तब ही रक्षा हो सकेगी जब एक आन्वारशास्त्र बनाया जाय और उसे राजा के द्वारा कार्यान्वित किया जाय । अत उहोने एक विस्तृत विधान बनाया और अपने मानस पुनर विरजस की सुष्ठि करके उसे राजा बनाया । जनता ने भी उसके व्यनुशासन में रहना स्वीकार किया^२ । इस विवरण से यष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति दैर्घ्यमानी जाती थी, राजा के राज्याधिकार का आधार उसकी दिव्य उत्पत्ति भी थी और इस पतित जीयन के अत फरने की नीयत से उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रजा की सहमति थी । यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना उचित है कि ईशाद मत के प्रमाण के कारण यूरोप में भी राजा के दैरी उत्पत्ति के चिदांत का बहुत बोलबाला था । खासकर मध्ययुग म तो राजा ईश्वर का प्रति निषि और उसके अधिकार ईश्वर प्रदत्त माने जाते थे । इस्लाम में भी बादशाह खुदा का प्रतिविवर समझा जाता था ।

१ कुछ निरीदहों का कहना है कि १६ थीं मधी में भी अक्रोक्त सथा आस्ट्रेलियामें पैसी जगहीं जातियों विद्यमान थीं, जो शासनतंत्र से अदरिचित होने पर भी पूरे सौहाद और आनंद से रहती थीं । परतु ममत है कि ये निरीदक उनकी मारा न जानने और अधिक देर उनक साथ न रहने के कारण इन जातियों की वास्तविक स्थिति न जान पाये हों ।

२ निपत्तस्व नरायान शृणु सप्तमयेषत् , यथा राज्य समुत्पान भारी शृत युगेऽमवत् ॥ नैव शाश्वत राजासीम च ददो न दादिक । धर्मेणैव प्रजा स्वर्ण रहति इम परापरम् ॥ पाप्यमानास्तपायाम्य नरा धर्मेण भारत ॥ दै-य परमुपायाम्युत्तरस्ताम्भोद आविष्ट । प्रतिपत्तिविद्योगाय धर्मस्तेषामनीतशत् ॥ कामो नामापारतंत्र प्रत्यपद्यते वै प्रमो ।

दीघनिकाय का विवरण^१ में बहुत कुछ महामारत के ही समान है। बौद्ध इस्तर को नहीं मानते थे अत गदा द्वारा प्रथम राजा की स्थिति का कथा उन ग्रंथों में स्वभावत ही नहीं है। परन्तु उनमें यह कहा गया है कि बहुत पले स्वर्णसुग या, जिसमें दिव्य और प्रकाशमान, "पुरीरवाले मनुष्य घम से आनदपूर्वक रहते थे। विसी इकार इस आदर्श समाज का अधापतन हुआ, अधाधुष्टी और अन्यवस्था का दीर दीरा हुआ और सभी जन इस दृश्यवस्था का अत करने के लिए अधीर हो उठे। अत में 'महाजन सम्मत' नामक एक दिव्य और अयोनिक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। वह हुद्दिमान् धार्मिक और योग्य या व्योर सब जनों ने इक्षु अपना राजा होने और अन्यवस्था का अत करने की प्रार्थना की। उसने प्रजा की विनती स्वीकार की और जनता ने उसे अपना राजा बनाया तथा उनकी सेवाओं के बदले में अपने धान का एक अश देना स्वीकार किया।

हिंदू और बौद्धों भी यह धारणा कि शावन संस्था के विकास के पूर्व स्वर्णसुग या इस बात की सूचिका है कि वे राज्य के पहले समाज की उत्पत्ति मानते थे। यही ठीक भी है। भाषा पा जम पहले होता है व्याकरण का बाद छो.

नारद^२ और वृहस्पति^३ भी स्वर्णसुग और उसके बाद की अन्यवस्था का छलना करते हैं पर राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोइ उल्लेख नहीं कहते हैं।

उपर्युक्त उद्दरणों से सिद्ध होता है कि पौराणिक सत्युग की चाहे वो अवस्था रही हो जहाँ तक शास्ति-हितिहासका सबूत है हिंदू विचारक यह मानते थे कि समाज की रक्षा और विकास के लिए शासन संस्था का अस्तित्व अनिवार्य है और उसके विना कोई समाज ठिक नहीं सकता^४। राज्य को देवो छह्या मानने का अर्थ यही है कि वह समाज के ही समान प्राचीन है और उसकी उत्पत्ति का कारण मनुष्य की सृज्वात सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्ति ही है।

महामारत के विवरण से यह प्रतीत होता है कि समाज के मानने से ही विरचन स राजा हुआ और दीघनिकाय तो स्पष्ट ही कहता है कि 'महाजन सम्मत'

^१ भाग ३, पृ० ८४-६

^२ भग्वाय १—२।

^३ „ १।

^४ भगवद्गीता नाम रह पाएंतु न सका।

लोगों की प्रार्थना पर ही अवधारणा दूर करने पर तैयार हुए। तब लोगों ने उन्हें राजा बनाया। इन विवरणों में समाज की सहमति अथवा इकारणामें से ही राज्य की स्थापना का माव निहित है। धर्म सुश्रकारों का भी यह मत है क्योंकि वे लिखते हैं कि राजा प्रधा का सेवक है उसका कर्तव्य उनका सरक्षण है और उसे प्रजा की आप का ११६ वा भाग अपने वेतन के रूप में मिलना चाहिये^१। हिंदू विचारकों ने इकारणामें के इस सिद्धात पर अधिक ज्ञान समवत् इसलिए नहीं दिया कि वे उसे समाज और सरकार को मूल उत्पत्ति के लिए अनुपयुक्त समझते थे और मनुष्य की स्वामानिक समाजनिष्ठता को ही उत्तरदायी मानते थे।

अब लोग समझ गये हैं कि सहमति का सिद्धात इतिहास की दृष्टि से अशुद्ध और तक की दृष्टि से लचर है। सहमति द्वारा सम्य एवं राजनीतिक दृष्टि से विकसित जातियों द्वारा विशिष्ट राज्यों की स्थापना समव है। पर भाकृतिक अवधारणा में सबसे पहले राज्य की स्थापना के से हुई यह गुरुत्वी इस सिद्धात से नहीं सुलझ उकती। सहमति या इकारण उस समाज में हो सकता है जहाँ लोग अपने और दूसरों के अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हों, उस समाज में नहीं जहाँ लोग बनवारों की माति रहते हों। फिर भी इस विषय में भारतीय विचारों की पीरिशात्य से तुलना लाभकर होगी।

प्राचीन ग्रीक या रोमन विचारकों ने इस सिद्धात का उल्लेख नहीं किया है। इसका विकास यूरोप में प्रोटेस्टेंट आदेलन के बाद ही हुआ। हाँ स, लॉक और रूथो इसके प्रमुख समर्थक हैं।

बहुसंख्य प्राचीन भारत के विचारकों के समान हाँव्स का भी यह मत था कि सदारके प्रारम्भ में व्याजकता थी, हरेक मनुष्य यथा समव दूसरे का दबाना चाहता था। इस अवधारणा से उकता कर लोगों ने आपस में यह तप मिया कि वे अपने अनियन्त्रित अधिकार एक शासक को सौंप दें। मगर जनता और शासक में कोई इकारान या न उसके अधिकारों पर कोई नियन्त्रण लगा रखा था। इस अवधारणा से शासक को जो अधिकार प्राप्त हुए उनको लोगों को घापस लेने का भी कोई अधिकार न रहा। हिंदू विचारकों में और हाँव्स में बहुत कुछ साम्य है। वे भी मानते हैं कि पहले व्याजकता थी और जब पहला राजा ग्रहदेव ने निर्माण किया तब उसमें और जनता में कुछ 'समय' या इकारान हुआ था। मगर उनका यह स्पष्ट कहना है कि पदि

'समय' को शर्तों से न हो तो इश्वर निर्मित धर्मशास्त्र के नियमों से राजा को सत्ता नियन्त्रित रहती है।

लॉक के मतानुसार राज्य की स्थापना से पहले की अवस्था प्राय हिंदु पुराणों के सत्युग के समान ही थी। लोग प्रकृति तथा विवेक के नियमों का पालन करते थे और प्राय एक दूसरे की जानमाल को नुकसान न पहुँचाते थे। मगर व्यक्ति यक्षि की बुद्धि में भेद और स्वार्थों के स्थर्पण से प्राइतिक नियम छीन है, इस प्रश्न पर कभी कभी मतभेद उत्पन्न होते थे। मगर समाज में कोइ अधिकृत न्याय करनेवाले या ढड़ देनेवाले न थे विसके कारण सभी न्यायाधीश और दाढ़िक हो सकते थे। इसने गढ़बड़ी, होने वाली और उसके इच्छने के लिए सोगों ने आमस में 'समय' या इकरारनामा किया और सरकार की स्थापना की और उसे कुछ अधिकार सौंप दिये। इस मूल 'समय' से राजा और प्रजा दोनों भी समान रूप से बैठे हैं।

हिंदु विचारकों ने भी यह भान लिया है कि पहल सत्युग था और किसी प्रकार से लोग और योह के बश में हा जाने से लोगों का अध पतन हुआ और शासन-यस्ता की अवस्थकता उत्पन्न हुई। मगर सत्युग के लोग एकाएक लोमध्य कैमे हुए यह जैसे हिंदु विचारक ठीक तरह से कह नहीं सकते उसी प्रकार लॉक भी यह नहीं समझा सकता है कि प्रकृति तथा विवेक के नियमों का पालन करनेवालों में स्वार्थज्ञ ज्ञानहें कैसे हीने लगे, और ऐस समय हरेक व्यक्ति समाज में न्यायाधीश और दाढ़िक कैसे हा सकता था। मूल 'समय' (इकरारनामा) की शर्तों से लॉक राजा के अधिकार का नियन्त्रण करना चाहते हैं, हिंदु विचारक मूल देवी शास्त्र के नियमों से।

प्राचीन भारताय आचार्य लॉक और हॉब्स की भाँति बुद्धिवादके युग में नहीं रहते थे। उहोंने इन प्रश्नों पर अध्यार्थिक और अध्यैकिक दृष्टि से ही विचार किया था। अत न तो वे इस समस्या के तल तक पहुँच सके और न शासन संस्था तथा प्रजा के अधिकारों की भी स्पष्ट सीमा निघारण कर पाये। उहोंने यह तो कह दिया कि राज्य द्वारा अपने सरकार और सेवा के बदले ही प्रजा राजा का कर दती तथा उसका अनुशासन मानती है और राजा के कर्तव्य-मुक्ति दान पर उस हटाने और मार डालने का भी प्रका को अधिकार है, पर उहोंने यह कहीं नहीं बताया कि किन किन परिस्थितियों में यजा इकरारनामा तोहने का दोषी समझा जाय और किन व्यावहारिक विधान-सुच द्वारा प्रजा दक्ष इकरारनामे की शर्तों का पालन जाय रूप से करावे। आततायी राजा को हटाने या बध करने का अधिकार प्रजा को देना ही इस बात का प्रमाण है

कि प्रका ही राजसत्ता की मूल अधिकारी है और उसी का अधिकार सर्वोच्च है। परम्परा राजचुन्न फरना तथा राजवध करना बहुत उम्म और कठिन लापाय है। ऐदा अच्छा होता यदि हमारे आचारों ने राजा पर अकुश रखने के लिए कोई सदा व्यवहार में लाने योग्य वैधानिक माग निकाला होता। परतु हमें यह भी याद रपना चाहिए कि इस प्रकार का वैधानिक माग यूरोप में भी आधुनिक काल में ही पूर्णरूप से बन पाया है।

अर्वाचीन विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के घारे में और भी कल्पनायें की हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत पुराने जमाने में लोगों ने रेवेच्छा से कुछ व्यक्ति विशेष को अधिकार दिया। या तो वह पुरोहित था जो देवताओं को प्रसन्न कर सकता हो, या वह मन्त्रवेत्ता था जो मनवल से पानी बरसा सकता हो अथवा वह वैद्य था जिसमें रोग दूर करने की क्षमता थी। इस प्रकार अधिकार पा जाने पर, अपने रोब से और घाद में बलप्रयोग द्वारा भी इसके लिए अपने अधिकार कायम रखना या उनका वितार करना कठिन न था। सभव है कि कुछ जातियों में इस प्रकार भी शासन सत्या या राजा की उत्पत्ति हुई हो। पर आर्य जातियों में पितृप्रधान सम्मिलित कुडुम पद्धति के ही बोनम धीरे धीरे राज्यविकास अधिक मुसि-सुक प्रतीत होता है।

तुर्नात्मक भाषाविदान से इस घात के ग्रन्थाण मिलते हैं कि अपने आदि देश में भी आर्य सम्मिलित कुडुमों में ही रहते थे। इन कुडुमों में दादा पिता, चाचा, भतीजे, लहड़े और पतोहू सभी थे।^१ होमर के काल में दो दो सौ और तीन तीन सौ वर्चियों के परिवारों का उल्लेप मिलता है।^२ इस परिवार के गृहपति को परिवार के सदस्यों पर पूर्ण प्रभुत्व था। उसे अपने वशवर्ती किसी भी वर्चि को बेचने, बदक रखने या अपराध करने पर अगच्छेद और धध करने का भी अधिकार था। प्राचीन रोम में परिवार के गृहपति को ये अधिकार थे और कुछ धैदिक सभों में भी पिता की आशा से अपराधी पुत्र के बेचने या उसकी आँखें फोड़ी जाने का बगन है।^३ प्रागेतिहासिक काल में

^१ अधिकारी यूरोपीय (Indo European) मायाओं में खाचा, भतीजा, समुर, सास, पतोहू आदि शब्द एक ही धारु से निष्ठले हैं।

^२ प्रायम के ४० थे और १२ वेटियाँ थीं और वे अपनी पत्नी, पति, और सहान के साथ एक ही पर में प्रायम के साथ रहते थे।

^३ लग्नेद ७ ११६ १०—में यषेन है कि अग्नातव की असावधानी से इसके पिता को १०० में से एक भेदिया खा गया। पिता ने कुद होकर (कृष्ण)

सभी आर्य जातियों में कुटुब के गृहपति के अधिकार और पद प्राप्त राजा के ही समान थे। लेकिन कुटुब सम्मान का विस्तार हुआ और उसने एक ही गाव में रहनेवाले काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज से उत्पत्ति माननेवाले अनेक बुद्धों के समाज का रूप धारण किया तब गृहपति के अधिकारों के लेख की शृङ्खि के साथ साथ उसकी व्यापकता में कुछ अमीं भी आयी। गाव के सबसे बड़े कुल के सबसे शृङ्खि गृहपति को सारा समाज अत्यंत आदर से देखता था और अन्य ग्रामवृद्धों की सज्जा से बहुत ग्राम की व्यवस्था करता था।

ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि तत्कालीन आर्य समाज कुटुबों, ज्ञानों, विशेषों और ज्ञानों^१ में विमाचित था। ज्ञानन् समवत् एक ही पूर्वज के वशजों का प्राप्त था। इस प्रकार के कई प्रामाणों का समूह विश् कहलाता था और इनका मुख्या विश्वपति। विश् का सूर्यन बहा हट था और लङ्घाइयों में हरेक विश् की अपनी अलग टुकड़ी होती थी। कई विशों को मिलाकर जन बनता था, जिसके प्रभुत्व का जनपति था राजा कहते थे। प्राचीन रोम की समाज व्यवस्था और ऊपर वर्णित वैदिक समाज-व्यवस्था में अद्युत साम्य था। वहाँ भी सबसे छोटा अग 'ज्ञेसु' एक ही वंश के बुद्धों का उमड़ था, कह जे त मिलकर 'क्यूरिया' और १० क्यूरियों की एक 'ट्राहव' बनती थी। इस प्रकार वैदिक जन, रोम के 'ट्राहव', विश्, 'क्यूरिया' और ज्ञानन् 'जेन्स' के बगवर था।

उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि अर्य आर्य जातियों की मौति मारत में भी प्राचीतिहासिक काल में स्वयुत् कुटुब से ही शासन सम्मान का विकास हुआ। कुटुब के गृहपति का आदर और मान स्वाभाविक था ग्राम के मुख्या और जनपात्र भी इसी परिपरागत सम्मान के भाजन हुए, और कालातर में ये ही सरदार्हे और राजाओं के पदपर प्रतिष्ठित हुए। राज्यों के विस्तार के साथ राजा के अधिकारों का भी विस्तार होता रहा।

शासन सम्भालने के प्रकार

अब हमें यह देखना है कि प्राचीन मारत में कितने प्रकार की शासन

(क्रमशः)

उसकी अपेक्षा कोइ दो सब भरिवानों ने उसे नेत्रदान दिया। शुत्रशयेष को उसके पिता से अकाल्पीवित परिवार के प्राण के लिये बेव दिया था।

(ऐ. प्रा. सप्तम १५)

^१ ए हृष्णनेन स विद्या स जग्मना स पुत्रैर्वाज्ज मरते जना नृमि । ८-२६-३

स्थापें थीं। प्राचीन ऐतिहासिकों ने इस विषय के विवेचन पर अधिक ज्ञान नहीं दिया है। कारण उनके समय में नृपतत्र का ही बोलबाला था। यदि प्रजातत्र या उच्चवर्ग-तत्र के नागरिक ने दड़नीति का कोइ ग्रथ रखा होता तो उसके नृपतत्र, प्रजातत्र और उच्चवर्ग-तत्र आदि विविध प्रकार की शासन-संस्थाओं के गुणागुण का विवेचन अवश्य होता, परन्तु ऐसा न हुआ। हमारे लेखक घूम घूमकर बेबल एक ही प्रकार नृपतत्र पर ही आते हैं। चलते चलते कुछ ने 'उषों' का उल्लेखभाष्ट कर दिया है। हम देख चुके हैं कि बहुत काल तक भारत में जन राज्यों का ही प्रचलन रहा। विशृण्वति, जनपति आदि के उल्लेख में अनेक जगह मिलते हैं और उनके अतिरिक्त स्थान स्थान पर यदु, पुष्य, अणु और तुवशु आदि विशिष्ट जनों का भी उल्लेख प्रस्तुता से किया गया है। कहा जाता है कि विश्वामित्र के स्तवन से मारतजनों को रक्षा हुई^१। राजसूय यश में राजा किसी प्रदेश या राज्य का नहीं बल्कि मारतों या कुरुपाचालों का शासक घोषित किया जाता है।

उच्चर वैदिक काल में प्रादेविक राज्य की भारता का विकास दाने लगता है। व्यष्ट वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख है।^२ तैत्तिरीय स्हिता म ऐसे अनुष्ठान का वर्णन है जिससे राजा अपने 'विश्' पर प्रभुता पा सकता है पर 'राष्ट्र्' या देश पर नहीं।^३ माद्यांग वास्तव्य में अक्षर सप्तांश का सागरमेहला पृथ्वी में अधिपति के रूप में वर्णन है अनेक जनों के अधिपति के रूप में नहीं। स्पष्ट है कि इस समय तक प्रादेविक राज्य की धारणा जड़ पकड़ चुकी थी।

वैदिक काल में नृपतत्र ही प्रचलित था। राजा, महाराजा और उप्रांशु आदि उपाधिश राजाओं के पद, गौरव और शक्ति के अनुभाव दो जाती थी। कुछ राजा 'स्वराज' और 'मोक्ष' कहलाते थे। इन उपाधियों का निभित अर्थ बतलाना कठिन है।

राज्याभियेक में कमी कमी कहा गया है कि इस स्थान से शासक को एक साध राज्य, स्वराज्य, मीर्य, वैराज्य महाराज्य और स्वराज्य पद प्राप्त होंगे। इससे संदेह दोता है कि ये उपाधियाँ विभिन्न प्रकार के राज्यों की सूचिका हैं

^१ विश्वामित्रस्य रक्षित मद्योद भारत जनम्। ^२ २३१२

^३ २० ८२७ ६-१०, १५ ३० ३-४३ ४ २, ६ ६८ २।

३ २ ३ ३-४।

४ ऐ या ८ २ ६, ८ ३ १२।

तै स २ ३ ३-४।

या नहीं। यह भी हो सकता है कि राजनामिपेक सम्मान का महत्व दियाने के लिए ही पुरोहित ने कह दिया हो कि उससे इन सब विभिन्न पदों की श्रान्ति हो सकती है। इस घारणा का समर्पन ऐसेरेप्राक्षण के इस कथन है भी होता है कि देश के विभिन्न भागों में राज्य, भौत्य, वैराज्य और साम्राज्य आदि विविध प्रकार के राज्य थे।^१

वेदोत्तर युग में एक सप्तांट के करद सामत के स्पष्ट में छोटे बड़े अनेक राजाओं का उल्लेख बराबर मिलता है। बहुत समय है कि वैदिक काल में भी यही रिप्ति रही हो और काद सामत योज और स्वराज, तथा उनके अधिपति सप्तांट सभोधित होते रहे हों। स्वराट् के मुकाब्ले में सप्तांट् की राज्य श्रीमा का क्या विस्तार या इसका ठोक ठीक निश्चय नहीं हो सकता। धैर्यक काल के अधिकार्य राज्य छोटे ही होते थे। चौथाह पञ्चाव के बराबर भी कोइ राज्य उस समय नहा हो इसमें भी सदिह है। समय है कि सप्तांट् का राज्य भी आधारण राज्य स विशेष बहा न रहा हो और उसका ऊँचा पद राज्य विस्तार की अपेक्षा उसकी सामरिक क्षीर्ति और विजयों की ही अधिक सूचित करता होगा।

स्तार्ट की मात्रा प्राचीन मारत में भी द्वैराज्य या दो राजाओं द्वारा शासित राज्य थे। तिक्कदर के समय में पाठ्य राज्य (आधुनिक विषय) में पृथक् घटों के दो राजाओं का संयुक्त शासन था।^२ अर्थशास्त्र (८२) में भी ऐसा राज्य का उल्लेख है। ऐसे राज्यों का सुनात शायद इस प्रकार हुआ हो जब दो भाइयों अपवा उच्चराजिकारियों ने राज्य के विमाजन के बजाय कृष्ण राज्य पर क्षुल शासन करना हो प्रवद किया हो। परन्तु जिस प्रकार एक म्यान में दो तल्लों नहीं रह सकते उसी प्रकार एक ही राज्य में दो राजा भी निवार नहीं रह सकते। खासकर उनके अधिकारों या कार्यों का विमाजन न हो और द्विक अपने को ही बहा माने। ऐसे राज्य तो प्रायः दलबदी और परम्पर धर्म के भावादे रहे होंगे इसी स अर्थशास्त्र इनके पद में नहीं है— और बन साधुओं का ऐसे राज्य में रहने या जाने का निषेध किया गया है। अस्तर आपसी जगह बचाने की नीयत से द्वैराज्य के आसक मार या संखी राज्य का बचारा कमी-कमी कर लेते थे। विद्म में शुगां द्वारा

^१ ऐ. वा, ७ ३, १५ ।

^२ मैथ विदिक—सिक्कदर का आक्षमण पृ० २३३ ।

^३ द्वैराज्यमयोऽपश्वदेपानुरागाम्यो वास्तर सघर्णेण या विनश्यति दृ० २ ।

स्थापित हैराज्य में ऐसा ही हुआ था ।^१ बटवारे के घाट भी दोनों शासक महत्वपूण विषयों पर सुकृत विचार परामर्श किया करते होंगे । अब सुकृत-राज्य के दोनों राजाओं में मेल रहता था तब उके हैराज्य (सख्त) या दोरज्य (प्राकृत) कहते थे, अब उन राजाओं में शगड़ा रहता था तब उके विशद् राज्य (सख्त) या विशद् राज्य (प्राकृत) कहते थे ।^२

वैदिक धारामय में कभी राजाओं की समिति का वर्णन मिलता है ।^३ यह भी कहा गया है कि वही व्यक्ति राजा बन सकता है जिसके लिए अन्य राजाओं ने सहमति दी हो ।^४ सभवत इससे सामत अथवा गणराज्य का अभिप्राय हो जिसमें सारा अधिकार उच्च वर्ग या सरदारों की परिपद के हाथ रहता है । उके उप समाजद राजा कहे जाते थे और ये ही राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को चुनते थे और वह भी राजा की ही उपाधि से संबोधित होता था । देश के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के राज्यों का इसकी पूर्व हठर्डी शताब्दी तक अवित्तन था ।

नूपतथ और उच्चवर्ग तत्त्व के साथ-साथ विशुद् प्रजातत्र का अवित्तन भी मारठ में वैदिक काल से ही है । ऐतरेय ग्राहण में एक स्थल पर यहा गया है कि हिमालय के पास उत्तर कुण्ड और उत्तर मद्र आदि जनों में विनाट् (राजा रहित) शासनतत्र प्रचलित था । जिस कारण वे लोग विनाट् अर्थात् नूप हीन जन कहे जाते थे । इसी प्रकार मैं पौर्वायों और दादिणायों के राजाओं और उपाधियों (समाट् और भोज) का उल्लेख है और उपर्युक्त स्थल में विनाट् शब्द राजा के लिए नहीं निश्चित तदेशस्थ लोगों के लिए स्पष्ट रूप से प्रयुक्त हुआ है । अत यह निषदित्र है कि उच्चर-कुण्ड और उच्चर-मद्र जनों में अन्यतत्र या प्रजातत्र शासन पद्धति प्रचलित थी । छिकदर के समय के यूनानी लेखकों ने भी इसी प्रदेश में प्रजातत्र राज्यों के होने का उल्लेख किया है । ये विनाट् राज्य सचमुच प्रजातत्र थे या नहीं इस पर आगे छठे अध्याय में विचार होगा ।

^१ मात्तविकामिनमिश्र, अक ४ इडोक १३ ।

^२ अरायेण्य वा गणराज्य वा शुद्धराज्य वा दोरज्य वा दोरज्यिवा वा विशद् राज्यिवा । आणविग्रह, २ ३ १ १० ।

^३ यद्यायदीः समग्रत राजान् समिताविव । शू वे, २० १७ ६ ।

^४ यहमै पै राजानो राजपत्रनुमन्यते स राजा भवति न स यस्मै न प

राज्य-संघ (Federal state) और समिलित-राज्य (Composite state) भी प्राचीन भारत में अवश्यक न थे। उसके बिंदिक काल में कुछ पांचांडी ने भिलहर एक शासक के अधोन अपना समिलित-राज्य कायम किया था। पांचिनी के समय में लुद्दक और मालव राज्य अन्य-अल्पों य परतु महाभारत में (८० पू० २५०) वहुधा इनका एक साथ ही उल्लेख मिलता है। उसके बाकमग का सामना करने के लिए इहोंने दोनों राज्यों का एक संघ बनाया था। जो एक शताब्दी तक कायम रहा। इस दृष्टि करने के लिए लुद्दकी और माल्वीयों में परस्पर १० द्वारा विवाह हुए थे। यौधेय गण-राज्य भी तीन उपराज्यों का संघ था। अक्षर ये संघ अन्यकालीन ही हुआ करते थे। हुद और महावीर के जावन-काल में लिङ्गविहीनों ने एक बार मल्डों के साथ और योद्धे ही समय बाद दूसरी बार विद्रेही के साथ संघ बनाया था। लिङ्गविभूत संघ के मत्रि परिषद् में १८ सदस्य होते थे ९ लिङ्गवि चुनते थे और ९ मठ। ये समुक्त और सप्तराज्य किस प्रकार चुनते थे, संघ को क्या अधिकार दिये जाते थे और संघातरित राज्यों को क्या रहते थे इन सब चारों की प्रयत्न बानकारी हमें नहीं मिलती है। समस्त राज्य-संघीयों की केंद्रीय सत्ता वेवज परताप्त नीति का सचाइन और संघ विप्रह का निश्चय करती थी। आन्य विषयों में सान्य स्वतंत्र थे। सुद के लिए संघातरित राज्य अपनी उत्तुक सत्ता का एक ही सेनापति नियुक्त करते थे। उसके बाकमग के समय लुद्दक-मालव राज्यों ने एक राजविशारद और वो लुद्दक सेनानायक को ही उत्तुक सत्ता का अधिपति बनाया था जिसके शौप और शीशल्प का बाल्वाला था।

साधारणतः भारत में एकात्मक या एकज्ञन (Unitary) राज्य-संवत्सरा ही प्रचलित थी। राजा ही सत्ता का स्वोर था, भगवी और प्रान्तीय अधिकारी उसी से अधिकार प्राप्त करते थे। प्रामपचाप्त, पौर जानपद और श्रेष्ठ निगम आदि भी केंद्रीय सत्ता के नियश्रा और निरीक्षण में काम करते थे। परतु परपरा ये सा बन गया थी कि राजा इनके कामों में तभी हस्तक्षेप कर सकता था वह ये अपनी परपरा और विशान के विश्वद काम छर्ते। अस्तु ये स्वायत्त उत्तरार्द्ध राज्य के एकात्मक रूप को बहुत बदल देती थी। केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन होने पर भी ये स्वायत्त सरकारें अपना अपना काम करती रहती थीं।

अध्याय ३

राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य

पिछले अध्याय में राज्य की उत्पत्ति पर विचार और तदिष्यक ठिकांतों का निष्पत्ति किया गया है। अब हमें देखना है कि प्राचीन भारत में राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य के विषय में क्या विचार थे।

राज्य की उत्पत्ति के बारे में विवेचन करते हुए इमने पहले ही कहा है कि प्राचीन हिंदू लोग उसको जनहितस्वर्धक सत्य के रूप में देखते थे। राज्य के विना जीवितस्वरूप और पुण्यायषाधन ही ही नहीं कहता है ऐसी उनकी भारणा थी। अनन्यगतिक होने के कारण ज्ञान माल की रक्षा के लिए जनता को राज्य द्वासी अवाञ्छनीय और दमनकारी सत्य का सहारा लेना पड़ता है ऐसा उनका मत विच्छुल नहीं था। दो, दुष्पचारी लोगों को राज्य घनु क समान जरूर प्रतीत होता है मगर इन समाजमद्दकों के मत की किसी को पराह ही नहीं करनी चाहिये।

समाजकटकों के बजाए स ही राज्य को आखिर में टट का प्रयोग करना पड़ता है। यह बाढ़नीय है कि ददप्रयोग के प्रक्षण बहुत ही कम हो। यदि परमेश्वरप्रदत्त नीति नियमों का पालन करने की आदत लोगों को ही और टट प्रयोग ही अनावश्यक हो सा वह सबसे अच्छा होगा। घर्मणालों के नियमों का पालन भौतिक प्रजाद्वारा यैसे नृपद्वारा भी होना आवश्यक है। यदि कोइ राजा उनको सोढ़ दे तो प्रजा राजनिधि का कतायन-पालन करने में बाध्य न रहेगो, इतना ही नहीं यदि व्यापश्यक ही तब वह व्याततायी राजा का वध भी कर सकती है। आदर्श राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही घम नियमों का पालन चरते हैं जिससे उन दोनों का भी ऐहिक और पारलैकिक कल्याण साध्य होता है।

शासनस्या का क्रमशः विकास यैसे ही गया इष्टका विवेचन प्राचीन हिंदू प्रधानों में नहीं मिलता है, उस जमाने में आधुनिक काल की ऐतिहासिक टट ही प्राय अद्यात थी। मगर ऐदिक प्रमाणों के परामर्श से यह प्रतीत होता है कि उस जमाने में जनराज्यों (Tribal states) की प्राय रुदी थी। यदु, द्यूर्यु, भरत आदि निज जनों का उल्लेख अनेक शर येदों में मिलता है उनका कोई निश्चित प्रदेश नहीं था। वे लोग भ्रमणशील थे अत उनके राज्य भी उनके गाय बदता करते थे। पर उच्चर ऐदिककाल में ये जन देश के यिमित्र भाग में

वस चुके थे^१ और उनके राजा इन के ही नहीं 'राष्ट्र' माने प्रदेश के भी स्वामी कहे जाने लगे थे।^२ मगर पर्याप्त सामग्री न होने से इम यह नहीं जान सकते कि बनारासी का क्रमिक विकास होकर प्रादेशिक राज्य की ओर बढ़ने। उत्तर वैदिक क्षात्र में सप्तांश का गणक्षेत्र सलामर पृथ्वी कहा गया है जिसमें प्रादेशिक राज्यों के पूर्ण विकास का प्रमाण मिल जाता है।^३

प्रादेशिक राज्य के कौन कौन अग होते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध जिस प्रकार रहता है इन प्रश्नों पर अभी हमनी विचार करना है। वैदिक वाद्यमय में इस विषय का उल्लेख भी नहीं मिलता है, किन्तु वब इ पूर्ण चौथी सदी में ग्रन्थनीतिक विचारों का विकास होने लगा तब से इस विषय की चर्चा भिजती है। कौटिल्य (६०) और मनु (८२८८७) दोनों का मत है कि राज्य एक सबीय एक भूमध्य शासन उत्था है, मनमानी चाल चलनेवाले, अपना ही यज्ञ देखनेवाल, विभिन्न क्षेत्रों का दोला दाला खोड़ नहीं है। इनके मतानुसार स्वामी, अमात्य भूप्रदेश, कर या साधन-सामग्री, दुर्ग, सना और मिश्र, राज्य के सात वग हैं जिनमा सत प्रकृतियों कहते हैं।^४ कामदक गुरु आदि परवर्ती लेखक उत्ताग परिमाण का स्वयंसिद्ध मानते हैं और यित्तारेखादि में वर्णित राज्य भी इहीं सत प्रकृतियों से सुलग पाये जाते हैं।^५

आषुनिरु मतानुसार भूप्रदेश, अनता और केन्द्रीय सरकार राज्य के आवश्यक अग हैं। केन्द्रीय सरकार में प्रभुता और वैधानिक व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिये। इन घटकों को यदि इन सरागों से दुलना करें, तो यह दिलाद दगा कि स्वामी और अमात्य केन्द्रीय शासन के स्थान में है, उनमें राज्य का प्रभुत्व केंद्रित रहता या और वे राज्य को एक सप्त्र में गैरूचते ये। राष्ट्र (भूप्रदेश) दुर्ग, सेना और बोर राज्य के शासन सामग्री ये। 'जन' राज्यों ने जमाना क्षय का बोत लुका या,^६ इसलिए राज्य या भूप्रदेश भी राज्य का

१ ऐ. प्रा., द३१४ २ वै. म., २३३४ ३ ऐ. प्रा., ७३१२

४ इन सत प्रकृतियों में से स्वामी, अमात्य, राजा या दण्डाधिकारा भुर और वक्ति अद्वियों का उल्लेख बहुतों में भी है परन्तु उनके परस्पर और राज्य के प्रति सवध की व्याप्त्या यहाँ नहीं है।

५ प. क. भा. ५, अन्नराज्यपठग, न १४८, ६ स ११८३

६ इसमें उत्तर क्षात्र में भी कभी कभी माझव वेष गणान्य का रखदाता दियाई देता है, वह ३२६ है पूर्व में मुकुतान के पास, २२५ इए में भज्जेन उद्यपुर भाग में और २०० है० में भाष्टवा में या। मगा उपका

आवश्यक अग माना जाने लगा । दुर्ग^१ और उना भी राज्य की मुरदाके लिए अत्यत आवश्यक थे अतः ये भी उसके स्वामानिक अग हो गये । देश को रक्षा और राज्य को अनिवार्य तभा ऐच्छिक कार्यशाही के लिए बढ़िया सम्पत्ति की अत्यत आवश्यकता है इसलिए कोप भी राज्य के लिए आवश्यक माना गया । राज्यों में मिश्रों की गणना कुछ बिलबुग सी लगती हैं परंतु आज के इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि उपर्युक्त मिश्रों की सहायता पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर है । इस महादेश में प्राचीन काल में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे उनमें हरेक वी सुरक्षा तभी समव खी जब देश में शक्ति-समता (Balance of power) रहा हो, अर्थात् इन राज्यों में परस्पर एवा सम्बन्ध हो कि किसी राज्य वा अपनी अपेक्षा किसी दुश्मन राज्य पर आक्रमण करने का साहस न हो । इसलिए प्राचीन विचारकों ने 'मिश्र' अर्थात् परस्पर सम्बन्ध को इतना अधिक महत्व दिया । जनता की गणना सत्तमकृतियोंमें नहीं दिखाई देती । इसका कारण सम्बन्ध यह ही सम्भवा है कि जनता और राज्य का स्वयंसिद्ध और अविच्छेद सम्बन्ध या और उसके बारे में संदेह ना अवश्यक हो नहीं था ।

प्राचीन भारतीय विचारक इन सत्त प्रइतियों को राज्य शरीर के अग मानते थे इनमें से कुछ अग दूसरों की अपेक्षा अधिक महात्म के हो सकते हैं क्योंकि हुग और मिश्र के मुकाबले स्वामी और अमात्य हैं^२ परंतु अपने में कम महत्व का होते हुए भी प्रत्येक अग राज्य-शरीर के लिए एक से अनिवार्य थे । क्योंकि एक अग का अमाय दूसरा नहीं पूरा वर सकता^३ राज्य का अस्तित्व

(नम्र)

स्पलाता का कारण विदेशियों के भाक्षण्यजन्म परिणियति था न माझवों की अमण्डीडना ।

- १ याहुइ, यहो तोपे और विभानों के भमाव के युग में एक दुर्ग अनेक द्वारा सेना का मुकाबला कर सकता था ।
- २ माजवी शरीर में भी कुछ अग जीवे नेत्र या महिलाएँ, दूसरे अगों से जैव हाय पा पौव से अधिक महत्व के रहते हैं । राष्ट्रवारी में भी कुछ अगों को दूसरे अगों से महाव का माना जाना उसके प्रशारीरत्व के खिलाफ नहीं है जैसा कि प्रो॰ अगारिया मानते हैं ।
- ३ ऐपु ऐपु त् इपेपु सचदग विशिष्टते ।
येज यत्पाप्तते कमे सिंहतर्ग्युप्तमुप्तते ॥

तभी कायम रह सकता है और उसका कायं तभी ठोक चल सकता है जब उसके सब अग एक से एक छुइफर और एक विचार से काम करें।

स्पष्ट है कि प्राचीन मारतीय विचारक राज्य को एक सज्जीव सहिति मानते थे। अवश्य वे शक्ता (स्वामी) और शासन-व्यवस्था को इस शरीर के उसे ब्रेष्ट अग मानते थे पर कम मदत्य के होते हुए भी अन्य अग राज शरीर के लिए उत्तेहो आवश्यक थे। इसके साप्त हो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि राज्य शरीर और प्राकृतिक शरीर की समता पूरी पूरी नहीं हो सकती। शरीर के विभिन्न पिण्ड और अवधव अलग से नहीं जाविन रह सकते। पर राज्य के कुछ अग—जैसे टुर्ग और कोप, अग भी रह सकते हैं, और इनकी सदृशता से नये राज्य की रखना भी की जा सकती है।

हमारे प्रथकारों ने उपसुक्त सत् प्रहृतियों और उनके गुणों का खिलेचन बढ़े वित्तार से किया है। टुर्ग और यह पर हम अधिक चक्षा न करेंगे क्योंकि विधान की दृष्टि से इनका अधिक मात्र नहीं है। स्वामी, अमात्य, कोप और मित्र पर आगे अव्याय ५, ७, १२, और १३ में विचार निया जायगा। भूपदेश के विषय में राज्यात्मकों का क्यन है कि राज्य की समृद्धि उसके भूपदेश के प्राकृतिक साधनों और उसकी सुरक्षा की सुविधाओं पर बहुत निर्भर है। पर इसमें अधिक आवश्यक यह है कि देश के निवासी साहसी और परिश्रमा हो क्योंकि राज्य का भवित्व सबसे अधिक उसके निवासियों के चरित्रबद्ध, उत्साह और कायक्षमता पर ही निर्भर है। आदश राज वित्तार में कितना बड़ा होना चाहिये इस पर हमारे शास्त्रकारों ने व्यंचिक विचार नहीं किया है। वे तो आठतु दिमाच¹ प्रदेश को समाट का व्याघकार नय मानते हैं। प्राचीन मारत के अधिकार्य होटे होटे राज्यों को अलग करनेवाली प्राकृतिक सीमाएँ न थीं। वे न तो इतने बढ़े होते थे कि उनकी ठोक टाक शासन-व्यवस्था न हो सके, न इतने होते ही होते थे कि उह आवश्यक साधनों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े।

१ परस्परोपकारीद सप्ताग राज्यसुख्यते ।

कामदक १।

स्वाम्यम त्यज्यापददुर्गादाशदमिश्रागि प्रहृतय ।

अरियनो प्रहृतय सच्चिदा स्वतुगुदेषा ।

दक्षा प्रयगमूकास्ता प्रहृता राज्यसपदा ॥

राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और काय

२६

आदर्श राज्य में क्या एक ही वय, धर्म और भाषा के सोग होने चाहिये या इनमें भेद रहते हुए भी लोगों का एक राज्य बन सकता है इस प्रश्न पर गत दो सदियों में बहुत चर्चा हो चुकी है। पर प्राचीन भारतीय विचारकों ने इस राज्य (State) बनाम राष्ट्रीयता (Nationality) के प्रश्न का विचार भी नहीं किया है। प्राचीन भारत में यह प्रश्न या भी नहीं। देश पर युनानी (ग्रीक), यक, पहलव कुपाण और हृण आदि अनेक विदेशी जातियों ने आक्रमण किया और वे राज्य-स्थापक, और शासक रूप में यहाँ रह भी गये, परतु वे अधिक दिन तक भाषा, धर्म और सत्त्वति से मिल विदेशियों के रूप में न रह सके। एक दो पोदियों के अदर ही वे पूर्णरूपेण भारतीय बन जाते थे और हिंदू या ब्रौदध धर्म ग्रहण कर लेते थे। भारत के राज्यों को भी उनसे पहाँ पर नियुक्त किया जाता था^१। ये भी किसी भारतीय राज्यको आसनी यता से न देखते थे या उस पर राजनीता न रखते थे।

प्रजा में धर्म, जाति और भाषा की प्रकृता से राज्य में भी एक स्वरूपता आ जाती है। पर प्राचीन शासकार्योंने इसे अधिक महत्व न दिया, न देने की व्यरुत ही थी। प्राचीन भारत के अधिकांश राज्य एक दूसरे से जाति, भाषा या धर्म में विभिन्न न थे। सभी राज्यों में हिंदू, बैद, जैन आदि जाति और मेल-जोल से रहते थे। सत्त्वति सावधानिक मापा थी और भाष्टांति इतना अतर न हो पाया था कि वे एक दूसरे से एकदम अलग और दुबोध और दिदू संपर्जन में सुल मिल जाते थे। असु ग्राचीन भारत के विभिन्न राज्यों में धर्म, जाति या भाषा का कोई भेद भाव न था। यस्ति गत महायाक्षात्, शासन सुविधा या भौगोलिक परिस्थिति से ही अनेक अलग अलग राज्य स्थापित होते थे। अत भारतीय विचारकों ने राज्य की प्रका में धर्म, भाषा और जातिकी प्रकृता पर जोर देने को आवश्यकता न समझी।

^१ खानोक ने अपने साम्राज्य के सामौन प्रदेश काठियावाड़ का शासक तुपात्प नामक यवन ग्रीक को पताया था। यद्यपि उस समय ईरान और बायिन्या में यवन राज्य स्थापित थे। १५० ई० में शक राजा ददरदामा ने सुविसारथ पहलव को इसी प्रांत का शासक नियुक्त किया था, यद्यपि उस समय ईरान में पहलवों का राज्य था।

राज्य के उद्देश्य ।

वेदों में प्रत्यक्षप्रयोग राज्य के उद्देश्यों या लक्ष्यों पर विचार नहीं किया गया है, पर इसुट उल्लेखों से पता चलता है कि शांति, सुभवस्त्या, मुख्या और याय ही राज्य के मूल उद्देश्य समझे जाने थे । राजा की वर्दग के समान धूतमत, नियम और व्यवस्था का सरलक, साधुओं का प्रति पालन्क, दुष्टों को दड़ देनेवाला होना चाहिए । घम का स्वधन, सदाचार का प्रोत्ताहन और जान का सरक्षण प्रत्येक राज्य में अच्छो तरह से होना चाहिये । प्रजा की नैतिक उन्नति के साथ ही भौतिक उन्नति कामा मी शासन इस्या का काम था । वेद वालीन परीक्षित के राज्य में दूष और मधु की घार बढ़ती थी । वैदिक काल से ६०० इ० पूर्व तक प्रजा का सर्वोगीण कल्याण ही राज्य का मुख्य लक्ष्य माना जाता था ।

इसके पश्चात् इब राज्यशास्त्र पर प्रथ लिने जाने वाले तब उनमें राज्य का लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम का स्वर्धन बहा गया । घम स्वर्धन का अथ किसी सम्राट्या या मत विशेष का पक्षपात नहीं बरज सदाचार और सुनीति के प्रोत्ताहन से जनता में सच्ची धार्मिक मावना और सदाचारण की प्रतृति का सचार बरना है । इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए गत्य द्वारा धर्मों और मर्तों द्वारा सहायता देना, गरीबों के लिए चिरिस्ताल्प और अनसन खोड़ना और जान विशान को प्रोत्ताहन देना, आवश्यक माना जाता है । ‘अर्थ स्वर्धन का मुख्य साधन कृषि, उद्योग और धार्मिक की प्रगति, राष्ट्रीय साधनों का विकास, कृषि विस्तार के लिए खिचाद, बौव और नहरों का प्रबन्ध, और खानों का स्वनन था । ‘काम स्वर्धन’ का साधन या — शांति और नुस्यवस्था इस्यापिन करके प्रत्येक नागरिक की विना विज्ञ जागा के याव्य धीवन-नुग्रह भोगने का अवमुर देना, तथा कृगीत नृत्य, चिरस्तला, स्थापत्य, और यास्तु आदि उत्तिकलाओं के पोपण से देश में सुहाजि और सुखसृति का प्रचार करना ।

इस प्रकार शांति, मुख्यवस्था की स्थापना और जनता का सर्वोगीण नैतिक, सांकृतिक और भौतिक विवास ही राज्य का उद्देश्य माना जाता था ।

राज्य के उद्देश्यों में ‘पर्यु स्वर्जन’ के होने से उक्ते स्वरूप के लिए मैं कुछ गत्यपद्मी उत्सव हो गयो है । स्मृतिवारों ने राजा को बारम्बार व्याधन का भवित्वालक कह कर इस प्रांति को और मी पुष्ट कर दिया है । कहा जाता है

१ न मे स्त्रेनो जननदे न कर्या न मध्या नानाहित्तुमित्तविद्वान्न स्वीर
स्वीरिणी इत । द्य० २०, ८ ११८

राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और काय

[६]

कि वण धर्म या जाति प्रथा अव्याप के आधार पर अधिकृत है, इसमें माझग
को तो 'भूदेव' घनाकर आठमान में चढ़ा दिया गया है और शूद्र और चाड़ाल
को नागरिकता के मौलिक अधिकारों से भी बचित करके दावता की शृखला में
जकड़ दिया गया है। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, एक ही अपाप
के लिए आदानों की अपेक्षा वे अधिक कठोर दड़ के मारी होते थे। चाड़ाल
कुच्छों से भी बदतर समझे जाते थे। अत राज्य ने वर्णधर्म का प्रतिपालक
बनकर अपने को इन सब अव्यायों का प्रतिपालक और समर्थक बनाया था।
उपका काम टलबार के द्वार पर निम्न बाँगों को इस अव्यायकारी व्याप्रम धर्म की
शृखला में जकड़ रहना था। इस प्रथा का आधार सामाजिक विषमता यी और
इसमें धर्म को प्रचलित अव्यायकारी प्रथा का प्रयाप बना दिया गया था। बख
रियति को आदर्श की ओर चलने के बजाय इसमें प्रचलित हियति ही
आदर्श मान ली गयी थी।

हिंदू समाज व्यवस्था के विकास-क्रम को ठीक ठीक न समझने के कारण
ही उपरुच आति पैदी है। प्राचीन भारत में प्रचलित परिपाटी और रीति
रिवाज में परिवर्तन नये कानून बनाकर या पुराने रद करके नहीं किया जाता
था। समाज का मत बदलने से ही प्रथाएँ शाने शौं बदलती थीं। राज्य तो
बेबछ समाज के मत की द्वारी भर देता था। प्रारम्भिक काल में जब समाज
अतर्जीवीय खान-पान था और विवाह का समर्थन करता था तब राज्य को भी
उसमें आपसि न थी। जब बाद में समाज इन प्रथाओं के विद्द हो गया तब
राज्य ने भी इहै कायम रखने का प्रयत्न न किया। प्रारम्भ में विषवा को संपत्ति
का उत्तराधिकार न था, अत विषवा की संपत्ति परिनिधन के पश्चात् राज्य
ल लेता था। बाद में विषवा को भी समाज ने संपत्ति का उत्तराधिकार देना
उचित समझा, तब राज्य ने आर्थिक दानि होने पर भी इसे स्वीकार किया।
इन उदाहरणों से यह सिद्ध होगा कि राज्य के धर्म प्रतिपालक होने से प्रचलित
हृत्यों को ही आदर्श मानने की वृत्ति तुछ बढ़ी नहीं थी। हिंदू समाज
द्वयस्य का प्रत्येक नियोग का चलन था, बाद में इसे समूह नए कर दिया गया।
विषवाओं और शूद्रों को संपत्ति का अधिकार देने में पूर्णालीन स्मृतियों का
विरोध होते हुए भी उनके अधिकार बराबर विस्तृत होते गये।
अब यह ठीक नहीं कि हिंदू समाज में कुछ कुरीतियों के अंतिल आ
पारण राज्य क्वाह धर्म का संपत्ति था। राज्य वग्यर्थ वा पालक या पर उसने
धर्मशास्त्र के इस दाये को कभी स्वीकार नहीं किया कि आश्रम परदान और

प्राय दृढ़ से दरी किये थाएँ। वेद पढ़ने के कारण शूद्र या ब्राह्मण-जिवों को दृढ़ मिलने की घटनाएँ भी प्राचीन भारत में बहुत कम मिलेगी। वेदावधार के प्रतिवध की समाज, जिसे शूद्र भी शामिल थे, दक्षरकृत समझता था और इसे लोड़ने में शोई आर्थिक दायर थी न था, इसलिए जो शूद्र वेदावधार प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उत्सुक नहीं थे। अत इस प्रतिवध का उल्लंघन करने की किसी को खफरत भी न थी। ब्राह्मणों में भी वेद पढ़ने वालों की उत्था बहुत योग्यी थी, और शूद्र यां के आर्थिक प्रवृत्ति वाले पुरुषों को पुरुग, इतिहास, और गीता पढ़ने का अधिकार देकर उनकी हानेपता और घर्मपता तृप्त करने की व्यवस्था की गयी थी।

इसमें उद्देश नहीं कि हिंदू समाज में अर्थात् कारी कुरीतियाँ थीं और इसा की प्रथम सहस्राब्दी में इनकी उत्पत्ति में शूद्र भी हुए। इसका कारण तत्कालीन हिंदू समाज की अनुदार और उचुचित वृत्ति थी न कि 'बम सवर्धन' राय का उद्देश्य होना। कहा जा सकता था कि राय का ऐसे इस उचुचित वृत्ति को दूर करना और दारानीति को शोकप्रिय बनाना था। परंतु ज्ञान रहे कि प्राचीन छाल में व्यवस्थापन या कानून बनाना साधारणत राज्य के कायन्देश में शामिल नहीं था। वर्तमानकाल में शारदा ऐकट के उदाहरण से भी रखा ही जाता है कि समाज के प्रचलित विचारों से बहुत आगे बढ़ा हुआ कानून भी सफल नहीं होता। फिर प्राचीन भारत के राज्यों पर जाति के नियमों को आर्यान्वित करने का मार न था, यह काम तो प्राय विरादीयों गोद की पचायत वा या जिनमें राय को या उत्तराधिकारियों को बुद्ध विशेष स्थान नहीं था। शोकमत के अनुसार ही वहाँ निषय किया जाता था। सदाचार और धार्मिकता को प्रोत्साहन देश, सब मतों और धार्मिक संस्थाओं को समान सदृश्यता देकर, सब जनों के हितार्थ साकार, झुण्ड, नदूर, चिदिलालय और अनाशालय बनाकर, राय घर्म-व्यवधान करता था। यह कभी मठविशेष या रुद्धिविशेष का पदपाती नहीं होता था, न पुरोहितों अथवा घर्म प्रचारकों के हाथ को कठपूतली बनता था।

क्या प्राचीन भारतीय राज्य घर्मनिगदित था ?

अच्छा हो यदि हम अभी इस बात पर भी विचार करतें कि प्राचीन भारत के राज्य कहाँ तक घर्म गुरुओं अथवा पुरोहितों के प्रभाव में थे, कहाँ तक ऐसे राज्यों की घर्मनिगदित (Theocratic) कहना ठीक होता। घर्मनिगदित राय में घर्मगुरु ही राय का स्थानी हीता है, जैसे इस्लामी इतिहास में

राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और काय

३०

सलीका थे और आजकल भी बैट्टकन राय में गोप है। धर्म निर्गदित राय में राजा घमगुहाओं का आशावद नौकर होता है, राजा उप्रदाय का अनुचर भी हो सकता है जैसा ८ वीं और ९ वीं शताब्दी में यूरोप के इसाई राजा हुआ करते थे। इस काल में योप और विश्वप, धर्म के विद्वद् जाने पर गड़ा तो दृढ़ तरफ देने का दावा रखते थे। चालवंदि बोल्ह जैसे कुछ राजा धर्म गुहाओं के केवल अधर्माचिण का ही नहीं बरन सरकार करते थे। योप का आदेश समाट के अदिदृशों से भी बढ़कर समझा जाता था क्योंकि उसका प्रमाण वेकल शीर पर ही र्ही बरन आत्मा पर भी था। पर मी अधिकाश रोमन समाट योप के इस रवि को मानने को तैयार न के और मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में सरकार और सप्रदाय के द्वाद्व के उत्तराहरण भरे पड़े हैं।

प्राचीन भारतीय वादमूल्य में भी राज्य और सप्रदाय के सघय की हल्की खनि सुनाइ पड़ती है। गोतम धर्म सूत्र (२०० इ० पू०) में कहा गया है कि राजा का शासन साधान-वग पर नहीं चल सकता^१ और ब्राह्मण वग ... सहायता के बिना राजा का अमुदय नहीं हो सकता। ऐतरेय माल्यग में कहा गया है कि^२ यदि राजा योग्य माल्यग पुरोहित की सहायता नहीं होता तो देवता उसके हवन को खोकार नहीं करेंगे। राज्याभिरोक क समय राजा तीन बार माल्यग का नमस्कार करता है और इस प्रकार उसका वशवर्ती होना, खोकार करता है। जब तक वह ऐसा करता है तब तक ही उसकी समृद्धि होती है।^३ वैश्यों और चनियों द्वारा माल्यग का वशवर्तित खोकार करने के लिए विशेष धार्मिक क्रियाओं का विवान किया गया^४। शूद्रवेद में एक स्थल पर रथ पर वगन है कि जो राजा अपने पुरोहित का यथाचित सानन करता है वह अपने शप्तुओं पर जय और प्रब्रां की राजनिष्ठा प्राप्त करता है।^५

१ राजा वे सघयस्ये माल्यवज्ञम् । १११

२ न वै भुरोहितस्य देवा पलिमभुवति । ऐ प्रा, ७५. २४

३ स (नृप) यद्यो मद्याण इति विष्ट्वायो मद्याणे नमस्करोनि मद्याण एव तत्प्र पश्यमेति सदाऽप्य समृद्ध तदीश्वदाह । ऐ प्रा, ८।

४ रथप्र ये प्रद्यग एव वशमेति सदाऽप्य समृद्ध वीरपदाह । ऐ प्रा, ८।

५ दद्याण एव विश चानुगे कराति । प्रा, १११११

६ स इदागा प्रतिज्ञयानि विश युक्तेण वस्यो नमि वीरेण ।

७ तस्मिन्विश स्वयमेवानमवयसिम-मद्या राजनि पूर्वमेति ॥ ऐ प्रा, ४५० ५ १

यूरोप में पोप का यह दावा था कि सामंतों द्वारा सम्राट् के चुनाव पर उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। पता नहीं प्राचीन भारत में इस प्रकार का दावा किया गया था नहीं।

उपर्युक्त प्रभागों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण काल के अंत तक (१००० ई० पू०) ब्राह्मण पुरोहित राजा पर और उसके द्वारा राज्य पर अपना प्रभाव लमाने की चेष्टा करते रहे। इसमें व्याशर्य नहीं कि बहुत से राजा इसके विपद्ध रहे होंगे। ब्राह्मणों की गाये छीनने वाले राजा के लिए जो भधानक शार्य उचित किये गये हैं उनके लक्ष्य समवत् ऐसे ही राजा रह होंगे^१ जो धर्म गुरुओं के राज्य पर अधिकार लमाने की चेष्टा का विरोध कर रहे थे। दुर्मालियवत् इस उघास का कोई वैयक्तिक उदाहरण नहीं मिलता, जैसा मध्य यूरोप के इतिहास में मिलता है।

बागे चक्रकर सरकार और सप्रदाय, अथवा लक्ष्मिय और ब्राह्मण धर्म समझौता हो गया। वे समझ गये कि आपस के सहयोग में ही दोनों धर्मों का हित है। दोनों ने एक दूसरे की देवताशता स्वीकार कर ली। यूरोप के इतिहास में भी इसी प्रकार पोप प्रेमार्थी सप्तम ने मान लिया था कि पोप और सम्राट् दोनों इश्वरकृत हैं, उनमें वही सर्वधृति है जो मनुष्य के दोनों नेत्रों में है।

ब्राह्मणकृत पाठ्यमय में साधारणत यही दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि राजा और राज्यतत्र ब्राह्मण और धर्मतत्र के ही बश में चलते थे। पुरोहित अपने अनुष्ठानों द्वारा राजा और राज्य का इष्ट या अनिष्ट कर सकता था। राज्य का लक्ष्य धर्म की रक्षा करना था, वह जो कानून व्यवहार में लाता था वह इश्वरकृत या ईश्वरप्रेरित मान जाते थे। ब्राह्मण और पुरोहित अपने को उत्तरकार थे वरिष्ठ समझते थे और वे करन्दाम और शारीरिक दण्ड से बरी होने का दावा भी करते थे। उनके लिए अत्यधिक धर्मों से उत्तम दर्ढों का विवाह था।

उपर्युक्त कारणों में यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक प्राचीन भारतीय राज्यतत्र घमनिगठित था। परन्तु हमें इस हद को समझ लेना चाहिए और देखना चाहिए कि यह अवस्था वितने समय तक रही। ब्राह्मणों के उपर्युक्त दावे में बहुत कुछ अतिशयोदित भी थी। यत्पुरियति उर्बदा ऐसी नहीं थी जैसी पुराने धर्मों में मिलती है। इसमें संदेह नहीं कि वेद और ब्राह्मण युग में राजा पर पुरोहित का पर्याप्त प्रभाव था। परन्तु हमें इसको भी

नहीं भूलना चाहिए कि जैसे एक और ब्राह्मणश्रम्यों में ऐसे स्थल हैं जिनसे ब्राह्मणवग के उच्च पद व्यौर विशेषाधिकार का बोध होता है तो वैसे ही दूसरी और ऐसे भी स्थल हैं जिनसे रियति कुछ विलकूल विद्वद् सी मालूम पड़ती है। तैतिरीय ब्राह्मण में एक स्थल पर मजूर किया गया है कि राजा जो चाहे ब्राह्मण को निकाल सकता है।^१ ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा जब चाहे ब्राह्मण को निकाल सकता है।^२ बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि समाज में सबसे ऊँचा पद चनिय याने राजा का ही है ब्राह्मण उसके नीचे भेठता है।^३ राज्यकुमारी शमिष्ठा पुरोहित काया देखनानी को बढ़ापन जमाने पर इस प्रकार फटकारती है, "बहुत शान न जमाओ, तुम्हारे पिता मेरे पिता से नीचे बैठकर रात-दिन उनकी खुशीमद किया करते हैं। तुम्हारे पिताका काम माँगना है और बिातो करना है, मेरे पिता का काम देना और बिनसी बुनना है।"

अत यह समझना भी ढोका होगा कि वैदिक काल में भी राज्य की बागडोर पूणतया या विशेष स्पृष्टि में पुरोहित अथवा घर्मतत्र के हाथ रही। पुरोहित का समाज में सम्मान किया जाता था और याजनादि द्वारा उससे जो दैवी सदायता मिलती थी उनके लिए समाज उसका कृतित रहता था। परन्तु राजा उसके हाथ की कठपुतली कदापि नहीं था और उसके लिए चढ़ने पर उसका मिजाज ठिकाने कर सकता था और उसको निकाल भी सकता था। ब्राह्मण अवश्य ही यहुत से विशेषाधिकारों का दावा करते थे, जैव कर और शारीरिक दृढ़ से छुटकारा। पर अध्याय १२वें में (दक्षाया जायगा कि इनका अरितत्व प्राय घर्मशास्त्रों में ही था प्रत्यक्ष व्यवहार में नहीं। काटकम में राजा का देष्ठोशत्रु समाजसम्मत हो गया। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि उसे इश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि और सब दायी से भेर मान लिया गया। नियम व्यवस्था अपनी प्राचीनता के कारण दैवी मानी जाती थी पर उसका आधार वास्तव में

^१ यदा वै राजा कामयते अथ ब्राह्मण जिमाति । ३ ४ १४ ।

^२ (ब्राह्मण) ब्राह्मणा भास्यायो भनसायी यथाकाम प्रयाप्यः । ७ २६ ।

^३ तस्मात्प्राप्तर भास्ति तस्माद्ब्राह्मणः चप्रिपमपत्तादुपासते । १ ४ १० ।

^४ भासीनं च रापानं च पिता से पितर भम ।

स्त्रीति वन्दोव चाभीहण माचै रियत्वा विनीतवद् ॥

याचतात्पत्ति द्वि दुहिता स्तुष्टत प्रतिगृह्णत ।

सुताह रत्यमानस्य ददता प्रतिगृह्णत ॥ १०३, १-१० ।

समाज की परिपाठी और प्रधारण ही थीं। उन्हें स्वीकार कर लेने से ही शासन सत्त्या पुरोहित अथवा धर्मतंत्र का कठपुतला नदी बन जाती थी। शासनसत्त्या वास्तव में प्रधानतयः समाज के मत का प्रतिविधि थी।

इ० पूर्व छपी शतान्दी से तो राज्य पर धर्मतत्र का प्रभाव ढत्तरोचर कम होता गया। वैदिक कर्मों की प्रतिष्ठा कम हो गयी और उनका प्रचार भी कम हो गया, इससे पुरोहित का महत्व भी कम हो गया। यज्ञनीति ने स्वतत्र शासन का रूप ग्रहण किया और वेद तथा उपनिषदों के अध्ययन के बाजाय राजा इसका आचाराधिक अध्ययन करने लगा। राजाशा या विधि-नियम (कानून) धर्म और रुद्धि नियमों से स्वतत्र माना जाने लगा और राज्यशास्त्रज्ञ उसका महत्व "व्यग्रेठ मानने लगे।^१ इस प्रकार द्वितीय राज्यतत्र इसबी सन् के शारम तक धर्मतंत्र के प्रभाव से करीब-करीब मुक्त हो गया। ऐसा धर्म का प्रतिपादक और सरक्षक अवस्था या पर इससे राज्य धर्मनियादित नहीं बन गया। उसका काम सब मर्तों ने सरक्षण समझना और सद्यी धार्मिक प्रदृष्टि को प्रोत्साहन करा था। यह किसी विधिएः मत का प्रचारक नहीं था न धर्मगुरुओं की कठपुतली बना था।

राज्य के कार्य

राज्य या शासनसत्त्या का स्वरूप और उद्देश्यों के निष्पत्ति के बाद अब इसे उसके कार्यों पर विचार करना है।

अवाचीन उसके कार्यों को दी घेणियों में विस्तारित करते हैं— अवदेशक और ऐच्छिक या लोकहितकारी। पहली घेणी में वे सभी कार्य आते हैं जो समाज के संपर्क के लिए नितात आवश्यक हैं। शाही शत्रु के व्याक्षण में रक्षा, प्रजा के जान माल का सुरक्षण, शात मुख्यवस्था और न्याय का प्रचय। दूसरी घेणी में लोक हित के विविध कार्यों का अत्माव होता है—जैसे शिक्षा दान, स्वास्थ्य रक्षा, व्यवसाय, दाक और यातायात का व्यवस्थ, जगह और सानों का विकास, दीन अनायास की देत रेत आदि। प्रचलित मुग में इन माफहितकारी कार्यों के हेतु का दिनोदिन विस्तार हो होता जा रहा है।

१ धर्मरच व्यवहाररच चरित्र इति शासनम् ।

विवादार्थरचतुरशादः पवित्रा पूर्ववाचकः ३ अपैशाद्य ३ ।

२ धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधि स्मृतः ।

व्यवहारो हि वलवाप्यस्तेनावहायते ॥ नारद, ३ ४१ ।

प्राप्त प्रमाणों से शात होता है कि प्राचीन भारत में राज्य केवल आधिकारिक कार्यों से ही मतलब रखते थे। वैदिक काल में राज्य बाहरी शक्ति का प्रतिकार और आतंरिक व्यवस्था और समाज परपरा की रक्षा करता था। देहलोक के राजा वहन की भाँति इहलोक का राजा धर्मपति था,^१ यह धर्म और नीति का रक्षक था और प्रजा को धर्म पक्ष पर चलाने में प्रयत्नशील था। मगर वह यायग्रन नहीं करता था। दीवानी और यौजदारी मापदंडों का निर्णय पचासते ही करती थीं सभवत कभी उनका व्यवहार कोई राज्याधिकारी होता था।

चौथी शताब्दी ई० पू० में राज्य शास्त्र के प्रथों की रचना होने लगी और राज्य के कार्यों के विषय में इनसे पर्याप्त जानकारी मिलती है। महामार्गत^२ और अर्थ शास्त्र^३ से पता चलता है कि वैदिक काल और मौर्य युग के बीच में राज्य का कार्य द्वेष बहुत विस्तृत हो चुका था। परन्तु पर्याप्त जानकारी न मिलने से हम इस विकास का क्या नहीं जान सकते।

अर्थशास्त्र और महामारत के अनुसार राज्य के कार्य द्वेष में, मनुष्य जीवन के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सब क्रिया कलाप आ जाते हैं। यूरोपीय विचारकों की भाँति मारतीय राज्यशास्त्र राज्य को 'अनिवार्य अरिष्ट' नहीं समझते थे और न उसके कार्यों को नागरिक जीवन में अनुचित इत्तेजप मानकर उसमें कमी करने की कोशिश करते थे। 'अहसतलेप' (Laissez faire लेजे पेर) का लिदात, जिसके अनुसार राज्य के द्वेष वही कार्य अचित समझे जाते हैं जो शांति और सु-यवस्था बनाये रखने के लिए अनिवार्य हो, भारत में नहीं माना जाता था। यहाँ तो राज्य के कार्य द्वेष में मनुष्य के इहलोक और परलोक सब आ जाते थे। राज्य का कर्ताय या कि सभी धार्मिक मतों को अपने-अपने पथ पर चलने की पूरी सुविधा दे सत्य धर्म तथा सदाचार को पूर प्रश्रय दे, समाज को उत्तरित पथ पर ले चले, विद्वानों और कनाकारों को मदर दे तथा विद्वा सद्याओं की सहायता द्वारा शान विद्वान और कला का संवर्धन कर, धर्मशाला, चिकित्साराज्य, पौष्ट्रो आदि बनवाये, बाढ़, टिहोदल, अक्काल, भूकृष्ण, महामारी आदि आधि-याधि जाय हु खो को दूर करे। उसका काम नयी अस्तित्याँ बनाना और देश के विभिन्न भागों में जन संत्या का यथोनित नियोजन करना भी था। देश को प्राकृतिक सुपत्ति और साधनों के विकास के लिए धरणों और तानों का विकास करना और पर्याप्त की कमी पूरी करने के

^१ शृ॒ष्टि वा, र॒३३३ भीर॑ ३

^२ समाद्य, अ४ १। ^३ भाग २।

लिए नहरें और बाँध बनवाना भी उसका काम था । राज्य का क्षत्रिय ठड्योग व्यवसाय को उच्चेन देना भी या साथ हो चापारियों की अपाराधिक अनुचित लामिहिप्सा से इनता की रक्षा भी करना था । समाज में अनीति न पैलने देने के लिए आपान (मदिरालय), दूसर्हों और गणिकाओं का देखरेख के लिए भी राज्य की ओर से अविकारी नियुक्त किये जाते थे ।

मौय और गुप्त राज्य जैसे सुसगारित राज्य प्राय उपरिनिर्दिष्ट सब काय करते थे । पर समझ है कि छोटे राज्य खासकर स्कट कालमें ये सब क्षत्रिय करने में असमर्थ रहे हों ।

अस्तु, मान्चीन भारत में राज्य के कार्यक्षेत्र में मनुष्य जीवन के सब पहलू आ जाते थे । प्रश्न यह है कि क्या इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मारी नहीं जाती थी । राज्य का कार्य केवल इतना व्यापक क्या इसलिए हो सका कि यक्तिगत स्वतंत्रता की मावना का उस समय तक समुचित विकास नहीं हो पाया था । अथवा इसलिए कि जनता राज्य को सब-व्यापक और सबगुणस पान मानने को तैयार थी ।

मान्चीन भारत में यात्रा समाज का धुरा और उसके कल्याण का मुख्य ग्रन्थ समझा जाता था, इसलिए उसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक था । यक्तिगत स्वतंत्रता को इससे कुछ विशेष खतरा न था क्योंकि ये सब कार्य अल राज्य के कमचारियों के ही द्वारा नहीं सपादित किये जाते थे । व्यापग (बाजार) व्यापार और घर्में के दशाविकारी गत कमचारी अवश्य ये पर ऐ ब्रेगी और निरामों, विविध व्यवसायक तथा ब्राजगों और अपगों के सघ के उद्योग से ही काम करते थे । इन स्थावरों में चनमत ही प्रचान रहता था, और ये तत्कालीन राज्यों या राजवरानों से भी अधिक स्थायी थीं और इसलिए इनकी बड़ी प्रतिष्ठा और धाक थी । राज्य कमचारी इन स्थावरों से पूरा परामर्श करक समाज के विविध बटक और ब्रेगियों का सघर मिलाकर उनका सहजाय बढ़ाने की ही कोशिश करते थे । राज्य से पाठशालाओं और महा विद्यालयों को प्रचुर सहायता मिलती थी, पर व्याजकर की मांते धिक्का विभाग के अध्यक्ष और उनके अनुचरों द्वारा शिक्षा प्रणाली के नियन्त्रण की कोशिश न थी जाती थी । हिंदू परिषें और बैद्यपठें को राज्य से प्रभूत दान मिलता था पर उन्हें कमी राज्य द्वारा स्वीकृत मत का ही प्रचार करने को बाच्य नहीं किया जाता था । विष्णुदीकरण अथवा स्थानीय स्वतंत्रता के सिद्धांत पर बहुत अधिक

१ यह प्रौ० अंतरिया का मत है ।

अमल किया जाता या और ग्राम पचायतों तथा पौर सभाओं और ऐसी निगमों को विस्तृत अधिकार दिये गये थे। राज्य की लोकहितात्मक कारबाह इन लोकप्रिय सभाओं के सुनिय सहयोग से ही होती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक भी न लगने पाती थी। प्राचीन मारतीयों ने राज्य को व्यापक अधिकार इच्छिए नहीं दिये थे कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व न जानते थे बरन् इच्छिए कि वे जानते थे कि राज्य ही विविध द्वितीयों का समन्वय तथा विभिन्न पररपर विपेक्षी स्वार्थों का सामर्जय करके समाज का सबसे अच्छा सम्मान कर सकता है खास करके जब राजकर्मचारी जन सभाओं के पूरे सहयोग से काम करें।

अध्याय ४

राज्य और नागरिक

राज्य और प्रजा का परस्पर सबंध महत्व का विषय है। परतु प्राचीनकाल में रिस्टॉटल बैसे इनेगिने पाश्चात्य विचारकों ने इस पर विचार किया है। गत शताब्दियों में लोकतंत्र के विकास से इसका महत्व बढ़ गया है और आधुनिक यह इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के में दोनों में राज्य और प्रजा के परस्पर क्या अधिकार और कतार हैं, में कोइ विरोध है या नहीं और है तो उसका समजस्य किस प्रकार या जाय।

प्राचीन भारतीय ग्रथकारों ने शायद ही इसी समस्या पर ध्यान दिया हो। जननीति शास्त्र के आधुनिक ग्रथों में राज्य और प्रजा के परस्पर सबंध की चाँ जब होती है तभ उसमें दोनों के अधिकारों की ही सीमा निर्धारण करने का यह किया जाता है, परतु प्राचीन भारतीयों न इस विषय का इस दृष्टि से जा ही नहीं। वे प्रजा के अधिकारों के स्थान पर राज्य के कतारों का हो गए करते हैं। इसीसे प्रजा के अधिकारों का अनुमान किया जा सकता है। ऐसी प्रकार वे प्रजा के कतारों का निरूपण करते हैं। इसीसे अनुमान लगाया। उक्ता है कि राज्य का प्रजा पर क्या अधिकार था। दोनों पक्षों के अधिकारों की दृष्टि से हमारे प्राचीन ग्रथों में इस समस्या पर मुख्यविद्यत गचार नहीं किया गया, हमें उन अधिकारों का अनुमान ही परस्पर कर्तारों से उठना पड़ेगा। अपरच प्राचीन और अवाचीन यूरोपीय लेखक इस समस्या पर विशुद्ध लौकिक और वैधानिक दृष्टि से विचार करते हैं। वे प्रजा के नागरिक और राजनीतिक जीवन को उसक धार्मिक और नैतिक जीवन से अलग कर देते हैं, और अस्तर राज्य को उसक लिलाक मान कर उसक विरोध में उसक अधिकारों का निरूपण करते हैं। इसके विपरीत प्राचीन भारतीय ग्रथकार प्रजा के यजनीतिक कर्तारों को उसक साधारण कतार (धम) का दैग मानते हैं। ये राज्य और प्रजामें कोइ विरोध नहीं स्वीकार करते इसलिए दोनों के अधिकार और कतारों की स्पष्ट सीमा निर्धारित करने की जरूरत नहीं उमझते। राज्य का एकमात्र लक्ष्य ही प्रजा का इहलोक और परलोक में सब प्रकार से अभ्युक्त साधना है। राज्य न ही सो मात्स्यन्याय फैल जाय, अत व्यक्ति के सुप-

और अभ्युदय के लिए राज्य का होना चाही है और यही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। हमारे प्राचीन विचारकों ने इस पर अधिक नहीं सोचा कि यदि राज्य और प्रजा अपने अपने कर्त्तव्यों का पालन न करे तो क्या करना चाहिए। उ ही भरोसा था कि दानों पक्ष अपने अपने धर्म व कर्तव्यों का पालन करेंगे।

एथेस, म्फार्टी, रोम इत्यादि प्राचीन यूरोपीय राज्यों में सब प्रजा एक ही अँख से नहीं देखी जाती थी। निन लोगों को शासन में सक्रिय सहयोग देने और राज्य के नियम विधान आदि बनाने का अधिकार था वे ही नागरिक पर के अधिकारी होते थे। मगर वे सरका में बहुत कम रहते थे, बहुसंख्य प्रजा को नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उसका दजा करीब करीब दासों के बराबर था। परदेशियों का एक धर्म ही अलग था। उन पर हीनतादर्शक प्रतिबद्ध तो न थे, परतु वे देश के राज्यशासन और विधानिक जीवन में भाग लेन क अधिकारी न थे।

प्राचीन भारत के विधान शास्त्रों ने देश के निवासियों में विशेषाधिकारी और सामाजिक नागरिक ऐसा भेदभाव नहीं किया है। हमें वैदिककाल के राजनीतिक जीवन के बारे में विशेष जुछ जान नहीं है। उस काल में 'समिति' जैसी जन सम्प्रदाय राजा के अधिकारों और कार्य व्यवसाय पर बहुत अकुश रागती थीं जैसा कि आगे सालों अप्याय में दिलादा जायगा। बहुत समव है कि सब लोगों को समिति के सदस्य युनने का अधिकार न रहा हो। यह अधिकार थोड़े ही लोगों को रहा हो, और प्राचीन यूनान के पूर्णाधिकारी नागरिक या आजकल के सरदार या जमीनदारों की उच्चप्रेमी के समान इनका भी एक धर्म रहा हा। प्राचीन गणतन्त्रों में भी एक विशेषाधिकार माजन उच्चवर्ग रहता था जिसके हाथ में राजनीतिक सत्ता रहती थी। पर पर्याप्त सामग्री के अभाव से न तो हम इस धर्म के विशेषाधिकारों को ज्ञान लकड़े हैं और न उसके राज्य तथा साधारण जनता के उद्देश के बारे में जुछ विवरण दे सकते हैं।

परतु जब हम ५०० ६० पूर्व के लगभग ऐतिहासिक सुग पर दृष्टिपात फरत है तो 'समितियों' को गायब पाते हैं। अत इसार विधान शास्त्रों ने प्रजा पर समितिनिवाचक नागरिक और श्रेष्ठ अनागरिक भेद नहीं किया है। इस सुग में श्राम, विळा और नगर पनायती का रूप विकास हो जुका था, और उनके सदस्यों का भी उल्लेख चारबार मिलता है। इनमें जनता की ही घात चलती थी। किंतु इन उत्थाओं के सदस्यों का आजकल की भाँति जनता के मतां द्वारा जुनाव नहीं होता था, यरन अनुभवी प्रतिष्ठित और बयोवृद्ध व्यविन मूँक सब

समति से सदस्य बनाय जात थे। दक्षिण मारत में प्राम पचायत के सदस्यों का 'जुनाव' सच्चरिय विद्वान आर प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से ही चिठ्ठी उड़ाकर होता था। पचायत के अर्तारिक्त गावधालों की साधारण समा भा होती थी जिसे समृतियों में 'यूग' कहा गया है। इसमें गर्व के सभी प्रतिष्ठित लोग रहते थे जिनका महाचर महाजन, या 'पेशमाल' कहते थे। यह पूर्णतया सोशल-नात्यक संस्था होती थी^१, और इसमें सभा शातियों और वृद्धियों का, अन्तर्यामी तक का भी, समावेश होता था। अतएव स्थानीय शासन के ज्ञेन में भी प्रजा के अधिकारीम छोड़ अतर न रहन के कारण हमारे विधान शासियों न प्रजा का विशेषाधिकारी बग और सामाज्य वर्ग जैसा भद्रभूलक बर्गीकरण नहीं किया है।

राज्य के नागरिकों और परदेशियों में भेदमाव प्राचीन काल में सर्वथ किया जाता था और आजकल तो बहुत किया जाता है, परतु हिंदू प्रथकारों ने यह भेद भा नहीं किया है। इसम काइ आश्रय को बात नहीं है। इस महादश के विभिन्न भागों में एक यापक सांस्कृतिक पृक्ता वर्तमान थी, इसान्धित एक प्रात का निवासी दूसरे प्रात के निवासी को—जैस लाट (गुजराती) गोङ (बंगाली) को, अथवा कणोटकी करमीरी का—परदेशी नहीं समझता था। मातौष विभि नताओं का विनाश धीर घारे हो रहा था, पर वे इतनी पवन न हो पाया थीं कि देश के विरामान मागा में स्थानित स्वतंत्र राज्य पदासी राज्य के निवासियों का परदेशी मान कर उन पर रोकठीक लगाते। गुजरात के राजा महाराट् के ब्राह्मणों को दान देते थे, करमीरी पदित कर्णटक में राजनीति बन सकते थे, और दाक्षिणात्य सैनिक लचर हिंदुस्थान के राजाओं की उना में भर्ती होते थे। यह सब इसीलिए उमड़ था कि राजनीतिक दृष्टि से अनेक स्वतंत्र प्रश्नों में विमाजित होन पर भी देश में सांस्कृतिक पृक्ता वी भावना थी।

परतु ध्यान दन की बात यह है कि विदेशियों पर भी इस प्रकार के प्रतिवध न थे। अशोक के राज्य में एक यवन काठियावाह ऐसे एक प्रमुख सीमात प्रदेश का शासक था, यक नरेश इदामा (१७० ई०) के राज्य पर सुविधाल एक पहलव भी एक प्रात का शासक था और यघोवर्मा (४१५ ई०) के राज्य में एक उग शासन के उच्चपद पर था। पश्चिम मारत में राष्ट्रकूट राजाओं ने मुमलमानों को अपने राज्य में बसने और अपने कानूनों के व्यवहार के लिए अपने ही में से अधिकारी चुनने का अधिकार दिया था।

^१ चारों ११वीं भाष्याय देखें।

नागरिकों का समान अवसर

विदेशियों को अलग वग में न रखने का कारण हिंदू धर्म की उदार प्रकृति और अपनी सत्कृति की छेष्ठा के प्रभाव से विदेशियों को अपने समाज में मिला हने का विश्वास था। बाहर से आक्रमणकारी रूप में आनेवाले यथा, शक, कुण्ठण और हृष्ण यह हिंदू समाज में घुर्मिल गये, इसी से हमारे विद्वान् शास्त्रियों ने देवी विदेशी का भेद न किया।

विद्वान् यवस्था बनानेवालों व्यवस्थापकों को चुनना नागरिकों का एक प्रमुख अधिकार समझा जाता है। यह धारणा प्राचीन भारत में समव न थी, क्योंकि धार्मिक विधिनियम देवी माने जाते थे और लौकिक कानून व्यवहार और प्रथा से निर्भारित थे। आज कल को माति व्यवस्थापक समाजों या राज्यालयों ने देवी विदेशी का भेद न किया।

विद्वान् यवस्था बनानेवालों व्यवस्थापकों को चुनना नागरिकों का एक प्रमुख अधिकार समझा जाता है। यह धारणा प्राचीन भारत में समव न थी, क्योंकि धार्मिक विधिनियम देवी माने जाते थे और लौकिक कानून व्यवहार और प्रथा से निर्भारित थे। आज कल को माति व्यवस्थापक समाजों या राज्यालयों ने देवी विदेशी का भेद न किया।

भाषुनिक काल में यह जहरी कर्तव्य समझा जाता है कि देश में सब नागरिकों को उच्छ्रिति का समान अवसर मिले पर अधिकतर यह समानता उद्दिष्ट में ही रहती है व्यवहार में यह सबश्च नहीं दिया यो दती है। आलों वक्तों का कहना है कि प्राचीन भारत में राज्य अपना यह प्रथम कर्तव्य करने में भी क्षमता था क्योंकि धार्मिक प्रथा में इतेक व्यक्ति अपने आनुचयिक जन्म सिद्ध देने में ही बड़ा था इतिहास समान अवसर पा अवसर था।

यह आलावना अस्ति ही ढीक हो सकती है। जाति के अनुसार वृत्ति का निपारण राज्य नहीं करता था बरन वह समाजिक व्यवहार और प्रथाओं द्वारा होता था। १०० द० पू० तक वृत्ति के चुनाव में पूण स्वतंत्रता थी, राज्य भी इस काल में विशेष जाति को विशेष वृत्ति के चुनाव में पूण स्वतंत्रता थी, नहीं करता था। क्षत्रिय और वैश्य भी देव का अध्यापन करने को स्वतंत्र थे। आगे चलकर वृत्ति या देवों आनुचयिक हो गये और इमृतिया इस बात पर लोर देने लगीं कि इतेक जाति अपने लिए निर्धारित वृत्ति ही प्रदण करे। इमृतियों की इस नयी यवस्था का आधार भी उस समय की वास्तुस्थिति ही थी अत यदि नागरिकों को उच्छ्रिति का समान क्षमता नहीं था या उनमें अपनी वृत्ति निधारित करने में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी तो इसका दोष यह पर नहीं ताकालीन समाज पर था। यह कहा जा सकता है कि यह यो दोष को इस प्रतिक्रियों को दूर करने और समाज को समझान का प्रयत्न करना चाहिये या पर उस सुग में यह असमय सा या क्योंकि उस समाज में ये इशारे देखी या अस्ति प्राणीत मानी जाती थीं। फिर भी यिन्हाँले यादि ऐ पता चलता है कि वृक्ति के होग अपनी इमृतिनिर्धारित वृत्ति से विभिन्न वृत्ति भी प्रदण करते थे, यह तारीफ की बात है कि राज्य इसमें योक्तों द्वारा नहीं करता था। जहाँ तक

माल्म होता है केवल पुरोहिती वृत्ति के संबंध म ही प्रतिबंध लागू होते थे। उपनिषद्वर काल में कोई भी अग्राहण पुरोहिती या वेदाध्ययन न कर सकता था, सभव है कि कभी कदापि राज्य द्वारा इसके उल्लङ्घनकर्ता को दट भी दिया गया हो। पर यह मी नहीं भूलना चाहिये कि पुरोहित बनने या वेद पढ़ाने का अधिकार बास्तव में मिदा मोगने के अधिकार से अधिक न था। पुरोहित या धर्मगुड़ी की समाज में मले ही अधिक प्रतिष्ठा रही हो पर उसकी आमदनी बहुत ही थोड़ी थी। समाज में यह भावना भी थी कि ग्राहण के लिए इन वृत्तियों का निर्धारण ईश्वरकृत है और इसका उल्लङ्घन करनेवाला नरक में ज़हर जाता है। अत यदि राज्य ने इस परिपाठी का सम्मन किया तो वही किया जिसे १९ प्रतिशत अग्राहण स्वयं स्वीकार करते थे।

आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार राज्य का ग्रात्येक नागरिक विधि नियमों की दृष्टि में समान होना चाहिये। यह मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत में यह स्थिति न थी। एक ही अपराध के लिए अस्य जातियों की व्यवेदा ग्राहण के लिए हल्के दण्ड का विधान था। स्मृतियों में अवश्य यह है कि शूद्र जो अपराध करे यदि ग्राहण वही करे तो उसका पाप अधिक है और पालोक में उसे दण्ड भी अधिक मोगना पड़ेगा, पर तारीफ तो तब यी यदि इहलोक में भी ग्राहण के लिए स्मृतियों में अधिक कठोर दण्ड का विधान किया जाता। पर स्मृतियों से यह आशा करना ठीक भी नहीं है। कानून समानता होते हुए भी दुनिया भर में, हाल तक ऊँचे पद के लक्ष्मि को हल्के ही दण्ड मिलते थे। प्राचीन रोम और यूनान में दास की हत्या करने पर नाममान का ही दण्ड होता था। ऐसे सेक्सन युग में भी स्वतंत्र नागरिक या सरदार (नाइट) की हत्या पर जो हरजाना देना पड़ता था, उससे बहुत कम दास या काश्त फार की हत्या पर निया जाता था। १८ वीं शताब्दी तक प्राप्त में भी कानून में ऊँचे नीचे का बहुत भेद भाव था। अत प्राचीन भारत के कानून में सबके साथ पूण समता की आशा करना च्यादती है। पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्मृतियों ने ग्राहण के गौरव को बहुत बढ़ा चढ़ापर वर्णन किया है, यद्यहार में ग्राहण शारीरिक दण्ड स बरी न थे, दीसा स्मृतियों में कहा गया है। अभ्यास से पता चलता है कि राज्यशोह के अपराधी ग्राहण को विरच्छेद के बजाय जल में हुआकर प्राण दण्ड दिया जाता था। असु, दण्ड देने के तरीके में भेद रहने पर भी दण्ड में कोई भेद न था।

राज्य प्रजा के जानमाल की रक्षा और सर्वांगीण अस्युदय को व्यवस्था करता है अत वह प्रजा ये आशा भी रखता है कि यह उसके नियमों और

शासनों का पालन करके उसके साथ पूरा सहयोग करे। प्राचीन भारतीय विचारकों ने भी प्रजा के इस क्षेत्र पर बहुत लोर दिया है। आधुनिक भाल में भी प्रजा से युद्ध पड़ने पर राज्य के लिए रहने और प्राण तक दे देने की आशा की जाती है। जाति ग्रन्थ के उदय के कारण प्राचीन भारत में वैदोक्तर काल में सब नागरिकों से इसकी अपेक्षा न की जाती थी। राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना द्वितीय का ही क्षमाय था और समरभूमि से पराट्युत्ख द्वाना उसके लिए सबके बहा फलक का विषय था। अब जातियों का काम युद्ध करने के बहाय अपने उद्योग, यवधाय और अम द्वारा युद्ध के साधन विमर्श करना और जुटाना था। उस युग में अनिवार्य हैं ये भर्ती से काय विमान ही श्रेष्ठ समझा जाता था।

परन्तु प्राम संस्था के प्रति प्राम निवासियों की गहरी निष्ठा थी और प्राम तथा गोधन की रक्षा में प्राम के सब जातियों और भेणियों के कठ मरने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मद्दाराट् कर्णाटक और दक्षिण भारत में पाये जानेवाले 'बीरगल' इस बात के प्रमाण हैं कि सकट पड़ने पर सब जातियों के लोग और अक्सर लियाँ भी प्राम के बचाव के लिये मर मिटने से न छरते थे^१।

इसरे विषयनशास्त्री नृपतंत्र को ही आदर्श मानते हैं अत वे सेनिक और नागरिक को देश के बजाय नरेश के लिए ही प्राण देने का उपदेश करते हैं। पश्चिम में भी राष्ट्रीय राज्यों के उदय के पूर्व यही दशा थी।

विशुद्ध भावना के रूप में देश था राज्य प्रेम का विकास प्राचीन भारत में होने की विशेष इजाइश न थी। जिन अनेक राज्यों में देश दृष्टि हुआ था उनमें घर्म, शैल्वति या भाषा का भेद न था। काशी और कोशल, वाग और धग में शायद ही कोई अतर रहा हो। १२ वीं शताब्दी के गद्दवाल, चदेल और चाहमान राज्यों की सीमाएँ भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर विभाजित नहीं हो सकती। प्राकृतिक सीमाओं की रोक न रहने से और एक ही प्रकार की स्वदेशी संकृति के अचार से भारत के विभिन्न राज्यों के नागरिकों में स्वराज्या भिमान प्रखर स्वरूप में नहीं रहता था। विभिन्न राज्यों में युद्ध प्राय राजाओं

^१ युद्धस्त यार्थ के स्थृति में बताये हुए मूर्खेकित शिलापटों को 'बीरगल' कहते हैं।

^२ प ८, ९ १६६, सौ इ ८ रि, ११२१ न ७३, य क,
भाग १ न० ७८

की स्थिरता से होते थे न कि नागरिकों के सुकृचित और स्वार्थी राज्याभिमान के समय स। जातनेवाला भी साधारणतः पर्याजित राजा के दिली रिस्तेदार को ही गढ़ी पर बिठा देता या और स्थानीय नियमों और प्रथाओं में दस्तबेप न करता या। अत यजा और शासक वग को छोड़कर साधारण जनता पर लड़ाइ की हारबीत का विशेष प्रभाव न पहुँचता या। एक हाइ से कहा जा सकता है कि उनमें देशमिति की कमी थी मगर दूसरी हाइ से कहा जायगा कि उनमें सुकृचित प्रतीयता की भावना न थी। यदि भारत के विभिन्न राज्यों की प्रजा में प्रबल प्रतीयता की भावना का विकास हो गया होता और वे एक दूसरे के घूस के प्यास बन गये होते तो भारत देश मर में (व्यास) धार्मकृतिक एकता की भावना का उदय और फैलाव समव न होता।

पर स्पूष्म मारतवप के लिए भारतीयों में गहरा भ्रेम और उक्त देशमिति थी और जब भी उसके घम, सत्कृति और स्वतंत्रता पर सुकृट उपर्युक्त होता या, भारतीय उसके लिए प्राण अपा करने को दौड़ पहुँचते थे। इन्द्र के आक्रमण के प्रबल प्रतिरोध का इतिहास पढ़कर कौन कह सकता है कि उस समय के भारतीयों में देश भ्रेम का व्यापार था। दक्षिण चिंच में ब्राह्मण उक्तिर के प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे और इसके लिए इन्द्र द्वारा छुटका छुट में वे पाँछी पर लट्ठा फ्रिये गये, क्योंकि इन्हीं के^१ काल उसका एक एक कदम था गे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उनमें से एक से पाँछी देने के पहिने पूजा गया कि दूसरे क्यों दोगों और राजा को उक्तिर का सामना करने को उसकाते हो। उसने धीरतापूषक उत्तर दिया—‘क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सम्मान से बिहै और सम्मान से ही मरे’^२। दुर्मीर्यपथ यह, पहाड़ और कुण्ड योहा मिठ्ठा है उससे पता चलता है कि कुण्ड, योधेय और म उच्च आदि गगतें, दशहो तक यथावर इनसे बढ़ते रहे और अंत में उहोंने स्वतंत्रता प्राप्त करके ही दम लिया। दूसों को निङ्गालने के लिए उत्तर भारत के बड़े राज्यों ने मिलकर प्रयत्न किया था। भारत की सरकृति और धर्म को मुख्यमानों से छिपना लताता है इष्टका भान होने पर उत्तर भारत के सभी मुख्य हिंदू राज्यों ने एक होकर पैशावर के पास सन् १००८ ई० में मुख्यमानों का लामना निया।

^१—मैदृष्टिक, परिषट् ईदिपा। दम इन्द्रवेन याह अडेवैहर दि भ्रेम,

* १२६—१६०।

^२ यहो—३० ३११।

१०२४ ई० में सोमनाथ मंदिर को महामूद गजनवी के आक्रमण से बचाने के लिए ५० हजार हिंदुओं ने प्राण दिये । अपने घम और देशपर मरलेशाले योद्धा पढ़ी विश्वास करते थे कि भारतवर्ष की भूमि ऐसी पवित्र है कि देवता भी इसमें तम लेने को तरबते हैं^१ । माता के समान मातृभूमि भी राज्य से भी खेत्र १३ यह एक मुख्यात् बहावत् कहती है विदेशी आक्रमणों पर गतिरोध का इतिहास इस बात आ साक्षी है कि हिंदू इसमें पूरा विश्वास भी बरते थे ।

राजनीतिक दायित्व के आधार

नागरिकोंके राज्य के प्रति अनेक कतार्थ हैं । अब हमें यह देखना है कि अचौम भारतीय विचारों के यत में इनका क्या आधार है । राज्य ही जनता हो अग्रभक्ता हो बचाने का एकमात्र साधन है अतः जनता का यह पर्म है कि उसका पूरा समर्थन करे और उसके नियमों का पालन करके उसके प्रति अपनी जमेदारी पूरी करे । मनु का कथन है कि यदि राज्य दण्ड का भय न हो तो व लोग बत्त च्युत हो जायें, बन्धान् दुर्बलों को शूल या मत्स्य की भाँति नुकर रा जायें, कुचे भी छविर्भाग खाने के लिए सीढ़ी जायें । भर्ग के टेप यदि अपने अपने कतार के दब रहते हैं तो उसका कारण भी देवाधिदेव रा दण्ड का भय ही है । राजा का देवताशत्र भी प्रजा की राजनीतिक जमेदारी का एक पारण माना गया है । मनु कहते हैं, 'राजा नररूप में बता है और सब को उसकी आशा का पालन करना चाहिये ।' परन्तु देखा कि गले अध्याय में दिखाया जायगा राजा के देवताशत्र का यह अथ नहा है कि गाँस मूँद कर उसकी आशा का पाला किया जाय । उशासन तथा फताय को वहेलना करने पर राजा को चिंहासन से उतारने और बध करने का अधिकार भी प्रजा को दिया गया था ।

विधि नियम भी देवो माने जाते थे और राज्य उँहें काशीवत् फृता या उलिए भी राज्य के अनुशासन में रहना प्रजा का फताय कहा गया है । परन्तु

१—गायत्रि देवा छिक योतकानि धायास्तुते भारतमूमिभागे ।

स्वर्गपित्रगत्य च हेतुमूली मवत्रि भूय पुरुषा सुरत्यात् ॥

—माफ्यडेव पुराण

२—जननी जामभूमिदत्त स्वर्गाद्विग्य गतीपसी ।

पुराने अनुपयोगों नियमों की गुलामी का समर्थन इसका अभीष्ट न था। राज्य द्वारा न सही, व्यवहार द्वारा पुराने नियमों में परिवर्तन हुआ करता था।

हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के कुछ विचारकों ने भी सहमति (इकरार) द्वारा राज्य की उत्तरति की कल्पना की है। प्रजा राजा को कर देने और उसकी आशापालन करने को इस शत पर तैयार होती थी कि राजा उसकी रक्षा करे। अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के प्रति क्षतय का व्यापार यह इकरार ही था। यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे विद्वान् शास्त्रियों ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि अपने कत्त्यों से व्युत्त होने और प्रजा की सुरक्षा और सुधारस्था करने में असमर्थ होने पर राजा पागल कुचे की भाँति मार डाला जाना चाहिये।^१ उसके आशापालन का प्रश्न भी ऐसी व्यवस्था में उपरियत नहीं होता है।

उत्ताह का उद्घानत भी राजनीतिक कत्त्यों का व्यापार है। सरकार और प्रजा दोनों राज्यशासीर के बग हैं, दोनों परस्पर के सहयोग से ही काम कर सकते हैं और स्थर्द होने पर दोनों का नाश अवश्यमात्री है। राज्य अपने कायों द्वारा प्रजा की इहलैकिक और पारलैकिक उत्तरति का प्रयत्न करता है, उसे इस काय में सफलता तभी मिल सकती है जब प्रजा भी उसके प्रति अपने कत्त्यों का पालन करे। अतः चूँकि राज्य प्रजा की नीतिक, व्यापिक और शास्त्रिक उत्तरति को कोशिश करने में यत्तशील रहता है, प्रजा को भी चाहिये कि वह अपने राजनीतिक एतत्यों का पालन करके राज्य का मार्ग सुगम बनाए।

१ अह चो रक्षितेऽयुक्तवा यो न रक्षति भूमिष ।

स सहरप निहत्य इवेव सोमाद आतुर ॥ —महाभा १३ ६६, ३२

५ अध्याय

नृपत्र

यद्यपि प्राचीन भारत में व्याय प्रकार के भी गायथे पर सबसे अधिक प्रचलन रूपतर का ही था। अत इस अध्याय में हम राजपद सम्बंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार करेंगे।

वैदिक धार्म्य में राजपद की उत्पत्ति के विषय में कुछ कल्पनायें की गयी हैं। किसी समय देवताओं और अमुरों में उप्राप्त हुआ और देवताओं की चराकर हार होती रही। देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया और वे इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि उनके परामर्श का कारण उनमें राजा का न होना ही था। उन्होंने सोम को अपना राजा और नेता बनाया^१ और अमुरों पर विजय प्राप्त की। अपने कहा गया है कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, यशस्वी और शक्तिशाली होने के कारण ही इन्द्र देवताओं के अधिपति हुने गये।^२ एक और कथा है कि वहन देवताओं के राजा होना चाहते थे, पर वे उद्द स्वीकार न करते थे। तब अपने विता प्रजापति उन्होंने ऐसा मन्त्र प्राप्त किया कि वे सब देवताओं से बढ़ गये और सबने उन्हें अपना राजा माना^३।

इन कथाओं से स्पष्ट है कि राजा की उत्पत्ति का कारण सामरिक व्यावहारिकता थी और वही व्यक्ति राजा बनाया जाता था जो रण में सफल नेतृत्व कर सके। युद्ध में विजय नेता के साहस, शौशल और प्राकृति पर ही निर्मार है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति जब नेता बनाया जाय और उसके नेतृत्व में विजयशील राजा होता है। उसके लड़के भी योग्य हुए तो यह पद आनुबंधिक बन जाता है। राज्यामित्यक के समय किये जानवाले वास्तव्य यह में एक रथ की दीड़ की भी प्रथा है जिसमें राजा ही सबप्रथम आता है।

^१ अराजायतया ये ना नपति राजान करवाम है इति ४ ये भा, ११४

^२ ये भा, २ २ ७ २

^३ जै भा ३ १२२

यह रीति उस व्यवस्थाने की, यादगार है जब राजपद के उपदेश्यार की शक्ति का परीक्षा रथ की दौड़ में की जाती थी ।^१

इस देख जुके हैं कि वैदिक काल में समाज का स्पष्टन पितृप्रथान कुटुम्ब मूर्ख था । कह कुटुम्बों मा कुलों को मिलाकर विद्या और कह विद्यों को भिन्नभिन्न व्यवस्थाएँ होती थी । कुछ प्रतियों में से ही नेतृत्व और पराक्रम के गुणों से युक्त व्यक्ति विद्यापति का पद प्राप्त करते थे । विद्यापतियों में से इहीं गुणों में सबकेषु व्यक्ति जनपति के उच्चपद पर आसीन होता था । उसको योग्यता की जांच रथदौड़ पर प्रकारों से की जाती थी ।^२

अब प्राचीन कथाओं और हिंदू समुक्त कुटुम्ब के स्पष्टन दोनों छिद्र करते हैं कि युधा की उत्तरति समाज के पितृप्रथान कुटुम्ब-यद्वति से ही हुई । पराक्रमी और प्रतिष्ठित कुटुम्बति विद्यापति बन जाता था । साधारणत सबसे अष्टु कुल के प्रमुख में से गुण विद्यमान समझे जाते थे, कुनाव की आवश्यकता तभी होती था जब इसमें उद्देह होता था कि उच्चराषिकारी बोन है ।

वैदिक वाद्यमय धर्मप्रवान है जिसे भी उसमें इस बात का कोइ भी संकेत नहीं कि राजपद का पुरोहित या घरेंगुह के पद से सबसे ही अथवा उसकी उत्पत्ति उसक हुई हो । यह बात उल्लेखनीय है कि वैदिक राजा का कमङ्गाड़ या पौरोहित्य कार्य से कोइ सम्बन्ध नहीं था और न वह प्राचीन मिस्त्र, रोम या ग्रीष्म के राजा या शासन की माँति सार्वजनिक यशादि का हचालन करता था । चिकित्याकौशल के बल पर अविनीकुमारों के देवत्य द्रास करने की कथा है परं चिकित्याकौशल द्वारा किसी देश के राज बनने का उल्लेख वैदिक वाद्यमय में कही नहीं है ।

१ वैदिक काल में युद्धस्वारी और रथहोड़ने में कौशल का बड़ा महात्व था जो अवधारणा वायुमेना में घोषित का है ।

२ खिक्दर के इतिहास-स्टेनकों ने खिद्या है कि बड़ाति में, जो अपने रथफौहिल और पराक्रम के द्वित विद्याति थी, सर्वे स्वरूपवान् व्यक्ति ही राजा कुना जाता था (मैक्स्मिलन, एनियट हिट्या पृ० १८) इहज अर्थ यह है कि सैनिक योग्यता समान होने पर स्वरूप को प्रधानता दा जाती थी, परं नहीं कि सुश्रद्धा के सामने योग्यता की उपेण की जाती थी ।

क्या राजा का निर्वाचन होता था ?

प्राचीन भारत में राजा नियोन्नित होता था या नहीं इस पर बहुत भत्तमेद है। वैदिककाल के पूर्वमात्र में अवश्य निर्वाचन के कुछ उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में एक स्थल पर विश्वो द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख है।^१ अथवैवेद में भी एक स्थल पर विश्वो द्वारा राजा के धरण की कामना की गयी है।^२ पर सभवत साधारण जनता निवाचन में उपमिलित नहीं होती थी। शतपथ बाह्यण में एक उल्लेख में कहा गया है कि अन्य राजागण विसे माने वही राजा होता है दूरुपा नहीं।^३ राज्याभियेक के एक मत्र में याचा की गयी है कि अभियिक याजा अपने व्रेणी के ध्यक्तियों में प्रतिष्ठित हो। अत अधिक सम्भव है कि जनता के नेतागण कुलपति और विश्वपति ही राजा का धरण करते रहे हों और साधारण जनता अधिक से अधिक प्राचीन रोम की 'क्यूरिया' (जनसाधारण) की माँति उनके नियंत्र पुर वेवल अपनी सहमति देती रही हो।^४ निवाचन भी कभी कदा ही हुआ करते थे। साधारणतः सबसे प्रतिष्ठित कुले वे सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति को ही नेता मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता था।

कुलपतियों और विश्वपतियों द्वारा राजा के इस औपचारिक निर्वाचन की प्रथा उस काल में भी पुरानी पहचानी थी रही थी। निर्वाचन के सबध में जितने उल्लेख मिलते हैं अधिकांश स यही पता चलता है कि कुलपतियों और विश्वपतियों की दलदुटी ऐ राज्य में चराचर जागह। मत्ता रहता था और अस्तर राजा का भी उपहारन छोड़ना पहुंचता था। इन उल्लेखों में या तो

१ ता द्वे विश्वो न राजान् इणाना योमास्वो अप श्रुप्रादतिष्ठन्। २० १२४ म
यहीं पर विश्वद्वारा निर्वाचन का इषष्ट उल्लेख है साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जनता डरी हुई थी। पदि जनता की सहमति पर ही राजा का निर्वाचन निर्भर था तो उन्हें दरने का बया आवश्यकता थी।

२ त्वा विश्वो वृणतो राजपाप्य। ३ ५, २

३ यस्मै वा राजानो राज्यमनुमन्यन्ते स राजा भवति न स यस्मै न।

—या च या ३ ३ ५, २

४ इसासे उनमें वासाह का असाव और भय का असाव रहता था, यथा, ऊपर के न० १ के उदारण में वर्णित है।

५ इपन्तु र्त्वा प्रतिजना प्रतिमित्रा अदृष्टपत (अ चे, ३ ३ ६

अपने मिथों द्वारा निर्धारित राजा के प्रतिद्वंदीयों का सामना करते हुए सिद्धांशन - परं जम रहने की, या राज्यव्युत होने के याद पुन गढ़ी पर बैठनेवाले राजा के प्रका द्वारा अगीकार किये जाने की, याचा की जाति है।) इनसे यह सिद्ध नहीं होता कि भाषकल के अर्थ में वैदिक काल में राजा का निर्धारित होता था। हाँ, यह अवश्य है कि आजकल की अपेक्षा राजा उच्चबर्गीय कुलपतियों और विशेषियों के समर्थन पर अधिक निर्भर रहता था।] निर्धारित की प्रथा वैदिककाल में भी प्राय अन्यवहृत हा चुकी थी। यह इसी बात से सिद्ध है कि ऋग्वेद में भी अधिकतर राजपद आनुवंशिक दिखाइ देते हैं। तृष्णुओं में चार पीढ़ी न और पुढ़ियों में और भी अधिक समय से पुश्ट ही पिता की राजगद्दी पर बैठते चले आ रहे थे। सज्जयों का राजा^१ दुष्टशूत पौरीयन की कथा में दस पीढ़ी से प्राप्त राज्य का उल्लेख है और राज्याभियेक के समय की घोषणा में भी नय राजा को राजा का पुत्र कहा गया है।^२

अत इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वैदिक काल के बहुत पहले ही राजा का पद आनुवंशिक (पैतृक) बन गया था। इस की आठवीं सदी तक राजपद के निर्गच्छित होने के पश्च में जो प्रमाण दिये जाते हैं वे बहुत पुष्ट नहीं हैं।^३ अथर्ववेद में उल्लिखित 'राजवृत्त' (३, ६, ७) और रामायण के उल्लिखित 'राजकर्ता' राजा के निर्धारित नहीं बरन् राज्याभियेक करनेवाले ब्राह्मण हैं।^४ जब अपने ज्येष्ठ पुश्टों की उपेक्षा करके राजा प्रतीप ने अपने छोटे पुश्ट शातनु को और याति ने पुरु को राज्य दिशा से प्रभाने महाद के सामने एकत्र होकर प्रतिवाद किया परतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यजा के निर्धारित में उ ही भी बोलने का अधिकार था। उद्दोने कवल ज्येष्ठ पुत्र के स्वाभाविक अधिकार का अपहरण का वारण जानना चाहा और राजा के उत्तर से सत्रुष्ट

^१ य४ सा, १२ ६ ३ १—१३

^२ राजान राजपितर। ऐ सा ८ १२

^३ र॒ ख॑ मज्जुमदार, कारपोरेट लाइफ १०७-११३; का भ जायसवाल दिल्ली, भाग प्रथम पृ० १०

^४ सायण ने राजकृत की व्याख्या यों की है 'राजानम् कृष्णति, राज्येऽभिविभृति। रामायण के टीकाकार ने राजकर्ता का अर्थ राज्याभियेककर्ता भी किया है। इस अर्थ की पुष्टि भागे के दलोंकों से होती है जिनमें राजकर्ताओं में प्रसिद्ध वैदिक नामांशों के हो नाम हैं।

होकर वे चले भी गये ।^१ इन दोनों पट्टनाओं से यही सिद्ध होता है कि जनता ने ऐष्ट पुत्र के पिता की गद्दी पर बैठने के अधिकार अर्पात् पैथिक राज्य का सिद्धांत रवीकार बर लिया था, न कि उर्ह राजा के निर्वाचन में राय देने का अधिकार था । रामायण में राम के युवराज बनाये जाने के सबध में जो बाण दे इसमें भी यह सिद्ध नहीं होता कि जनता का इस निषय में कोई हाथ था । इस प्रस्ताव पर उद्धमति के लिए दशरथ ने अपनी प्रजा के नेताओं को नहीं बरन अपने बरद या सामत और पहोची राजाओं को बुशया था ।^२ उहाने भी उपचारत राम के युवराज बनाये जाने पर उद्धमति दी, उनकी उद्धमति का मूल्य तो इसी से प्रकट हो जाता है कि राम का बनगमन उससे न रुक सका । इस्ताकु बद्द की घटावली से भी यही शात होता है कि श्रीराम के कई पीढ़ियों पूर्व और बाद भी राजपद आनुवंशिक था और प्रजा का राजा चुनने का अधिकार न था ।

✓ यह भी कहा गया है कि इदामन (१३० इ०), हपवधन (६०६ इ०) और गोपाल (७५० इ०) जनता द्वारा राजा बनाये गये थे ।^३ इसमें सदैह नहीं कि इदामन और गोपाल रथरूप से जनता द्वारा निर्वाचित कहे गये हैं,^४ परंतु यह बात उनकी प्रधास्तियों में उर्ही के दरबारी कथियों द्वारा कही गयी है, अत यह परमार्थतया सत्य नहीं माना जा सकता । इदामा की इसी प्रशस्ति पे दूसरे इयल पर यह भी कहा गया है कि उसने खवय अपने पराक्रम से^५ महाद्युत्प

^१ शांकनु के बड़े भाई देवापि को कोही होने के कारण उत्तराधिकार से बचित किया गया । पुरु के बड़े भाई इसार्ये उपेत्तित हुए कि उहाने अपने पिता को भद्रना धौवन देना अस्वीकार कर दिया था ।

^२ समानिनाय मेदिन्या प्रधाना-रूपिकीपठान्—न तु केक्यराज्ञान जलक वा नराविष । एवया चानपामास पदवार्ही धोष्यत मियम् ।

अधोपविष्टी नृपती उत्तिन् परदबार्दने । तत् प्रविविशु श्रेष्ठा राजानो दोक्षसमता ॥ इससे स्पष्ट है कि राजप के प्रधान व्यक्ति नहीं, करद राजागग बुलाये गये थे । कल्पकचा सक्तरण का पाठ प्रधानान् पृथिवीपति राज नहीं है यह बाद के रखाए से सिद्ध हो जाता है ॥

^३ मजूमदात, कारपोरेट काइफ, पृ० ११२

^४ देखिये जूनागढ़ शिक्षालेख—सदवर्जीभिगम्य रवगाय दलित्ये बुतेन । मानस्य-यायमपेहितु ए प्रहृतिमि क्षम्या कर प्रादिति प० १०, ४ २४८

^५ इवमधिगतमहाद्वयपत्रामा इदामा । जूनागढ़ नि ले

पद प्राप्त किया था तथा उसी में यह भी बर्णन है कि उसने अनेक ग्रामों को औनकर अपने राज्य में मिला दिया था। अत ग्रामस्थितिकार की—ऐसे प्रथिद निवेता का प्रजा के निर्वाचन के बड़ पर राजपद प्राप्त करने की बात ऐतिहासिक के बाबाप औपचारिक ही माननी चाहिये। गोपाल ने मात्स्यराज्य का अत बड़के बगाल में सुखवरणा स्थापित की थी, और पालवरण के राज्य की नीव रखी थी अत प्रजा द्वारा निर्वाचन की बात उसकी दिष्टति दृढ़ करने के लिए कही गयी हाँगी। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी पैतृक परपरा द्वारा ही राज्य प्राप्त करते रहे और विसी ने यी जनता द्वारा अपना निवाचन करने की परवाह न की। यह सत्य है कि हर्ष को निवाचन द्वारा राज्य प्राप्त हुआ परन्तु यह ग्राम्य उसका पैतृक यानेश्वर राज्य न था वरन् उसके बहनोंहैं प्रहवर्मी का मौखिरि का कन्तीहरनराज्य था, जिस पर उसे कोई हक न था। प्रहवर्मी की मृत्यु के बाद मौखिरि उिहासन पर खेड़ने योग्य उस घट में बोई न था। इस निए मौखिरि अमात्यों ने अपनी विधवा रानी के भाई को राज्य देना बचित समझा। इस घटना से शात होता है कि राज्य के उत्तराधिकारी न होने पर अमात्य और अव्य ऊंचे अधिकारी मृत राजा के सद्बिष्यों में से विसी सुखोग्य अधिकि को राजा चुनते थे। जातक कथाओं में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं पर इनमें राजा के निर्वाचन की प्रया उिद्द नहीं होती। शिल्पेष, ताम्रपट और साहित्य आयों से भी यही शात होता है कि ६०० ई० पू० से जिन राज्यों का पता चलता है वे सब पैतृक परपरा से ही चलते थे। १२ वीं शताब्दी के इतिहास लेखकों ने तो राजा के निवाचन को कल्पना ही विचित्र प्रतीत होती थी।^१

^१ जवहरशट में करमोर का उत्तराधिकार राज्यवरण समाप्त हुआ तब कमज़बद्दन नामक अधिकि ने अधिहार दृष्टगत कर दिया। परन्तु हुरत अपना राज्याभिषेक कराने के बाबाप उसने ग्राम्यों से राजा का निर्वाचन करने को कहा, उसे आशा थी कि ग्राम्य मुहं ही सुनेंगे। कल्पना इस पर दीका करते हुए कहते हैं कि इससे यहां यूक्तता ही नहीं सकती थी, यह तो ऐसा हो है कि पर इव्य आया हुद मेमामध सुदर्शी को काहे छोटा दे और दूसरे दिव उसपे उपुचापे कि हुम आभोगी या नहीं। अस्तु ग्राम्य रे ६ रोज उक बाद दिवाद ही कहते रह और इस पात्र में द्युर्वमी नामक अधिकि ने राजधानी पर अधिहार कर दिया, पर तो ग्राम्यों ने उसी को राजा उद्योगित किया और येचाहा कमज़बद्दन अपना सा सुह लेकर रह गया। राजकारणी, भाष्मसंग ०३३।

आनुबंधिक राज्यपदोति से सबक शुद्ध वैषानिक थारें भी उल्लेख्य हैं। साधारणत हिंदू परिवार की सप्तसि माहों में विमाक्षित होतो है परतु राज्य अविभाज्य होता था और ऐसे पुनर ही गढ़ी का उत्तराधिकारी होता था। परतु छोटे महीयों को भी प्रादेशिक शासन तथा अन्य उच्च पद दिये जाते थे। बातक कथाओं और इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं।

परतु राज्य लिप्ता प्रबल होती है और कमी-कमी उसी के कारण छोटे भाइ राज्याधिकार प्राप्ति के लिए गृहसुद्ध पर भी उताह हो जाते थे। इतिहास और दैतकथाओं में इसके उदाहरण मिलते हैं, परतु प्राचीन भारत के इतिहास पर स्पष्ट क्विचार करने से ऐसी घटनाएँ अपवाद ही सिद्ध होती हैं। बहुधा जागीर या छोटे राज्यादि देकर छोटे भाइयों को सतुर्द कर दिया जाता था। गुजरात की राष्ट्रकूट और वैगी की चालुक्य राज शालाएँ इसी प्रकार स्थापित हुए थीं।

सुधराज की शिद्धा को बहुत महत्व दिया गया है। राजा में देवत्व मने ही हो पर उसकी शिद्धा की आवश्यकता तो रहती ही है। राजपुत्रों की शिद्धा के लिए विशेष प्रबल होता था यद्यपि उनके सामाज्य विद्यार्थियों के साथ साथ तद्दितिण आदि प्ररक्षात शिद्धा केंद्रों में भी शिद्धा प्राप्त करने के उदाहरण भी मिलते हैं। प्रारम्भिक काल में तो राजपुत्रों के पाट्यक्रम में भी वैद, तीत्वहान आदि को ही प्रमुख स्थान दिया जाता था^१ पर धारे धारे यार्ता और राज नीति ही अध्ययन के मुख्य विषय बन गये^२। कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्याओं को उपर्युक्त विषयों के सिवा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। राज्य कार्य, शास्त्रविद्या और सुद्ध औशल की शिद्धा केशल किताबों से ही नहीं घर प्रत्यक्ष रूप में ही जाती थी। घनुर्देद, रथउचालन और हस्ति विद्या में शिष्यता की सबसे अधिक आवश्यकता थी।^३ शिद्धा पूरी हो जाने पर और व्यस्तता प्राप्त करने पर राजकुमार का सुधराज पद पर आमिरेक होता था।

^१ अथ शास्त्र भा १-२, मनुस्मृति, ० ४३।

^२ कामदक, २-८

^३ भगवान्नार्थात्त्राविधि घनुर्देद च शिष्येत्।

१३३ च कुञ्जरे चैव व्यापारम् कारयेत् सर्वा।

शिष्यपानि शिष्येष्वीन भास्मिष्याविषय वदेत् ॥

इसके बाद उसे शासन कार्य चलाने में जिम्मेदारी के काम दिये जाते थे कि हैं वह अपने पिता की दखलेल में पूरा करता था।

यदि राजा नाभाटिंग होता था तो शासन काय चलाने के लिए शासन परिपद सघटित होती थी । जातकों^१, नाटकों^२ और उत्कीर्ण देखादि से शासन होता है कि राजमाता प्राय इस परिपद की अधिक्ष द्वारा होती थी। शासन कर्ता वश की नयनिका (१५० ई० पू.) और वाकाटक वश की रानी प्रभा वती गुप्ता (३१० ई) ऐसी अनेक रानियाँ प्राचीन मारत में हो गयी हैं जिहोने अपने पुत्रों के वयस्क होने तक सफलता पूर्वक राजकाज का सचालन किया ।

हिंदू विधिनियम में अभ्रातृक पुत्रों को पिता की गदी पर बठन का अधिकार न था । यह बात सत्य है कि मीष्म ने घमण्ड को सजाहदा कि युद्ध में मारे गये राजाओं की गदा पर पुत्र के व्यवाव में पुनियों को भी आतीन करने का अनुमति दी जाय ।^३ परतु साधारण मत इसके प्रतिमूळ था । अधि काश विधान शासनों जियों को राज्य का उत्तराधिकार देने के विरुद्ध थे, उनका विचार था कि अपनी स्वामाधिक दुर्दृतताओं के कारण वे भली माँति राजकाज सचालन करने में असमर्थ हैं ।^४

अत इन्या के अतिरिक्त अन्य उत्तराधिकारी न रहने पर जामाता अपने समुद्र की गदा पर बैठता था । ऐसी अवस्था में उसकी पलो केवल नाममात्र का राना नहीं रहता था किंतु पति के साथ प्रथम राज्य सचालन भी कभी कभी फरती थीं । प्रथम चढ़गुप्त और उसकी उत्तराधिकारीया रानी कुमार देवी की सुख मुदा से इस मत को पुष्टि होती है ।

दक्षिण मारत में विशेषकर चालुस्यों और राष्ट्रकूटों के समय में राजकुमारियों बहुधा उच्च पदों पर नियुक्त थीं जाती थीं । हम यहाँ ऐसे बहुत हो-

१—चतुर्थ भाग पृष्ठ १०५, ४२७, इसमें कहा गया है कि व राजमी के राजा के सासा हो जाने पर प्रजा ने रानी से ही राज्य का भार बहन करने का अनुरोध किया । यहा साधारण प्रया थी, 'भाना राजा न हाति' ।

२—कौशाया के राजा उदयन के शत्रु के हाथ बड़ी हो जाने पर उपर्योग मात्र ने शासन कार्य सचालन किया । प्रतिशादौगवरापण, १ अठ ।

३—कुमारों नास्ति येषां च कायास्तश्रामिषेवय । म भा १२ ३२, ३३

४—दुह व बनाद वर्ष इतिष परिष्याधिका ।

अनवदासं परिष्यो राजा भास चक्रवर्ती । जा०, १ पृ १८८

उदाहरण देंगे । प्रथम अमोघप्रथ की काया और एरगग की पक्षी रेवनिमदि एदातोर नामक घड़े जिने भी शासिका थी (८१० ई०) । दूसरा उदाहरण तृतीय जयविंह की बड़ी बहन अका देवी का है जो १०२२ ई० में किनसुद जिने की शासिका थी । परंतु उत्तर मारत के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते ।

अत मैं हम रानी के पद और अधिकार पर भी इष्टिपात करेंगे । वैदिक काल में उसकी गणना 'रक्षियो' अथात् उच्च अधिकारियों में होती थी परंतु उसके कार्य और अधिकार के विषय में कुछ शात नहीं । विधान शास्त्रों शासन में उसके लिए कोई विशिष्ट कार्य निर्धारित नहीं करते परंतु शासन काय पर उसके व्यक्तित्व और विचारों का प्रभाव योद्धा बहुत अवश्य रहा होगा । दक्षिण मारत में ऐसा अवश्य या क्योंकि कभी कभी रानियों द्वारा भूमिदान का और घड़े प्रातों के राज्यकारमार का उल्लंख मिलता है ।^१ इसक मी पर्याप्त प्रभाव मिलते हैं कि आवश्यकता के समय काम आने के लिए राज्य कुमारियों को शासन-कार्य और युद्ध विद्या की भी धिद्वा दी जाती थी ।

राजा की प्रतिष्ठा और उसके अधिकार

समय के अनुसार राजा की प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिकार में भी अतर रहा है । प्राग्-ऐतिहासिक काल में वह सरदारों की समिति में सबसे यहां सदस्य माना था, वे कभी कभी उसका चुनाव भी औपचारिक या चारताविक रूप में करते थे । राजा के फारों का नियन्त्रण 'हमिते द्वारा होता था जो जनता की सहस्रा थी । उस समय उसकी स्थिति भी दुर्बल थी और अधिकार भी सीमित थे । समयत इस काल में कर या शुल्क भी अनियार्थ न था और नियमित कर के बजाय घड़े घड़े मिश्रपति या युल्पति कमों कभी उसे उपहार या भैर दिया करते थे ।^२ राज्याधिपते के समय राजा पर इद्रदेव सबसे यहां जो अनुग्रह कर सकते थे वह यही था कि उसे प्रजा से बटिग्रहण या नियमित कर बहुन्ने का अधिकार दे दे ।^३

वैदिककाल में भी छोटे-छोटे 'जन' राज्य (tribal states) ही होते थे और जनता की सहस्रा समिति के राज्यकार्य में पात्र अधिकार थे अत राजा की

^१ शास्त्रेकर—पूजीगत थॉक वीमेन, पृष्ठ २४ से ।

^२ पथ शुलको म वियते अद्येत बड़ीदसे । अ से, ३ २० ई

^३ अथा हे इद्र वेष्टीविशो बलिद्वरस्त्रदृ । १०, १०३, ६

उत्ता सर्वरूप न थी। समय कीतने पर जैके जैसे राज्य प्रादेशिक होते गये और उनका विस्तार मी बढ़ता गया, कुलपतियों और विशेषतियों की शक्ति कम होती गयी, समिति के भी अधिकार घटते गये क्योंकि उसकी छेड़क नियमित रूप से, शीघ्र और बारबार न हो सकती थी। इन कारणों से राजा की शक्ति और अधिकारों की वृद्धि होती गयी। शूरवेद में ही 'स्वरात्' (अपने से राज्य करनेवाला) एकार्द् (एकमात्र शासक) अधिराद् (महान् शासक) और समाद् के उल्लेख मिलते हैं।^१ अवश्य ही इनमें से कुछ उपर्युक्त विद्या देवताओं के द्विष्ट प्रयुक्त द्वारा ही पृथ्वी पर मी इनके प्रति रूप रहे होंगे।

धैदिक काल में भी राजा का ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा कम न थी। विभिन्न राजाओं की प्रशंसितियों में उनके वैष्य और समूदि का वर्णन है। समयन वे बड़े बड़े यूथ (गोधन) और विस्तृत भूप्रदेश के स्वामी होते थे और प्रजा से कर या शुल्क भी पाया करते थे जिसका देना कमश अनिवार्य और नियमित हो गया। अथर्ववेद में राजा धनपति, धनता का राजमी और योद्धाओं में अग्रगण्य कहा गया है और प्रार्थना की गयी है कि उसे शक्ति, तेज और साहू पर प्रभुत्व प्राप्त हो^२। एक अनुष्ठान का वैदिक्य यह है कि उसमें ब्राह्मण ज्ञानिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक राजा के द्विष्ट एक एक गाय छोड़ता है^३। इसका यह मान है कि राजा का प्रभुत्व दूर बग पर है। अस्तु उसकी शक्ति उच्चोच्चर व्यापक होती जा रही थी। उसके कोष का आतंक भी अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था।^४

राजा का समसे बड़ा फर्तंय मह था कि वह अपनी प्रजा को आतंकिक अशोति और बाहरी शत्रु के आकमण से रक्षा करे^५। वह नियम और व्यवस्था, परपरा और रुदियों का सरदक था (भृतप्रत) व राजधानी में वह यायात्रन पर बैठकर गमीर अभियांत्रों का स्वयं विचार करता था^६। यद्यपि छोटे मोटे प्रामन्यों का फैसला देहर्ता में पचायतों में ही होता था। वह

^१ २ ३८ १, ७३७, ३, २० १२७७, १२८ १४

^२ ४ २२

^३ ती स, १ द १६; ती ग्रा, १ ७१०

^४ अन्यथ राजाभियाह मन्त्रु। अ वे, ३ ४०, २

^५ गोपा जनस्थ। अ वे, ३ ४३५, १

^६ दसमादाजन्येनाभ्युप्तेन वैश्य इति। का स, २८ ४

अपने राज्यकर्मचारियों की सहायता से शासन करता था, इन कर्मचारियों में सेनापति, आमणी संग्रहीता और सूत प्रमुख थे। अतिम तीन अधिकारियों के कार्य का ठीक पता नहीं है।

राजा का देवत्व

यह बात ध्यान योग्य है कि राजा के देवत्व की भावना जो इसी वी पहली सहस्राब्दी में इतनी सवभाय थी, वैदिक काल में बतमान न थी। उस काल में राजा का पद पूर्णत सौकिक था। साधानिक हित के लिए अथवा राष्ट्र और जनका अरिष्ट दूर करने के लिए होने वाले किसी पश्चादि का सचालन राजा के खामों में शामिल नहीं था।

ऋग्येद में केवल एक ही राजा पुष्कुत्स को अर्च-देव का विशेषण दिया गया है (४ ४२९९) अथव वेद में भी व्यल एक ही देव और एक उचर कालीन व्यक्ति में ही राजा पर्यादित मर्त्या में देवता कहे गये हैं (यो देया मर्त्यान् अधि २० १२७७) इन शब्दों से यह नहीं चिह्न होता कि उस युग में देवत्व की भावना यान्य थी। पुष्कुत्स को अर्चदेव समवत् इस फारण कहा गया है कि उनकी विधवा मा ने उन्हें इद और यज्ञ के विशेष प्रसाद से प्राप्त किया था। विद्युत्त्वामें परीक्षित को मर्त्यों में देव का उपाधि दी गयी है घट उनकी प्रशस्ता करने के लिए ही रखी गयी थी। वैदिक वाद्यमय में अय किसी भी राजा को यह उपाधि नहीं दी गयी, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा में देवत्व की क्षमता कुछ राजा द्वारा उपर्युक्त दर्शकारियों के हो महित्र में सिद्धित थी।

धार्मिक विधि और विचारों के उच्चोत्तर बढ़नेवाले प्रभाव से मानव काल में ऐसा चातावरण बनने लगा था जिसमें राजा के देवत्व की भावना पनप सकती थी। युद्ध में विजय इद्रदेव की छपा था परन्तु कहा जाता था, और इद को उपाधिय मी राजा को घोर धीरे लगायी जाने लगे। राजा भिषक के समय पुरोहित कहते थे कि भगवान् सविता क आदर्श पर ही अभियेक किया जाता है और यह अभियेक मनुष्य के दार्थ से नहीं बरन् मनुष्यन् पूर्पन् और अशिवनी कुमारों द्वारा होता है। ऐसा माना जाता था कि अभियेक के समय राजा के शरीर में अग्नि, उषिता और वृद्धस्ति देवता प्रवेश करते हैं। अश्वमेष और वाजपेय यज्ञ द्वारा राजा को देवता था पद मृत्यु ॥

देवत्व की कल्पना का उद्भव

दशा प्रात होता है यह मी चारा थी । बहुषब्दक प्रजा एक राजा की आण
पालन कर्यों करती है इसका कारण कुछ लोगों के मर में यही या कि राजा
देवाधिदेव प्रजापति वा प्रत्यक्ष प्रतीक था । नाशग व्यपने को भूतेव कहकर
अपने निए देवत्व का दावा कर रहे थे अतः वे राजा को मी उभु कैसे विचित
रत सकते थे, क्योंक वही तो उनके विनेपापितारों का सरदक था ।
इन परिस्थितियों और कारणों से उच्चर वैदिक धारा में ऐसा वाचावरण उत्पन्न
हो गया या जो राजा के देवत्व की मावना के विकास के लिए अत्यधिक अत्यन्त
या । इसी पहली शताब्दी में कुशाण राज्य की स्थापना से इस मावना को
और मी बड़ मिला । चीनों परपरा से प्रमाणित होने के कारण इस वर्ष क
राजा 'दधपुश' होने का दावा करते थे और अपनी मुद्राओं पर अपने को दबो
र्योति म आशृत बादलों से अवतरित होते हुए अविकृत कराते थे । कुशाण
संघों ने अपने पूर्वजों के मंदिर मी बनवाउ जिनमें उनकी प्रतिमाएँ देव क
उमान पूजी जाती थीं ।

कुछ स्मृतियों और पुराणों न स्पष्ट रूप से राजा के देवत्व का दावा मान
किया है । मनु कहते हैं कि राजा नर रूप में महान् देवता है । महा ने व्याठों
दियावों के दिग्माणों के शरीर का अग्न लेकर उसके शरीर का निमाग किया
है ।^१ विष्णु पुराण और मागवत में कहा गया है कि राजा के शरीर में अनेक
देवता निवास करते हैं^२ । मागवत में तो वह मी दिल्ला है कि सब इथन राजा
वेग के शरीर में विष्णु के शरीर के नामा लाभन मी विद्यमान थे । राजा को

^१ य प मा १२ २ ४, ३ । से मा, १८ ३० १० ।

^२ पृष्ठ वै प्रजापते प्रत्यष्टवमो यदावन्य । वस्मादेक उत्तर वहनामोट ।

^३ य मा, ५ १२ १४

कौटुम्बांग वौक वौहूस इन दी पञ्चाव ग्यूविष्म, भाग १, चित्र १

पस्मादेपा भुरेदागां मात्रामिनिमितो मृत ।

वस्मादमिदयेष सवमूतनि सेवता ॥ मनु ८-८

अदा बनादनो ददो इदो वायुयंमा रवि ।

इत्युग्रवद्या घाता पृथग भूमिनिगाढ़ा ।

एते चान्ते च ये देवा शाशानुमद्वारिष्य ।

दृपदेवे गरीरस्या सरदेवमयो दृष्टा । विष्णु ५०, १३ १४

जातो नारायणं देवं पृथुराष्ट्र विदोश्वरा ।

वेष्ट्य दिव्य इत्ते इदा चिह्न गदामृत ।

तृपत्र

४८

देवता मानने की परपरा ही रूपाधित हो गयी थी, परवर्ती काल में बोहद होगा भी राजा को समुत्तेव कहते थे। इस पदबी का सबत यह है कि राजा का देवत जनता को सम्मत है।)

अस्तु, कुछ स्मृतियों और पुराणों में राजा के देवत की कल्पना स्वीकार की गयी है। परंतु उके ईश्वर का छाता अवतार बहुत थाके ही स्मृतियों ने माना है। अधिकाध स्मृतियों और पुराणों में वेष्टल राजा और देवताओं के पार्थ्य की समता का ही उल्लेख और वर्णन किया गया है। महाभारत (१२ ६७ ४०) नारद स्मृति (१० २६) शुक्लीति (सृष्ट ७३) और मरस्य (अ २२६) माकाण्ड्य (२७, २१) अग्नि (२२५-२६) पदम् (सृष्टि ३०, ४५) और वृहदर्म (उत्तर यड ३८) पुराणों में बताया गया है कि राजा अपने तेज से दुर्घोष की स्मृत कर देता है अत वह अग्नि के समान है, वह अपने चरों द्वारा सब कुछ देख लेता है अत वह यम के समान है, और योग्य यज्ञियों को प्रचुर उचित दण्ड देता है अत वह कुन्त्रेर के त्रुत्य है। अस्तु, अधिकाध प्रथमर राजा और देवताओं के विभिन्न कार्यों की समता पर ही जोर दते हैं। ये अनेक बार

पादयोरविद च तर्हं मेने हरे कामः ।

भाग ४ १३, २३, देविये वायु, ५३ ७२

१ कुरुते पश्च रूपाधिकार्ययुक्तानि प सदा ।
भवत्यग्निस्तप्यादिन्यो मृत्युंवधवगो यम ॥ ४१ ॥
यदा द्यासीदत् पापा-दहस्युमेष्य तेजपा ।
मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पापक ॥ ४२ ॥
यदा पश्य च चारेण सवभवति भवति भूमिय ।
क्षेम च कृत्वा व्रजति तदा भवति भास्त्रा ॥ ४३ ॥
अग्न्युचीय पश्चात्युद्द विनोति त्रृतयो नरान् ।
सपुत्रवीत्रा सामायोत्तदा भवति सोऽउद्ग ॥ ४४ ॥
यदा एवपार्मिकासवा ताद्योदैतियर्थति ।
पामिकाश्चतुर्वृद्धति भवत्यय यमस्तदा ॥ ४५ ॥
यदा तु यनपारानिस्तप्ययुक्तानिय ।
तदा वैधवयो राजा खोके भवति भूमिय ॥ ४६ ॥

म० ना० १२ ६०

राजा के कामों को देवताओं के कामों से तुलना करते हैं पर यह नहीं कहते कि राजा अय देवता है।

इस प्रकार हिंदू धर्मधारों ने राज्यपद को देवा बताया है न कि किसी गवर्नर्कि को। यूरोप में राजा के देवता का सिद्धांत सुन्नत निरकुण्य राज्यपद के समर्थन के लिए हा प्रतिपादित किया गया था। प्राचीन भारत में एक मात्र नारद ही ऐसे ग्रन्थकार हैं जिन्होंने यह कहने अ ग्रन्थ किया कि दृष्ट राजा पर भी प्रदार करना पाप है क्योंकि उसमें देवता का अर्थ है।^१ परन्तु दूसरे किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। दृष्ट राजा देवा ने अपने देवता की दुर्दार देवता दृष्ट स बचना चाहा पर कुद शृङ्खियों ने उसकी एक न कुनी और उस वर्काट मार डाला। यह भी घान में रखना चाहिये कि प्राचीन भारत में बबल अस्ते और भार्मिक राजा ही देवतान्य माने जाते थे। पोप मिगेरो के इस दृष्ट और दुर्गाचारी राजा तो राज्यावलार माने जाते थे^२। पोप मिगेरो के इस स परमात्मा के सिद्धांत नहीं थे कि दृष्ट राजा भी देवता का अर्थ होने के देवता के पूर्ण समर्थक मतु भी कहते हैं कि धर्म स विचारित होने पर राजा का नाश हो जाता है^३। वे यह भी कहते हैं कि देवता का अय यह नहीं है कहने की आशका अधिक है (७४२) क्योंकि उसके दामने श्लोमन भी यहे रहते हैं अत उस सबसा काम कोष और लोम द्वय तुहायों स बचने की सावधानापूर्वक चेष्टा करते रखना चाहिये। धूत खुशामदियों की सुविधियों स मवारित होकर अपने को अविमानुष समझनेवाले राजा गग किस प्रकार धग्धार के पात्र होते हैं इसका वर्णन बागमट ने मन्त्रीमांति धर किया है^४।

१ राजनि प्रदरेषस्तु इत्ताग्रस्यवि दुमति ।

२ रुद्रे उभानी दिष्पचैद्र महाद्यागताविक्रम ॥ १८ ३१

गुणित्तास्तु दो राता स नेदो देवर्त्तिक ।

विपरातस्तु रजोऽन सय नरकमात्रन ॥ शृङ्क । ८७

३ ददा दि तुमहस्तेना द्वपरश्चाहतामिनि ।

पर्माद्विविष्ट ददा तुमसेव सदा वदम् ॥ मतु, ७ १८

मवारगुडा-ऐपैर्तं भमानुपलाकविवामि सुविभि मठादमागा मामन्दा-रापितालीकमिमाना मामधर्माग्निवि दिव्यांगावतोलमिव सदैवउमिवाति

वृपतं

६०

न्लेक्स्टोन का यह मत कि राजा के कायों में ही नहीं कितु विचारों में
मी दोप या गलतियाँ नहीं हो सकती है प्राचीन मारतीय विचारकों को
अनुमत नहीं था। इसके विपरीत ये तो यह मानते थे कि साधारण जन का
बपेदा राजा के कर्तव्यसुत दोनों की आशका अधिक है। राजा के देवत्व का
यह अर्थ भी नहीं माना गया था कि दुष्ट या अनीतिमान् राजा की आशाओं
का भी बिना मीन मेष निश्चले पाठन करना ही जरूरी है। यूरोपीय विचारकों
में विश्व बोस्ट्रुए का मत है कि राजा के पापाचरण करने पर भी प्रजा उसकी
आशापालन के घमन से मुक्त नहीं हो सकती, कालियन कहते हैं कि नीच
राजा की आशा भी सदैव शिरोधार्य मानना चाहिये। प्राचीन मारत के
विचारकों का मत इसके विवर है कि ऐसा राजा साहात्
राजापूर्व है और प्रजा को उसके विवर विद्रोह करने का पूरा अधिकार है।
इगलैंड के राजा प्रथम जेम्स का यह मत प्राचीन मारत में माय नहीं था
कि प्रजा कदापि राजा को दड़ देने की अधिकारिती नहीं हो सकती क्योंकि
राजा का अधिकार प्रधा को दड़ देना है न प्रजा का राजा को, प्रजा की सूषित
ही राजा के आशापालन के लिए हुआ है। अत विलोबी का यह कथन मारत
पर नहीं लागू होता कि 'प्राचीन बाल क सभी एशियाई राज्यों में राजा प्रजा
ची चपद के उनका यह दावा स्वीकार कर लेती थी'।

यह विषय समाप्त करने के पूर्व हम राजा के 'देवत्व' के विषय में अन्य
प्राचीन देशों में प्रचलित विचारों पर दृष्टिपात करेंगे। प्राचीन मिश्र में राजा
या 'पायओ' 'रा' (सूर्य) देवता का पुत्र माना जाता था। यावज्ञनिक यह
का सचारन और देवता से किसी वात की याचना करने का अधिकार देखत
उठे ही था। प्राचीन चैविलीनिया और असीरिया में भी राजा इश्वर के
प्रतिनिधि माने जाते थे और देवताओं की मौति पूजा के माजन होते थे। देवताओं
प्राचीन ग्रीष्म में भी राजा देवाधिक्रेत्र इश्वर के यथा माने जाते थे। १० ई० के बाद प्राचीन
की इच्छा जानने वी भी यक्ति बहुत उँहीं में थी। १० ई० के बाद प्राचीन

(५६ पृष्ठ से)

मालुपमारायानमुत्पेक्षमात्या प्रारब्धदिप्योवितवेणातुमश व्यजगत्प्रोपदा
स्यतासुप्रयोग्यति । बाददी शुक्रनासोरदेव
लेचा भौक स्त्रेय, पृ० ५२-३

रोम के सम्मान मरणे के बाद देवता शोधित कर दिये जाते थे और उनकी पूजा के लिए मंदिर मी बनाये जाते थे। १७ थीं और १८ थीं उदी के यूरोपीय विचारकों के मत का उपर उल्लेख हो ही चुका है।

राजा के सम्बन्ध की अन्य धारणाएँ

अब तक हमने राजा के देवत्व सम्बन्धी धारणाओं का विवेचन किया है। राजा का पद का महत्व ठीक ठीक समझने के लिए उसके संघर्ष में प्रचलित अन्य धारणाओं पर भी विचार आवश्यक है।

✓ वैदिक काल से ही राजा धर्म का रक्षक पोषक और समर्थक समझा जाता रहा है। वैदिक काल के राजा का आदर्श सूत्र और धर्म को रक्षा करनेवाले धृत यत वहन देव थे। राजा के बल लाक्षणिक रूप में देवताशी था। मगर विधिविनियम शाहाद देवदत्त माने जाते थे और यह अनिवार्य था कि राजा उनका पालन करे। राजन्य संवर्सेग धर्माविषिट है धर्म से बढ़कर कुछ दूसरों चीज़ नहीं है लेकिं धर्म का पालन राजा का नियम और आवश्यक पर्याप्त है। ३/संघार के सर्वे प्रथम राजा वेग का यह प्रतीक करनी पड़ा थी कि श्रुतिसूत्रियों में जो धर्म कहा गया है मैं उसका पूरा पालन करूँगा और कदापि मनमानी न करूँगा^१। राजा का उच्चरदायित्व बहुत बढ़ा था। वह प्रजा का नेता था और प्रजा उसका अतुरुगमन करती थी अत उसका आचरण आदर्श होना चाहिने। प्रजा के रोग शोर और कष्ट का कारण राजा का कर्त्तव्यसुत होना ही समझा जाता था। एक ललतक कहता है यदि राजा अ-याती ही जाय तो शस्त्र और नमकी अपना स्वाद खो देते हैं^२। जातकों में इस विषय पर जनता के मत को अभियक्षि बहुत अच्छी तरह हुए है। किसान के भैल को इल से चोट लग गयी इसका दाय मी राजा को ही दिया गया, एक ग्वाला दुष गाय द्वारा मारा जाता है इसका दोष मी राजा के मरये। यदों तक कि भूसे कोकी द्वारा कटे जाने पर मेटक भी राजा को ही दोष देते हैं^३। लोगों का विवाद था कि धर्म और सदाचार स ही शुल्क मिलता है और उनकी इदि तभी हो उठती है जब

^१ तदैतरदद्वश्य त्रय धर्मवर्त्तमादमोत्पर नास्ति । ष उ३, १ ४ १४

^२ यशात्र धर्म इत्युक्त धर्मवित्त्वयाध्य ।

^३ तमर्थं करिष्यामि इवत्यो न कदाचन ॥ यमा १२ ४० ११६
आत्म भाग तृतीय, पृ १११ ।

^४ " " परम १०१-१ ।

राजा स्वयं उनके आदेश बने। अत यह स्वामाविक या कि यदि राजा घम पालन नहीं करे तो प्रजा के कठोरी की जिम्मेदारी उस पर रखली जाय।

राजा के सर्वेष में दूसरे महत्वपूर्ण घारगा यह भी थी कि वह प्रजा का सेवक^१ समझा जाता था। एक प्राचीन घम स्वयं लेतरु बौवायन का कथन है कि राजा घास्तव में प्रजा का सेवक है और प्रजा की आयका छठा मास जो कर में दिया जाता है वही उसका वेतन है। नारद भी पर को राजा द्वारा प्रजा की रक्षा का पारिग्रामिक कहते हैं। अपराह्न कहते हैं कि बिना प्रयोजन कोइ भी किसी को कुछ नहीं देता अत राजा से अपनी रक्षा की आशा में ही प्रजा उसे कर देती है^२। यत प्रजा राजा को भरपूर वेतन देती है अत उसे भी स्वयं और दात की माँति उसकी सेवा करनी चाहिये^३।

राजपद को याती (trustee) समझने की घारणा भी प्राचीन भारत में वर्तमान थी। राजा को स्वाप्त तरह से चेता दिया जाता था कि राजकीय उसकी निजी स्पति न यो गतिक जनता की याती थी और विश्वस्त के नाते ही वह उसका उपयोग देवल सावजनिक हित के लिए कर सकता था। यदि राजा सावजनिक घन का दुष्प्रयोग कर और उस अपने निजी काम में हगाये तो वह नरक का भागी होता है^४।

कुछ राज्य राजियों के मत में तो राजा का काम विश्वस्त या यातोदार के काम से भी कठिन और दुष्व होता है। विश्वस्त का कर्तव्य यह है कि वह अपने सुपुद काय ठोक तरह से करे। यदि वह अच्छी देखरेत करता है और उसके किसी प्रकार का यक्षिगत लाभ नहीं उठाता तो उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। विश्वस्त के नाते इत्यध पालन करने में उसके स्वार्थत्याग की

१ पद्मामृतो राजा रसेष्प्रजाम्। यो ध स. १ १० ३

२ सर्वे इ धन प्रय॑ एत्यामासमवायि प्रयोजनमुद्दिष्टि । न च करदानस्य स्वगुणेर॑ यत्प्रयाजनमस्ति । तस्माद्वामादानेन प्रजापादा विधेयमिति सिद्धम् ॥ या स्त १३६ पर टीका

३ सर्वत फलभुग्मूला दातय द्यातु इष्येऽयुक्तः युक्तः ४ २ १२० १

४ वृष्टप्रजारवद्यायं धनीय कोपसम्भद ।

पात्रेऽ सुखदो नृपस्याम्यद्यु दुष्वद् ॥

बोपुश्याय इत्योपदेश स्वोप्मोगाय केवदम् ।

नरकावैद स चेष्यो न परम सुखपद ॥ युक्तः ४ २ १२० १

अरेक्षा नहीं की जाती। पर आदर्श राजा का स्वायत्त्याग भी कठव्य है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री अपने उद्दरस्य गिरु को हानि पहुँचाने की आशका से अपनी इच्छाओं का दमन और सुखों का स्थाग करती है उसी प्रकार राजा जो भी अपनी प्रजा के मले के सामने अपने मूल सुविधा और इच्छाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए^१।

अनु इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय शासकार आदर्श राजा उसे ही मानते थे लो अपना बीघन प्रजा पालन के लिए न्योटोवार कर दे। परन्तु मनुष्य स्वभावत दुर्बल है और औपचार्य दर्जे के राजा से इस उच्च आदर्श के साथोपाय निवाह की आशा हमेशा नहीं की जा सकती। अभी देखना यह है कि स्वागताचारी राजा की मनमानों से प्रजा की रक्षा का कोइ उपाय किया गया या या नहीं। राजा की शक्ति का निरक्षण न होने देने के लिए उपर बुउ रोक की व्यवस्था यी या नहीं।

प्रारम्भ में ही यह स्वीकार कर लेना अच्छा होगा कि प्राचीन भारतीय विचारकों द्वाया राजधानी पर आधुनिक स्वरूप के कोइ वैधानिक रोक लगाने को समर्था नहीं की गयी थी। समवत् वैदिक काल की लोकसभा या समिति द्वारा राजा को शक्ति पर रोक रखती थी, कुछ वैदिक उदारणों से पता चलता है कि समिति के प्रतिदूर होनेपर राजा का अपने पद पर कायम रहना कठिन हो जाता था। पर कमज़ो उमिति की शक्ति कम होता गयी, ५०० ई० पू० तक यह उत्तराय हो गयी और उसके स्पान पर दूसरा किसी लोकप्रिय संस्था का भी स्थापना न हो उठी। राजा को अपने व्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियम मग करा पर उह देन का प्रधिकार था, यदि राजा अपने अधिकार का दुरुपयोग करने पर उत्तारु हो जाय तो उस रोकनेवाली समिति या सभा जैसी कोइ लोकप्रिय संस्था भी न थी। साधारणत अमारथ मठन राजा पर अनुच्छ रखता था पर अपात्य का पद राजा की ही इच्छा पर निमर था अत उनमत की परवाह न करनेवाल निरक्षण या रेष्णाचारी राजा की रोक दाक फरता उनकी सावर्ण्य से परे था।

साय ही यह भी न भूलना चाहिये कि पालमेट या प्रतिनिधि समा राज पाल का सच दने से इनकार करक राजा की चाहिया का जिस प्रकार वैधानिक नियत्यग करती है, यह उपाय भी आधुनिक काल की ही घटना है। प्राचीन

^१ निष्ठ इच्छा तथा मायथ गमिष्यो सहस्रमिष्यो।

यथा इव सुशमुसृष्टप गर्भस्य सुरभावद् ॥ अग्निपुराण, २२२-८।

यूरोप में भी यह अहात था। अत्याचारी राजा का विचार करनेवाला यापाह्य प्राचीन भारत में ही नहीं यूरोप में भी उत्समान था। अत प्राचीन मारकीय ये उपाय तो न निकाल सके पर जो उपाय उहोंने निकाले वे भी साधारणत कम उपल न थे।

प्राचीन भारत में धार्मिक और पारम्परिक दबो था यहा दर था और इसारे विषान शास्त्रियों ने राजा की शक्ति पर अकुश उगाने के लिए इस भावना का पूरा उपयोग किया है। उसी शास्त्रकारों ने एकमत स कहा है कि प्रजा का पीड़न और सार्वजनिक घन का अपव्यय करनेवाला राजा बोर पाप करता है और निश्चय नरक का भागी होता है। नरक का भय कैसा भयानक होता था इसकी कल्पना आधुनिक यात्रा में करता कठिन है।

राजा का पद लोग कुछ हद तक दिव्य मानते थे पर विधि नियम और रुटियों को उससे भी अधिक दिव्य उमस्तते थे। राज्याभियेक के समय राजा को उनके पालन करने की प्रतिशा करनी पड़ती थी और उनमें परिवर्तन करने का उसे अधिकार न था।

समुचित स्तर और शिद्धा क अभाव स ही राजाओं में असर स्वेच्छा चार और निरकुशता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अत बाल्या और किशोरा यथा में राष्ट्रकुमार की शिद्धा और स्तकार की व्यवस्था करने पर शास्त्रकारों ने बहुत ध्यान दिया है। बड़े ही अभावकर शब्दों में वे कहते हैं कि राजा की विनयी, शोत, सदाचारी और धार्मिक होना चाहिये, उसे वारी में मधुर, व्यवहार में शिष्ट, गुह्यकों की अस्थिरता में उत्सुक, सत्त्वगति का प्रेमी और होकमत का ध्यान रखनेवाला होना चाहिये, उसे रण विद्या और शालनकला में निपुण होना चाहिये। शिद्धा और स्तकार द्वारा उपर्युक्त गुणों का धीमारोपण नियम राजा में किया जा चुका है पर कहाँपि अपने कर्तव्य का उल्लंघन करनेवाला और प्रजा का पीड़न करनेवाला नहीं हो सकता।

परन्तु यदि राजा को उपर्युक्त शिद्धा न मिले अथवा शिद्धा द्वारा भी उसकी दुष्प्रकृति का शमन न हो उके तो। यदि यह लोकमत की परवाह न करे ऐसे शूदों, गुदओं और मन्त्रियों का दपेश का अनादर करें, नरक का भय यो उसके स्वेच्छाचार को न रोक सके, तो प्रजा का क्या कर्तव्य है।

इस पहले ही देख जुके हैं कि इसारे शास्त्रकारों ने अत्याचारी राजा की अक्षमा के पालन का समर्थन नहीं किया है। ये अत्याचार पा प्रतिरोध करना प्रजा का कर्तव्य समझते हैं। पर उहोंने इसका विवेचन नहीं किया है कि

प्रतिरोध क्य उचित है और उसका रूप या उससी सीमाएँ क्या हों। उभय है उ है यह आशका रही हो कि इस विषय पर खुलकर चर्चा करने से अराजकता की उत्पत्ति हो जाएगी।

परंतु हमारे शास्त्रकार एक चाग को भी यह कल्पना नहीं करते कि प्रजा नुपचाप अत्याचार सहन कर रेगा। ये कहते हैं कि जनता अत्याचारी राजा को चेतावनी दे कि यदि तुम अपना व्यवहार नहीं बदलते तो हम तुम्हारा राज्य छोड़ कर दूसरे मुशायित राज्य में चले जायेंगे। उन्हें आशा था कि प्रजा के राज्य त्याग द्वारा कर की हानि के डर से राजा के होश दिकाने भा जायेंगे। पर यदि वह इस पर भी न सुधरे तो प्रजा उसे गढ़ी से उतार कर उसके कुन्न के किसी गुणवान् व्यक्ति को उसके पद पर बिठा दे सकती थी।^१ इतना ही नहीं यदि और वोई उपाय न रह जाय तो महाभारत ने स्पष्ट शब्दों में अत्याचारी राजा के वध की भी अनुमति दी है^२। यह शास्त्र के ग्रंथों में इस प्रकार मारे जानेपाले राजाओं के नाम भी दर्श हैं। ये राजा इनमें से एक या जिसे श्रावियों ने देशत्व की दुष्काट देने पर भी मार दाला। जनता की शोषणिय में भरम होनेवाले राजाओं में नहुण, सुशुप्ति, सुमुख और निमि भी हैं। यह उल्लेखनीय है कि राजा के देशत्व का समर्पन करनेवाले भरु ने भी राजाओं को उपर्युक्त अत्याचारियों के हाणित संघिता लेने की सलाह दी है। जातकों में भी प्रजा द्वारा अत्याचारी राजाओं के वद के अनेक कथाएँ हैं^३।

प्रजा का अत्याचारी राजा के वध का अधिकारी मानने से एष उद्दिष्ट होता है कि प्राचीन शास्त्रकार प्रभुता या सावधीमता का स्रोत जनता को ही मानते थे। पर विशेष के उद्दिष्ट हस्तक्षेप उपयोग का कोई शातिष्य उपाय न था। अत-

१ अधर्षहीलो नृपविद्या त सीपदेवज्ञन ।

अमशीलानिवलवदिष्टोराथयत सदा ॥ शुक्र, ४ १-२ ।

२ गुणनानिवलदूषी कुलभूतोप्यथार्मिङ ।

नृश यदि भवेत्तु र्यजेदातूकिनाशकम् ॥

सारदे तस्य कुञ्ज गुणयुक्त शुरोदित ।

महायनुमत कृत्वा स्पापदात्पगुह्ये ॥ शुक्र, २ १०४-५

३ अरिकार इतार विशेषामनापकम् ।

स वै राजदृष्टि हायु प्रजा भवद्यनिष्ठम् ॥ म च १३ दृ ३५-६

४ देविये 'सर्पहित' और 'दक्षुसङ्ग मानव' शावक ।

इसे वैधानिक अधिकार न कहकर विधायित हो कहना पड़ेगा । यह भी मानगा होगा कि यह उपाय काम में लाना कठिन था ।

अत्याचारी राजा के नियमों का अधिक मुल्य और न्यायहारिक उपाय होना चाहिये था, पर हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि प्राचीनकाल में किसी अत्याचारी राजा को गदी से उतारना या मारना बहुत कठिन भी न था । जातियों में इस प्रकार की शरणाओं के बहुत उल्लेख मिलते हैं । प्राचीन काल में एक और तो स्थायी और येतनमोगी सेवा का भी बहुत रिवाज न था दूसरी और यामों और नगरों में लोकसेनाएँ भी रहती थीं जिनके शहरास्थ राजकीय हथियारों से विसी निम्नकोटि के न होते थे । अत विद्रोह की सफलता की समावना सर्वथा अवधिक न थी । देश में सामतों और सरदारों की भरभार थी इनमें से या राजश के मरियों और उच्चपदाधिकारियों में से अत्याचारी राजा के प्रतिरोध के लिए नेता निकल ही आते थे । मौर्य और शुग वश के अतिम शासनों और राष्ट्रकूट चतुर्थ गोविंद का अत अत्याचार पीड़ित जनता, मत्रियों और शासनों के विद्रोह द्वारा ही हुआ । प्राचीन काल में अत्याचारी राजा के स्थान पर अच्छे शासकों द्वारा जनता के द्विष्ट उत्तरा दुष्कर न था जिसना आजकल है जब राज्य के पास टैक विभान और अणु चम का बह है और जनता को अपने हाथ में अधिक से अधिक लाठी आर तछ्वार का ही सहारा है ।

अतु, राजशाहि के सामाजण प्रतिवर्त, नरक और लोकसत को परवाह न करनेयाले राजा को, न्यायपर्य पर रखने में अवधिक थे । न्यायहारिकता और उपयोगिता की हाइ से वे आधुनिक लोक तत्र और प्राचीन ग्रीक नगरराज्यों के विभान को मी बाहरी त कर सकते थे । पर यह न भूलना चाहिये कि अति प्राचीन वैदिक काल में जब राज्य ग्रीक नगरराज्यों को भाँति छाटे होते थे, उमिति देखी लोकविषय संस्थाएँ राजाओं या उसी प्रकार निमग्न करती थी जैसी कोई आधुनिक प्रतिनिधि दमा कर सकती है । उस काल में राजा के लिए इसे बड़ी कोई विश्विष्ट विस्तृत तो जा सकती थी कि उमिति से उसका विरोध हो जाए । परतु जब राज्य व्यधिकाधिक विस्तृत हो गये तब यातायाती के लल्द और मुल्य शाखों के अमाव से समिति के शमाघदों का एकत्र होना दुष्कर हो गया । इसे यह भी न भूलना चाहिये कि प्रतिनिधि मूलक दोष तत्र की स्थिति, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व केंद्रीय प्रतिनिधि समा द्वारा

होता है, ३०० धर्म से अधिक पुरानी नहीं है। अत प्राचीन ग्रीष्म और रोम की मौति यदि प्राचीन भारत में मी उसका अमाव हो तो कुछ आश्वर्य की मात नहीं है।

यह भी न समझना चाहिये कि प्राचीन भारतीय विचारों ने सब कुछ नरक के भय, लोकभूत के प्रभाव या विद्रोह को समावना पर ही छोड़ दिया था। उन्हींने ग्राम, नगर और प्रादेशिक पचायतों और सभाओं को शासन के व्यापक अधिकार देकर और विविध कार्य संचालित कर शासन के विंशेश्रीकरण का प्रतिपादन मात्र ही नहीं उसे व्यावहारिक रूप से दे दिया था। इन सम्भाओं में जनता का पूरा हाथ रहता था और इनके माध्यम से ही राज्य प्रजा के सर्वर्म में आता था। राजा चाहे नितने ही करता दे पर प्राय वयूली के बर्ब उन्हीं की ही सकती थी जिसे ग्राम-समावयव सुल करने से तैयार होती थी। इन स्थानीय सम्भाओं को न्याय के मी पर्याप्त अधिकार थे जिससे राजा के हाथ से एक और विभाग निकल जाता था को अत्याचार का प्रसुर नाथन बन सकता था। स्थानीय सम्भाओं को अपनी सीमा में उगाहे जानेवाले भूमिकर तथा अन्य करों के पर्याप्त अपरभी अधिकार रहता था, इनका उपयोग जनता को इत्तानुमार सादरनिक हित के कार्यों में किया जाता था। गांधि के अधिकारी भी अधिकतर राज्य से तनावाह लेनेवाले कमचारी न थे, प्राय उनका पद और अधिकार भानुवेशिक होता था। केंद्रीय सत्रा से सधर उपस्थित होने पर ये स्थानीय सम्भाका ही साय प्राय देते थे। अख्तु, ग्राम और नगर सम्भाएँ बहुत में छोटे छाटे प्रचारत्र ही थे जिनमें जनता की हो बल्ती थी। अत अत्याचारी राजा का शासन साधारणत राज गानों के परे न बल पाता था।

आतु राजा की शक्ति पर सबकुछ ही रोक प्राचीन भारत में प्रचलित व्यापक विंशेश्रीकरण की हो थी। आधुनिक पकार के प्रतिवध इसलिए न लगाये जा सके कि प्रतिनिधि तप्र की बल्यना ।६ वों शताब्दी क पहले पूर्व और पश्चिम दोनों में व्यक्त थी।

अध्याय ६

मणिराज्य या प्रजातत्र

पिछे के अध्याय में हमने नृपतत्र का विवेचन किया है अब हम राज्य के दूसरे प्रकारों का जिल्हे द्वाकातत्र गणतत्र और उच्चगतत्र या अभिजनतत्र आदि आते हैं विवेचन करेंगे।

कुछ लेखकों का मत है कि माचीन भारत में वेल रूपतत्र का ही प्रचलन था, जिन राज्यों का प्रजातत्र हमहा जाता है, वे वास्तव में जन राज्य या शाति राज्य थे। इस मत के अनुसार मालव गा और योदेय गग का अर्थ मालव और योदेय प्रजा तत्र नहीं बरन मालव और योदेय (शाति राज्य है)। परन्तु यह मत ठीक नहीं है यदि हम मान मो ले कि मालव और योदेय गग या शातियाँ थीं तो भी इह जात के पर्यात प्रमाण है कि इनकी राज्य + यवस्था प्रजातत्रासमक्ष थीं। यह निर्विवाद विद्ध है कि गग का अर्थ एक विशिष्ट राज्य व्यवस्था है जो नृपतत्र से नितान भिन्न है। मध्यदेश के कुछ व्यापारियों से दक्षिण के एक राजा ने पूछा कि आपके देश में जौन राजा राज्य करते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम में गग तत्र की व्यवस्था है। एक जैन प्रथा में राज्य है पर औरों के देश में गग तत्र की व्यवस्था है। एक जैन प्रथा में का राज्य है कि जैन साधु ऐसे देश में जायें जहाँ राजा न हो, या जहाँ मुख्यराज का राज्य हो या जहाँ आपस में लड़नेवाले दो राजा भी (द्वेराज्य) पा राज्य हो या जहाँ गणराज्य हो^१। इन दो उत्तरदालों के स्पष्ट हैं (कि गग का एक निश्चित वैयानिक अर्थ है और इसे ऐसे राज्य का योग होता है जहाँ अधिकार एक व्यादी के हाथ में न रोकर गग अपवा अनेक यतियों के

^१ देव विद्युता गगाचीना वेचिद्वाजापीता । अवदानशतक, २ पृ १०३

^२ भ्राष्टपि वा गणरायणि वा शुष्करायणि वा दोरजायणि वा योउक्षयि वा विद्युत्प्रायणि वा । भाषारम सत्र, २ ३ १ १०१

हाथ में होता था। ठीक इसी अर्थ में 'सब' शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। अत जब सैकड़ों मुद्राएँ हमारे सामने हैं जिन पर क्योंटे लेखों में यौवेय मान्व और अनुनायन राजाओं का नहीं बरन उनके गण का डल्टेल है तो उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उन ग्रन्थों तात्पर्य ज्ञन या शांति से नहीं बरन् गण या लोकतन्त्र राज्य-व्यवस्था से है निचकी और स उन मुद्राएँ बारी की गयी थीं।

मुद्रा लेखों और पारिमापिक शब्दों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में राज्यतन्त्र से मिस्र प्रकार के प्रजातंत्रों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये हमारे पास सम सामयिक यूनानी लेखकों के विषयरणों का बहुमूल्य प्रमाण भी है। कुछ लोग इन प्रमाणों को उद्दिष्ट समझते हैं^१ ये कहते हैं कि यूनानी इतिहासकारों ने जबरदस्ती भारतीय राज्य व्यवस्था को अपने दृश्य में प्रचलित व्यवस्था से मिठाने की चेष्टा की है। यह तक विचित्र है। प्राचीन यूनान में जितनी राजनीतिक सिद्धों और मूलतत्वों की चर्चा और विवेचन और शासन व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण हुआ था उतना व्याप्र कहीं नहीं हुआ था। यूनानी इतिहास लेखकों ने प्राचीन भारत में शूपत्र और अनुक प्रकार के प्रजातन दोनों देखे थे। वे स्वयं लोकतन्त्र के समर्थक थे और कोइ कारण नहीं कि वे भ्रूठ-भूठ अपने शत्रुओं में ऐसा राज्यव्यवस्था का अस्तित्व सिद्ध करना चाह जिन्हे अपने गौरव का विषय मानते थे। उनके लियों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि उन्होंने मिस्र प्रकार के राज्यों की विमिलता का बही सूझता से अध्ययन किया था। आमों और पुढ़ दानों रिक्तदर के समकालीन राज्यों, यूनानी लेखकों का कथन है कि वह पुरुष ने रिक्तदर की अच्छीता स्वीकार कर ली तो रिक्तदर ने अपना धीता हुआ बहुत बड़ा भूमिमाण उसको प्रदान कर दिया, यूनानी इतिहासकार बड़े सावधानी से कहते हैं कि उस प्रदेश में प्रजातन्त्रमुक्त राज्य-व्यवस्था थी^२। यूनानी लेखकों ने दिला है कि यासा के नगर राज्य में उच्चतर गति प्रचलित था^३। ये व्यागे जाकर कहते हैं कि सबक नामन प्रबन्ध भारतीय शांति में प्रजातन था, नृपत्व नहीं। यास नदी के पूर्व एक शवितशाला राज्य व्यवस्थित था जिसका शासन

^१ वेगोपसाद, स्ट्रेंग। १६८-६। मैक बिंडल, अलेंड्रोन्स इवा वेजन,

^२ पृ १०८-९ वही पृ म। १-वही पृ २८२, ४-पृ १३१

उच्चवग के हाथ में या जो जनता पर न्याय से और सौमित्रा से शासन करता या सिधु नदी की धाटी में बहुत से प्रजातंत्रीय राज्य थे मगर उनका वर्णन करने पर यूनानी इतिहासकार जो बहा इनेगिने नृपतंत्रात्मक राज्य थे उक्ता उल्लेख करना नहीं भूले हैं। वे लिखते हैं कि मुसिक राज्य पर एक राजा का राज्य है और पाटल में भिन्न कुल के दो राजाओं का राज्य है जो लोक समिति की बलाद एक साथ राज्य करते हैं। जब हम देखते हैं कि यूनानी लेखकों ने शासन पद्धति और राज्यव्यवस्था की विभिन्नता का किस शहमता से बर्णन किया है तब हमें उनके बगनों की प्रामाणिकता स्वीकार करनी ही पड़ती है और यह विचित्र तर्क अत्यधिकार करना पड़ता है कि उन्होंने केवल यूनान से समता दिखाने के लिए अपने मन से भारत में प्रजातंत्र राज्यों का बर्णन दिया है। मैक्किन्ल का यह मत भी निष्पार है कि यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित प्रजातंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में ग्राम उत्थाएँ थीं^१ यूनानी लेखकों ने तो ग्राम जीवन या ग्राम शासन का उल्लेख भी नहीं किया है। पिक का यह मत है कि ग्रीक लेखकों द्वारा वर्णित प्रजातंत्र या स्वयं शासित राज्य छोटी छोटी रियासतें या एक दुक्हे के नगर ये जो मगध जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के अड्डात् पड़ोस में रहते हुए और किसी द्वारा अपनी स्वायत्तता को बनाये रख सके थे^२। परन्तु यह मत भी ठीक नहीं है। एक तो बिकदर के समय में पजाब में कोइ बहा साम्राज्य भी न था दूसरे उस समय के प्रजातंत्रात्मक राज्य राजाओं द्वारा इष्टित राज्यों से फर्ही अधिक विस्तृत और शान्तिवाली थे।

अभी तक हमने इन राज्यों के लिए प्रजातंत्र शब्द का सामान्य प्रयोग किया है। अब हमें इनका प्रवृत्त स्वरूप निरिचत करना है। कुछ लेखक इनकी शासनव्यवस्था को वेष्ट शान्ति या जन को पचायत बताते हैं कुछ दूसरे उक्तों उच्चानन्दन समझते हैं, कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो इनमें विषुद्ध प्रजातंत्र देखते हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द इनके विषान का ठोक ठीक बर्णन कर सकता है।

कुछ लेखकों का कहना है कि इन राज्यों को प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहना ठीक नहीं क्योंकि इनमें सारे अधिकार धारारण जनता के हाथ में नहीं बर्तने एक छोटे से उच्च पग के लोगों के हाथों में ही रहते थे। इस जानते हैं कि यौधिकों में शासन दरम ५००० वर्तियों की पारियद के हाथ में या जिनमें स

११ मैक्किन्ल, पृ ११२

२ किंह, सोशल करिंस इन दि नाय इस्टर्न इंडिया, पृ १५७

प्रत्येक क लिए राय को एक हाथी देना चाहती था ।^१ अस्तु, वह स्पष्ट है कि इस राजवंश का शासक अमीर या उच्च वर्ग के सदस्य ही होते थे जिनमें एक एक हाथी दे सकने का शामर्थ्य था, जन साधारण का राज्य के शासन में कोई हाथ न था । शास्त्रों और कौलिया के राय में भी यही स्थिति थी । उमस्त जनता के लोकन संघनिष्ठ सबध रखनेवाल उधि विप्रह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न का नियम भी योद्धे से शास्त्र और कौलिय राजाओं वर्षात् सरदारों के हाथ था । साधारण किसान और मजदूरों का काम ऐसल अधिकारी वर्ग के निश्चय को मानना और पूरा करना था ।

इसमें सदैह नहीं है कि आबकन प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो अथ है उस अर्थ में तो प्राचीन मारत के यौधेय, शास्त्र भालव और लिङ्गुवि गण राय लोकतंत्र नहीं कहे जा सकते । आधुनिक काल के अधिकार उन्नतिशील लोकतंत्र रायों का भाँति प्राचीन भारत के इन गण-रायों में शासन की बागदार सामाजिक जनता के हाथ में नहीं थी । पर भी हम इहें प्रजातंत्र या गणतंत्र कह सकते हैं । राजनीति के प्रमाणभूत ग्रंथों के अनुसार प्रब्रातंत्र राय वह है जिसमें सर्वोच्च शासन अधिकार राजतंत्र की भाँति एक व्यक्ति के हाथों में न होकर एक समूह गण या परिषद के हाथ द्वा जिसके सदस्यों की संख्या ज्ञाहे कम हो या अधिक । इस प्रकार सरकारतंत्र उच्चननतंत्र और प्रब्रातंत्र सभी लोकतंत्र का घेगी में आते हैं । इसी प्रकार प्राचीन रोम, एरेष्ट, स्पारा, कार्येन, यथ्यकानीन वेनिस सुयुक्त नेदरलैंड और पोर्नेंड सभी प्रब्रातंत्र मान गये हैं यथापि इनमें से किसी में भी आधुनिक लोकतंत्र के सब लक्षण यत्नमान न थे । प्राचीन यूनान और राम के प्रजातंत्र रायों में मतदान का अधिकार बहुत छोटे से अल्पतर यक समूह के हाथ में या जो स्वतंत्र मगर अधिकार यहूत नागरिक और यहू सर्वयक दात वर्ग पर शासन दरता था । पथ्य युग म वेनिस के प्रब्रातंत्र में कौसिड की समाजिक बाद मताधिकार योद्धे स रक्षण के हाथ में रह गया था और इन पर भी एक छोटे से गुट का बहा प्रभाव रहता था । सुयुक्त नदरलैंड के सभी राज्यों पर शासक निर्वाचित 'ट्रिपोल्टर' हाता था परन्तु उन्हें जुनने का अधिकार भी बहुत योद्धे लोगों को दा था । आधुनिक काउ में भी सुक्त राष्ट्र अमेरिका में लासा निप्रो चिरकाल तक मताधिकार से बचित रहे हैं डगलैंड में भी १९ वीं सदी के मध्य तक 'पारेट बापे' पाय धाते थे जिनके सदारे सरकार द्वारा जिते जाए डउ निवां

^१ मैट्रिस्ट, इ-वेनन और लॉक लॉकवर दि फ्रें, पृ १८१

चित कर सकते थे । और अमीं हाल तक कोसु में शिव्यों मताधिकार से बचिल यीं जिससे आधी क्रौच उनता चुनाव में भाग नहीं ल सकती है ।

अतु, शास्त्रीय और ऐतिहासिक दोनों आधारों से प्राचीन मारतीय गणराज्य प्रजातन्त्र कहे जाते थे । इस शब्दों में शासनाधिकार एक ही व्यक्ति अथवा युद्धीष्ठर आदियों के हाथ में नहीं बरत कासी बड़े वर्ग के हाथ में था । वैशाली का लिङ्गुविश्व गणराज्य आजकल के दो जिलों से बड़ा न था फिर भी उसके शासक वर्ग में ७७०७ आदमी थे । इस वर्ग के सदस्य द्वित्रिय होने के कारण 'राजा' कहे जाते थे । शपर ने स्पष्ट छिला दे कि द्वित्रिय और 'राजा' पदायवाची है^३ । उच्ची पूर्वी मारत के प्राय सभी गणराज्यों में शासन मठल के समाइद्रों को राजा की पदवी देने की प्रथा थी^४ । इसी स अमरकोप^५ में 'राजायक' का अर्थ द्वित्रियों का गणराज्य बताया गया है, और यूणिय अपने को राजाय माने द्वित्रिय गण कहते थे ।^६

अतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन मारतीय गणराज्यों में शासक वग प्राय द्वित्रिय होता था और सर्वा में वह प्राचीन ग्रीष्म या रोम के प्रजातन्त्र राज्यों के शासक वर्ग से अधिक नहीं तो कम भी न था । अत इस अर्थ में प्रामाणिक राजनीति ग्रन्थों में प्राचीन यूनान या रोम के राज्य प्रजातन्त्र कहे गये हैं उसी अर्थ में ये गणराज्य मी प्रजातन्त्र हैं । साय ही यह भी याद रखना चाहिये कि य आजकल के लोकतन्त्र राज्यों की कोटि के नहीं थे, जिनमें अधिक से अधिक लोगों दो मताधिकार दिया जाता है । प्राचीन गणराज्यों में राजनीतिक अधिकार अधिकतर द्वित्रियों के हाथ में ही था । अतु इस प्रकार के राज्यों को प्राचीन पाट्मय और ऐसों में गणराज्य कहा गया है, और वागे चलकर हम भी उनको उठी उठा देने निर्दिष्ट करेंगे ।

अब हम अपने गणतन्त्र राज्यों के विकास तक पा अध्ययन करेंगे । हम देख चुके हैं कि वैदिक वाल में तृप्ततन्त्र ही सर्वत्र प्रचलित था । इस फाल में

^३ पू. मो ६ ० ३

^४ विष्णुविकृतिकमश्लकमद्वकुन्तुष्टुर्यांवाकाद्यो राज पश्चद्वैपादिने अथशास्त्र, एकादश भाग ।

^५ अथ राजकम् । राजायक ए तृष्णिविद्रियाणि गच्छे क्षमात् ॥

^६ यूणियराजायत्त्वस्य अथ ।

रायं लोग नये नये प्रदेश पादाकात कर रहे थे इसलिए उनको एकमुखी अनुत्त की बड़ी आवश्यकता थी। मेगास्थीन ने भी लिखा है कि उथी अताम्बी १०५० में भारत में एक परपा प्रचलित थी जिसके अनुसार प्रजात्र विभाग राजत्र के बाद माना जाता था^१। पुराणों में बुद्ध के पूर्व की थी अज-बशावली है उनसे प्रकट होता है कि ५ ठों शताम्बी के मर, कुरु, पाचाल, शैवि और विदेह गणतन पहले नृपतर ही थे।

मूर्खेद के अतिम सूक्त में प्रार्थना की गयी है कि समिति की मत्रणा एकमुखी हो, सदस्यों के मन मी पररदरानुकूल हो और निर्णय मी सर्वलभपत हो^२। इस सूक्त का संकेत गणत्र की समिति की ओर भी हो सकता है पर साधा रणत समिति का सबब राजा से ही रहता था। अत इस बात में छिद्र है कि इसका तात्पर्य गणत्र की ऐक्षीय समिति से रहा ही। वेष्ट इस सूक्त से मूर्खेद काल में गणत्र का अस्तित्र चिद्र नहीं होगा।

एक अन्य श्लोक पर राजाओं के समिति में एकत्र होने का वर्णन किया गया है^३। दूसरे श्लोक पर यह कहा गया है कि राजा बही हो पक्ता है जिसे अन्य राजा लोग स्वीकार करें^४। यदौं पर अन्य राजाओं का अथ समवत विशृष्टि है, और यह राज्य मी बाद के प्रजात्र राज्य के प्रकार का था। राजदृष्टि सदसाचारण जनता के हाथ में न हो पर विधा के मुखियों के हाथ में थी। यदि इनके द्वारा स्वीकृत अध्यव या अधिष्ठिति का पद आनुवधिक हो जाता था तो राज्य नृपतन में परिवर्तित हो जाता था। पर यदि विशृष्टि या सरदारों द्वारा स्वीकृत अधिष्ठिति के अधिकार की कालमर्यादा सीमित होती था और उसका पद आनुवधिक न होने पाता था तो बाद में चलकर यदौं राज्य परवर्ती काल के अधिष्ठित गणराज्य के रूप में विकसित हो सकता था।

आद्य बादम्य के एक प्रचिद उद्दरण में कहा गया है कि प्राच्यों के राजा 'सप्ताट' कहे जाते थे, सात्वतों के राजा 'मोञ्ज', तथा नीन्यों और आपाच्यों के राजा 'स्वराट' कहे जाते थे, और उचित पद तथा उत्तर-कुरु आदि हिमालय के उच्चर के प्रदेशों में 'वैराज्य' यथाया थी और यदौं के लोग 'विहट'^५ शब्द

१ इस प्रकार कहे गये थे उन्नें पर नृपत्र समाप्त हुआ और उसका हमान प्रानात्रामक नामन से लिया। पृष्ठित अस्याय १।

२ समाजो मध्य समिति समाजी समाज मन सह वित्तमेशम्। १० १६१.३

३ पश्चीमो समाजत राजान् समिताविद् श श्व वे, १० १७ ६

४ वर्तमे वे राजानो राज्यमनुमन्यम्ते स राजा गवति त स पर्हनै न।

से संबोधित किये जाते थे । 'विराट्' और 'भोज' उपाधियों के अथ के विषय में कुछ मतभेद हैं^२ । परं इसमें कोइ संदेह नहीं है कि उत्तर-कुरु और उत्तर मद्र के 'वैराज्य गणतन्त्र ही थे' क्योंकि 'विराट्' संबोधन उनके राजाओं का नहीं बरन् 'नामारिकों' का है और अभियेक राजा का नहीं जनता का होता था^३ । यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि उत्तर-कुरुओं और उत्तर मद्रों के देश में ऐसी उदी ईसवी तक गणतन्त्र व्यवस्था ही प्रचलित थी ।

ऐतिहासिक काल में भारत के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भूभागों में गणतन्त्र राज्य कायम थे । परं दक्षिण में किसी गणतन्त्र राज्य का पता नहीं चलता यद्यपि उत्तर भारत की अपेक्षा वहाँ स्थानीय शासन में जनता का हाथ कहीं अधिक था । अब इस ऐतिहासिक काल के विविध गणतन्त्र राज्यों पर दृष्टिपात फरंगे और उत्तर-पश्चिम से शुरू करेंगे^४ ।

१ ये के च प्राच्याना राजान साम्राज्यायैव तेऽनिविच्यन्ते ये के च परेण हिमवत जनपदा उत्तरकुरुष उत्तरमद्रा इति 'राज्यायैव सेऽनिविच्यन्ते विराटियेताननिपिक्षानाचचक्षते । ये ग्रा , ७, ३ १४

२ २० आपसवाक का मत है कि ये प्रजातन्त्र राज्य थे, परं यह समव नहीं प्रतीत होता । हिंदू पौलिटा, १ ८०-१

३ साधारण प्रजातन्त्र राज्यों के अस्तित्व से अनमित्त ये अत दृढ़ोने वैराज्य का अर्थ 'इतरेभ्यो भूपतिः घैट्यम्' किया है । महामारत (१२ ६७ ८४) में 'विराट्' राजा का एक पर्याय माना गया है । परं यदि विराट् का अर्थ 'विश्वेण राजा' हो सकता है तो वि (विना) राजा भी हो सकता है । 'दिक् दृढेवस' में वैराज्य भी राजकीय का एक प्रकार कहा गया है परं वैराज्य में यदि पूरी जनता का अभियेक होता था तो स्पष्ट है कि राजकीय अन्क आदमियों के हाथ में थी ।

४ प्राचीन भारत के गणतन्त्र राज्यों का पृष्ठान्त उत्तर पश्चिम में सुखपत्र ग्रीक लेखकों और उत्तर पूर्व में कौद्र ग्रंथों से जान होता है । पाणिनि, काल्पयान, पतञ्जलि, जयादित्य और यामन आदि व्याकरणों से भी यहुत सहायता मिलती है क्योंकि इनके प्रध्यों में राजकीयिक विधान संवधी यहुत से ग्रन्थों की व्युत्पत्ति सिद्ध की गयी है । महामारत में भी दो अध्यायों में इन राज्यों के विधान और उनके गुण दोषों की सहानुभूति पूर्वक वर्णी की गयी है (१२ ८१, १०७) अथर्वाप ने सुखपत्रः गणों

५०० इं० प० से ४०० इ० तक पजाब और सिंधु की धारों में गगतप्र
राज्यों का ही बोलबाला था। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके बेवल नाम
ही वैयाकरणों के अधें में हमें मिल जाते हैं पर उनके बारे में दुर्भाग्यवश हम
और कुछ नहीं जानते। इस श्रेणी में बृक, दामगि, पार्श्व और क्षेत्र हैं।
पानिनि के समय में निर्गत यष्ट छ गणतां का राज्यसभ था, कार्यिका
(१००० वर्ष बाद रचित) के अनुसार ये छ राज्य कौडीपरय, दृढ़कि, कौष्ठकि,
जालमानि, मालगुप्त और ज्ञानकि थे। समवत उहोने अपनी मुद्रा ऐसा
चलायी थी जिस पर 'वक्त' (विगर्त) चनपदस्य 'विगत देश की मुद्रा' और
लेख पाया जाता है। समवत यह गगतप्र बलबर दोश्राव में रिपत था और
बाद में उसका 'कुणिद' नामातर हुआ। कुणिदों की मुद्राएँ बड़ी संख्या में मिली
हैं। कुणिद राज्य दूसरी सदी ईस्यों तक बतमान था और कुणिद राज्य
को नष्ट करने में इससे यौधेयों को बहुत सहायता मिली।

भौत सघी को धक्का भग करने के उपायों पर विचार किया है । पर इसी सिलसिले में इनके विषय की बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं । पृष्ठ, वॉइस आफ एंशियॅ इटिया, विश्रक्तक ३३ १०, इन सुझावों के देखो से गगतव का अस्तित्व सिद्ध होता है ।
महमदार भौत आवेदन-दि पृष्ठ भॉक थाकाटक पृष्ठ गुप्तान्, अध्याय २

छिकदर के वृत्तलेखकों ने लिखा है कि व्यापार पक उपजाऊ देश या जिसमें और लोग रहते थे आर जिसके शासन की चागडोर उच्चवा क छाप थी। यह गणतन निस्तदेह यौधेय गणतन ही था और उसका प्रभाव उस समय सर्व विश्वात था। यौधेय व्यपनी अप्रतिम बीरता क लिए शखशात थे। वे देवसेना के सनानो कार्तिकेय को अपनी कुलदेवता मानते थे और इसीलिए उनके बाह्य के नाम पर 'मध्यमयूरक' विशेषण घारण करते थे। इनके पराक्रम और शक्ति का वजन लुप्तकर ही तिकदर के देनिक ददल गये थे और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। मध्यम शताब्दी इसीमें कुशाग्र बाह्याट् कनिष्ठ ने इनका परामर्श किया पर अधिक समय तक कुशाग्र इहै अपने कानू में नहीं रख सके। इदामा के शिलालेख के शब्दों में 'अपने पराक्रम के लिए समस्त द्याव्यों में अप्रगत्य' इन अभिमानी बीरों ने शीघ्र सिर उठाया^३ और ३२५-३० तक न पथक इहोंने अपनी लोयो हुई स्वतंत्रता ही पुन ग्राह कर ली थी। कुशाग्र द्याव्यात्य को ऐसा घक्षा दिया जिससे वह फिर समल न सका^४। ३१० ई० तक यह गणतन धर्मान था, पर इसका बाद का इतिहास जात नहीं है।

मध्य प्रबाद के मद्दों का भी एक गगराल्य था। मद्र लोग समवत फडों से मिन न थे जिनका प्रकासत्त्वक राज्य का उत्तरेत तिकदर के वृत्त व्यवहारों ने किया है। इनकी राजधानी स्थानकोट थी। शत्रु के सम्मुख सिर चुकाकर ग्राण बचाने से इहोंने अत तक तिकदर के विशद लड़ते लड़ते मर जाना ही अच्छा समझा। इनका गणराज्य ४ थी उदी इसी तक वर्तमान था।

माझे और नुदक उन गणतनोंमें अप्रगत्य है जिहोंने तिकदर के अभियान का प्रबलठम प्रतिरूप किया था। ऐसे समय मालव चेनाव और रावी के बीच बाले तथा उत्तर युठ ददिण के प्रदेश में बसे थे और नुदक उनके दक्षिणी पहोची थे^५। तिकदर का सामना करने के लिए उन्होंने उत्तुक योधना जानायी थी पर टानो सनाओं के मिलने के पहले ही तिकदर माझों पर टूट पड़ा। मालवी के पास १ लाख न्डाके थे और उन्होंने बमकर यूतानियों से लाहा लिया, यदौं तक कि माझों के एक गढ़ पर हमला करते समय तिकदर के प्राण जाते जाते

१ महाभारत, पृ ३५, ३-४।

२ जूनागढ़ वा शिलालेख।

३ मधुमदार और भस्तेहर-हि पूज और शाकाटान एवं गुप्तान, पृ २८ ते

४ मैक्किरिल, इम्फ्रून और अरेन्डर, पृ १० १३८

बचे। अत में पाटनी और जुदकों को सधि प्राप्तना करनी पड़ी। पर इस सहज से छहक सीयकर दोनों राज्यों ने जो राज्यसभा स्थापित किया वह कह शतान्दियों तक कायम रहा। महामारत में अनेह बार माटव और जुदकों का उल्लेख साथ साथ पाया जाता है^१। और वैयाकरणों ने इन दोनों नामों से घने हुए एक विशेष रूप के 'द्वादू संग्रह' का उल्लेख किया है। आगे चलकर जुदक पूर्ण रूप से मालवा में मिल गये। १०० ई० पू० के आसपास माटव अजमेर-चिंटौड टैक प्रदेश में बाकर बसे और अगे बढ़ते हुए ४०० यप बाद मध्य दिल्लीस्थान के प्रदेश में गये निः अप माटवा कहा जाता है। १५० ई० के करीब शर्नों ने उन्हें पराक्रित किया पर २२५ ई० सक वे फिर स्वतंत्र हो गये। मालव भी रामचंद्र के प्रस्त्यात इस्ताकु घरन होने का दावा करते हैं। उनकी तरि की मुद्राएँ भी बहुतामत से मिलती हैं। इन पर किसी गवाक का नाम न होकर माटवों की 'जप' लिला है।

सिंकदर के वृत्तान्तकों द्वारा वर्णित माटवों के पहोची गगतप्र 'अगोधिनाइ' और सिवियों का ठीक स्थान निश्चित नहीं है। सिवियों का राज्य पहले नृपत्र या बाद में राजत्र में परिवर्तित हुआ। १०० ई० पू० तक वे राजपूतों में चिंचोर के पास मध्यामिका में बाकर बस गये थे। यहाँ उनके गगतप्र का सदृश निर्देश करनेकाली मुद्राएँ बहुत बहुत कहाँ में मिली हैं^२।

जुदकों के पहोच में अग्रट गगतप्र भी था। यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने स्पष्टत उनके राज्य को प्रकात्र (Republic) कहा है। इनकी सेना में ६० इचार पदाति, ६ इचार जुदस्वार और ५०० रथ थे, सिंकदर का सामना करने के लिए इहोंने ठीन उनानी जुने थे, पर अत में अपने दृदों की उग्राह मानकर उहोंने दिर झुका दिया। इनके भी बाद के इतिहास का झंड पता नहीं।

काठियायाइ (काठियायाइ) के अधक वृजियों का राज्य भी गगतप्र था। इउका अस्तित्व प्रारंतिहालिक काल से हो था, महामारत में इउका उल्लेख किया गया है। अग्रटप्र में काठियायाइ के 'सप' भाने गगरान्यों के उद्देश उ पठा चलता है कि इउ प्रदेश में गगतप्र की परम्परा कायम रही।

बौदों क श्रिपिटक और भाष्यों से पता चलता है कि बौद्धानुक-

१ २ ७६ ६०, ६ ८७ १८

२ इन सुदामों पर यह लेख है 'मन्मिनाय सिद्धिग्रन्थदस्।' एकन-कॉइस औफ एक्सट इटिपा पृ० १२४

गणराज्य या प्रशासन

७८

प्रात के गोरखपुर और उत्तरी विदार के प्रदेशों में भी अनेक गणतंत्र धर्तमान थे। इनमें से गाँग, बुली, कोलिय और मोरिय राज्य तो आधुनिक तात्पुरीलों से बढ़े न थे। शाक्य, मल्ल, लिङ्गवि और विदेह राज्य कुउ बड़े थे पर सब मिलाकर भी इनका विस्तार लबाई में २०० और चौदाई में १०० मील से अधिक न था। पश्चिम में गोरखपुर से पूर्व में दरमगा तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गगा तक इन गणराज्यों का विस्तार था। इन चारों में शाक्यों का राज्य सबसे छोटा था। यह गोरखपुर बिले में रियत था। इसके पूर्व में महाराज्य रियत था। इससा विस्तार पठना बिले तक था। इसके बाद लिङ्गवि और विदेह राज्य थे।

शाक्य राज्य की शाखा व्यवस्था के बारे में कुछ संदेह है। बौद्ध ग्रंथों के कुछ उल्लेखों से जान पहता है कि यहाँ नृपतंत्र था। बुद्ध के समय में भौतिक यहाँ का राजा था, उसने जब सघ में प्रवेश करने का निश्चय किया तो अपने पर इस देव तुके हैं कि पूर्वी मारत के लिए एक सताई का समय माँगा। 'राजा' कहलाने का अधिकारी था। महिय मो समवत् इसी अर्थ में राज हुआ होगा। जातकों में शाक्यों के स्थानांगर का बयान है जहाँ एकत्र होकर वे सभी विषय वादि महात्म्यपूर्ण विषयों पर विचार किया करते थे। इनमें उल्लेख नहीं है।

इसमें तो कुछ भी सदैह नहीं कि बुद्ध के जीवन काल में मल्ल, लिङ्गवि और विदेह राज्य गणतंत्र थे। उनके पांचों मगष और बोशल के राजा उन्हीं जातिने का धारवार प्रयत्न करते थे इसकिए अपनी रक्षा के लिए य गणतंत्र अपना एक सुखक राज्यपूर्ण जीवीच भी यानते थे कभी लिङ्गवि मर्णे से निल जाते थे तो कभी जीत दियो थे। पर ५०० ई० पूर्व में मगष ने मल्ल और विदेह राज्यों को भी मार दिया। लिङ्गवियों को भी मार दिया जाना न तरसता हीना पड़ा पर २०० ई० पूर्व तक वे पुन नृपतंत्र हो गये। उन्हीं

^१ अस्तु, यह प्रकट हो जाता है कि ये गणराज्य राज्य ग्रीस के नगर राज्यों से यह न थे। लवसे यहे नगर राज्य व्यार्टी का क्षेत्रफल ३५६० घाँसील था, लिङ्गवि राज्य का विस्तार भी प्राय इतना ही था। अपने धरम दरक्षप के समय पृथेंस का विस्तार धरमगा १०६० घाँस मील था, शाक्य राज्य - विस्तार भी प्राय इतना ही था।

सदी ईस्टमें लिङ्गविराज्य अस्ति शक्तिशाली था और उस साम्राज्य के सरपापक चश्मगुप्त को उनसे वैकाहिक संघर्ष करने से अपने उत्त्यान में बहुत मदद हुई।

अब हम प्राचीन भारतीय गणतंत्रों के विधान और उनको "शासन-व्यवस्था" का विवेचन करेंगे। हमारी कठिनाइ यह है कि इस विषय पर सामग्री बहुत कम है। अतः विभिन्न काल के और विभिन्न प्रदेशों के अनेक गणतंत्रों के संघर्ष की विवरी थांतें बोहकर हमें उनके विधान की एक रूपरेखा बतानी है। यद्यपि यह तरीका बहुत अच्छा नहीं पर दूसरा कोइ गणता भी नहीं है।

यह तो स्पष्ट ही है कि मोरिय, कोलिय शास्य आदि छोटे थोड़े से गाँवोंवाले गणतंत्रों की शासन-व्यवस्था योथेय, मालव आदि ऐकद्वांग प्रामी और द्वन्द्वों नगरों वाले विद्युत गणतंत्र राज्यों से बहुत भिन्न होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर-भूर्बल के इन छोटे छोटे गणतंत्रों की केंद्रीय समिति के सदस्य अधिकतर राजशाली में ही रहते थे और वही संघागार याने समा भवन में एकत्र होकर राजकाल के विषयों पर निष्पत्र किया बरते थे। वे संघवर्ग के थे और उनमें से प्रत्येक सदस्य को राजा और उसके पुत्र को उपराजा की उपाधि दी जाती थी^१। सभवतः इन 'राजा' जागों की देहातों में कुछ बर्मीदारी हुआ करती थी जिसका प्रभव उनक कारिदे करते थे। शाशक दण के अतिरिक्त साधारण प्रजा में कृपक भूत्य, दास कारीगर आदि सम्प्रिलित ये थे बहुसुखक होने पर भी उत्ताहीन रहते थे। वे रोहिणी नदी के जल के काम कोण्डियों और शाक्यों के किलानों और भूम्यों में झागड़ा हुआ तो उन्होंने अपने शास्य के कमचारियों को खबर दी और इहोंने अपने 'राजाओं' को समाचार पहुँचाया। इससे प्रकट होता है कि सब विप्रह आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक

१ सत्य निघाट उन कारोबा वस्त्रान् यव राज्ञ उत्तमानि सचसतानि सत्त च राजानो होति उत्तमा यव उपराजानो उत्तमा सेनानिविना तत्तका भद्रागाहिका। जा १ पृ० ५०४। इस वाक्य का भयं जो ऊर डिया गया है वहा ढोक मालूम पहसा है। डा० मर्टाराडा का कहता है कि ऊर उद्दृष्ट वाक्य एक ऐसे राज्य संघ का सहित कहता है जिसके पड़क ४००० राज्य थे, जिसने इरोड शास्य का दृष्टकर्ता, युवराज इशारि रहते थे। कार्तमायक्ष लेखक, १९३८, पृ० १२५। इस वाक्य पर डा० महेश्वर के भाष्य के दिए देखिये, कॉर्सेटि लाइफ, पृ० ६३-४ (प्रथम संस्करण)

विषयों पर निर्णय देने का अधिकार उच्चवर्गीय 'राजा'ओं को या वा साधारण को नहीं। परन्तु शास्य राज्य में छोटे छोटे कर्ता और ग्रामों में भी पचायते होती थी जिनके सभा भवन (सभागार) का उल्लेख थोड़ा बाह्य में मिलता है^१। समवत् इन प्राम पचायतों में सब वर्गों के लोगों को प्रवेश और शासनाधिकार मिलता था ।

थोड़े, मालूम, झुआदि विद्याल गग राज्यों की "पवस्था स्वभावत्" अहुत भिन्न थी । विस्तृत होने के कारण ये अनेक प्रांतों में विभाजित रहते थे जिनके शासक समवत् उच्चवग से ही जुने जाते थे । राज्य के बहुसंख्यक नगरों का एक अलग शासन विभाग था । उनको स्थानीय विषयों में पूरा अधिकार था और इनका शासन प्रबन्ध स्थानीय नेताओं के ही हाथ में था । दुर्भाग्य यह यह पता नहीं कि नगर परिपदों का संबंधन किस प्रकार का था । समवत् है कि इनमें मी उच्च वर्ग की ही प्रभावता रही हो, पर नृपतन राज्यों की नगर परिपदों के बारे में जो विश्वसनीय छूटीत डप्लेज द्वारा है उनके शात होता है कि इनमें साधारण वर्ग के "यापारियों, कारीगरों और किसानों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहता होगा । राज्यों में फैले द्रुप उक्तो गावों की पचायतों में सी सामाज्य जनता के हाथ में ही प्राय सर्वसंचा रहती थी । समवत् है कि गाँव का मुखिया शासक वर्ग का ही होता हो । राज कमचारी भी अधिकतर इसी वर्ग के होते रहे हों पर ग्राम पचायतों के अत्यधिक सदस्य साधारण लोगों के छोटे दर जाति तथा वर्ग के होते थे ।

इन गणतंत्रों में शासन का उच्चाधिकार बैश्वीप समिति के ही हाथों में था । जिसके सदस्यें वी सरया कापी बड़ी होती थी । योग्यों की समिति में ५००० और लिङ्घावियों की समिति में ७७०७ सदस्य थे^२ । छुटकों ने अपने ३५० प्रमुख नेताशों को सिकदर से संविचारी के किए भेजा था, उनकी समिति की सदस्य-सरया इसकी कई गुनी रही होगी । ये सख्ताएँ बहुत बड़ी जान पहती हैं पर स्मरण रखना चाहिये कि इसी समय यूनान में एथेनियन श्रसेवकों में ४२००० नागरिक थे और इएक वो उक्ती ऐठक में शामिल होने का अधिकार था । पर यास्तुविक स्वयंदार में वहाँ ऐसा नहीं होता था ।

१ बहुमा गाव का सभागार का उल्लेख थोड़ा बाह्य में मिलता है ।

म नि., १ पृ ४२०

२ ऐशाली की पूरी जनसंख्या सामग्र १, ६८, ००० थी, ऐसा मालूम होता है । जातक, १ पृ २१

देहात के सदस्य हरेक मानूली चेठक में शामिल होने के लिए सभ्य और उन का व्यय करना न पहुँच करते थे। साधारणत दो सौन हजार सदस्य उपस्थित होते थे जो पूरी सत्या कि उन्न की सदी से अधिक न थे। लिङ्छिवि और यौधेय समिति के सदस्य सभ्यत गणतंत्र के प्रौढ़ सत्यापनों के बगाज थे, ये सब 'राजा' कहलाने के अविकारी थे, इनमें से कुछ राजधानी में रहते थे, कुछ राज्य के विभिन्न पदों पर थे और शेष राज्य के देहातों में रहते थे। इन सबको समिति में शामिल होने का अविकार या पर मुश्किल से एथेन की भाँति १० प्रतिशत ही उपस्थित होते रहे होंगे। जब कि न्यासा जैसे छोटे से नगर राज्य की परिषद में ३० सदस्य थे तब यौधेय ऐसे विशाल गणतंत्र की बढ़ीय समिति में ५००० सदस्य रहे हो तो आव्यय ही क्या। हमें यह भूलना न चाहिये कि शासक थग का प्रत्यक्ष सदस्य अपनी बग परपरा से समिति की सदस्यता का अविकारी था, हरेक को अपने आमिजात्य और ऊंचे पद का इतना अभिमान था कि प्रतिनिधित्व का चिन्हांत डारे जात भी होता था मी, प्रतिनिवि नियुक्त बरने का विचार ठनके मन में आ ही न सकता था।

द्वां जायसवाल का मत है कि कुछ गणतंत्रों में स्वयंस्थापिका समा के अमीर समा^१ और सामान्यसमा ऐसे दो मार्ग होते थे^२। पर यह बहुत असम्भव प्रतीत होता है। हम देख चुके हैं कि कद्रीय समिति में वेष्टन लच्चवर्ग के द्वाग रहते थे। उनको अपने कुछ और दैवित्य का बहु गर्व था, अपने संघर्ष समा की कल्पना भी कदापि सदन न करते। सामाज्य श्रेणियों के लोगों को समा ही अवित्व में न था। जिन 'बृद्धों' या अगुञ्जो की संग्रह पर अमर्णो ने खिन्दर की अधीनता स्वीकार करने का निश्चय किया वे किसी अमीर समा के सदस्य नहीं बरन् अपने वर्ग के वयोग्रुद्ध और अनुभवी लेंग थे।

अस्तु, गणतंत्र में सर्व शासनाविकार बैश्वीय समितियों में निहित थे इ है अपने अधिकारों और शाचि या यहा स्थान रहता था। ये केवल मनि महल के सदस्यों का ही नहीं बरन् उनके नायों का भी निर्बाचन करती

१ अमीर समा = House Of Lords or Upper House

२ हिंदू पालिका पृ ८४—'सधे चानुरुद्धर्ये' (पालिनि ३ ३ ४२)

इस शब्द का तारश्य स्वयंस्थापिका समिति के दो पर्वों से नहीं है न इसका राज्य विधान से ही सत्यप है, अविक इसमें ठो भ्रान्त्य और अमर्णो के समूह तथा शूकरों के पूर्प का डार्जेश करके बताया गया है कि पृष्ठ के सदृश का स्थिति में अतर है दूसरे में नहीं।

थी। सिंहदर के अभियान की खबर मिलने पर अम्बेष्टो ने तीन प्ररक्षात योदाथो को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना। रोमन सीनेट की माँति ये समितियाँ भी हरेक मुद्र के लिए अलग अलग सेनापति नियुक्त करती थीं। कम से ४५ शुल्क में तो सेनापति मुद्र के समय उसी मुद्र के लिए नियुक्त किये जाते थे, इससे किसी एक सेनापति द्वारा राज्य पर कब्जा करने की आशङ्का न रह सकती थी। जो परिपाठी अम्बेष्टो में ४०० इ० पू० में थी वही योधेयो में ३० चौथी सदी में भी थी, योकि गुप्त काल के एक देश में योधेय गण द्वारा एक सेनापति के पुस्तक (निर्वाचित) किये जाने का उल्लेख है^१। पर ऐसे घोरे यह फद भी अनुचित हो गया। २२२ इ० में जिस मालव सेनापति न अपने राज्य की खोयो हुए स्वतंत्रता इन प्राप्त की थी उसके बड़ा में लोग तीन वीटियों से सेनापति होते आये थे^२। पर ये सेनापति कभी भी राजा या महाराजा बैसी राजत्व सूचक उपाधि धारण न कर पाते थे।

बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि गगड़त्रों की केंद्रीय समितियाँ परराष्ट्र नीति पर पूरा अधिकार रखती थीं। रिदेशों राज्यों से आनेवाले राष्ट्रदूतों से मिलकर उनके प्रस्तावों पर विचार करती थीं और सभि विप्रह के प्रश्न का निपटारा करती थी^३। मठक के समय यह अधिकार समिति के प्रमुख जेताओं द्वारा दें दिया जाता था, जुद्रकों ने सिंहदर के पास अपने जो ढह सौ दश भेजे थे वे धार्तव में उनकी केंद्रीय समिति के प्रमुख उद्दम्य थे और उन्हें चर्चा करके सम्बिकरने का पूरा अधिकार दिया गया था^४। कुछ शासकारों का मत है कि राज्य के लिए वेदोंय समिति में सभि विप्रह ऐसे नातुक प्रश्नों पर मठक चर्चा होना अद्वितीय है इन प्रश्नों का निश्चय गण मुरों पर ही छोड़ देना चाहिए। समझ है कि कुछ गणतांत्रों ने अपनी मन्त्रगण गुप्त रखने के विचार से यह प्रथा अपनाई हो पर उनकी उत्तरा अधिक न थी क्योंकि विचार शास्त्रियों ने गणतांत्र गण्डों का यह बहुत यहाँ दोष बताया है कि ये अपनी मन्त्रगण गुप्त न रख सकते थे।

१ १०८ क० इ० दै पृ २२२

२ समयत एवि इ भा १० में यह लेख प्रकाशित होगा।

३ ब्राह्म, भाग ४, १४५ (म ४६४) शैक्षिक-लाइफ भाग मुद्र, पृ ३१८-९

४ मैदिकिल, भस १८, पृ १४४।

५ गणगुप्तवैतु संभूष वार्ष गणहित मिय ४ म भा, ११ १०७ २४

गणगुप्तवैतु संभूष वार्ष गणहित मिय ४ म भा, ११ १०७ २४

साधारण तौर पर गगतप्रशंसनों की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूरा नियन्त्रण रहता था। अधिकतर उष्ण के प्रबान श्री कृष्ण नाराद से विकायत करते हैं कि—मैं शाति का (समिति का) दात हूँ स्वामी नहीं और मुझे आलोचकों के कठु बचन सुनने और लहने पड़ते हैं^१। व्यवहार (एकाटश मास) से पता चलता है कि उष्ण-मुख्य (व्यवहार) या शाति परिषद के उद्देश्य साधनानिक घन का दुरूपयोग या नियम का उल्लंघन करने पर गज्ज के व्यायाम द्वारा दहित और पञ्चायुत किये जा सकते थे। यह मी प्राय निश्चित है कि उन्हें पदाधिकारियों और प्रादेशिक शातियों की नियुक्ति भी केंद्रीय समिति द्वारा ही की जाती थी, यद्यपि इस विषय का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। इसी कारण इस संस्था के सदस्यों में बही लाग ढाँट रहा करती थी।

संयागार (समारूप) के बहु राजकान्त्र करने का ही रूपज नहीं था, उसमें बीच-बीच में गोदी मी खुइती थी जिसमें सामाजिक और शार्मिक विषयों पर चर्चा होती थी। कुशीनार के मल्लों ने अपने संयागार में ही एकप्र होकर मगवान् तुद के अत्येहि सक्तार के विषय पर विचार किया था। इहीं मल्लों और लिङ्छवियों ने मगवान् तुद से अपने नवनिर्मित संयागारों में उपदेश देकर उसके उद्देश्यान्तर करने की प्रार्थना अनेक समय पर की थी।

इस प्रकार के सामाजिक या शार्मिक अवधारों पर संयागार में समा के समय महे ही शांति रहती हो पर मरुष्पर्णी राजनीतिक विषयों के विचार के समय यह शांति न रहती थी। आधिकान की मुनिसप्टटियों और पालटटों की मांति इन समितियों में भी दल बढ़ी का बहुत जोर रहता था। यहाँ तक कि बौद्ध प्रथों, वर्ध शासन और महामारत में गगतत्रों में आपस का इर्प्पादेप और दलभद्रों की प्रवक्तव्य हो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी चतुर्गाह गयी है। तुद और नाराद जो गणतन्त्रप्रशंस्या के समर्थक थे इहें आपस के शंगों से उच्चने का उपदेश देते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं^२। कोटिल्य इस व्यवस्था के विरोधी थे अतः उन्होंने बहुत से ऐसे अनुचित उपाय बताये हैं जिनसे गगतत्रों में फूट डालकर उनका विनाश किया जा सके। (व्यवहार ११)

^१ दासप्रमैनवर्द्यमाधेन शारीरां दी करोम्यहम् ।

^२ अपमोक्षात्म भोगानां वागुदकानि च उमे ॥ म भा, १२ द१ ८
दायक्षोऽप्त शौक तुद, भा २, १२ द०, म भा, १२ द१

दलदो का कारण प्राय सदस्यों की आपसी ईर्ष्या और अधिकार लोकुपता थी। आजकल को माँति उप प्राचान काल में भी सभ के सदस्य अधिकार प्राप्ति के लिए गुट बनाया करते थे। दौड़ धूप करनेवाले, गुट घोड़े में निपुण और भाषणपट व्यक्ति अधिकार प्राप्ति में सफल रहते थे^१। इब दर्ता को शक्ति बराबर बराबर रहती थी तो छोड़े छोटे गुटों को सरकार की बनाने और विगाइने का अवसर मिल जाता था। कुछ लोग अपनी दुष्टता के फारण ही प्रभावशाली बन जाते थे, पर और विपक्ष सभी उनसे बचता थे। अपक वृथिं सब में अहुक और अशूर इसी प्रकार के महानुभाव थे^२। आज पक्ष की माँति उप समय भी अधिकारादृ दल को विलकाना कठिन काम था^३। समिति में दलदो तीव्र होने पर बैचारे सभ-मुख्य की विवरत बहुत नाजुक और दयीय होता था। यद स्वार्थ के लिए झगड़नेवाल दानों पर्वों के बोय वा लक्ष्य बनता था। परंतु यह ये हित से प्रेरित होने के कारण यह किसी को तरफदारी न कर सकता और उसकी दशा उप सभा की तरह ही जाती थी जिसके दो पुभ जु भा खेलते समय अपस में झगड़ रहे हों, और किसी की भी विजय उपके हर्ष का फारण नहीं हो सकता हो।

समिति के दंचालन और बादवियाद के नियमण सबसे कुछ नियम तो अवश्य ही बन होगे पर किसी राज्यशासन के लेखक ने उनका बान नहीं किया है। यदि हम यह मान लें कि बीद 'उष' के नियम सत्तालोन 'गग' या 'उष' राज्यों के आधार पर बनाये गये हैं तो दूसे इस विषय की कुछ जानकारी मिल जाती है। बीद सभ पी गणपूर्णि (कोरम) के लिए २० सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी, इसी प्रकार का कोइ नियम गणतान्त्र की समिति में भी अवश्य रहा होगा, यातक जब विभिन्न दलों में अधिकार प्राप्ति के लिए इतनी ही दर्ता रहती थी। सदस्यों के दैठने पा स्थान निर्धारण करने के लिए भी

^१ अन्ये हि सुमहामाणा बलव तो दुरातदा।

नित्योत्थानेन सप्तशा मारदा धक्कृण्णा ॥

यस्य न रुनं वै स स्याप्त्य स्यु दृस्वमेव तद् ॥ म भा, १२ दृ, ८३

^२ स्यातो यस्यादुकाकू दि न दुःखतर तद् ।

यस्य चावि न वौ स्यातो दिनु दु धतरं तद् ॥ म भा, ११ दृ, १०

^३ यद्गृद्वसेन्तो राय मारतु दावयं कर्त्तव्य ।

दाहिमेदमयात् दृण एवा चावि विरोधत ॥ म भा १२ ८१, १०

एक कर्मचारी निपुक्त था, समवत् गण प्रमुख मच पर बैठते थे और शेष सदस्य दृढ़ों के अनुसार उनके सामने रहते थे। गणमुख्य अधिवेशन का अव्यवहार होता था और मन्त्रियों का नियशय करता था। जरा भी पदपात करने पर उक्ती छुड़ आगे चढ़ना होती थी। पहले प्रस्तावक भौपत्तारिक रूप से प्रस्ताव उपस्थित करता था, तत्पश्चात् उस पर बोद्धिवाद होता था। बौद्ध सभ में यह प्रणा थी कि जो लोग प्रस्ताव के पद में रहते थे वे जुप रहते थे केवल विरोधी ही अवहमति प्रकट करने थे। परन्तु गणतन्त्र की समितिओं में तो जारी का विवाद घरावर होता रहा होगा। आज कल की माँति बौद्ध सभ में प्रस्ताव तीन बार उपस्थित और हीकृत किया जाता था, गणतन्त्रों की समितिओं में शायद यह परिपाठी न बरती जाती थी। जब मतभेद दिखाए देता था तब मत लिप लाते थे और बहुमत का निश्चय मात्र होता था। जब शाकवों को कोशल की सेना द्वारा अपनी राष्ट्रधानी घिर जान पर कोशल नरेण की आखिरी चेतावनी था अतिमत्य (Ultimum) मित्ता तभ उनकी समिति यह निश्चय करने के लिए बुलायी गयी कि दुर्गे के फाटक खोड़ दिये जायें या नहीं। कुछ लोग इसके पद में ये कुछ विषद में। अत में मत समझ करने पर मालम दुष्मा कि बहुमत आपसमधार की ही ओर है, वैषा ही किया भी गया^१। यही परिपाठी सर्वेत्र प्रचलित रही होगी।

परन्तु आदर्श गग राज्य में मत लग का नीबत न आती थी। समिति में मिश्रता का वातावरण रहता था और निर्माय छुदों की सलाह स होते थे, बहुमत के सरया बन से नहीं। निष्ठव्यि सभ के स्वर्ण युग में यही अवस्था थी^२। अब ऐ ने भी पहले तो सिफदर से लड़ने के लिए सेनापति चुने पिर युद्धों की सहाय मानकर सधि का निश्चय किया।

समिति की कार्रवाह का व्योग रथन के लिए लेखक भी अवश्य रहते होंग। एक बार निश्चय हो जाने पर फिर पुनर्विचार कुछ समय तक न होने पाता था।

अब हम गणराज्यों के मत्रिमठल पर विचार करेंगे। राज्य के आकार और परपरा के अनुसार मत्रियों की संरक्षा में अतर रहता था। महन राज्य के मत्रि मठन में केवल चार सदस्य थे, इन सब ने मगधान तुद की अत्येष्टि में प्रमुख भाग लिया था। इससे बड़े खिल्डवि राज्य में जी मन्त्री थे यद्यपि इनकी समिति

^१ ऐं-दिल-साइफ, पृ ११८-९।

^२ आपद्धान झोंक तुद, भा दो, पृ ८०।

में ७७०७ सदस्य थे । लिङ्गविविदेह राज्य सभा की मत्रि परिषद में १८ सदस्य थे । यौधेय, मालव और लुद्दक आदि वहे राज्यों के मत्रिमठल में कितने भट्टी रहते थे यह हमें मालूम नहीं । सिकंदर से संविचारी के लिए लुद्दीने १५० मध्य और प्रभावकारी आड्डति के प्रतिनिधि में जे थे । कहा जा सकता है कि वे ही उनके मत्रिमठल के सदस्य थे । भगवर मत्रिमठल कितना ही बड़ा स्थैं न हो इसमें १५० तक सदस्य शायद ही हो सकेंगे ।

वैश्वीय समिति ही समवत् मत्रिमठल के सदस्य नियुक्त करती थी । मत्रियों का चुनाव इस प्रतिष्ठित कुर्लों के प्रमुखों से ही होता था या कोइ भी इस पद के लिए खाली हो सकता था, इसका ठीक पता नहीं । घारे घीरे मत्रिपद मी आनुबंधिक हो गया, यद्यपि विता के स्थान पर काम करने से पहले पुत्र का वौपचारिक निर्वाचन होता रहा हो । मालवों की स्वतंत्रता के उदारक व्रीषीय का वैश्व कम से कम तीन पीढ़ियों से गणमुख्य होता था रहा था^१ । अर्पणाद्वय से शात होता है कि विता का पद न मिलने पर कुछ मत्रि पुत्र अवक्षर शास्त्र से मिलकर राज्य नष्ट करने की भी कुचेष्टा करते थे । लिङ्गवि और यौधेय आदि कुछ गण राज्यों में तो मत्रिपरिषद के सदस्यों की राजा^२ की उपाधि दी जाती थी । परतु मालव इस प्रकार की उपाधि देने के विषद् थे, १५५ हृ० में उनको स्वतंत्रता का उदार परनेवाले महान नेता के लिए भी, विजय की घोषणा में भी ऐसी किसी उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया ।

गण राज्य अपनी समर रहता के लिए प्रक्षात् थे । उनके मत्रिमठल के सभासद अवद्य ही संकट से अपने गा के उदार की शक्ति रहने थाले भीर घर लेनानी रहे होगे । गण नेता के लिए प्रणा, पौष्ण, उत्ताह, अनुभष, शास्त्र और गणपरंपरा का शान आदि गुणों की अत्यत आवश्यकता थी^३ ।

गणाध्यक्ष ही मत्रिमठल का प्रधान और समिति का अध्यक्ष हुआ करता था । शासन काय की देखरेख के साथ ही उसका मुर्त्य कायं गण की एकता बनाये रखना और शाहदे तथा पूर्ण का निवारण करना था जो बहुधा गणराज्यों

१ समवत् एवि ह २० में यह छेष प्रकाशित हो जायगा ।

२ ग्राहाम् द्युरान्महोऽसाहान्कमसु त्याशीरणद् ।

मानवन्त सदा मुक्ताभिवर्द्धते गगा नृप ॥

द्युप्यर्त्त्व द्युराध द्यस्त्रहा शास्त्रपारणा ।

कृष्णाश्वापत्त्व समूहान्तर्गता सातारपन्ति थे ॥ म भा, १२ १०७ २० २१

के नाश के कारण होते थे। एक मध्यी के जिसे परमाणु विमाण रहता था जो गुप्तचरों के विवाह सुनता था और अपने तथा दूसरे राज्यों के उड़ादि पर थोड़ा रखता था^१। काप विमाण एक अन्य मध्यी के हाथमें रहता था उस राज्य के घन को बाघार में लगाने और राज्य का छुग बसूल करने का अधिकार था^२। तीसरा विमाण याम का था, इसके अध्यद था काम सभवत मातहत न्याय द्वयों के विचारों की व्यापाल मुनकर यद्यहार और घम के नियमानुसार अतिम नियम करना था^३। अर्थशास्त्र ने गणतन्त्र का नाश चाहनेवाल राजा का सलाह दी है कि युद्धी विष्वामी को परियाद लेकर इस विमाण के अध्यद के पास भेजना चाहिये और उसे पष्प्राट कराकर गण शासन की बदनामी करानी चाहिये। अन्य विमाणों में टट (पुलिस), कर, व्यापार और उद्योग भी थे। कुछ गणतन्त्र द्वारा ये भी उठने हो उन्नत ये जितने वे युद्ध में विरामात् थे^४।

आधुनिक काल के मात्रिमढ़ी वी भौति प्राचीन मतिमढ़ के मित्र मित्र सदस्यों के पदों और अधिकारों में सभवत कुछ विवर यह है।^५

प्रत्येक विमाण के अधीन विभिन्न श्रेणी के अधिकारी काम करते थे। शासक कोटि व्यादि छाटे-छाटे राज्यों के मातहत अधिकारी संघे विमाणाध्यद से सबध रखते थे, वहे राज्यों में बीच की कह श्रेणियों होता थी।

यौधेय और कुद्रक आदि विराल गणराज्यों में बहुप्रस्वक नगरों की अपनी स्वायत्त परिषद होता थी। इनमें शासक उथ श्रेणी के अतिरिक्त घन-बाघारण श्रेणी के विविव बगों का भी प्रतिनिधित्व रहता था जैसा नृपतन्त्र द्वारा शासित नगरों में होता था^६। इन परिषदों के निर्बाचन और कार्य प्रशासनी का हमें जान नहीं है इसलिए अभी यह जानना सभव नहीं है कि इन परिषदों पर

१ वारमन्त्रविद्यान्तु दोषसनियमेषु च ।

निष्पुका महायाहो वधन्ते सवठो गणा ॥ म मा १२ १०७ १९

२ घन खगाने के विवरण के लिए अथ शास्त्र अ १२ देखिये ।

३ धर्मषाम्प्रकारांश्च स्यापमन्तथ शास्त्रतः ।

व्यावायिप्रयन्तो विधन्ते गदोत्तमा ॥ वही, १७

४ वार्डीएस्ट्रोपज्ञादिन । अर्थशास्त्र, अ ११

५ इससे युग्मो भवसर गणतन्त्रो में कू दाढ़ने का भवसर मिठ जाता था ।

अथशास्त्र ११

६ गुहसाम्राज्य की अवस्था के लिए दामाश्रपुर वाप्रशश देखिये एवि ६,

१५, प १२९

शणगात्रिय या प्रकाशत्र

66

मंदीरीय धर्म का नियन्त्रण के से और किट रूप में रहता था और द्वंद्रीय समिति में इनके प्रतिनिधि लाते थे या नहीं।

गणराज्यों के अतर्गत ग्रामों में भी पचायते अवश्य रही होती, उनके अधिकार भी नृप तत्वात्गत ग्राम पचायतों से कम न रहे होंगे। यह मी समव रही हो क्योंकि इस वर्ष के लोग अधिकतर राजसामी और अ-य नगरों में ही प्रामाणी बगों के प्रतिनिधि पचायत में रहते थे। यह मी अनुमान ही है पर उभयत वस्तुरिक्षित भी वही थी।

समुचित सामग्री का अमाव गण्यत्रों के सबसे में जितना सहता है उतना अन्य कहीं नहीं खलता। उनके विचान और कार्यप्रणाली का जो चित्र इमारे सामने है वह अत्यन्त धुंपला और अस्पष्ट है। पर जो भी जानकारी मिली है उसमें शात होता है कि ये राज्य बड़े ही समृद्ध और सुख्यविहित थे। एकदिका जिस प्रबल प्रतिरोध इहो ने किया वैसा तत्कालीन रूपत्र राज्य न पर सके। इन राज्यों के नागरिकों में तो उत्कट देशमर्ति और ज्वलत खारज्यप्रयोग या वह चूपत्र की प्रजा में दुलभ था। इस व्यवस्था में व्यापार और डलोग को भी बहुत उन्नति हुई थी। पजाव और रिधु के गणराज्यों में सुही और समृद्ध नगरों की घटुतायत थी। इनमें विचार खात-ए को प्रद्रव्य दिया जाता था अत यहाँ दायनिक वितन की भी दूब प्रसरित हुई। पूर्वी गणराज्यों की तो यह विदेशपता थी। उपनिषद, शैद और उन दर्शन के विकास में इनके नागरिकों पर महत्वपूर्ण माग रहा। रिधुनद की धारी के दायनिकों से मी यूनानी बहुत प्रसारित हुए थे।

अधिकारीय गणत्र पक ही आति के रहते थे। इनका शासकवंश समझता जा कि उक्ते सब व्यक्ति एक ही ऐतिहासिक या पोराणिक मूल पुरुष के वश्य हैं। द्वंद्रीय समिति को सदस्यता का अधिकार प्राप्त उठाई तक सीमित था।

नगर और ग्राम शास्यमें में हमो बगों और दृशियों पर उचित प्रतिनिधित्व और शासन मिलता था। विदेशाविकारी उपराज मीर देव जनता में किसी संघर्ष का प्रमाण नहीं मिला है। यह भूलना न चाहिये कि छहवीं शती तक अतर्जातीय दिवाह की प्रथा भी अत दृशियों की अलग और रवद्यपूर्ण ब्राति न था ही थी। ऐना में उप पद प्राप्त करनेवाले वैष्य या शैद को

गणों का साम्राज्य स्वयं नहीं बना।

८८

चनिय पद से चुनिय करना समझ न था। पालिनि के एक सूत से यह ध्वनि निकलती है कि साम्राज्य का पद चत्रिप के ही समान था^१।

गणतंत्रों को स्थापना या विकास में वशीक्य की मावना का बड़ा हाथ रहा। बहुत यह मावना बतपान न थी वहाँ गण राज्यों की स्थापना प्राय न हो सकी। यह मी प्रतीत होता है कि गणराज्यों के अधिकार का विस्तार या प्रभाव ऐन प्रदेशों में न हो पाता या बहुत उनके बश के लोग पर्याप्त खल्या में नहीं रहते थे। यह सत्य है कि गणराज्य समान शुतु से मार्चा लेने के लिए आपस में मिल जाते थे परतु मीर्य या गुप्त साम्राज्यों की माति को इन विद्याली और विणाल साम्राज्य ये स्थापित न कर सके। उनको टॉट अपने निवास प्रदेश के परे न जाती थी। अपनी स्वतंत्रता पर सकट आने पर वे पजाह, राजपूताना और विंष के गण राज्यों को मिलाकर एक विश्वाल उत्तर पश्चिमी राज्य रथ बनाने की कल्पना उनके मन में न आ सकी। कुन्तिभिमान, आपसी जगहे और अत्यधिक स्वतंत्र येष के कारण गणतंत्रों में मुद्दङ केंद्रीय शासन का विकास भी न हो सका क्योंकि इसके लिए विशेषाभिकारी वग और स्थानीय स्थायों के बहुत से अधिकार देंद्रीय उत्तरकार को उपर्यने पड़ते हैं।

अब हमें इस बात का विचार करना है कि किन कारणों से ४०० हूँ के बाद इन गणतंत्रों का अस्तित्व नष्ट हो गया। ३०० जायसवाल इनके पतन का आरण गुप्त यशी रूपों के साम्राज्यवाद को मानते हैं। उनका कथन है कि 'सिवदर की भौति समुद्रगुप्त ने देश को स्वतंत्रमावना को कुचल दाला, उठने योग्य, मालव तथा उन अय गण-राज्यों का नाय किना जिनके उत्तरण में स्वतंत्रता का पालन, पोषण और स्वयं होता था।' परतु यह कथन ठीक नहीं। मालव अहुनायन, योग्य और मद आदि गणों ने समुद्रगुप्त की अधीनता बख़त कुठ़ कर पर देने तक सीमार की थी। गुप्त सम्राट् को कर देते हुए भी उनकी अस्तर्गत सुगदित रही उनके प्रदेशों पर गुप्त राजाओं का प्रत्यरुद्धारण न था। अन्त उनकी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर गुप्त साम्राज्यवाद का विशेष प्रभाव पहना समझ न था। पहले भी मीर्य और कुराग साम्राज्यों ने उहें आत्मवात् कर लिया था, पर इन

^१ आयुषभीविषयः—म्यद्वाहीमेषु भग्नादायरात्याद्। पालिनि, ८३।११२
यहाँ साम्राज्य और चत्रिप एक साथ रखे गये हैं।

गणराज्य या प्रजातंत्र

१०

गान्धीज्यों के कमज़ोर पहले ही गणराज्य पुन स्वतंत्र हो गये। युस उग्राज्य बाद ने उनकी अतगत द्वाधीनता में इस्तदेप न किया या अतः यह समस्तना मुश्किल है कि वह उनकी प्रजातंत्र व्यवस्था के लिए केषे धारक सिद्ध हुआ।

नदसा गाँव के यूप पर के लेख से पता चलता है कि तीसरी शताब्दी में ही मारव या रास्य की सत्ता पैतृक परपरा गत होकर ऐसे कुलों के द्वाय में जा रही थी जो अपना उद्भव इहांकु एवर्पियों से बताते थे। चौथी शताब्दी में यैथेय और सनकानिक गाँवों के नेता महाराज और महारेनापत जैसी राजसी उपाधियों घारण कर रहे थे। यही दशा लिन्दवि गण राज्य की भी रही होगी क्योंकि 'राजपुत्रो' कुमारदेवी लिन्दवि प्रदेश की उत्तराधिकारिणी हो गयी, जो सेनापति रहते थे और जो 'राजसी' उपाधियों मी घारण करते थे, तो गणराज्य और उप तत्र में अतर ही क्या रहा ? गणतनों के सदस्यों ने इस नयी प्रवृत्ति का विरोध कर्यो नहीं किया और गग व्यवस्था के क्षेत्र कमज़ोर होती गयी, इसका ठीक कारण शात नहीं। राजा के देवत्य की भावना के लिए पकड़ने से प्रभावित होकर ही गग यज्ञों ने उमवत अथव पद के आनुष्ठानिक होने का विरोध नहीं किया। समव है उहोने यह भी दोचा हो कि गात्र की वेदा नृपतंत्र द्वारा विदेशी आक्षमग ते अधिक सुरक्षा हो रहती है।

अध्याय ७

केंद्रीय लोकसभा

आधुनिक राज्यों के केंद्रीय शासन में, राज्याध्यक्ष, राजा या राष्ट्रपति, उसकी परिषद् या मंत्रिमण्डल, तथा सरकार पर नियन्त्रण रखने और विधि नियम या कानून बनाने के लिए पूर्णत या मुख्यत लोकसभानुवर्ती प्रतिनिधिसमा या घारासभा का समावेश होता है। इस समा को केंद्रीय लोकसभा कहना चर्चित होगा। पिछले दो अध्यायों में वृपतश्च और गणतन के अध्यक्षों के सघ में विचार किया जा चुका है। अब इस केंद्रीय लोकसभा के मौति कोई विचार करेंगे। क्या प्राचीन भारत में आब कल की पालटेट की मौति कोई केंद्रीय लोकसभा थी? यह किसी विशेष दुग्ध या विशेष प्रकार के राज्य में ही या सरकाल में और सद प्रकार के राज्यों में यी? इसके सदस्य किस प्रकार चुने जाते थे? सरकार पर इसका नियन्त्रण या या नहीं और यदि या तो किस सीमा तक या? कानून या विधिनियम बनाने का अधिकार समा को ही या या सरकार विना इसकी स्वीकृति या अनुमति के विधि या कानून बना सकतो थे। इदी प्रश्नो पर हमें इस अध्याय में विचार करना है।

पिछले अध्याय में यह दिखाया गया है कि प्राचीन गण-जन्या में आधुनिक पालटेट से मिट्टी चुन्ही केंद्रीय लोकसभा बताना थी। यह मी बताया जा चुका है कि उनमें किन कर्गों का प्रतिनिधित्व या और शासन पर उनका क्या प्रभाव या। अब हमें यह देखना है कि इसी प्रकार को स्थाप्त उपराजक शासन पद्धति में मी होती थी या नहीं। वैदिक वाद्यमय के अध्ययन से जात होता है कि तकालीन प्राच एवं गण्यों में लोकसभाएँ होती थी जो राज्याभ्यों का नियन्त्रण करती थीं। शून्येद काट एवं वीक्षण राज्य ग्रोष के नगर राज्यों की मौति विस्तार में चुन्ही वर्ग मीठ से अधिक न थे। इनकी राजधानी इनमें अत्यभूत प्रामों से चुन्ही विशेष यही न होती थी। दूर प्रग्म में उनका को 'समा' होती थी और राजधानी में अपूर्ण राज्य की केंद्रीय लोकसभा होती थी जिसका नाम 'उभिति' था।

'समा' और 'समिति' का वेदिक काल में बड़ा ऊँचा स्थान था । एक ऐसे ठाँहे प्रजापति को जुहूवा 'दुहिताएँ' कहा गया है^१ । इससे मालूम होता है कि लोग समझते थे कि ये सनातन ईश्वरनिर्मित सद्धार्थ हैं और यह मानते थे कि यदि समाज के आदिकाल से नहीं तो कम से कम राजनीतिक जीवन के प्रदुर्भाव के साथ ही साथ ये भी अद्वितीय में आये । वेदिक काल के भारत के गाँव गाँव में ये सद्धार्थ विद्यमान थे और होनहार राजनीतिक या विद्वान् की इससे बड़ी काई आकांक्षा न थी कि समिति उसकी योग्यता स्वीकार कर^२ । यही नहीं, विवाह के समय यह मनाया जाता था कि नष्टवधु भी अपने बहुत्सुख से समिति को बधा में कर सके^३ ।

वेदिक धार्म्य में तीन प्रकार की समाएँ मिलती हैं, 'वद्य', 'उमा' और 'समिति' । इन शब्दों का ठीक अर्थ निश्चित करना कठिन है । सभव है कि देश काल के अनुसार इनके अर्थ में वेदिक युग में भी परिवर्तन हुआ हो । आधुनिक विद्वान् भी इस विषय में एक मत नहीं हैं । जुड़विंग का मत है कि 'समा' में पुरोहित, धनिक आदि उच्चवर्ग के लोक समिलित होते थे, और 'समिति' में साधारण लोक रहते थे । शिमर का अनुमान है कि 'समा' ग्राम सद्धा थी और राजमति पूरे जन की केंद्रीय परिपद थी । हिन्दौड़ का मत है कि समा और समिति एक ही थीं, समा उस स्थान का नाम था जहाँ लाग एकन होते थे और 'समिति' एकत्रित समूह को कहते थे ।

इन विभिन्न मतों को विवेचना न सो यहाँ समव है न आवश्यक हो । 'विद्य' शब्द यिदि घातु से निकला है और इसका अर्थ समवत् विद्वानों को समा है । शासनध्यवस्था के संबंध में इसका प्रयोग शायद ही कहीं किया गया हो अत इसे हम छोड़े देते हैं । हिन्दौड़ का यह मत भी ठीक नहीं कि समा कोइ अलग सद्धा नहीं बरन समिति के अधिवेशनस्थल ही का नाम था, क्योंक ऊपर दिये गये अथवावेद के वद्वरण में समा और समिति दो षडने अर्थात् दो अलग सद्धार्थ कही गयी हैं । एक अर्थ स्थल में वर्णन है कि वात्य का अनुसारण समा समिति और सेना के सम्बन्धों ने किस प्रकार किया^४ ।

१ समा च मा समितिशाकर्ता प्रज्ञापते दुहितरी सदिदने । अ वे, ० १२ १

२ ये ग्रामा यद्वर्ण्य या समा अथ भूम्याम् ।

ये रीढामा समितिपस्तेषु चार वद्वरण्याम् ॥ अ वे १२ १ २३

३ धनिनी च विद्यमावदावि । ग्रह वे, १२ ८५ २१

४ त च समा च समितिशानुरूपवान् । अ वे, १५ ६

इसके स्पष्ट है कि 'समा' 'समिति' के अधिवेशन का स्थान नहीं बरन अत्यं सत्या थी। एक पुराने वैदिक मध्य में वर्णन है कि 'समा' में बहुधा गटबों स्थी ही चर्चा होती थी और उनके द्रुत के दीर्घि गुण का बलान किया जाता था^१।

एक अप स्पष्ट पर वर्णन है कि लुभारि लोकसमा में एकजूह होकर किसी प्रकार ज्ञाएँ में सब कुठ खो बैठने पर बाद में अपनी स्थी और अपने को भी लगा देते थे^२। आदर्श प्रथों में भी 'समा' और ज्ञाएँ के इस संयोग का वर्णन है^३। इसके प्रकार होता है कि 'समा' मुख्यतः गाँव की सामाजिक गोष्ठी ही थी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर आम यावत्यासे लकड़ रखने वाले होठे मोटे सामानों पर भी इसी में विचार कर दिया जाता था। आपसों ज्ञागदे निपटाना और गाँव की रक्षा का प्रचल करना हा मुख्य विषय थे, मुख्यमें यह के बर्णन से यता चलता है कि समा और समाजों का न्याय दान सर्वनिष्ठ संवध था।

समझ है कि बुठ राज्यों या प्रदेशों में 'समा' का संवध राज्यों से या और बहु सामाजिक गोष्ठी नहीं बरन यज्ञों तक संत्या रही हो। अयवेद के एक मध्य में यम के समापदों को राजसा पद दिया गया है और उन्हें यम को प्राप्त होनेवाले यह भाग के १६वें द्विस्स का अधिवारी बताया गया है। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि मत्स्योक के समापदों का पद भी स्वगतोक के समापदों को मौति राजसी श्रेणी का था और वे भी राज्य के कर और गुरुक उ होनेवाली भाष्य में कुछ हिस्सा बटाने के इकाई थे। मगर वह समझ है कि उपरि निर्दिष्ट स्पष्टों में 'समा' से यम या इन होकर हे राजा के अमात्य यद्दल का सदैत रहा हो न किसी लोकसमा का। एक स्पष्ट पर समापद के प्रत्युत्तर यन् (गोष्ठन) का उल्लेख और उसके खुल ठाट-बट संविद्या छोड़ों के रथ पर सवार होकर समा में जाने का वर्णन किया गया है^४।

१ यूप गावो भेदयथा हृषा विद् । शू वे, ७ २८ ६

२ समाजेति कितवा पृष्ठसाम ज्ञेष्यामाति तद्वा योग्युषात् ।

शू वे, १० ३७ ६

३ तैति वा, १ १ १० ५, यत वा ५ ३ १ १० ।

४ पद्मावानो विमञ्चन्य इष्टपूतस्य योद्धा यमस्यामी समापद वा

शू वे १ २९ ।

५ अस्या रथो मुख्य इद्योर्मा इन्द्र संसामा । शू वे, ८ १ १

उससे मी यह सुचित होता है कि वह वहा अधिकारी होता था । फिर भी अधिकतर प्रमाणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि 'उभा' प्रायः ग्राम सहस्रा थी और उसमें सामाजिक और राजनीतिक होनों विषयों पर विचार किया जाता था ।

शूग्वेद के अतिम मन्त्र में 'समिति' का उल्लेख सामाजिक या विद्वामठला के रूप में किया गया जान पड़ता है । परंतु एक और पहल के मन्त्र में वर्णन है कि राजसचा फो हस्तगत करने की इच्छा से एक नेता ने समिति का भी अपने वश में करने की योजना बनायी थी^१ । शूग्वेद में एक स्थल पर आदश राजा के अपनो 'समिति' में जान का उल्लेख किया गया है । अथव येद में एक पदच्युत राजा ने पुनः लिहाजनारूढ़ होने पर सबसे बड़ी आकँज्ञा यही प्रकट की कि मेरो समिति सदा मेरी ओर रहे^२ । इसी प्रकार मालाग का वा अपहरण करनेवाले राजा को सबके बड़ा शाव यही दिया जाता था कि 'तुम्हारी समिति तुम्हारा साथ न दे'^३ ।

उपर्युक्त उद्दरणों से प्रकट होता है कि एक दो स्थानों पर 'समिति' का सामाजिक गोष्ठो के रूप में उल्लेप होने पर भी वह वास्तव में राजनीतिक सहस्रा थी और उसका रूप केंद्रीय शासन की 'यवद्यापिका' समा का था । यह सहस्रा अर्थात् प्रभावशाली थी, बहुधा इसी के समर्थन पर राजा का भविध्य निमर रहता था । 'समिति' के विरुद्ध ही जारे पर राजा की स्थिति अत्यत सकट पूर्ण हो जाती थी । खोये हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने वाले राजा की स्थिति तथ तक सुदृढ़ न मानी जाती थी लव तक समिति उसक सहयोग करने पर तैयार न हो जाय । यह स्पष्ट है कि राज्य के केंद्रीय शासन और उना पर 'समिति' का बहुत अधिक प्रभाव था, पर व्यवहार में इसका उपयोग वैसे होता था और राजा के अधिकारों से इसका सामर्ज्य विस प्रकार किया जाता था इसका हमें जान नहीं ।

१ सार्वज्ञ सदस्य स वो मनो स जानताम् ।

समाज मन्त्र समिति सम नी समाज मन सह चित्तमेशाम् ॥

१० १९१ २-३

२ आ यदिवत्तं आ वो प्रत आ घोड़द समिति दरे । १० १९६, ५

३ भ्रुवय से समिति क्षवरठामिह । अ वे, १ ८८ ३

४ गारमै समिति क्षवरे न मित्र नयते बदाम् । अ वे, ५ १६ १५

समिति के संघटन के विषय में भी हम कुछ नहीं जानते। समिति सरकारी सम्या थी या गैर सरकारी ? यदि गैर सरकारी तो निर्बाचित थो या नहीं ? यदि निर्बाचित तो निर्बाचिक एक विशेष धर्म या या साधारण जनता ? निर्बाचिन उपरत जीवन भर के लिए था या कुछ वयों के लिए ? इन सब प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए हमारे पास कुछ भी साधन नहीं हैं। चूँकि गणतंत्रों की समितियों उभयर्ग की स्थापना थी, अत अस्य है कि राज दत्र की समिति^१ भी उसी ग्रन्थ का रही हो। वैदिक वाल के राज्य ग्रन्थ के नगर राज्यों की मौति छोटे छोटे होते थे अत अस्य है कि समाज में प्रमुख स्थान रखनेवाले योदा या प्रतिष्ठित परिवारों के घटपति हो समिति के सदस्य रहे हों। उस युग में पुरोहित का कार्य सुदृढ़ क्षेत्र में भी महत्व रखता था अत समिति में उनक प्रतिनिधि रूप में और कोई नहीं हो राजा के पुरोहित तो अवश्य ही रहे होग।

'समिति' के सदस्य समाज के प्रतिष्ठित और घनी अक्षि होते थे और शाहन पर उनका बहा प्रभाव रहता था, 'समा' के सदस्यों भी मौति व भी पूरे ठाठ से 'समिति' के अधिवेशन में उपस्थित होने जाते रहे होंगे।

स मति में गदरा यादविवाद होता था, राजनीति में नाम करने के इच्छुक नये सदस्य अपनी भाषणकर्ता स समिति की प्रभावित करने के लिए उनक रहते थे^२। समिति में उन्नता उसी की मिट्टी थी जो अपनी वाक्चातुरी और एक बल से सदस्यों को अपनी ओर कर ले। कभी कभी दलवानी का तोवता होने पर गरमा गरम रहते हो जाते थे और हाथा पाई की भी नोबत आ जाती रही होगी। इसी से ऋग्वेद में यह प्रार्थना की गयी है कि समिति की कारबाह धौहात्र पूर्ण हो, सदस्यों में मेल लोल रहे और उसक नियम एक मत स हो^३।

यद यद और मात्रन्यय की नात है कि जो 'समिति' शूग्येद और अथव वैद के युग में इतनी प्रमुख और प्रभावशाला उस्या रही हो, वह सहिता और प्राक्षण के युग आने भाते कुत सी हो जाय। 'समा' का नाम थो ऐप या पर स्वरूप एकदम बदू गया था। ग्राम सभ्या के बजाय अब वह राजा को परामर्शदायी परिवद या राजमाना बन गयी थी और अनक शाताविद्यों तक दबका यही अप था। इसकी बैठक बारबार हुमा करती थी और इसका अपना

^१ ये समाज समितयमत्पु चाद वदाम्यइम् । अ ये, १२, १ ५३

^२ वृश्चिये पृ १४ नोट । ।

समाप्ति होता था^१ । इसके सदस्यों (समासदों) का पद पुरोहित या उपराज्याधिकारी के बराबर होता था^२ । इसमें करद सामत मी उपरिषद रहते थे^३ । इसके पता चलता है कि यह धरि भीरे लोकप्रिय सत्था से राजदरबार में परिवर्तित हो गयी थी । केंद्रीय लोकसभा के रूप में इसका इतिहास यही समाप्त होता है ।

उपनिषद काल में समिति पुनः प्रकट होती है अपनी शिवा समाप्त करने के माद श्वेतकेतु पाँचालीं की समिति में जाते हैं । राजा भी इस समिति में उपरिषद ये और उन श्वेतकेतु की विद्या के परीक्षाय उनसे कुछ प्रश्न माकिये थे । इसके शास्त्र होता है कि उपनिषद काल में समिति प्रहित समा जैसी सत्था थी जिसके समाप्ति कभी-कभी राजा भी होते थे खासकर किसी नय स्नातक की परीक्षा आदि के अवधर पर, जैसे आजकल विश्वविद्यालय के टपाधिवितरण समारोह के समाप्ति गवर्नर हुआ फरते हैं । यह सो निश्चित है कि धर्म सूत्रों के समय से पहले ही (इ० पू० २००) 'समिति' और 'समा' राजनीतिक रुप स्वीकृती थी, योकि सूत्रों में राजा या शासन के कार्यों के वर्णन के प्रस्तुत में इन रुप्ताओं का कभी नाम भी नहीं लिया गया है । 'समिति' के सो नाम से भी ये परिचित न थे । 'समासद' शब्द का उल्लेख अवश्य हुआ है पर उससे न्यायसमा या राजसमा के सदस्य निर्दिष्ट होते थे न कि लोकसना या 'यवस्थापक समा' के ।

परन्तु गणराज्यों में केंद्रीय लोकसभाएँ बराबर काम करती रहीं यह इस पिछले अध्याय में देख चुके हैं । नृपतम में ये क्यों विकृत हो गयीं यह जताना फठिन है । एक कारण यह हो सकता है कि गणराज्य बहुत बाद के समय तक भी विस्तार में बढ़े न थे, जब कि ग्राहण काल (१९०० १००० ८० पू.) में ही राजशाहित राज्य बहुत विस्तृत हो गये थे । विस्तृत राज्यों में जहाँ ग्राम दूर दूर पर बसे होते थे, 'समिति' जैसी केंद्रीय लोकसभा का मिलना और काम करना फठिन हो जाता था । प्रतिनिधि 'यवस्था' उस समय न निकली थी इसलिए समिति का काम करना छोटे छाटे राज्यों में ही, उभय या सुडर या जहाँ जनता राजशाही से अधिक दूर न रहती थी । अन्त, बढ़े राज्यों में एक और सदस्यों के एकत्र होने और काम करने में फठिनाई थी, दूसरी ओर राजा

^१ वा सं, १३ ८४

^२ ये वा, ८ २१

^३ वा वा, ३ ६ ८ १४

सारी उत्ता अपनी मुड़ी में ही कर देने का अवसर ढूँढ़ा करते थे। अब 'समा' और 'समिति' का इन परिचयतियों में घरे घरे समात हो जाना स्वामाविक ही था।

पौर ज्ञानपद समा

भी काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि वेदिक काल की 'समा-समिति' एकदम बिनष्ट नहीं हुई, वहिं उनका स्थान 'पौर ज्ञानपद' ने ले लिया, जिनका उल्लंग जाद के साहित्य और उल्कीं लखाड़ी में कमी-कमी मिलता है। भी जायसवाल ने वडे विस्तार से इस मत का प्रतिशादन किया है। आप बहते हैं कि साधारणत पौर-ज्ञानपद का अथ विसी रुच के आम और नगर की अनता है पर यह इसका उल्लंग नपुसक एक बचन में 'शौर ज्ञानपद' के रूप में हो तब इसका अथ गृध्राना और दश क नामरिकों को 'प्रातिनिधि सत्या' होता है। रामायण में इस सत्या का उल्लेख है और दूसरी शतान्दी इ० य० में लारवेल क राय में यह काम कर रही थी। मनुस्मृत तथा अन्य समूहतियों में ज्ञानपद के कानूनों के बान उभी इसका अधित्व विद होता है, इनके अधिकारों का भी उल्लेख समूहतियों में पाया जाता है। इस सत्या की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि इसके विराद आचरण करनेवाल व्यक्त को सरकार द्वारा इक्षी भी प्रकार की मुविवाद देने का निपेध किया गया है^१।

दा० जायसवाल ने अपने मत का प्रतिपदन बहो विद्युता और चटुरता से किया है। पर उहाने जो प्रमाण दिये हैं तथा इस विषय में जो अम शामप्री उपर्युप है उन सबकी निष्पद्ध इष्टि ४ समीक्षा करने पर यही निष्पर्युप निकलता है कि ६०० इ० य० स ६०० इ० तक के बाट में 'पौर-ज्ञानपद' नामक कोइ कोइ उमा भावीन भारत में न था। रामायण (कोड दो सर १४ ३४) में उल्लिखित 'पौर ज्ञानपद' इन्द (एक बचन में याने 'पौर-ज्ञानपदश' के स्वरूप में) मानने और ताद उसका अर्थ 'नामरिकों की एक सत्या' करने के पक्ष में व्याकरण के जो प्रमाण दिये जाते हैं, वे पुष्ट और मात्र नहीं हैं^२। रामायण में

^१ हिन्दू पौरिटी, भाग दो, अध्याय २४-२५।

^२ विश्वामीत इशोऽ यह है —

उ॑विष्टुति रामस्य समप्रमिदेचतनम् ।

पौरज्ञानपदस्यपि नैगमरूप शुर्तिविः ॥ ५५ ५२ ३

अधिकतर यह शब्द व्युत्पन्न में (पौरजानपद) ही प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ कोइ लोकसभा नहीं घरने जनसाधारण ही है। उदाहरणार्थ रामायण (काण्ड दो, चग १४ इलोक स ५४) में 'पौरजानपद' से प्रसुत व्यक्तियों की ओर ही संकेत है। अयश (२, १११ १६ में) भरत जिस पौरजानपद का उल्लेख करते हैं उसका सात्य उन हजारों लोगों से है जो श्री राम को लौटाने के लिए भरत के साथ गये थे^३। यदि यह मान भी लिया जाय कि पौरजानपद का अर्थ जनता की लोकसभा से है तो भी यह स्पष्ट है कि इसे कुछ विशेष अधिकार न ये। न तो यह श्रीराम के घर गमन के दशरथ के आदेश का नियेत्र कर सकी न श्रीराम को अयोध्या लौटने को राजी कर सकी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रामचान्द्र से आसिरी वार अयोध्या लौटने का अनुरोध करते हुए भरत अपनी ओर अमात्यों की प्रारंभना का तो उल्लेख करते हैं, पर पौरजानपद या लोकसभा का नाम भी नहीं लेते^४। राम भी भरत को विदा करते समय उन्हें मिश्रों, अमात्यों और मधियों की सलाह स राजकाल चलाने का उपदेश देते हैं। यहाँ भी पौरजानपद का नाम नहीं है^५। यदि पौरजानपद धार्मक में जनता की प्रतिनिधि सहधा थी, तो यह उपेक्षा भी भी आक्षयजनक हो जाती है।

(पृ ६७ से भागे)

जायसवाक्षरी का यह दावा है कि यूँ कि 'उपतिष्ठति' क्रियाएँ व्युत्पन्न में है इसलिए यसका दूरेक कर्ता एकवचन होना चाहिए, ऐसा होने से श्लोक में का 'पौरजानपद' पद एकवचन मानना पड़ेगा और उपका अर्थ 'पौरजानपद' समा होगा। मगर इयाकरण शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। मरुन वह कहा है कि कर्ताओं में से कुछ एकवचन कुछ द्विवचन कुछ व्युत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा अवस्था में क्रियाएँ व्युत्पन्न होना चाहिये।

१ पौरजानपदभेष्टा नैगमार्य गणे सह । २ १४ ५४

२ उवाच सर्वत ग्रेष्य क्रिमायमनुशासन ॥ २ १४ ४०

३ पुमिश सविषे साध शिर्सा याचितो मया ।

भ्रातु रिष्यस्य दासस्य यसाद क्षुमद्विति ॥ २ १०४ १६

४ अमात्यश सुद्धज्ञिरथ वुदिमज्ञिरथ मधिनि ।

सवदायाणि समर्थ सुन्दात्यरि करय ॥

खारवेल के हाथीगुप्त लेख में भी किसी भेदीय लोकसमा का उल्लेख नहीं है। लेख को ७ वों पर्ची में कहा गया है कि खारवेल ने पौर जानपद पर लालों 'अनुग्रह' किये। जायत्राल 'अनुग्रह' का अथ वैधानिक अधिकार मानते हैं, जो पौरसमा और जानपद समा को दिये गये। पर दैधानिक अधिकारों की सल्ला कभी लालों नहीं हो सकती अत अनुग्रह का अर्थ यहाँ विविध सुविधाएँ हो सकता चाहिये जो नगर और देहातों की जनता के लिए दी गयी और जिनका मूल्य लालों रूपे तरु था। राज्य की ओर स एक कुण्ड, हागालय और विश्राम यह आदि जनवाना और लगान आदि में घट देना प्रजा पर लालों रूपयों के बराबर 'अनुग्रह' करना कहा जा सकता है। हाथीगुप्त लेख के उद्देश विवेचन से भी स्पष्ट हो जाता है कि खारवेल की नीति या शासन पर किसी लोकसमा का कुछ भी नियन्त्रण न न। लेख म उसके मारत के विभिन्न मारों पर अभियान और विजय का वर्णन , परहु यह कहों भी नहीं कहा गया है कि पौर जानपद स कभी इनके छिए अमर्या या सहमति ली गयी थी। यदि पौर जानपद को कोई वैधानिक सत्ता भी तो उसे सधि विग्रह के समान महान क मामते में बोलने का न या।

सृष्टियों में जानपद धर्मों के उल्लेख से कदीय व्यवस्थापिका या लोक समा के स्पष्ट में जानपद का अतिक्ष चिद नहीं होता। मतु द्वारा (अष्टम अच्याय ४।) उल्लिखित 'जानपद धर्म' का अथ दश धर्म अथवा देश प्रथाएँ या लोकाचार है, भेदीय व्यवस्थापक सद्या द्वारा बनाये गये विधि नियम या जानन नहीं। इस र्णोक की प्रथम अच्याय के ११८ वें इचोक से द्वन्द्वा करने^२

- १ अनुमहानेशानि सत्प्रसदसानि विसज्जति पौर जानपदम् । ५ ६, २० ७३
 - २ दोनों स्तोक धर्म के भाधार'का बनन करते हैं भीर दोनों की दुक्कना से शात होता हि ८। का 'जानपद धर्म' , १८ का 'देशधर्म' हा है। देशधर्म भीर जानपद धर्म में कुछ भा फाल नहीं पा। देखिय —
- जातिप्रानवदा धर्मांश्वेषीषमांश प्रमविद् ।
समोद्द्यु कुञ्जधर्म इव स्वधर्म प्रतिपादयेद् ॥ ८ ॥
देशधर्मान् जातिपर्मान् धेष्योषमांश शाश्वतान् ।
पापदगण्यधर्माद्व शास्त्रेन्मुक्त्वा मतु ॥ १ १४ ६ ८ ८ ८

पर स्पष्ट हो जायगा कि ज्ञानपदधर्म और देशधर्म एक ही हैं। ज्ञानपदन के परिमाणा के अनुसार 'देशधर्म' किसी देश में प्रचृत वह सार्वजनिक आचार है जो भ्रूति और सूतियों के प्रतिवूल न हो^१। कौठिल्य के अर्थशास्त्र में भी विभिन्न प्रदेशों के आचार को ही देशधर्म कहा गया है^२। देश के विभिन्न भागों में दायमाण विवाह, खानपान और सृज्ज संस्कृती नियम व्यवह अन्न होते थे। कहीं विषवा दायमाण की व्यवहार यों तो कहीं नहीं। दक्षिण देश मामा की बड़की के दाय विवाह होता था पर उस में नहीं। उसर में माटिया पान पर रोक नहीं थी, दक्षिण में थी। इसीलिए मनु तथा अप्य सूतिमार्ग सलाह देते हैं कि 'याय करते समय उस देश के 'ज्ञानपदधर्म' और 'देशधर्म' का अध्यान रखना चाहिए। परन्तु यह धर्म प्रचलित आचार ही था, 'ज्ञानपद' की स्थिरतापक सभा द्वारा बनाये विधि नियम या कानून नहीं।

मनु एक स्थल पर 'ग्राम' और देश के 'समयों का उल्लङ्घन करनेवाले व्यक्तियों के लिए दण पा निर्देश करते हैं। जायसवाल इन 'समयों' का अर्थ माम और देश की 'यवस्थ पक समाव॑ द्वारा बनाये गये विधि नियम या कानून समझते हैं, पर ये धारणा भी ठीक नहीं है। मनु अध्याय द श्लोक १६ में स्पष्ट कहते हैं कि 'समय' या उचिद् राज्य के विधि नियम या कानून नहीं थे, किन्तु माम और देश पे अधिकारियों की राजी से किये समझौते मात्र थे^३। यदि लोपयह कोइ आदमी इनका उल्लङ्घन करतो तो उस पर खुर्माना

और भी वर्षन देखते (ए ६६ से ज्ञाय)

देशसातिकुष्ठधर्मां ज्ञानावैरविहृद्वा प्रमाण्यम् ॥ गीतम ध सू ११ २०

पच्छा विप्रातपति विद्यात्सत्यस्तु ।

सत्यात्त देशप्रामाण्यमेव स्पाद् । यो ध सू ११ १७-१८

१ स्पृष्ट देशस्य यो धम प्रवृत्त सार्वजनिक ।

भ्रूतिसृष्टपुराधेऽ देशस्तु स उत्पत्ते ॥

२ देशस्य ज्ञान्या सप्तस्य धर्मो ग्रामस्य धावि यः ।

उत्तिस्तात्प्र उत्तेष्ठ द्वाष्पदम् प्रकृष्टयेत् ॥ अप्यग्राम, ३ ७

३ अत ऊर्ध्वं प्रवद्यामि धर्मं समयमेदिनाम्

यो ग्रामत्तेष्ठास्यार्थं कृत्या सर्वेषां सविद्म् ।

विसंवद्यां त्रिमात्रं राष्ट्राद्वप्यसाप्यत् ॥

तिरुष्ट दायपर्यन्तं समयांनाचारिण्यम् ।

चतु चुर्णान् पद्म॒ निष्कान् शतमानं च राष्ट्रम् ॥ मनु, ८ १८-२०

किया जाता था। अथशास्त्र मागे ३ अध्याय १० में जहाँ ग्राम, देश, जाति या कुटुम्ब के 'समयो' के उल्लंघन पर विचार किया गया है, फौटिन्स ने इन 'समयो' का उदाहरण देकर सारी जात और भी स्पष्ट कर दी है। फौटिन्स कहते हैं, यदि खेत मन्त्रूर ग्राम के लिए हानेवाले किसी कार्य में काम करने का इकारार करके पीछे उसके इनकार करे, या कोई व्यक्ति किसी तपारी के लिए चंदा न दे और जोरी से उसे देखे, या कोई ग्रामवासी ग्राम के मुख्या के ग्राम के हिताय दिने गये किसी अदेश को न पूरा को तो ऐसी जातों में 'ग्राम समय' का उल्लंघन हो जायगा और दोषी टड़ का भाग जरूर होगा। अत मेर यह भी कहा गया है कि 'देश समय' का उल्लंघन भी इसी प्रकार समझाना चाहिये । इस स्पष्ट है कि 'देश समय' केंद्राय यवस्थापन समा की व्यवस्था नहीं बरन देश या प्रात के प्रशान अधिकारी 'देशाध्यक्ष' से किये गये समझाते ही होते थे। जायसचाल की यह धारणा (पृ० २७) ठीक नहीं है कि 'देशाध्यक्ष' या 'देशाधिक' देश की व्यवस्थापक समा के 'अध्यक्ष' को कहते थे। विष्णुस्मृति और शुक्र नीति के नोचे लिने वृद्धणों से स्पष्ट हो जाता है कि जिनका प्रधान व्यविधिकारी हो 'देशाध्यक्ष' या 'देशाधिक' कहा जाता था^३। इसका अदिक विवरण भाग दसवें अध्याय में मिलेगा।

जायसचाल के इस मत का भी समृद्धियों से कोई समर्थन नहीं होता कि पौरजानपद के विरोधी की ज्यायालयों में कोई सुनवाइ नहीं होती थी। नोचे दिष्टगी में उद्यृत धीरमित्रोदय के बचन को जायसचाल आधार मानते हैं, मगर वह केवल यही कहता है कि यदि वादी का दावा नगर या देश में सर्वेषमत पुरातना व्यवस्था के विरुद्ध हो तो उसे यामाल्य स्वीकार न करें ।

१. कर्यकृत्य ग्राममभ्युपेताङ्कुवदो ग्राम एवाध्यक्ष इरेत् । ग्रेतावामनवाइ सहवग्नो न ग्रेत्येव । प्रदद्वच्छवणद्युयो च भवद्विते च कमणि विप्रदृण द्विगुणमन्त दृष्ट त् । सय हत्तमेष्ट्य सुकृत ङ्कुरुत्तम् । यकरये द्वादशावणो दृष्ट । तैन देशावातिकुलमधार्ना समवद्वशानवार्तम वशानवार्तम् ।
भर्त्यशास्त्र-भाग ३ अध्याय १० ।

२. सत्र स्वस्त्रद्वामाधिशान् कुर्यात् । देशाध्यक्षान् । ग्रामवासान् देशाध्यक्षाद्य । विष्णु ३ ०-१० ॥
चृतिद्वयश देशाधिगान् सदा कुर्यात् नृग । शुद्ध १ १४७ ।
३. धीरमित्रोदय का वृद्धेन्द्र यह है—यद्य नगरे राष्ट्रे च या व्यवस्था पुरातनी तद्विरोधावादको ग्र्यवद्वारो गादेय शैवजानेपददत्तोभासाद्यागद् । याहु-
कृ पृ ३

इस स्थल में रामायण के एक पुष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन है, पर इससे यह अर्थ कभी नहीं निकलता कि 'पौर ज्ञानपद' का विरोधी 'यायात्र्यों से कोई सहायता न पा सकता था ।

पौरसभा का भूतपूर्व सदस्य शूद्र होने पर भी ब्राह्मण का सम्मानार्ह है, यह धारणा भी मूल उल्लेस का ठीक अर्थन समझने से ही हुई है । मूल में एक नगर के रहनेवालों के परत्पर गिरावचार का धगन है । गौतम का कथन है कि अपने ३ कप उम्र के अवधिक और मात्रा आदि का भी उठकर अनि घादन करना चाहिये, ८० वर्ष को अवस्था से ऊपर शूद्र का भी इसी माँति सम्मान करना चाहिये । पौर यहाँ नगर निवासी का घोषक है नगर लोक सभा के सदस्य का नीति ।

अब हम तथोक्त 'पौरज्ञानपद' सत्य के घघानिक अधिकारों के विषय में जायसशाल जी के मत की समीक्षा करेंगे । रामायण में राम के यौवराज्याभिपेक के प्रथम में पीरों को भी जो उल्लेख आ गया है उसी के आधार पर ज्ञाय सुधाल जी का यह निष्कर्ष है कि इस सत्य को युवराज नुनने का अधिकार या । परंतु रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि राजा ने वेबृ अपने सचिवों से राय करके श्री राम को युवराज नियुक्त करने का निष्पत्र किया । जिस शब्दाक के घर पर कहा जाता है कि पीरों से भी राय ली गयी, उसमें 'आमऽनि' शब्द का अर्थ ही गलत समझा गया है । 'आमऽनि' का अर्थ 'राय देना' नहीं बल्कि 'विदा करना' है । अस्तु, विवादमूल इतोक ॥

(पृ १०१ से आये)

वृद्धय सृष्टि के अस्याय दो, इलोक इ पर टोका करते हुए अपराह्न 'पौररात्र्यविद्वद्' का अर्थ इष्ट 'पौररात्र्युचारविद्वद्' वत्तात्त्वे है ।

- १ शृ॒तिव॒श्चृ॒त्युरपि॒त्तुङ्मातुलानीं तु यवीयसो प्रत्युत्यानमिवाद्वाया । यथाऽन्यपूर्वं पौर अशीतिकावर शूद्रोऽपत्यसमेत । गी घ स् ३-१० ।
- २ देविये पी मि स् ११४३, मनु के अस्याय दो के १२४ के दशाद्वायय पौरसत्य पूर्वाद्यर्थ कक्षास्त्राम् की व्याप्त्या इस प्रकार इष्ट की गया है—एकपुरवासिनो अविहत्ताविद्यादिगुणरहितानीं दशाद्वयस्त उपेत्ते सत्यवि सत्येषमिष्यायते ग तु अभिशाय । पुरमहेण प्रदत्तायै सेत एकप्रामत्तासेवि पृष्ठ भवति ।
- ३ निश्चत्य सचिवै सार्वं युद्धात्ममायत । २३४१
- ४ ऐ चावि पौरा तृष्णवेष्टस्तस्युया तदा चामनियेऽमातु । नरेऽमामाय गृहाग्नि गत्वा देव न्समानसुं दिविष्ट्वा ॥ २८३४

का सही अर्थ है कि राजा से विदा लेकर राय देकर नहीं, पौरगग अपने घर गये। रामायण से योद्धा भी परिचय रखनेवाले व्यक्ति ज्ञानते हैं कि श्री राम के भवित्व का निपटारा जनता की राय से नहीं, किंतु व्यती पुर के पठ्यश्रो से हुआ।

इसो प्रकर मृच्छकार्टिक नाटक के दशम अक के एक स्थल का कुछ और ही अथ इगा ज्ञान के कारण यह मत प्रतिपादित किया गया कि पौरज्ञानपद राजा को गदा से उतार सकता था। इउ अक मे शब्दिक दुष्ट राजा पालक का वच करके अपने मित्र व्यार्थक को गदी पर बैठाता है। पौरज्ञानपद का इस काय में कुछ भी हाय न था। शब्दिक शासन परिवर्तन की धारणा ज्ञानपद सत्या^१ मे नहीं, जनता के समूह में करता है, जो चाहदत का वध देरखने को एकत्र हुए थे। शब्दिक अपने मित्र चाहदत को खोज रहा था, कि उसका इष्ट जनसमूह पर पड़ता है, और वह अनुमान करता है कि चाहदत का मृच्छकार्टिक नाटक के किछी अक में कही भा पौरज्ञानपद सत्या का उल्लंघन नहीं है।

ज्ञायसवाल जी के मतानुसार पौरज्ञानपद सत्या का एक प्रधान कार्य स्कट के समय अतिरिक्त कर रागान की स्वीकृति देना था। महामारत से एक उद्दरण उक्त थे बताते हैं कि इसने राजा द्वारा पौरज्ञानपद से अतिरिक्त कर की धाचा की गयी है। परंतु इस उद्दरण के अर्तम श्लोक में कहा गया है कि मौका पहचाननेवाला राजा इस प्रकार की मधुर, चतुर और आकृपक चात उक्त अपने दूसी को प्रता में भेजे^२। अर्द्ध, उपयुक्त उद्दरण मे पौरज्ञानपद समा मे का राजा का भाषण नहीं बरन भावशक्ता पड़ने पर किस प्रकार चिकनी जुपड़ी थातो द्वारा प्रता को पुरुल कर अतिरिक्त कर देने पर राजी किया काय इसका एक नमूना है।

यह धारणा भा ठीक नहीं है कि रज्ज मे चोरी उक्तेवी द्वाय हाने वाली हानि के लिए यज्ञा से ज्ञति पूर्ति माँगने का पौरज्ञानपद समा को अधिकार

१ मयतु भव देन भवित्वय यज्ञाप जनपदसमवाय ।

मृच्छकार्टिक, दशम अक, ब्रौह्म उग्या ४३ के पाद ।

२ इति धाचा मधुरया शुद्धया सोरचारया ।

श्वरमानभ्यवस्त्रेष्वोगमायाय वालविद् ॥ म मा १२ ८७ ३४

या^१। प्राचीन भारतीय राजनीति का यह उद्दान्त था कि चोरी कर माड बरामद न होने पर यज्ञ नागरिक की द्विति पूरी करे। याशब्दस्य आदेश देने हैं कि राजा 'जनपद' (नागरिक) को 'चोरहुत घन' दे। यहाँ 'जानपद' का अथ लोकसभा नहीं, यह मनु समृद्धि के इही विषय के निर्देश से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें यह छहा गया है कि चारों द्वारा अपहृत घन पाने का अधिकार सब यारों के लोगों को है^२। इसके स्पष्ट है कि मनुसमृद्धि में 'जानपद' का अर्थ किसी भी वर्ण का नागरिक है 'जानपद सभा' नहीं।

१० अध्याय में दिखाया जाएगा कि नगर और ग्रामों में ऐर सरकारी लोकसभा या पचायते होती थीं जिन्हें कपड़ी अधिकार रहते थे। पर जायतवाल की यह चारणा गति है कि जानपद (देहात) सभाओं से पृथक राजवाली की अपनी 'शौर सभा' थी। इक्षा कोइ प्रमाण नहीं कि उच्चर शौद्ध काल में जानपद सभाएँ विद्यमान थीं। जायतवाल जी ने जितने प्रमाण दिये वे ऐतिहासिक स्वरूप के नहीं हैं, वे उच्च साहित्यिक प्रयोग के उल्लेख मात्र हैं और इनसे पौर जानपद देखा किली भी युक्त स्थान का अतिरिक्त नहीं लिद्द होता जिसे राजा को गढ़ी से उतारने, युवराज नियुक्त करने, नये कर स्वीकार या अस्वीकार करने या देश के लिए औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक मुद्दियाएँ प्राप्त करने का अधिकार रहा हो। वहा जाता है कि ६०० ई० पूरे ६०० ई० तक इस प्रशार को संस्था काम कर रही थीं। यदि ऐसा है तो तत्कालीन किसी भी उत्तरीण नेता में इसका उल्लेख वही नहीं मिलता। मेरास्थेनीस के विवरणों और अशोक के घर्मनेताओं में सौय शासन पा सविस्तर वर्णन है, पर वे दोनों ही पौर जानपद सभा कोई उल्लेख नहीं करते^३। न जीतिल्य

१ हिंदू पॉलिटो, भाग दो, पृ० ६८।

२ देय चौरहुत राजा द्रव्य जानपदाय तु। याज०, २ ३६

३ दातस्य सदशर्णेऽयो राजा चोरहुत घनम्। मनु, ७ ४०

४ दिपावलीन ५० ५०७-८ में उद्दिनिति तथादिका के पौर नगर निवास हैं, नगर-सभा के सदस्य नहीं। राजा की जायतवाली के बिषय से सदकों की सफाई और गर्जनों की समाप्त कर रहे हैं, यह काम साधारण नागरिकों का हो रहा है, नगर की प्रतिनिधि संस्था के सदस्यों का नहीं। 'युत्ता च उद्दिनिता अर्थात् उद्दिनि योगकानि मागशोमज नामानोत्ता च इदा पूर्णकुम्भी प्रयुक्ताता'

क अथ शास्त्र में ऐसी किसी समा का निक है^१। गुर्तों के उत्कीर्ण लेखी में अनेक शास्त्र अधिकारियों का उल्लेख है, पर पौरज्ञानपद समा का नाम भी नहीं हिया गया है। ज्ञानपदों की मोहरें नालंदा में बहुतायत से मिली हैं पर वे विभिन्न ग्रामों की पचायत की मोहरे हैं किछी केंद्रीय सत्या की नहीं^२। १०० से १३०० ई० के बीच बच्चर और दचिंग भारत में राज्य करनेवाले विभिन्न घरोंके ग्रामों के उकड़ों ताप्रपत्र मिल हैं। इन ताप्रपत्रों में उहाँ भूमिदान का उल्लेख है उहाँ युवराज से लेकर गाँवके मुखिया तक समस्त शासनकालों और अधिकारियों से, जिनसे कुछ भी वाचा की आधका थी, दान पानेवाले व्यक्ति की अधिकार रवा का अनुरोध किया गया है पर एक भी ताप्रपत्र में जायसवालबी की पौरज्ञानपद समा का उल्लेख नहीं है। यदि इस प्रकार को समा उस समय काय कर रही थी और राज्य की आय-व्यय पर उसका नियन्त्रण था तो ताप्रपत्रों में इनका उल्लेख सबसे प्रथम होना च हिये था। लेकिन राज्य के अन्य उच अधिकारियों से दान में वाचा न देनेका अनुरोध किया जाता है तो पौरज्ञानपद स यह अनुरोध करना तो और भी आवश्यक था, क्योंकि राज्य की आय-व्यय पर इसका नियन्त्रण बताया जाता है। इत्तरों ताप्रपत्रों में से जिनमें राज्य म तनिक भी अधिकार रखनेवाले एक एक अधिकारी के नाम गिनाये गये हैं,

१ जायसवाल जी की यह धारणा (भाग दो, पृ ८४) भी ठोक नहीं है कि अथशास्त्र में पौरसमा को उपसमितियों का उल्लेख है जिसके जिम्मे होयों, सार्वजनिक भवनों और बाजार आदि को देखरेख का काम था। अथशास्त्र के उक्त स्थल में इस प्रकार का वर्णन है, राजा के घर (सुर्किया) होयों, समा शालाओं भीर पूरों (बाजार) में 'जनसमवाय' (भोइ) में जाये और बहस छेड़कर राजा के बारे में उनके विचार जानने की चेष्टा करें। घर पौरसमा को उपसमितियों में, जिसके बे सदस्य भी न थे, कैसे जा सकते थे और बहस छेद सकते थे ? निर समिति के बाद विशद स हा सदस्यों के विचार मालूम हो सकते थे किंतु घर भेजने को क्या अस्तर थी ? मूल इस प्रकार है—

सचियो द्विन्द्रहस्तीयसमाराजासमवायेषु विषाद कुयुं सघुणसप्तोय
राजा थूयते । न च स्य क्षिद् गुणो इत्यत्य पौरज्ञानपदान् दण्डकशास्त्रा
पादवति । ७ १३

२ पुरिकामज्ञानपदस्य, वारकोप्रामज्ञानपदस्य, ग्रीनालदाप्रतिवृद्धमन
पिकामज्ञानपदस्य—मे भ स ८, न ६६ पृ ४५६ ।

विधाय लोकसभा

१०६

एक में भी पौर जानपद सभा का उल्लेख न मिलना इमारी समस में इह वातका पश्चा प्रमाण है कि इसबो प्रथम सदस्यामी में ऐसी कोई भी सत्त्वा भारत में अधिकार में न थी। काश्मीर के जीवन और शासन व्यवस्था का संवितर वर्णन करनेवाली राजतरंगिणी में भी इस प्रकारकी किटी लोक सभ्या का उल्लेख नहीं है।

जैसा कि दसवें और चौथवें अध्याय में दिखाया जायगा, १२ बीं सदी के अंत तक भारत में ग्राम-पञ्चायतें और नगरों तथा पुरों की परिषेठे विद्यामान रही और इह शासन के कापी व्यविकार भी थे। पर इस वातका कोई प्रमाण नहीं कि। जायपवाल जी द्वाय प्रतिपादित प्रकार की कोई केंद्रीय सभा उत्तर घोट काल में रही हो। इस सभ्या के विनोप हो जानेके कारण भी ऊपर इस अध्याय में बता दिये गये हैं। शासन पर लोकसभा का प्रमाण ढालने की विविकुछ और ही थी जो पांचवे अध्याय में बतायी जा चुकी है।

सरकार और विधि नियम (कानून) बनाने के अधिकार

इसी अध्याय में यह भी समझ लेना चाहिये कि प्राचीन भारत के राज्यों को विधि नियम बनानेके अधिकार पहा तक थे। आधुनिक कालमें ये अधिकार राज्य की केंद्रीय सभा को रहता है। देखना है कि प्राचीन भारत में जब सभा और समितियों बनाने थीं, तब उन्हें ये अधिकार थे या नहीं।

व्याजकल के लोगों को यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारत में राज्य या समिति न तो विधि नियम बनाती थी न उन्होंने बनाने के अधिकार का दावा करता था। आधुनिक सुर्योदय व्यवस्थापक सभा द्वाय बनाये गये सकुचित करते जा रहे हैं और सनातन रूटिनियमों का केंद्र अधिकारिक कानून घार्मिंग और लौकिक दोनों लोगोंके होते थे। घार्मिंग विधिनियमों के द्वायार शास्र (श्रुति और सूति), लौकिक प्रथाएँ और पुराने गीतांगिक जाता था। यदि सरकार ने परपरागत विधिनियमों का बनात बदलने की देखा भी होती तो उसका अधिक दिन टिका मर्हमत हो जाता। परपरागत कालप्रथम से परिवर्ता होता था। पर यह परिवर्तन व्यवस्थापक सभा द्वाय प्रकाश्य और सुन्नत रूपमें नहीं घरू घीरे प्रथाओं के स्थाय परिवर्तित होनेके चुरचाप अलश्य गतिः हो जाता था। व्यवस्थापक सभाके आदेश के हातात परिवर्तन से समाज में पौर देवी आपच्छये के विवोम की आण्डा थी।

व्यत वेदिक कालमें राज्य या समिति कोई भी विधिनियम बनाने का दावा न करती थी और समृद्धि कालतक यही स्थिति रही। प्राचीन यूनान के ल्येटो ने राज्यशास्त्र मी विधिनियम बनाना सहकार के कायदेश का अग्र न समझते थे। उनका यह मत था कि विधिनियम पर परागत अनुभव पर ही अधिकृत होने चाहिये, कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में वह योग्यता नहीं हो सकती है जो प्रामाणिक ग्रंथोंमें निखित या परपरागत विधिनियमोंमें रहती है।

धर्मशास्त्रोंमें यहुत जोर देकर कहा गया है कि राजा का काम शास्त्र और प्रचलित प्रथाओं से अनुमोदित धर्मका पालन करना और कराना है,^१ इस्य या किसी राज्य संस्था द्वारा धर्म में परिवर्तन करने का उसे अधिकार नहीं है। धर्म और नीतिशास्त्र परमात्मा ने स्वयं रखे हुए हैं और राजा का कार्य उनके निर्देशा को कार्यान्वित करना है, अपने अधिकार से उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता^२।

परहु समय छीतने पर ज्यों ज्यों शासन का विनाश होता गया और छीतन की पेचीदगी बढ़ने लगी, राज्य को विधि-नियम बनाने का अधिकार देनेकी आवश्यकता जान पड़ी। ऐसी अवस्थाएं उपर्युक्त होने लगीं जिनके लिए धर्म और नीतिशास्त्रोंमें कीई व्यवस्था न की गयी थी और राज्य तथा जनता दोनोंके हितार्थ पुराने नियमों के संशोधन और नये नियमों को योजना करे भी जहरत जान पड़ी। मनुस्मृति ने राजाको शासन या आदेश खारी करने का अधिकार दिया^३, परहु वे शासन और आचार के विशद न होने चाहिये। याजृज्ञन्य

१ देशातिकृष्णधर्मो सवानेवैवानसुप्रविष्य राजा चतुरो वर्णान् स्वधर्मे प्रविष्टम्
पयेत् । य ए सू १९ ४

ज्ञातिज्ञानपदाग्धमान् धर्मोपर्वात्म धर्मविद् ।

समाधय कुञ्जधर्मार्थ स्वधर्मे प्रविष्टापयेत् ॥ भृतु, C ४१
पदचापि धर्मे इत्युपुण् । दृढनाति-प्राप्ताथय ।

२ धर्मशक करिष्यामि स्वधर्मे न कदाचन ॥ म गा, १२ ५३ ११६
तस्माद्वर्मं प्रमिष्येतु स धर्मवस्त्रे-नराधिप ।

धनित चाप्यनिष्टेतु त धर्मे न विचालयेत् ॥

३ मेषातिथि का स पर दोका है-यत सवैवेऽमय स राजा तस्मादेतो
रिष्टेतु वस्त्रमेतु मन्त्रिपुरोद्दत्तादिषु कायगत्या धर्मकायं-धर्मवृष्ट्या शास्त्राधारा
विस्त्रा धर्मवस्त्रे न विचालयेत् ।

भी कहते हैं कि न्यायालय को भी राजा के बनाये नियमों को मान कर कायान्वित करना चाहिये^१।

परन्तु राज्यशास्त्र के ग्रन्थ राजधानी को धर्मशास्त्रों से भी अधिक मान्य और शामाणिक मानते हैं^२। वृहस्पति का भी यही मत है (२ २७)। नारद का कथन है कि राज्यप्रब्रतिंति नियमों का पालन न करनेवाला राजधानी की उपेक्षा के अपराध के लिए दण्ड पावे^३। शुक्र कहते हैं कि प्रजाको सुचित करने के लिए एक राजधानी लिखकर चौमुहानी वादि सावधनिक स्थानों पर लगाये जायें^४।

अख्यु, यह स्पष्ट है कि सरकार का काम धर्मशास्त्रों और लोकाचार द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था का परिपालन करना या पर बादमें सीखी सदी ह पूर्व के हागमग विधिनियम बनाने के कुछ अधिकार दिये गये। इस समय तक सभा और समिति वित्तु ही तुर्की थी भल राजा अपने सचिवों से परामर्श दूर्वक इस अधिकार का उपयोग करते थे।

परन्तु राजधानी जारी करने का अधिकार उतना व्यापक नहीं था जितना आधुनिक व्यवस्थाएँ सभाओं के अधिकार व्यापक हैं। व्यवहार^५, दण्ड, और उच्चाधिकार के नियमादि स्मृतियों और लोकाचार द्वारा निर्दिष्ट थे और राजधानी का इनपर विशेष प्रभाव न पड़ता था। पर शासन और कर ग्रहण के क्षेत्र में राजा पहुँच कुछ सहोभन परिवर्तन कर सकते थे। वे नये विभागों और पदों को सृष्टि कर सकते थे, नये कर लगा सकते थे और अशोक को भाँति अपनी नयी नीति निर्बारित कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप राजा के अधिकार काफी विस्तृत हो गये और राजा के अधिकार बढ़ते गये, क्योंकि जनता की ओर प्रतिनिधि सभा राजा के इन नये अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए न थी।

१ निन्दमादोयेन पस्तु सामयिको भवेत् ।

सोऽपि यनेन सरदयो धर्मो राज्यकृत्य य ॥

२ धर्मय व्यवहारइच चित्रं राजशासनम् ।

विकाहार्पचतुप्पाद परिचमा पूर्ववाप्त च भर्त्यशास्त्र इ ।

३ राजा प्रवलितलघर्मन्यो भरो मानुषालयेत् ।

इष्टय स पापो वस्त्रश्च छोपयथानयात्तम् ॥ १ १३

४ लिदित्वा शासन राजा भारयेत चतुर्पये ।

इति प्रदोषप्रग्नियं प्राप्तः शासनदिदिम् ॥ १ ३१३

५ व्यवहारः दीक्षानी द्वागदे, ८११। १३८

अध्याय ८

मंत्रि मठल

आधुनिक राज्य व्यवस्था में केंद्रीय शासन के विभाग में राजा या राष्ट्रपति, केंद्रीय व्यवस्थापक सभा, प्रजातन्त्र, मन्त्रिमण्डल (महापा केंद्रीय सभा द्वारा नियंत्रित), विभागों के अध्यक्ष और केंद्रीय शासन का कार्यालय का समावेश होता है। इस ने अभी तक इनमें से राजा, प्रजातन्त्र और केंद्रीय व्यवस्थापक सभा के स्वरूप और कार्यों का नियन्त्रण कर लिया है। अब इस मन्त्रिमण्डल, विभागों के अध्यक्ष और केंद्रीय शासनकार्यालय पर विचार हरक केंद्रीय शासन विषय का अध्ययन पूरा करेंगे।

प्राचीन भारतीय आचार्यों ने मन्त्रिमण्डल को राज्य व्यवस्था का अत्यत महाबूली अग्र माना है। महाभारत में कहा गया है (६ ३७ ३८) कि राजा अपने मन्त्रियों पर उत्तरा ही निभर है जितना प्रागिमांश पञ्चम पर, ब्राह्मण वर्णों पर और लियों अपने पतियों पर। अर्थशास्त्र का कथन है^१ कि जिस प्रकार एक चक्र (पहिये) से रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार दिना मन्त्रियों को सहायता के अद्वैत राजा से राज्य नहीं चल सकता। मनु का कथन है कि मुकुर काय भा एक वादमो सो अद्वैत होने के बजाए से दुष्कर हो जाता है किर राज्य एवं महात्मा कार्य का दिना मन्त्रियों की सहायता के चलाना कैसे समव है^२। शुक्र का कथन है कि योग्य से योग्य राजा भी सर पाठें नहीं उमक सकता, पुरुष पद्धति न दुष्क्रियै मन्त्र अन्य व्यष्टि द्वारा होता है, अतः राज्य की अभिशुद्धि चाहने वालों सभा

^१ सहायतामन्य राजत्व चक्रमेह न चतते ।

इर्षीत सविवौस्तुतमातोयो य शशुपामदम् ॥ भर्तु १ ३ १ भाषाव ३

^२ अपि यत्सुकर इमे तदप्येतेऽनुद्दृतम् ।

दिष्टेष्टुऽसहायेन किनु शास्त्रं महोद्धम् ॥ मनु भाष, १३

योग्य मत्रियों को जुने अन्यथा राज्य का पतन निश्चित है^१। उपर्युक्त उद्धरणों से सिद्ध होता है कि हिंदू विद्वानशास्त्री मत्रिमंडल को राज्यका अविच्छेद श्राग मानते थे।

अब हमें देखना है कि व्यवहार मी ऐसा ही या या नहीं। श्रुतिवेद और अर्थव्यवहार में राजा के मत्रियों का कोई उल्लेख नहीं है, न उल्लेख का कोई प्रयोजन ही है। ही यजुर्वेद का सहिताभो और शास्त्रण ग्रंथों में राज्य के कुछ उत्थापिकारियों का उल्लेख है ये 'राज्ञी' कहे जाते थे और समवत् राज्यपरिषद के सदस्य थे^२। परतु मित्र ग्रंथों में इनके जो नाम दिये गये हैं उनमें अतर है और इन सभक वायों का ठोक ठोक वर्णन करना भी बहुत कठिन है। साचारणत यह कहा जा सकता है कि रत्नियों की सूची में राजा के सबधी, मध्यो विभागों के व्यवहार और दरबारी गण सम्मिलित थे। पहली श्रेणी में राजा की पट्टरानी और प्रिय राज्ञी भी थीं क्योंकि इनका नाम सभी सहिताभों में मिलता है। इसके यह लक्षित होता है कि वैदिक काल में राज्ञी की इसियत के बल राजा की पक्षी ही की नहीं थी वरन् शासन-व्यवस्था में भी उसका एक स्थान था। मुख्य राज भी राज्य परिषद में रहते होंग यद्यपि रत्नियों की सूची में उनका नाम नहीं मिलता। इसका कारण समवत् यह है कि राज्याभिवेक के समय ही रत्नियों का उल्लेख सहिताभों में आता है, और उस समय बहुत थोटा, और इसोलिये शासन कार्य में सहयोग करने में असमर्थ होने के कारण, मुख्यराज का अतर्भाव रत्नियों में न किया होगा।

पुरोहित का नाम सबस्त्र रत्नियों की सूचिओं में मिलता है। उस युग के लोगों का विश्वास था कि जिस राजा के योग्य पुरोहित न हो उसका हविर्माण देवता अगीकार न करते थे। अत जिस युग में यह द्वारा देवता का प्रशाद प्राप्त करने पर ही मुढ़क्केव में विवरण प्राप्ति निर्मर मानी जाती थी उस युग में पुरोहित का नाम मत्रियों की सूची में पहले रखा जाना अनिवार्य हो था।

१ पुरुषे पुरुषे मित्रा दृष्ट्ये दुदिवैष्वम् ।

आसुवानयैरुभवैराग्नैरुमानत् ।

२ न हि उत्तराङ्क शार्तु [नरेण्यैहेन शब्दपते ।

भद्र सहाया वरयेद्राजा राज्याभिवृद्धये ॥

विना प्रकृतिसमाश्याद्वाग्यनाशो मदेदू भूवम् ।

रोधम न भैत्तश्माद्वाग्यते शु सुमत्रिषः ॥ शुद्धै दृष्टः ॥

३ प० भा०, १३ १ ४ मेरी को 'वीर' पदवी से सबोधित किया है।

रक्षियों की सूची में मिलने वाले विमाणाध्यदर्शों के नामों में सेनानी सूत, ग्रामणी सम्प्रदीता और भागधुक के नाम हैं। सेनानी सेनापति था। सूत समवत् रक्षसेना का नायक था और सम्मान के लिए राजा के सारथी का पद बदन करता था। ग्रामणी गोव के मुखियों में प्रधान होता होगा, जो रत्नी वग की सद्दश्यता के लिए समवत् चुना जाता होगा। एक स्थल में उस ऐश्वर्य कहा गया है समवत् वह इसी वर्णका होता था। भागधुक स्थष्ट ही कर बदूलने वाला था अर्थमत्री था और सम्प्रदीता कोपाध्यय था।

रक्षियों की सूची में उड़िलित् द्वाचा, अक्षावाप और पालागढ़, दरखारी श्रेणी के जान पढ़ते हैं। द्वाचा समवत् राजा का परियाश्वक था^१। अक्षावाप घृत कीदामे राजा का साथी और पालागढ़ उसका अतरण मिन था, बाद के सुग के विदूषक की मौति। कुछ लोगों का अनुमान है कि पालागढ़ पढ़ोसी राज्य के राजदूत को कहते थे पर यह ठीक नहीं जान पढ़ता^२। कुछ ग्रामों में गोविकृतन या गोयच्छ, तद्वा और रथकार के नामों का भी रक्षियों की सूची में सुन्नेत्र किया है^३। वैदिक काल में गोप ही जन समस्ती जाती थीं अत गोविकृतन राजा के गोधन का अधिकारी रहा होगा। तद्वा का अर्थ बढ़दू है और रथकार रथ बनानेवाला था। आबहन के मुद्र में विमान का जो स्थान है वही वैदिक काल में रथ का या अत यह असपव नहीं कि बदह और रथकारों की श्रेणी के प्रमुख मी रत्नी वर्ण में शामिल किये गये हों।

अत वैदिक काल की रत्नपरिपद में पट्टरानी, मुवराद, राजन्य आदि राजा के सदृशी, अक्षावाप, द्वाचा आदि दरखारी और सेनानी सूत, सम्प्रदीता और रथकार आदि प्रमुख अधिकारी शामिल रहते थे।

रही लोगों का पद बहुत जँचा समझा जाता था। वाक्यपेत् परत के अवधार पर राजा 'रक्षि चलि' प्रदान के लिए रथ्य रक्षियों के घर जाता था, वे उसके घर नहीं आते थे। वैदिक काल की समिति बहुत शक्तिशाली संस्था

^१ शास्त्र के साहित्य में इस शब्द का यही अर्थ है। परतु दो घोसाठ का भवत है कि द्वाचा भोजन बाटने पारे जो कहते थे। हिन्दू और हिन्दू वैदिक खाइफ, भाग १ पृ १०३ परतु इस प्रकार का कोई विसाग वैदिक काल में था, इसमें सदैह है।

^२ आद वृ. स., १४ १० २६।

^३ श. प. ग्रा. २ व ३ १२। का स., ३५७

सुवराज और मालवा के प्रांताधिकारी अग्निमित्र की भी (१५० ई० पू०) गंत्रिपरिषद् थी। गुप्त राज्य में सुवराज के मन्त्रियों को 'सुवराजपदीय कुमारमास्त' कहते थे^१। यादव नरेश पचम मिल्लम (११३० १२१० ई०) के सुवराज के यहाँ भी मन्त्रिमण्डल था। यादव राज रामचंद्र के दक्षिण प्रदेश के शासक टिक्कम देवराज भी पंत्रि परिषद् की सहायता से शासन करता था^२। सुवराज और प्रांताधिकारी साम्राज्यों के समकक्ष होते थे और सप्ताह की भारत उनके लिए भी मंत्रि परिषद् का होना ज्ञानरी समझा जाता था।

अब हमें देखना है कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते थे। मनु का मत है कि मन्त्रियों की संख्या ७ या ८ होनी चाहिये^३। महाभारत ८ के पद में है^४। अर्धशास्त्र इस विषय में विभिन्न मतों का उल्लेख करता है जिससे पठा चलता है कि मानव सप्रदाय बाले १२ वार्हस्पत्य पथबाले १६ और औद्यन्त पथबाले १० मन्त्रियों के पद में थे^५। शूक्रनीति ३० मन्त्रियों की गण देती है^६, नीतिवाक्यामृत के अनुसार मंत्रिसंख्या २, ५ या ७ से अधिक न होनी चाहिये।

यह अत्यर इसलिए है कि मन्त्रियों की संख्या निर्दिष्ट करते समय विभिन्न आचार्यों की दृष्टि विभिन्न राज्यों पर थी। इसोलिए मनु^७ और कीटिल्य^८ इस बात में एकमत है कि इरेक राज्य की आवश्यकतानुसार उसके मन्त्रियों की संख्या निश्चित भी जाय। यदि राज्य छोटा है और उसका कार्य क्षेत्र भी सीमित है तो २-५ मन्त्रियों से ही काम चल जायगा, जैसा कि शिलाहार राज्य में था^९। जातक कानून में जय कि राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक न होता था साधारणत पाँच मन्त्री होते थे^{१०}। परंतु यहें बड़े साम्राज्यों में मन्त्रियों की संख्या अधिक होती थी। परराष्ट्र विमान में ही यिन मित्र विशेषों के लिए कई मन्त्री भी होते थे। शिलाहार राज्य में एक प्रधाना परराष्ट्रमन्त्री के

^१ अ स रि, १२०१ ई०, पृ १०७

^२ सौ इ इ, माग ६, रा १३७ ई० १०८

^३ सचिवान्तसु चार्टी वा कुर्बात सुपरीचिनान्। ७ ८४

^४ अष्टावौ मन्त्रिणां मध्ये मन्त्र राज्ञोपद्यारपेत्॥ १२ ८८

^५ भाग १५, अध्याय १५।

^६ २ ००।

^७ मनु ७ ६१।

^८ यथासामध्यमिति कीटिल्य । ३ १५

^९ इ में शिष्ट पाँच, पृ १७८ शिष्ट ६ पृ ३५

^{१०} जातक सं ५२८

अतिरिक्त कण्टक के परयटू समव भी व्यवस्था के लिए एक पृथक् मध्दी भी रहता था^१। यदि गिलाहार जैसे छोटे राज्य में परयटू विमान में दो मरी थे, तो मीर्य, गुप्त, और राष्ट्रकूट जैसे विशाल साम्राज्यों में तो अनेक रहे होंगे। परहु मनिमदल को सर्व सर्व समत परपरा के अनुशार प्राय आठ ही रहती थी। और आवश्यकता पड़ने पर शुक्र^२ के मतानुशार उपमनो नियुक्त किये जाते रहे होंगे।

ऐसा पतीत होकर^३ कि ७ या ८ मनियों के मनिमदल के अतिरिक्त आज कल को विद्य कीचिल की माति एक बही परामर्शदात्री सत्या भी होती थी जिसके सदस्य 'भमात्य' करे जाते थे^४। महामारत में उल्लिखित १६ अमालों की परिपद् इसी प्रकार की सत्या थी। अर्थशास्त्र से भी जात होता है कि अमात्य विमागों के अध्यक्ष जैसे उच्चपदस्थ अधिकारी होने पर भी मनियों से पद में नीति ये इसीलिए सख्त्या में भी अधिक थे^५। उनका वेतन भी मनियों से कम था। परहु गंगीर रियति उपरियत होने पर सलाह के लिए वे भी मनियों के साथ ही आमनित किये जाते थे। बाद में सातवाहन और पल्लव राज्य में प्रादेशिक शासकों और विमागों के अध्यक्षों को अमात्य कहने लगे, मनिपरिपद् या किसी परामर्शदात्री परिपद् से उनका कोई सबध न रह गया था^६।

मनियों की कार्य क्षेत्र में शासन का पूरा क्षेत्र आ जाता था। उनका कार्य नयी नीति का निर्धारण करना, उनके उन्नतता पूर्वक कार्यान्वयित करना, इसमें उठनेवाली घटिनाहयों को दूर करना, राज्य के आय-व्यय के समय में नीति निर्धारण और उनका निरीक्षण करना, राजकुमारों की विद्वादीदा का समुचित प्रबन्ध करना, उनके राज्याभियोक में माग लेना और परयटू नीति का

^१ इ. पृ. २ २०३

^२ २ १०२ ११०

^३ १२, ८५, ७ ८

^४ मनियों का साक्षाता वेतन ४८००० पग था, मगर अमालों का केषड १२००० ही पग था।

^५ गोदर्यन विद्वाधिकारी अमात्य विष्णुपानित का उद्देश जातिक सिलालेश स ३-४ में आया है। इ. पृ. २, ४, ५ ए. १, ५ में पहुँचों के अमालों का उद्देश मिलता है।

सचालन, करके पढ़ोई स्वतंत्र राजाओं को और साम्राज्यात्मक कानून समतो के नीतिपर विचार करना था^१ ।

यह स्थापाविक ही था कि मन्त्रिगण कानून बाट ले और एक विभाग का विभाग ले लें । पर हमारे प्राचीन आचार्यों ने विभागों के विभाजन पर कुछ विचार नहीं प्रकट किये हैं । उन्होंने सदी इसी के आचार्य शुक्ल से ही इसे विभागों का कुछ परिचय मिलता है । उनके मतानुसार मन्त्रिपरिषद् में निम्न विभिन्न १० मन्त्री होते चाहिये^२ । १—पुरोहित २—सुतिनिषिद्धि, ३—प्रधान, ४—लिखि, ५—मन्त्री, ६—प्राणविकाक, ७—पदित, ८—सुमन्त्र, ९—अपास्य, और १०—दूत । ये यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से पुरोहित और दूत की गणना मन्त्रियों में नहीं की जाती ।

यद्यपि पूर्व आचार्यों ने विभागों का वर्णन नहीं किया है फिर भी हम मान सकते हैं कि विभागों का विभाजन शुक्राचार्य द्वारा वर्णित दग पर ही होता था, वर्योऽपि उल्लिख्यं वेस्तो मैं इन मन्त्रियों के उल्लेख इसी या इसके पर्यावरणक नामों में मिलते हैं । अब हम इन मन्त्रियों के कार्यों पर विचार करेंगे ।

पुरोहित का वैदिक काल के ऐनियों में भी प्रमुख स्थान था और यह शतान्द्रियों तक दसका स्थान मन्त्रिपरिषद् में बायम रहा । यह यहाँ का सुदृश्य । उसका कानून शृणुके व्यविष्टकारक अनुष्ठानों का प्रतीकार करना और अपेक्षास्थ में वर्णित पुरोहित कर्म द्वारा शास्त्र का अभ्युदय करना था^३ । यह गजसेना के हाथी और धोड़ों को मन्त्रपूत करता था^४, और वैदिक काल में राजा के साथ सुदृश नेत्र में छोकर अपने मनों और सुनियों द्वारा देखताओं को

^१ मन्त्रो मन्त्रकष्टावासि कर्यानुषानमायथपदम् कुमाररथयमनिषेद्य
कुमाराणा चापत्तमाप्येतु । अर्धशास्त्र, ८ ७, १ ६ । मातृक १०-
१२० से ज्ञात होता है कि अप्तसर मन्त्रिगण ही इस बात का विशेष करते
थे कि पुरोहित को राज्याधिकार कर दिया जाय ।

^२ २५० ५२

^३ पुरोहित पदसे घेरे धैर्य निमित्ते अनिविक्षीकारम् देवमानुपीगामयर्द
निरापेद्य प्रतिकार कुर्वन्त । विभाचार्य विरय वितरं मुनो भूत्य इवामिन
मिदानुषर्वतः । अथ, १ ९

^४ सुसीमानातः ।

प्रसन्न करके विद्युत श्री प्राप्त करने का प्रयत्न करता था^१। वह शस्त्र, शास्त्र व विदेषत नीतिशास्त्र में निष्णात होता था। जब राजा किसी दीर्घ कालोन यह की दोषा ले लेता था तब पुरोहित ही उसकी ओर से शास्त्र चलाता था^२। रामायण में बर्णन है कि राज्ञ कुमारों की अनुपस्थिति से उद्धासन खाली रहने पर राजगुरु विश्वामित्र ही आवश्यक समय तक राज्य का उचाइन करने के। भवियों में केवल पुरोहित ही ऐसा था जिसके पद ग्रहण के समय एक वैदिक विद्यि विहित था। उसका नाम सृष्टिविषव था और वह वैदिक काल में रुढ़ था।

वैदिक कर्मों के पूर्ण प्रचार के तुग में पुरोहित का प्रभाव बहुत रहा होगा। औपनिषदिक, बौद्ध और जैन दर्शन के विकास के कल स्वरूप यर्थोंका प्रचार कम होने पर पुरोहित का प्रभाव को भी घटका लगा होगा। फिर भी ज्ञातकों के समय में भी वह काफी परिणामकारक था, उसे ज्ञातक कथाओं में संबंधित भवी व्याप्ति, उर्ध्वाधिकार प्राप्त भवी का नाम दिया गया है। परंतु बातमें उसका प्रभाव अवश्य ही कम हो गया। गुप्तकाल के बाद^३ लेखों में उसका उल्लेख भवियों से अलग किया गया है^४ जिससे प्रकट होता है कि वह भविगंडल का सदस्य न रह गया था। अख्य, शुक्लनीति में उसका भविग्नरिपद में सम्मिलित किया जाना सभवत पुरानी परपरा का द्योतक है, न कि तत्कालीन प्रथा का। साथ ही शुक्लनीति (३, ७२) वह भी स्वीकार करती है कि अन्य लोगों के मतानुसार भविगंडल में पुरोहित को स्थान नहीं है। अस्तु, लगभग २०० ई० से पुरोहित की गगना भवियों में न होती थी, फिर भी राजा पर उसका नीतिक प्रभाव काफी था। आदर्श पुरोहित की शुद्धकी हा राजा को सत्य पर सादेन के लिए काफी समझी जाती थी^५।

^१ एस राजाभों की खदाई में विश्वामित्र चावर राजा सुशास के साथ थे। उनके मध्यों से प्रसन्न होकर ही विश्वामि और शुद्ध भवियों का जब उत्तर गया और सुदृश्य का सेवा सु^२मता स पार उत्तर सको।

^२—माप धी स, २० २-१२, ^३१३, धी धी २०, १८ १

^३—राजाशीयुवरामभविग्निपुरोहितपतीहारसेनापति। गृहवालों द्वेष। एलाहार वरके लेखों में भी वह भवी और भवायों से पृथक रसा जाता है। एवि हृदिदा, जिवद १ पृ० १४।

^४ धर्मोपदीप्ति राजापि धर्मजीवितामो उत्तेज। माप ३ ११

शुक की मंत्री सनी में दूसरा स्थान प्रतिनिधि का है। इसका नाम राजा की अनुपस्थिति में उसके नाम से काय करना था। वयस्क होने पर संभवत मुखराज को ही यह पद मिलता था। जातको में डल्लिखित 'डपराजा' शुक द्वारा धर्णित प्रतिनिधि के ही समान था। परन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि प्रतिनिधि की गणना गंगिपरिपद में न होती थी। क्योंकि उत्कीर्ण लेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, और मनु भी प्रतिनिधि को नहीं प्रधान गंधी को ही राजा का स्थान ग्रहण करने को कहते हैं^१।

प्रधान या प्रधान गंधी, गंगिपरिपद का स३८ महत्वपूर्ण सदस्य था। शुक के मत में वह 'सर्व सर्वी' पूरी शासन व्यवस्था पर आँख रखने वाला, होता था। उत्कीर्ण लेखों में भी अनेक प्रधान मन्त्रियों के नाम मिलते हैं। छठवीं सदी के एक कदव घट के लेख में 'सर्वस्य अनुष्ठान' उपाधि से स्वीकृत जियत^२, गुरुरात की राष्ट्रकूट शाखा के राजा दतिवमन् (८८० ई) का महामात्य कृष्णमट्ट^३, ११ वीं सदी के एक यादव लेख में धर्णित 'महा प्रधान' यमायक^४, चौदेल राजा कृष्णवर्मन् (१०९० ई) का 'मंत्री-इ' वत्त राज,^५ चाहमान राजा विशालदेव (११६० ई) का 'महामंत्री' सल्लक्ष्मपाल^६, और अनेक परमार और ग्राम सभी चौलुब्रय लक्ष्मा में धर्णित 'महामात्य'—ये सब अधिकारों प्रधानमंत्री ही थे इसमें विलकृत सदैद नहीं। इनका पद पढ़ा ही कहाँचा था। उत्कीर्ण लेखों में सामतों की सुकूट मन्त्रियों को प्रमा से महामात्य के चरणों के नखों के प्रकाशित होने का धर्णन किया गया है। आधुनिक काल की भाँति प्राचीन भारत में भी प्रधानमंत्री के जिम्मे शासन का एक विषय रहता था, गिलाहार राजा अमतदेव (१०८५ ई) का प्रधान मंत्री प्रधान कोपाध्यक्ष भी था^७।

१ इ १४१।

२ सवदर्ती प्रधानस्तु।

३ इड यैटि ६ २४।

४ दि-

४ यैटि ६, २८७।

५ यैटि ६ २२८।

६ इड यैटि, १८ २३६।

७ इड यैटि १९ २१८।

८ वही १२ १२०।

प्रभान के बाद युद्ध मंत्री का स्थान है। शुक्र ने उसे सचिव का नाम दिया है परन्तु यह नाम साधारणता उसके लिए प्रयुक्त न होता था। मीरे राज्य में उसे सेनापति कहा जाता था, गुप्त राज्य में 'महावन्धिकृत' ^१ कहनीर में 'कपन' ^२ और यादव राज्य में 'महाप्रचढ़ददनायक'। नीतिवाक्षशूत में सेना पति को भीती परिषद में स्थान नहीं दिया गया है ^३ पर साधारणता उसकी गणना मंत्रियों में ही की जाती थी। युद्ध मंत्री का युद्धकौशल शब्द उचालन और सेयष्टगठन में निष्ठात होना आवश्यक था। उसका काम राज्य के सब दुर्गों में यथोचित लेना रखना और ऐना में सब विभागों की व्यवस्था करना था, ताकि उनको युद्धशक्ति बराबर बनो रहे ^४।

इसके बाद परराष्ट्र मंत्री का स्थान है। शुक्र ने इसे 'मंत्री' का नाम दिया है पर उत्कीर्ण लेखों में इसे अधिक साथक 'महासचिव विश्रादक' ^५ नाम से उपोक्त दिया गया है। शासीन भारत में छोटे भोटे गांयों का बहुत्स्य था। इनमें से कुछ स्वतंत्र थे और कुछ किसी बड़े राज्य के करद थे। पर सभी साम्राज्य पद के आकाशी होते थे। इसलिए परराष्ट्र मंत्रि का कार्य एटिन और भारी होता था। प्राय हर राज्य का अन्य अलग खाता होता था। शिलाहार छोटे छोटे राज्य में भी प्रभान परराष्ट्र मंत्री के अतिरिक्त कार्यालय सभी समस्याओं के लिए एक मंत्री अस्ति था ^६ जिसे कार्यालय सचिविश्रादिक कहते थे। मीरे, गुप्त, राष्ट्रकूट और गुरुजरप्रतिहार ऐसे बड़े बड़े साम्राज्यों में तो एक परराष्ट्र मंत्री के जीचे अनेक सचिव रहे होंगे।

परराष्ट्र मंत्री के लिए साम, दाम, बड़ और मेद की चतुर्सुखी नाति में पद्धता अत्यावश्यक थी ^७। बहुत स लेखों से पता चाहता है कि उसक जिम्मे आदानों, मदिरों और मठों के लिए भूमिकान की व्यवस्था करना और ताम्रपट्ट सेयार बरन वा भी काम था। परराष्ट्र मंत्री को यह काम र्हीपना कुछ विड़द्वग भा जान पड़ता है। पर समरण रखना चाहिये ^८। दानपत्रों में दान देनेवाल राजा की वशावनी और हरेक को बोरता और विभिन्नों का बखान रहता था और यह कान्द परराष्ट्र मंत्री ही अच्छा तरह कर रहता था। निवाद्यर में मिथ्ये

^१ एवि हृदि, १०, ७ १। ^२ सामवरगिष्ठो, सग ७ ३६८।

^३ अध्याय १०, १०१ १। ^४ गुक्तवैति, २ ३८।

^५ इस पदपा का अप दृष्टाद्य और शीघ्र करने वाला वहा अधिकारी है।

^६ हृदि चैति, २ २७३। ^७ शुक्र, २ १५।

अंशात् आचार्य के मत का हसाला दिया गया है कि 'सुधिदिप्तह कारो' ही दान पत्र का ऐलक हो^१ ।

'प्राह्विवाक' के जिम्मे याय विभाग था और यह प्रधान 'यायाचीश होता था । स्मृति और लोकाचार के पूरा शान के अतिरिक्त इसे दोनों पवौं द्वारा पेश किये गये प्रमाणों और सादृशों की ठोक ठीक परख सकने की योग्यता भी होनी चाही थी । राजा की अनुपस्थिति में अतिम निर्णय देने का अधिकार इसी को होता था । उत्कीर्ण लेखों में इसका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है^२ ।

'पठित' के हाथ में धर्म और सदाचार सबूती विषय रहते थे । इसका काम राज्य की धार्मिक नीति निर्धारित करना था । धर्मशास्त्रों में पारगत हाने के साथ ही यह लोकाचार पर भी सूक्ष्म टृष्णि रखता था और देखता था कि कौन से धार्मिक विचार और आचार यमाज में प्रचलित और मात्र हैं और कौन से लोककाल विलङ्घ होकर अनुपयोगी हो गये हैं । इन सब बातों का उदारता पूर्वक यमासाग विचार करके यह राज्य की धार्मिक नीति का स्वरूप निर्धित करता था । हम बता नुक्के हैं राज्य धर्म का सरदृक माना जाता था । पर इसका अथ यह भी न था कि एकदम पुराने पढ़ गये प्रश्नों में भी जो कुछ भी छिला हो उसे आँख मूँद कर कार्यान्वित किया जाता था । भगवी पठित का यह काम था कि जो धार्मिक निर्देश पुराने और अनुपयोगी हो गय हो उनका पता लगा कर उन्हें प्रोत्साहन न दे और उनका पालन न करे । यह राज्य को यह भी सहाह देता था कि धर्म और सहृदयि के अनुकूल पुरानी ध्यवस्था में क्या संशोधन किये जायें^३ । 'अशोक के 'घस्महामात्य', सातवाहनों के 'अमणमहामात्र',^४ युस राज्य के 'विनयस्थितिरकापक',^५

१ सुधिदिप्तहकारी तु भवेष्टस्तस्य लेखक । यात्र १ ३१६-२० ।

२ प्रथम भमोधवर्दे के सज्जन दामपत्र का लेखक 'प्राह्विवाक' था । पृष्ठ इडि, १८, २३८ ।

३ बतमानारच प्राचीना धर्मों के छोटसंग्रह ।

नाथेशु के समुद्दिष्ट विभिन्नते च केऽपुना ॥

लोकशास्त्रविरद्धा के परिदृतस्तविभिन्नते च ।

नूप सबोधयैश्च पात्रैष मुख्यै ॥ युक्त २, १० १००

४ पृष्ठ इडि ८ १६१ ।

५ य स रि, १६०३-४, १०९ युक्त २ १००

हण्डूटों के 'धर्माङ्कुश' और चेदि राज्य के 'धर्मप्रधान' सब इसी देशी के अधिकारी थे। इसी विमाग के अवर्त मठ, मंदिर, पाठ्याला और विद्यालयों को दान देने का कार्य भी रहा होगा।

शुक्र भी सूची में अगला स्थान कोपाध्यद का है जिसे 'सुमत्र' का नाम दिया गया है। पर इससे अच्छा यज्ञ वैदिक काल का 'सप्रदीता' या कॉटिल्य का 'समाहाता' है। उत्कीण हेतु में इसे अधिक्षितर 'मादागारिक' (कोप और भादार का अधिकारी) कहा गया है। इस यज्ञ से इस पद के कर्तव्य का ठीक-ठीक शान होता है। साल भर में राजभादार में कितना आया और गया और अत में क्या बच्चा इसका पता रखना इसका काम था^१। राज्य को शुल्क या कर अधिक्षितर अनाज और पदार्थों में मिलता था। अत मादागारिक का काम बड़े क्षम्भ का था। पुराने अनाज का बेचना ताकि बह सङ्ग न आय और नया अनाज खरीद कर भादार में रखना भी इसका काम था।

कोपाध्यद का पद बड़े महत्व का था। १०१४ ई० में शिवाहार राजा अनंत देव के केषड़ द मन्त्री थे, पर मी कोपाध्यद उनमें से एक था। महामारत (१२ १३० ३५) कामदक नीतिशार (३१, ३२) और नीतिवाच्य-मृत (२१, ५) में कहा गया है कि कोप राज्य की जड़ है और इसको देखरेख यत्नपूर्वक होनी चाहिये। गाहड़वाल वाघपत्रों में 'कोपाध्यद' का नाम बराबर मिलता है। अन्य लेखों में यदि इसका नाम न हो तो संयोग बह दी।

अब माल मन्त्री का नवर आता है। शुक्र की सूचीमें इसे 'अमात्य' का नाम दिया गया है। इसका काम राज्य भरके, नगरों_ग्रामों और उग्नों तथा उनसे होने वाली आयका ठीक ठीक न्यौता रखना था। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य और परतो भूमि तथा सानों की अनुमानित आयका भी न्यौता इसके पास रहता था^२। उत्कीण लेखों में इसका उल्लेख बहुत कम हुआ है^३।

१ इदि देवि ३८ २३० ।

२ इयन संचित द्रव्य वा सरेस्मस्तुगादिष्टम् ।
एषीभूतमियरचैव येष श्यावरपाम् ॥

इपदस्तीति ये राज्ञो सुमश्रो विनिषेदयेत् ॥ शुक्र, २ १०७ ॥

३ शुक्र, २, १०३ ८ ।

४ ग्याहड़थी शतान्दी के पृष्ठ यादव ऐस्तमें इसका उल्लेख मिलता है, पृष्ठ, १,
पृष्ठ २२२ । चालुव्य ऐसों में उल्लिखित 'महामात्य' प्रधान मन्त्रीका
बोधक है माहमनी का नहीं ।

यह ऐदका विषय है कि राज्य शास्त्र के प्रयों या उसीने ऐसों से 'मन्त्रि परिषद्' की कार्य प्रणाली का पूरा-पूरा शान नहीं प्राप्त होता। साधारणतः मन्त्रि परिषद् की बेठक राजा की अध्यक्षता में होती थी। कहा भी गया है कि मन्त्रियों की राय अपनी राय से मिल होने पर राजा को घ न करें^१। मनु की सलाह है (८ ५७) कि राजा मन्त्रियों से सामूहिक और अलग-अलग दोनों प्रकार से भवित्वा करे। परम्परा है कि अन्य मन्त्रियों के सामने कोई भौती अपनी स्पष्ट राय देने में उत्तीर्ण करे, इस लिए अलग-अलग मंत्रियों को भी राय दी गयी है। शुक्र यह शका करते हैं कि राजा की उपस्थिति से भौती बहुचा सबों और राजा को दुरी लगने वाली राय प्रकट करने से हितक सकते हैं इस लिए ये यह राय देते हैं कि भौती अपना अपना मत समाज लिप्तकर राजा के पास भेज दें^२। कौटिल्य उपस्थिति विषयों से सबूद ३-४ मन्त्रियों से एक साथ मन्त्रियों के पक्ष में है^३। राजतरगिणी से पता चढ़ता है कि इसमें से सभी प्रयाणे शक्तिहीन हैं^४।

पर भी इम भार उकते हैं कि साधारणतः मन्त्रिपरिषद् एक होकर कार्य करती थी और संयुक्त रूप से राजा को मन्त्रियों देती थी। सम्प्र॒ विचार के बाद मन्त्रिपरिषद् एकमत होकर जो शास्त्र समत राय देती थी वह 'उत्तम मन्त्र' समझा जाता था और उसका बहुत महत्व होता था^५। कौटिल्य का कथन है कि गमीर दिव्यतियों में भी राजा को साधारणतः मन्त्रिपरिषद् के बहुमत की राय माननी चाहिये, यद्यपि उचित समझने पर उस इस राय से अवगत जाने का भी पूरा अविकार था^६।

१ मन्त्रिषाक्षे न कोपयेत् । यादस्पत्य अपशास्त्र, २ २३ ।

२ राजाश्छोमाद्याव्राण् स्युमूहा इव मन्त्रिण ।

३ राजनुमताद्विषयानुपत्ति इवायसियद्ये ॥

पृष्ठकृपृष्ठ भूत सेवा देवविद्या सप्ताधनम् ।

विशुद्धोरहवमठेनेषु पाकुयोद्दृष्टसंमतम् ॥ ३ ३९४ ४ ।

४ भाग ३, अध्याय ३५ ।

५ राजा इप्तं अपने सब मन्त्रियों से एक साथ मन्त्रियों करते अनित छिये गये हैं (भाष्याय ७, १०४२ और १४१२) राजा अपतिह योद्धे से मन्त्रियों से ही मन्त्रियों करते हैं (८, ३०८२ ३)

६ देहमत्प्रसुपागम्य शाद्वर्तेन चमुषा ।

मन्त्रियो यत्र निरतास्तमाद्युमेत्रमुत्तमम् ॥ रामायण ६ १२

७ तत्र यद्यपूर्विष्ठा कार्यतिदिव्य वा भूयुक्ताङ्गु । अर्थात्, भाग ३, अ ६

अशोक के स्तम्भासन के दीसरे और छठे लेखों से मन्त्रिपरिषद् की आर्य-ग्रन्थाओं के विषय में और शान प्राप्त होता है। दीसरे लेख में कहा गया है कि 'मन्त्रिपरिषद्' के निष्ठय लेखबद्ध करके इषानीय कमचारियों द्वारा प्रब्रा को समझाये जायें। छठे लेख से पता चलता है कि समाट् के मीसिक आदेशों और आवस्यक विषयों पर शोप्रगा म किये गये विमागाथ्यचों (व्यामात्यो) के निषयों पर 'मन्त्रिपरिषद्' पुनर्विचार कर सकतों थी। मन्त्रिपरिषद् समाट् के आदेशों पर केवल सही नहीं कर देती थी बरन् अबतर उसमें सशोधन करती थी और कमी-कमी राजा को अपना विचार बदलने की सहाय मी देती थी। अशोक का आदेश था कि जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो या जब परिषद् में भत्तमेद हो, तब मुझे सूचना दी जाय अवश्य ही अतिम निषय समाट् का दो होता था, जिर मी मन्त्रिपरिषद् के अधिकारों की व्यापकता और वास्तविकता इसी संविद् हो जाती है कि उसके कहने से राजा अरजे आदेशों पर पुनर्विचार करने का वैश्य होते थे।

इतीं के समय में राजा व समान युवराज की मी मन्त्रिपरिषद् होती थी। युवराज अनिमित्त की भी प्रांतीय राजधानी में मन्त्रिपरिषद् थी जो प्रांतीय शासन में उनकी महायता करती थी। युवराज की अनुपरिषिति में मी मन्त्रिपरिषद् की देखक होती थी और उसके निर्णय स्वीकृति के लिए घाद में युवराज के पास भेज दिय जात थे।¹

पश्चिम मारत के शक राजाओं के समय में मी मन्त्रिपरिषद् कायम थी। दद्दामा के लिलालेख से पता चलता है कि गिरिजार वौच ऐसी बड़ी आर्यिक योजनाओं पर मन्त्रिपरिषद् स पहले राय दी जाती थी। लेद है कि इसे उत्तर भारत में गुप्त काल वा उसके घाद मन्त्रिपरिषद् के कार्यों के विषय में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त होती, परंपरा हम देख सुके हैं कि वह इन राज्यों की अगमूत दृत्या थी। अतु यह मान लगा अनुचित न होग कि मौर्य, उग, और शक राज्यों की मौत गुप्त साम्राज्य में मी 'मन्त्रिपरिषद्' एक उत्तम की मौति काम करती रहा। ११वीं शताब्दी के चौठ राज्य से जो कुछ जान होता है उसमें इस भारण की पुष्टि होती है। इस बाय के लेखों से जान होता है कि दाद्यु भारत क चोर राज्य में भी मन्त्रिपरिषद् उसी मौति काम कर रही थी जिस प्रकार वह १३०० वर पूर्व अशोक क राज्य में करती थी। अशोक की ही मौति जोस राजाओं के मीसिक आदेशों पर भी इसे पुनर्विचार

करने का अविकार था।^१ इसकी सहमति के बाद ही राजनीय आदेश सरकारी एस्टको में लिपिग्रन्थ लिये जाते थे।

मन्त्रिपरिषद् के दैनिक काम का विवरण शुक्रनीति से ही कुछ प्राप्त होता है^२। यथापि इसका रचनाकाल बहुत बाद में है फिर भी हम मान सकते हैं कि इसका विवरण पहले के समय का भी परिचायक है। शुक्र एक मन्त्री को दो होने पर 'दर्शकों' की सरया यदाइ भी जा सकती है, उधर यदि विमाग बहुत होता हो तो 'दर्शक' के बिना भी काम चलाया जा सकता है। अपनी योग्यता प्रदर्शित करने पर 'दर्शक' बहुधा मन्त्रि पद प्राप्त कर लेता था। शुक्र मन्त्रियों को एक विमाग ऐ दूसरे विमाग में बदलने का भी साकाह देते हैं। इससे योग्य मन्त्री को अधिक महत्व के विमागों में जाने का अवसर मिलता था। इस वाघारण मन्त्री के पद से उठकर अत में सेनापति और पुद्दम राजा के पद पर पहुँच गये थे^३।

योग्य और महत्वाकांक्षी मन्त्री अवसर एक से अधिक विमागों को संभालते हैं, यथा कश्मीर नरेश जयपीढ़ के राज्य में सुजनी न्याय और पुद्दम दोनों विमागों के मन्त्री थे। योहे ही समय बाद भट्टाचार प्रधान 'यावद्युग्मा' और प्रमाण सेनापति पद पर नियुक्त किये गये^४। परं विलो ही व्यक्तियों को जो पद एक साय दिये जाते थे, वाघारण एक मन्त्री का एक ही विमाग मिलता था। वाजकळ में इमी कमो एक मन्त्री के जिम्मे एक से अधिक विमाग दिये जाते हैं।

जब किसी पिण्ड में कोइ निधय होता या तो उस विमाग का मन्त्री उठे

१ सो० ८० ई स०, २३, प० क०, ३०, कोटार स० १११।

२ पृष्ठस्मद्विकारे तु पुरायाणा व्रय सदा।

तिषुनीति प्राणतम् मुद्यमेऽ तु तेषु वै ॥

द्वी दशही तु तत्कार्यं दायनेतानि नवतयेत् ।

प्रिमिवा परमिवीवि सहभिर्द्युषित्रि वा ॥

अधिदावर द्युषा योजयेदादाबहुन् ।

अधिकारियमेक वा योजयेदादाहैर्विना ॥ यद, अस्याय २, १०६-११२।

३ पवि ६४, १०, ०१

४ राजतरत्नियी, ८, ११८-१२५।

लिपिबद्ध करता था और अत में यह लिखता था कि इस निश्चय पर उसकी पूर्ण स्वीकृति है। इसके बाद वह लिपि मुद्रणबद्ध करके गवाके पास मंचनी के लिए भेजी जाती थी। राजा स्वीकृति के लिए उस पर स्वयं हस्ताक्षर करता था या या युखराज को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए कह देता था^१। इसके बाद वह आदेश प्रकाशित किया जाता था या समर्थित विमाग या अधिकारियों के पास कार्यान्वित करने के लिए भेज दिया जाता था।

अब हमें यह देखा है कि मधिपरिषद् के लिए क्या योग्यता अवैधित थी। अर्थशास्त्र तथा आद्य ग्रंथों से पता चलता है कि इस विषय में एकमत नहीं था। कुछ शास्त्र योग्यता को महत्व देते थे कुछ राजमहिला को। कुछ की राय थी कि मधियों की नियुक्ति राजा के सहायान्त्रियों से होनी चाहिये। औरों पा मत था कि शिशिर स्वामिभक्त और जोचे हुए परिवारों से ही मधी लिये जाने चाहिये। कौटिल्य इन सब मतों को उपयोगी मानते थे और ऐसे व्यक्तिको चुनने की सलाह देते हैं जिनमें उपर्युक्त अधिकार्य गुणों का योग हो। उनके अनुसार आदर्श मधी देश का ही निवासी, जैसे कुल वा, प्रतिष्ठित, कलाकृष्णन, वूरदर्शी, प्राण, मेचावी, निर्भीक, वाग्मी, चतुर, तीव्रमति, उत्साही, मनस्ती, धीर, शुद्ध चरित्र, मृदु, स्नेही, अटल स्वामिमत्त, बल, पराक्रम और स्वारप्य से युक्त, अस्थिर चिच्छा और दीर्घ दृगता से युक्त और देव तथा शत्रुता उत्पादक दुर्गुणों से रहित होता है^२। अब ये ग्रन्थकारों का भी यही आदर्श है^३। अवश्य ही इन सब गुणों का एक व्यक्ति में उपस्थित होना असुभवित ही है। अस्तु, इनकी गिनती करने का लाभर्य यही था कि मधी का जुनाव करते समय उपर्युक्त आदर्श ध्यान में रखा जाय।

अब हमें देखना है कि वास्तव में मधीगण इस आदर्श के कितने निरुट तक पहुँच पाते थे। पदि गवाके अप्योग्य, दुष्ट महिला और अस्थिर चिच्छा होता या

^१ मधी च प्रादिवाक्षर यदितो इनमश्च ।

स्वाविषद् ऐष्यमिद् किषेयु प्रयम तियमे ॥

स्वयुदाविदित च ऐष्यते कुमुरेव हि ।

अग्रीहतमिति चिरेम्मुद्रपद्म उठो नृषः ॥

धार्म. २, १६३, १७

^२ भग्य, मार्ग १, भग्याय ५ ।

^३ म भा द्वादश पर्य, भग्याय ८१-५ । काम भीतिसार ४ २५-११ ।

और शुक्लार्थि २ ५२ ६४ ।

करने का अधिकार था ।^१ इसकी सहमति के बाद ही राजकीय आदेश सरकारी पुस्तकों में लिपिपट किये जाते थे ।

मत्रिपरिषद् के दैनिक वाय का विवरण शुक्रनीति से ही कुछ प्राप्त होता है । यथापि इसका रचनाकाल बहुत बाद में है परं भी हम मान सकते हैं कि इसका विवरण पहले के समय का भी परिचायक है । शुक्र एक मन्त्री को दो हैं जोने पर 'दर्शक' की सत्या यद्वारं भी जा सकती है, उधर यदि विमाग बहुत होता हो तो 'दर्शक' के बिना भी वाम चलाया जा सकता है । अपनी योग्यता प्रदर्शित करने पर 'दर्शक' बहुधा मध्य पद प्राप्त कर लेता या । शुक्र मन्त्रियों को एक विमाग से दूर हो विमाग में बदलने का भी साकाह देते हैं । इससे योग्य मन्त्री को अधिक महत्व के विमागों में लाने का अवसर मिलता था । इस प्रकार के परिवर्तन का प्रमाण पृथ्वीपेण के बारे में मिलता है, जो गुप्तकाल में साधारण मनों के पद से उठकर अत में देनापति और युद्ध मन्त्री के पद पर पहुँच गये थे^२ ।

योग्य और महत्वाकांक्षी मन्त्री अवसर एक से अधिक विमागों को हासिलते थे, यथा कर्मसीर तेरा जयापीह के राज्य में सुन्नी न्याय अहर युद्ध दोनों विमागों के मंत्री थे । यादे ही समय बाद अल्कार प्रधान - यायापीय और प्रधान देनापति पद पर शिष्ट किये गये^३ । परं विरले ही व्यक्तियों ने भी एक एक दाय दिये जाते थे, साधारणतः एक मन्त्री का एक ही विमाग मिलता था । व्याजक्ष भी कमी कमी एक मन्त्री के जिम्मे एक से अधिक - राग दिये जाते हैं ।

घब किसी पिशय में कोई निष्पत्ति होता या सो उक्त विमाग का मन्त्री उके

१ सी० इ० इ० स०, २१, ५० क०, २०, योदार स० १११ ।

२ पृष्ठस्मिधिकार तु पुरपाल्यो त्रय सदा ।

नियुक्तीत प्राकृतम् मुष्यपसेवं तु तेषु वै ॥

द्वी दशभी तु ताक्षये दायनैस्तानिवरयेत् ॥

विभिन्नी पचमिवौपि सप्तमिद्युष्मित्रि या ॥

अधिकारावल दृष्टु योनयेदाकान्वहन् ।

अधिकारियमेक वा योजयेदर्दैविना ॥ यथा, अस्याय २, १०६-११४ ।

३ पृष्ठ दृष्टि, २०, ७।

४ राजतराजिया, ८, ११८-१२४, २९२५ ।

लिपिवद करता था और अत में यह लिखता था कि इस निधय पर उसकी पूर्ण स्वीकृति है। इसके बाद वह लिपि मुद्रवद करके राजा के पास मन्त्री के लिए भेजी जाती थी। राजा स्वीकृति के लिए उस पर स्वयं दस्तावर फरता था या युवराज को अपनी ओर से दस्तावर करने के लिए कह देता था^१। इसके बाद वह आदेश प्रकाशित किया जाता था या सन्मिति विभाग या अधिकारियों के पास फायान्वित करने के लिए भेज दिया जाता था।

अब हमें यह देखना है कि मत्रिपरिषद् के लिए क्या योग्यता वरेचित थी। अर्थशास्त्र तथा अन्य ग्रन्थों में पता चलता है कि इस विधय में एकमत नहीं था। कुछ याकृत योग्यता का महत्व देते थे कुछ राजमठि को। कुछ को यह थी कि मत्रियों की नियुक्ति राजा के सहपाठियों से होनी चाहिये। औरों पर मत था कि विशिष्ट स्वामिभक्त और जौने हुए परिवारों से ही मत्री निये जाने चाहिये। कीटिल्य इन सब मतों को उपयोगी मानते थे और ऐसे व्यक्तियों को चुनने की सआद देते हैं जिनमें उपर्युक्त अधिकारियों का योग हो। उनके अनुषार आदर्श मत्री देश का ही निवासी, ऊँचे कुन्न का, प्रतिष्ठित, कराङ्कशब्द, दूरदर्शी, प्राण, मेषावी, निर्भीक, वाप्ती, चतुर, तीक्रमति, उत्ताही, मनस्त्री, धीर, शुद्ध चरित्र, मृदु, स्नेही, अटल स्वामिभक्त, बड़, पराक्रम और स्वास्थ्य से भुक्त, अतिथर चिच्छा और दीर्घ सूजता से मुर्च और द्रेप तथा दस्ता दस्तादक दुर्गुणों से बहित होता है^२। अब ये प्रथकारों का भी यही आदर्श है^३। अब यही इन सब गुणों का एक व्यक्ति में उपस्थित होना व्यक्तमज्ञाय ही है। अत्थु, इनकी गिनती करने का तात्पर्य यही था कि मत्री का चुनाव करते समय उपर्युक्त आदर्श घण्टा में रखा जाय।

अब हमें देखना है कि वास्तव में मध्येश्वर इष्ट आदर्श के कितने निष्ठ तक पहुँच पाते थे। यदि राजा अयोग्य, द्वृष्ट महृति और अतिथर चित्र होता था

१ मत्री च प्रादिवाहृष्टं पदितो इत्यस्तर ।

स्वाविद्यद देवेषनिद दिवेष्यु प्रथम विमे ॥

स्वमुद्राचिद्वित च देष्याते कुपुरोव हि ।

अगोदृतमिति विदेष्मुद्रेष्य चतुरो नृप ॥

द्वाक, २, १६२, १७

२ अथ, मात्र १, भज्याय ५ ।

३ म मा द्वारा पर्द, भज्याय ८१-५ । जान जाविसार ४ २५-३१ ।
और गुद्धाति २ ५२ ६४ ।

को उसके चुने हुए मंत्री भी निकम्मे खुशामदी ही होते थे। यथा कश्मीर के राजा उमचावति ने गानेशालों को और चब्रवर्धन ने अपनी नयी मंत्रियों के रितेदार होमों को अपना मंत्री बनाया था। मौर्यवंश के राजा वृहस्पतिमित्र, शूगवद्य के देषभूमि, राष्ट्रकूट चतुर्थ गोविद तथा इसी प्रकार के अन्य दुष्कृत और निकम्मे शासकों का भी यही छाल रहा होगा। पर इतिहास को कल्पित करनेवाले ऐसे राजा अधिक न थे। दुरात्व और साहित्य की सामग्री का अध्ययन करने से यही प्रकट होता है कि योग्य और शास्त्रज्ञ मंत्रियों की प्राप्ति के लिए बही चेष्टा की जाती थी। द्वितीय चंद्रगुप्त का मंत्री शाय नीतिश और कवि बखाना गया है^१। राष्ट्रकूट तृतीय कृष्ण का मंत्री नारायण राजविद्या का पारगत रहा गया है^२। यादव राजा कृष्ण के मंत्री नामरस के विषय में कहा गया है कि राजनीति शास्त्रों के गद्दन अध्ययन से उसका बुद्धिमूर्खता बहुत ज़दा चढ़ा था^३। अत यह मानना गलत न होगा कि प्रायः अच्छो शासन अध्यवस्था में वे ही अ्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त किये जाते थे जो राजनीति शास्त्र के पाठ्यालय और शासन के व्यावहारिक शान के लिए प्रयत्नात होते थे।

स्मृतिकारों के भतानुसार यातंभव मंत्रियों के पुत्र या वश के अन्य छोगों को मंत्रियों की नियुक्ति के समय प्रधानता दी जाती थी। गुप्त राज्य के मंत्री शाय और पश्चिमेण के वश में मंत्रिपद कई पीढ़ियाँ थे चला आता था^४। परिग्रामक राज्य में ४८२ ई० में सूर्यदत्त नामक यस्ति मंत्रिपद पर था, २८ वर्ष धार उसका पुत्र विमुदत्त भी उस पद पर बत्तमार था^५। उच्छ कल्प धंष्ट के शास्त्र में सन ४६२ ई० में गल्ख पराष्ट्र मंत्री था, और उन ५१२ ई० में उसका भाई मनोरथ उसी पद पर प्रतिष्ठित हुआ^६।

चदेल राज्य में एक ही वशकी र पीढ़ियों ने, जिसमें प्रभास, उसके पुत्र चियनाग, उसके पुत्र महोपाल, उसके पुत्र अनंत और उसके पुत्र गदाघर थे, चदेल वशकों सात पीढ़ियों की सेवा की, जिसमें धग, उसके पुत्र गद, उसके

१ शायार्थ्यायनीतिश कविः पाटिलिपुशक । क० ६ ६ ३ ३५

२ पारगो शज्जिद्यानो कविगुणप्रिपक्ष ॥ पवि इटि, ४ ५०

३ अनेकराज्ञीतिदास्त्रोक्तिवेक्षयित्रुदिवीश्वा । द ५, १२ १२६

४ शाय का विशेषण है 'शायप्राप्तसाविद्य'। पृष्ठापेण, प्रथम कुमार गुप्त का मंत्री था और उसका पिता शिशरस्वामी द्वितीय चंद्रगुप्त का मंत्री था। प. इविका, १०, पृ० ८१।

५ क० ६ ६, ३, ४ १०४, १०८ ६ वरी, पृ १२८

पुत्र विद्याशर, उसके पुत्र विजयपाल, उसके पुत्र देववर्मन्, उसके मार्ही कीर्ति-वर्मन्, उसके दो पुत्र दल्लद्युषमन् और पृथ्वीवर्मन् और दल्लद्युषमन् का पुत्र विवर्मन् ये ७ राजा थे । इसी वर्ष में राजा मदनवर्मन् का मन्त्री वाहृया, और मदनवर्मन् के पौत्र परमर्दि देव के मन्त्री कमला वाहृय के पुत्र और पौत्र सल्लद्युष और पुरुषोत्तम हुए ३ । इसके पास चलता है कि मन्त्री की नियुक्ति में वरुणपरपरा का ध्यन रखने का स्मृतियों का व्यादेश यथासमव व्यवहार में लाया जाता था ।

कमी कमी राजवश के सदस्य भी मन्त्री बनाये जाते थे । यद्या कश्मीर के राजा हृष्ण ने एक पूर्ववर्ती राजा के दो पुत्रों को अपने मन्त्रियों के पद पर नियुक्त किया ४, और चाहमान राजा वसुन्धर ने अपने पुत्र सल्लद्युषपाल को ही अपना प्रधान मन्त्री बनाया ५ । पर राजवश के दूरवर्ती सदस्यों को भी मन्त्री बनाने में यह सतता भी था कि वे विहासन पर ही कम्जा करने का घटयन न करने लागे, अत यह प्रथा बहुत प्रचलित न थी ।

स्मृति और नीतिकार मन्त्री में सैनिक योग्यता होना आवश्यक नहीं मानते ६ । पर पुरातत के लेखों से पता चरता है कि साधारणत मन्त्री सैनिक नेता भी हुआ करते थे । समुद्रगुप्त का संविविमिहिक इरिपेण 'महाबलादिकृत' या महाऐनापति भी था । इश्वाकु और वाकाटक राजाओं के प्राप्तादिपति सेना पति भी होते थे, और यही बात समवत मन्त्रियों के सबसे में भी थी । गगर्णी राजा मार्यादित के मन्त्री चामुण्डराय ने गोनर भी वाहृय थीती थी ७ । सन १०२४ ई में उत्तर चालवय वधी राजा का मन्त्री, महाप्रचड़-दह नामक अर्थात् उथ सैनिक अधिकारी भी था । कठुन्हुरि वधी राजा विजल्यव के सर्व मन्त्री दण्डनायक या दण्डपति भी थे ८ । आखर्य भी बात तो यह है कि ऐमाद्रि देसा यारि भी, द्विसने ब्रत और घासिक अनुग्रानों पर इतना अधिक टिक्का है, न बैवल युद्धगांडों भी शिरा के सिद्धांत और व्यवहारका ही जाता था वरन उसने स्वयं क्षंडी (ठिंदवाढा) जिटे के एक (विशेषी सरदार का दमन भी किया

१ पृष्ठ इडिका, भाग १ पृ. १६७ । २ वहा, पृ० २०८-२११ ।

३ राजतर द८८०४ । ४ इडि पृष्ठि भाग १३ पृ २१८ ।

५ कौटिल्य, कामदक और सोमदेव वश्च योही कह देते हैं कि मन्त्री वौर भी होना चाहिये पर सैनिक योग्यता पर कोई विशेष जोर नहीं दर्ते ।

६ पृष्ठ इडिका, भाग ५ पृ. १०३ ।

७ इडि पृष्ठि, भाग १४ पृ २३ ।

या^१। यादव राजा शृङ्ग का प्रधान मंत्री नागरथ जितना बड़ा विद्वान् था उतना ही प्रसिद्ध थोदा भी था^२।

स्ट्रियों मत्रियों के चुनाव में व्राजग को प्रधानता देती हैं। व्यवहार में इस पर कहीं तक अप्रति किया जाता था यह कात नहीं। उत्कीर्ण लेखों में उल्लिखित मत्रियों की जाति प्रायः नहीं दी गयी है। पर अधिक समावना है कि मत्रियों में सभी जातियों और घरों के सदस्य होते थे। महाभारत के अनुसार राजकीय परिषद में व्राजग वेष्ट ४ होते थे जब कि द्वियों की संखा ८, वैश्यों की २३ और राज्यों की ३ होती थी^३। शुक का कथन है कि जाति और कुल विधाह के समय ही पूछना चाहिये, मत्रियों का चुनाव करते समय नहीं^४। चोमदेव या मत है कि तीनों द्विज घरों से मत्रियों से लेना चाहिये^५। शुक को या सेनाविप का पद शूद्र को भी देने में आवश्यक नहीं है यदि यह उसके योग्य और विष्वास पाऊ हो^६। प्राचीन भारत के अधिकांश राजा अवाहण ये और समयत उनके मंत्री भी अधिकांश अवाहण होते थे, लास और इस लिए कि उनमें दैनिक योग्यता भी अपेक्षित थी।

मत्रियों की नियुक्ति राजा करते थे। प्राचीन भारत में देसी कोई केंद्रिय प्रतिनिधि समान थी जिसके प्रति मंत्री जिम्मेदार होते। अतः प्रत्यक्षरूप ये भी मंत्री राजा के प्रति जिम्मेदार थे और अप्रत्यक्ष रूप से ही जनसत के

१ दानं रा ४ सो माग ५ पृ १८३।

२ इडि देवि, भाग १४ पृ ७०।

३ चतुरो व्राजणान्वैश्याग्न्यराज्यान्वनात्काम् दुष्टीन्।

द्वियान् दय चाही च विन दास्त्रपायिन् ॥

वैश्यान्वित्तेन सदस्यानेवर्विन् तिसर्यया ।

ग्रीष्म दूद्रान्विनातोरुच दुष्टीकर्मणि शूर्वेन ५ १२ ल४ ७८

४ वेष जातिं न च कुटु वेष्टल चक्षयेदपि ।

कर्मशालगुणः पूर्णस्तथा जातिकुछेत च ॥

न जात्या न कुछेत व्येष्टप्र प्रतिप्रथते ।

विवाहे सोजने नित्य कुटुजातिविवेचनम् ॥ दुष्ट, १ ५४ ५

५ पृ ५५।

६ इवमनिरता नित्य इवामिभक्ता रिपुद्विषः ।

राजा वा द्विया वैरया इत्युपासकासम्भव ।

सेनाविपा सेनिकारब्ध कायौ राजा व्यापिना ॥ दुष्ट २ १३४ ।

प्रति । अत मन्त्रियों का प्रभाव उनके व्यक्तिगत पर ही निर्मल
लेक प्रतिनिधि सहस्रा के समर्थन के वैधानिक बल का
यिनिवार ऐसे शक्तिशाली और स्वेच्छाभीन राजा ठीक

मन्त्रियों को निकाल सकते थे, व्योग्यता के कारण नीचे पद पर उतार सकते थे
और अच्छो राय देने पर पदवृद्धि भी कर सकते थे^१ । ऐसे राजाओं के मन्त्रियों
की स्थिति बहुत कठिन होती थी । रावण की भाँति वह अपने मन्त्रियों से सदा
अपनी हाँ में हाँ मिलाने की आशा करते थे और उनके प्रतिकूल हितकी चात
कहने पर भी मन्त्री को अपने पद से दाय धोने के लिए तैयार रहना पड़ता
था^२ । कभी कभी तो अप्रिय राय देने के कारण उन्हें निर्वासन और संपत्ति
हरण का भी दण भोगना पड़ता था^३ । परंतु इस चिन्ता दूषरा पढ़ल वह भी
है जब राजा के दुबल हाने पर मन्त्री लिहासन पर कब्जा करने की ताक में रहते
थे । राजा और मन्त्री में बाबर तनातनी और परस्पर अविश्वास रहता था और
मन्त्री राजा के सर्वनाश का घट्यन रचा करते थे^४ । गाविधी के पति सत्यवान् के
पिता का राज्य मन्त्रियों के घट्यन से ही गया था और ऐतिहासिक युगमें मौर्य
और शूग वंश के अंतिम राजाओं का भी यही हाल हुआ ।

परंतु उनरि निर्दिष्ट दोनों प्रकार की भी स्थिति असाधारण थी । यावरणत
राजा अपने मन्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और मन्त्री भी इसामिभक्त होते थे
तथा अपने को प्रजा के हितों का सरदाक समझते थे । मन्त्री राज्य के स्तम्भ माने
जाते थे^५ और राजा साधारणत उनकी राय पर ही चलते थे, यद्यपि सब बात

१ द्युश्लक्षणा २ ।

२ संपूर्णेन तु यक्ष्य सविवेन विपश्चिता ।

यास्यमप्रतिकूल तु शुद्धूर्वै हित शुमन् ॥

सावमद तु यद्याश्य मारीच हितमुच्यते ।

मामिगदति सद्वाजा मानाहौ मामवग्नितम् ॥

३ एतद् कममवश्य मे यक्षादपि करिष्यसि ॥ रामायण, काव ३

अध्याय ३० ९ १०, २८

४ राजतरगियो २ १८, ६ ३४२ ।

५ सदैवापद्यतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रियाम्,

भत पृथि द्वि याम्भन्ति मन्त्रिय सापद शृणम् । पचत्र ए २६

५—अवासरीकुटिलिरविद्यदे सुपरोक्तिः ।

मन्त्रिमिथीदते राज्य सुस्तम्भेति भद्रिम् ॥ पचत्र ए २६

की पूरी निम्नेदारी राजा पर हो दी होती थी? । मन्त्री का सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य यही या कि राजा को कुमार्ग पर जाने से रोके और उस पर निष्पत्रण रखें^३ । फामदक का कथन है कि वे ही मन्त्री राजा के सुहृद हैं जो उसे उत्पत्ति जाने से रोकते हैं^४ । मन्त्री वही है जो एकमात्र राज्यकार्य मार की ही चिता करे, राजा के मन को ही करने के पेर में न रहे और राजा मी जिसका अद्वय करे^५ । राज्यव्यवस्था में मन्त्रियों का स्थान इतने भद्रत्वका था कि कुछ आचार्योंके मतानुसार किसी भी राज्य के लिए इससे बड़ा सकट कोई न हो सकता था कि उसके मन्त्री नादान निकल या शत्रु से मिल जाय^६ ।

मन्त्रियों की शक्ति और प्रतिष्ठा घृण्ट कुछ उनके व्यक्तित्व पर ही निर्भर थी । हमारे विधानशालियोंने कहा है कि व्य राजा शक्तिशाली होते थे तब अधिकार उन्हीं में वेदित रहता था और शासन 'राज्यायत्त तत्र' कहा जाता था और व्य राजा दुर्बल और मन्त्री शक्तिशाली होते थे तब अधिकार मन्त्रियों में वेदित रहते थे और शासन 'सचिवायत्त तत्र' कहा जाता था । धाधारण सिध्यति में अधिकार दोनों में विमालित रहते थे और शासन 'उभयायत्त'^७ दोनों पर समान रूपसे टिका हुआ समझा जाता था ।

इस बात के ध्यात प्रमाण है कि धाधारणत राजा मन्त्रियों का घृण्ट मान करते थे और उनकी राय पर चलते थे । राष्ट्रकृष्ण राजा तृतीय कृष्ण (६५१) का सधिविप्रहिक मन्त्री नारायण इसका 'दिव्य हस्त' कहा गया है^८ । पर्याय के नृपति परवल (८५३ है) अपने मन्त्री को 'शिरसा धंदनीय'

१—तदद्भूयिष्ठा कार्यसिद्धिकर या श्रूयु सरकुयोद् ।

अधशास्त्र, भाग १ अध्या १८

२—ये धनमण्डस्थानेभ्यो वारपेयु । यहो, भाग १ अध्या ३ ।

३—नृपस्य स पूर्व सुहृदस्य पूर्व गुरुवो मता ।

४—एनमुत्पप्यत वारायत्विवाहितम् ॥ ४ ॥

५—सा मन्त्रिष्ठ च यदाऽप्यहर्यमारैविविनम् ।

चित्तानुवरतन यदुपलीषकलक्ष्यम् ॥ कथाप्तिरागा, १८ ४६ ।

६—माद्राज भी इसी मत के थे । अर्थ, भाग ८, अध्या १ ।

७—सुद्राराद्यस्य तृतीय रूप । कथाप्तिरागा १, १८ ३ ।

८—तद्य ए प्रतिहस्तोऽभूत् वियो वाचिष्यहस्तवद् ।

पृष्ठ इरिका, भाग ४, पृ १०

मानता था।^१ यादव ने रेश कृष्ण के लेख में उसके प्रभान मन्त्री की उपमा उसकी चिह्ना और दक्षिण कर से की गयी है।^२ इसी बधके एक अन्य लेखमें राष्ट्रको पुष्टि, प्रजाजन की वृद्धि, भर्मंकी वृद्धि और सङ्कल व्ययों की विदि सम कुछ मन्त्रियों की कायकृशता और कर्तव्यमावना पर निभर बतायी गयी है।^३

इस देख जुके हैं कि राजायच शासनमें मनी विन्कुल राजा के हाथ में रहते थे पर जब मन्त्री प्रमावशाली होते थे और मिलकर काम करते थे तो राजा का कुछ न बढ़ता था। परपरा से यह बात सुनी जाती है कि चदगुप्त मौर्य अपने मन्त्री कौटिल्य के बश में थे। अशोक के मंत्रिया ने सफ़लता पूरक उसके अवधारण दान प्रकृति का विरोध किया था और उस पर एक अवसर पर अशोक के बल आभा अविला माम ही सप्त को दे सके थे। इस ऐतिहासिक दान की स्मृति सुरक्षित करने के टिप्प उस पर एक स्तूप बनाया गया जिसे सुआन च्याग ने उभी सदी में देखा था। युआन च्याग यह भी बताते हैं कि आवस्ती के राजा विन मादिय प्रतिदिन ५ साल सुदाए दान देना चाहते थे पर मन्त्रियोंने यह कहकर इसका विरोध किया कि इसक शीम ही खनाना खाली हो जायगा और नये कर लगाने पड़ेगे। राजा के दानकी प्रश्ना होगी मगर मन्त्रियों को प्रधा की गाती सुननी पड़ेगी।^४

पादब्लिं ज्ञातक (स० २४०) में कहा है कि मन्त्रियोंने पादब्लिं को इसलिए कुषराज न बनने दिया कि वह कुचिद्धीन था। यह तो बेयक कथा है पर यह तरगिनी मन्त्रियों के महान् प्रमाण के ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करती है। राजा अवधीर मम्म और अय मन्त्रियोंके निर्णय स ही राज्यस्थुत किया गया (४, ७०७)। मन्त्रियोंने ही राजवदके बब वर्मेदवारी में शूर को सबसे योग्य निश्चय करके उस राजगदी दो (४, ७१५)। राजा कलश अपनी भूत्युशय्या से अपने पुत्र दर्ये को युधराज बनाना चाहता था पर मन्त्रियों

१—पादब्लिंपठेमूल्जि वय। यही, भाग ६, पृ० २५४

२—यो जिह्वा पृथिवीशस्य यो राठो दक्षिण वर। इ पै, ४, ७०

३—राष्ट्रस्य पुष्टि स्ववनस्य कुष्टिप्रस्त्रय वृद्धि सहकायतिदि।

नदिति संत प्रसरति छप्य ओचगदेव सति सञ्चानने॥

इ पै, ८, ६,

४ शूरसे स मूमिषतिरेप द्वापिहा।

दान प्रयस्तुति डिटामरकाघमेतत् ॥ दिव्यायदाम पृ० ४३०

५ वैदस, भाग १ पृ० २११

के दृढ़ विरोध के कारण उसकी अतिम इच्छा सप्तल न हो सकी (७, ४०२) । अनेक प्रमाणों से शात होता है कि राजा के निराशान मरणाने पर मन्त्री ही उत्तराधिकारीका निर्णय करते थे । सिहल के राजा विजय की मृत्यु पर उसके मंत्रियों ने एक बय तक राज्य समाला, और उसके मतोंके भारत से लैटने पर उसे शासन सूत्र संपादा^१ । हर्ष को क्षमोज का राज्य मौतरि राज्य के मंत्रियों ने ही प्रदान किया ।

मिर भी साधारण हिति में मंत्रियों की मशणा पर अतिम निर्णय फखे का काम राजा का ही था^२ । पर वह साधारणत मंत्रियों की उल्लाद का भवारा लेता था । राजा और मंत्रियों में सौहान्त्र रहता था । राजा अपने मंत्रियों को बहुत मानते थे और अपने हृदय के समान समझ कर उनपर विश्वास करते थे^३ । ये उ हैं अपने दाहिने हाथके समान मानते थे और उनकी आशाकी अपनी आठा समझते थे^४ । वल्लभ ने बाण किया है कि राजा जयसिंह अपने हरण मंत्रीके अतिम क्षण तक उसकी शोष्या के पास रहे रहे (८, ३३२९) । यह उदाहरण अपवादात्मक मानने का कोई कारण नहीं है ।

बहुधा लितादित्य ऐसे शक्तिशाली राजा भी अपने मंत्रियों को इह खात की स्वतंत्रता दे दते थे कि यदि उनकी कोई आशा अनुचित ज्ञान पहुँचे था ऐसे समय दी गयी हो जब वे पूरे तरह होश में न हों तो मन्त्री उसका पालन न करें, और ऐसा करने पर अपने मंत्रियों को घन्यवाद देने से भी बेन चूकते थे^५ । मन्त्री भी बराबर राजा और प्रक्षा दोनों के हित का ज्ञान रखते थे । राजा ज्यापीह के दंदी ही जानेपर उसके एक मंत्रीने अपने ग्राण दे दिये ताकि उसके फूले हुए यजके उदारे राजा नदी पारकर शत्रुओं के पंजेसे मुक्ति पा सके^६ । दिविष के हतिहाउ में इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब मंत्रियों ने राजा की मरण के समय ग्राण दे देनेको प्रतिशा की और अवसर आनेपर उसका पालन भी

^१ मदापश अस्य यत्कृपा

^२ एतेऽवि मध्ये नक्षेः स्वर्यं भूयो विधायेत् ।

साधा पर्तेत तरक्षो न्या स्वार्थं न पीडयेत् ॥ कामदक ११-१० ।

^३ विद्वासे एषोपमम् । न चो व्रं रो य सो, १२ ६

^४ यो निहा पृथिवीशस्य यो राजा दिविष कर । इ ए. १४ ७०

^५ कार्यं न चातु तद्वार्यं पत्वोदेग मयोऽवते ।

तातुष्टकारिणोऽसाराम्यश्चिति सोऽप्यवीत् ॥ राजतरगियो, ४, ३३० ।

^६ राजतरगिया ४, ५०५. ३-४. क, ५, येतु १० १२ ।

किया। होयसल राजा दिवोम् बहुगाल के मरीने यह प्रतिष्ठा की थी और गजाका मूल्य के बाद उसका रानी क साथ मरीन मी एक लंबे संतुष्ट पर से दूदहर अपने प्राण दे दिये^३। कनाक के इतिहास में ऐसे और मी अनेक उदाहरण निहते हैं^४।

इसने तो हमें नहीं कि गुग्राही और कृत्यवान् राजा और मन्त्रिमान् और कुशल मरी इनका स्योग धारवार नहीं होता था^५। परन्तु यह मी मानना पड़ेगा कि दृष्टमन्त्रियों का सृष्टीय सदृशार्थ इतना अवादामङ्ग मी नहीं था जितना आदक्षल के लोग मानते हैं। अनुभुव के प्रमाणों से यह प्रतीक होता है कि मनिमट्ट का रायकारमार पर प्रायः अच्छ असर पड़ता था और वैधानिक तौर से चन्दा क प्रति उच्चरदायी न होने पर मी मनिमट्ट अपनी शक्तिभर प्रना के दिवसाखन का प्रयत्न करता था।

—०—

भर्या स
मन्त्र करता॥, या तस्

१ ए क, ५, वेदुर न० १२।

२ ए क, ६ अर्कदाद, स ५, २७, ६, कादुर स १४६, १०, कोड १
स १८८ मुठशामङ्ग स ७०-७८

३ हनु दीतिमाण्डमासृभयो भक्त इमयेन्मित्र ।

अभगुरोय स्योग सुहृत्वैर्ज्ञतु ददयते ॥

पत्तपामनुत्पदनम्मुक्तुष्यपूर्पगी ।

४ दृष्टी म धुवी वन्यो वाट्यो रामस्त्रियो ॥ राघव, ५ श्लृष्टि १

अध्याय ६

देव्दीय शासन-कार्यालय और शासन विमाग

पिछे क्षणों में हमने शासन व्यवस्था के शान्कें राजा और मन्त्रि
 परिषद् के अधिकारों और कार्यों की विवेचना की है। पर विष प्रधार शान
 कें भ्र की मतिष्क के आदेशों औ पूर्ण करने के लिए शपथ के विविध व्यापों
 और इतिहास की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार स्परिषद् या के लिए भी
 बड़ीम शासनकार्यालय तथा अनेक कार्यालयों की आवश्यकता है। इस
 अध्याय में हम केंद्रीय सरकार के शासनालय तथा विभिन्न विभागों की व्यवस्था
 की समीक्षा करेंगे। यहाँ मी हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास सामग्री के
 बहुत योगी हैं और हमें विभिन्न प्रांतों और कार्यों के विविध ग्रन्थों के
 शासन के विवर देखों को बोह जावहर एक स्परेना बनानी है ॥ ६ ॥
 वैदिक काण में लेखन करा का या तो भाविष्यार न दुष्टा युवादी अल्ल
 अधिक उपयोग न किया जाता या । इसीलिए इह दुग में शासनकार्यालय के
 विकास की जाए नहीं की जा सकता । शासन आदेश या का दमिति
 द्वारा मौखिक रूप से दिये जाते थे और गांवों में हंडेय-जाहां द्वारा चोपित
 जिये जाते थे । याव डोटे होते थे इतिहास प्रसारी में बोर्ड अनुविष्ठ
 मी न होती थी और
 उत्तर द्वितीय
 इसका इर्वदा
 शा ॥

३८ विष प्रकार विद्युत हुआ
 ३९ या प्रधार बढ़ता

शासनकार्यालय अवश्य विद्यमान रहा होगा। पर इसका स्पष्ट्य ज्ञानने के बोह शाब्दन नहीं है^१।

अर्थशास्त्र से शात होता है कि मौर्य काल में शासनकार्यालय का पूरा विकास और स्थृत्य हो चुका था। विविध विभागों के बड़े अधिकारी 'लेखक' कहे जाते थे। वे 'लेखक' साधारण 'दूक्त' न थे। वर्णोंकि कौटिल्य का कथन है कि 'लेखक' का पद 'भ्रमात्य' के बराबर होना चाहिये^२, जिसका पद और वेतन केवल मध्ये से ही नीचा होता था। सातवाहनों के शासन काल में भी 'लेखकों' का यही पद बना था। उनके सपची वा अनुमान इसी से हो सकता है कि उनके द्वारा बोद मित्रोंके लिए बहुमूल्य गुप्ताएँ निर्माण कराने के उल्लेख बहुत मिलते हैं^३।

शासन की उत्तमता बहुत कुछ सचिवालय के कर्मचारियों की कार्यपुत्रता और कंद्रीय शासन के आदेशों के टीक ठोक लेख बद करने की योग्यता पर निभर करती थी। कौटिल्य कहते हैं कि 'शासन' (सरकारी आदेश) ही सखार है^४। शुक का कथन है कि "राजसद्वा राजा के शरीर में नहीं उसके हस्तादरित और मुद्राकित शासन में रहती है"। यह दिलाया जा चुका है कि आबकल की भौति प्राचीन काल में भी बहुता मत्रिपद अनुभवी और कैचे पदाधिकारी या अमात्यों को ही प्रदान किया जाता था। इसकिए अमात्यों के नुनाव में बही सावधानी बर्ती जाती थी। मत्रियों की भौति उनमें सी कैचे दबें की गिरा, कार्यपुत्रता और स्वामिमत्ति की आपेक्षा की जाती थी। सबसे बही आवश्यकता लेखनपट्रुता की थी, वर्णोंकि उनका मूल्य कार्य राजा या मध्ये के मौलिक आदेशों को श्रीशतिशीघ्र ठीकठोक लेखबद करना था। वे पढ़के के लियों को भी देख देते थे ताकि पढ़के के आदेशों या छिद्रों का नये आदेश से बिरोध न रहे। इसके पश्चात् वे नये आदेश को शासनोद्धारना करते थे जो सर्वांति, पूर्णता, चारता, गमीरता और

१ स्मरण रसना चाहिये कि शासनकार्यालय का विकास प्राचीन रोम में भी हेट्रिपन के समय (८८१ सदा ईसवी) में ही हो पाया था, जब कि भारत में यह कम से कम ऐसी सदी ईसवी पूर्व तक से अवश्य हो गया था।

२ अर्थशास्त्र भाग २, अरपाय १०।

३ परि १८८, ७ नामिक गुप्ताचेष स १६, २७

४ शासने शासनमित्याचष्टते। भाग २ च १०

केंद्रीय शासनकार्यालय और शासनविभाग

१३५

स्पष्टता आदि गुणों से युक्त होती थी। शब्दावल्य घचाते हुए, प्रभावशाली शैली में सरकारी भाषेश की आवश्यकता समझाते हुए, समयक्रम से या समय के अन्म से तस्वीरों को रखते हुए इत्य विद्या जाता था । ऐसा है यह राजा की स्वीकृति और इत्यादर के लिए पेश किया जाता था और तथ्यचातृ बाद, मुहर छाकर आदेश संबंधित कमचारियों के पास उपयुक्त कारबाह्वर के लिए भेन दिया जाता था ।

यूनानी इतिहासकारों ने सार्वजनिक कमचारियों (कौशिल और असेचर) की जिस जाती जाति का वर्णन किया है संभवत उसका तात्पर्य सन्निवाह्य के उस कमचारियों से ही था । इस जाति के ही द्योग उक्त सरकारी पदों पर ये और सार्वजनिक शासन कार्य में प्रमुख भाग लेते थे । यह जाति सरकार में अधिक न थी पर अपने बुद्धिवल और यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी । यूनानी लेखकों ने यह भी लिखा है कि प्रतीय शासनों और उचांचकारियों, कोप और कृपि विभाग के अध्यक्षों और उनके विभिन्न विभागों के नायकों को भी इसी जाति में देखा जाता था । इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय शासनालय के उत्तर अधिकारी ही इन पदों पर नियुक्त किये जाते थे ।

तुम्हार्यवद्य शृंग, सातवाहन और गुप्त काल में केंद्रीय शासनालय की कार्य प्रणाली के विषय में इसे कुछ जानकारी नहीं है । परन्तु यह अनुमान मध्युग तक कष्टपीर में भी, जहाँ शासनकार्य में अधारुषी बीच थीन बहुत हुआ परती थी केंद्रीय शासनालय शासन-प्रवर्त्य का नियमित आया था । राजतराजियों में केंद्रीय शासनालय के कमचारियों द्वारा राजाओं के क्षेत्र बद किये जाने के उल्लेख हैं । १२ वीं सदा में वास्मान^१ और चौहान^२ शासन में उचिवाल्य 'श्री ऋण' कहा जाता था ।

अन्य विधियों की मात्रा इस विषय में भी उक्ते अधिक जानकारी बोर राज्य के देखी से प्राप्त होती है । जब राजा किसी विषय पर आगा देते थे तो उक्ते संबंधित सब अधिकारी उस समय उपरियत रहते थे । एक लेखक उन मूळ लेखों के अनुसार जिसका या और अन्य दो तीन व्यक्ति उक्ते मूल^३ विनाकर

^१—अर्थ शास्त्र-मान २, भारताय १०।

^२—पूर्वि इडि ३ पृ २०३।

^३—पूर्वि इडि ३ पृ ६४।

ठहर पर सही जाते थे। तापश्चात् विभागों की प्रमाण पुस्तकों में दर्श करने के बाद वह आशा लिए में अवधारियों को भेज दी जाती थी^१।

केंद्रीय शासनालय में लेखों की सुरक्षित रखने की भी अपवाह्या थी। साधारण आदेश अधिक दिन न रखे जाते थे परन्तु भूमिदान और व्यापार आदि के ताम्रपट्ट मंदिर में छानबीन के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। कभी कभी दान पानवाल गँड़ि अपने गँड़ि को परस्पर बदलना चाहते थे ऐसे अवधर पर पट्टों में भी परिवर्तन बरना पड़ता था^२। भूमिदान की छिलापढ़ी केंद्रीय शासनालय में यथा समव शीशगां से को जाती थी और विलब हीनेवर अधिकारियों के व्यावर तंत्र होता था^३। केंद्रीय शासनालय के लेखोंमें संपत्ति के क्रय विक्रय या इर्षतातर दब कराने के लिए गुलक देना दहता था। कर्मीर के राजा यशस्वर ने शासनालय में दिये गये बड़ूत अधिक गुलक से शक्ति होकर एक मामन में बाटसाजो पकड़ा थो^४।

गँड़वाल^५ और चालुक्य^६ राज्य में सरकारी लेखोंके प्रधान निरीक्षक को अद्यपटिक या महाद्यपर्ति^७ कहा जाता था। कभी कभी वह साम्राज्य मोहितना था^८।

केंद्रीय सरकार और शासनालय का एक प्रमुख काय प्राचीय, आदेशिक और स्थानीय प्राचन का निरीक्षण और नियशग होता है। अब हमें यह देखना चाहिये कि प्राचीन मारत में इसकी क्या व्यवस्था थी।

कई अधिकारी ने राजा और अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के दिए दोर करने की सजाह दी है। मनु का कथन है कि रोदकमचारी स्वमाष्टु

१—सी इ ए रि, १११६ स० १८५

२—परमार राज्य में पह चेमो घरना का पता परि इदिका, २, पृ १८२ से लगता है।

३—देखो राजतरगियो, ५, ११०-८ सी इ इ, मार ३ पृ १४२ में पह ठड़ाइरण मिढ़ता है जहा मूळ आशा के पश्चात् यारा साउक बाद साम्राज्य यनापा गया था। अगर ताकावाल असांति स पह विलब हुआ था इसकिए यह ठड़ाइरण अपवाहामक समझना चाहिये।

४—राजतरगिया ६, ३८

५—परि इदि, १४ पृ ११३

६—इ ए, ६ पृ ११४

७—इ ए, ११ पृ ७१

अत्याचारी और घूसखोर होते हैं अत राजा का वर्तमान है कि राज्य में अपमण करके प्रबन्ध के दुखदर्द का शान प्राप्त करें। शुक्र का कथन है कि प्रबन्ध के दुखों और राजा के प्रति उनकी भावनाओं का परिचय प्राप्त करने के लिए स्वयं राजा या अथ उचाइचारी वार्षिक दीरे का कार्यक्रम बनावें। इन सलाहों पर राजा चलते भी थे बयोंकि दीरे के समय राजा के द्वारा की गयी अनेक घोषणाएँ या दिये गये दानपत्र प्राप्त हुए हैं।

प्रांती की हितति से अवगत कराने के लिए केंद्रीय सरकार के अपने चर या वृत्त लेखक रहते थे^१। ये द्वीप स्थानीय अधिकारियों से स्वतंत्र अपना कार्य करते थे। इनके द्वारा प्रांतीय कर्मचारियों के विवरण भिलने पर कर्मचारियों को राजघानी खुलाकर उनसे जबाब तलब किया जाता था।

बहुत से राज्यों में विशेष निरीक्षक नियुक्त करने की प्रथा थी। कण्ठिक में कलन्तुरि शासन में इस प्रकार के अधिकारा नियुक्त किये जाते थे। इहें 'करणम्' कहते थे। इहे केंद्रीय शासन की ऐसानेदियों कहा गया है। उनका काम यह देखना था कि सावजनिक धन का दुरुपयोग न हो, याय की द्यवस्था ठीक हो और राजदानियों और रपदानियों को द्वारा दह भिन्न^२।

चोल राज्य में स्थानीय स्थानीयों और देवालयों का दिवाव फिताव जावने के निए प्रतिकार प्रतिकारा नियुक्त किये जाते थे। प्रतिद्वार राज्य के एक लेखस जात होता है कि राजाक आदेश पर कुछ विद्यों की जाँच के लिए ऐसा एक अधिकारी उचितिनी गया था^३। अन्य राज्यों में भी कलन्तुरि, प्रतिद्वार और चाल शासन के अनुसार ही प्रथा रही होगी।

स्थानीय कर्मचारियों का केंद्रीय शासन को आशानों को सुचना देनेह लिए केंद्रीय कायोल्य के द्वारा विशेष स्वाददाता भेजे जाते थे। यह काम विमेदारी का था या और उच्चपदस्थ अधिकारियों को ही संभिग जाता था। दक्षिण क वाकाटक लक्ष्मीमें राजवदेश वाहकों को 'कुन्तुष' (ऊचे धाने क) कहा गया है^४। पहल्य लक्ष्मीमें इह 'महाप्रधान (मंत्री) क संदेशवाहक'

१ मनु ७, २२-४, देखिये भगवान्त २, अध्याय ३।

२ १, ३७४-८

३ याज्ञ, ३, ३३-९। भगवान्त १, अध्याय १-१२।

४—५ क, भाग ७ शिकारपुर स १०२ भी १२३

५—६ पृष्ठ दृष्टि, १४ पृ १८२-८

६—७ पृष्ठ दृष्टि, २२ पृ १९०

महाया गया है^१। आसाम से प्रात एक देखने इस येरो का अधिकारी बड़े गब से कहता है कि मैं ऐकड़ी राजदानी का बहन कर चुका हूँ^२।

उपरुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय सरकार और कार्यालय किस प्रकार प्रानीय और स्थानीय शासन के नियोग और नियन्त्रण की व्यवस्था करते थे।

अब हमें विभिन्न विमागों, उनके अधिकारियों और कार्यों पर विचार करना है। विमागों के ग्रान्त अधिकारियों को मीर्ये छाल में अध्यक्ष और शुक शासन में कर्मचारी कहते थे। आश्चर्य की बात है कि स्मृतियों में इनका उल्लेख बड़े ही अस्पष्ट रूप में किया गया है^३। हों अब शास्त्र में इस विषय का विस्तृत विवरण है और इसकी पुष्टि विशेष लेखों से भी होती है।

आधुनिक शासन व्यवस्था में विमागाध्यक्ष और विमाग-मन्त्री पृथक् होते हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक मन्त्री प्राय धनरा द्वारा नियोजित प्रतिष्ठित नहा होते हैं। पर ग्रामीन कालमें यह त्रिपाति न थी, और अधिकारी देशोंमें विमाग का अध्यक्ष ही मन्त्री होता था। ग्रामीन मारत में असुर मन्त्रा सनापति का भी पद प्राप्त कर दर्ते थे। प्रथम कुमारगुन के राज्य में पृथक् पेण्य साधारण मन्त्री के पद स उन्नति करके सनापति के पदपर पहुँचे थे^४। साधारण न्यायमन्त्री और प्रधान न्यायाधीश, दथा युदमन्त्री और प्रधान नेतार्पति एक ही व्यक्ति हुआ करता था।

प्रारम्भिक काल में और छोटे राज्यों में विमागों की स्वता बहुत अधिक न थी। विणुस्मृत में, लाज, तुगी, नोका (ferry) और हाथी, केवल इन्हीं चार विमागों का उल्लेख है^५। प्रारंभिक क्रमांक राज्य में बृन्ज ७ विमाग थे, अग्रोक व पुत्र बहौक ने इनकी संख्या बढ़ाकर १८ बना दी थी। लगभग नवम शताब्दी बाद दक्षिणादित्य ने इनकी संख्या २३ कर दी^६। राजादग और महाभारत में १८ विमागों या 'तार्थों' का ही उल्लेख बगावत किया गया है,^७ पर

१—इ. पृ. ५ पृ. १५५

२—पृष्ठ ११ पृ. १०७

३—मनु, ७-८१, पात्र १-३२२।

४—पृष्ठ १५३, १० पृ. ७।

५—३, १६।

६—राज १-११८ २०, ४-१४१ और आये।

७—रामायन २, १००, ३६। महा भा ४, ५, ३८

उनके नाम नहीं दिये गये हैं। टीकाकांडो ने ये नाम दिये हैं मगर उनकी टीकाएँ पथ रचना के सेफ़हो वप बाद छिले जाने के कारण उनके विचान संपूर्णतया वशसनीय न होगे। श्र्वर्थशाल में भी विभागों की इस परपरागत सत्या का उल्लेख है^१, पर इसमें ५-६ अधिक विभाग भी जोड़े गये हैं। शुक के अनुसार विभागों की संख्या २० ज्ञान पढ़ती है^२।

उक्तीज लेखोंसे युछ और विभागों का पता जलता है जिनका उल्लेख मूलि या नोतिकारी ने नहीं किया है। अब इन विभागों को आधुनिक बर्गों वरण के अध्ययन से जोड़े दिया जायगा।

भारतवर्ष में अधिकतर नृपतन्त्र ही प्रचलित या इन्हिये राजमहल विभाग का उल्लेख स्वयं पहले करना अनुचित न होगा। महल और उसका प्रबाता एक विश्वासपात्र अधिकारी के जिम्मे रहता या जिसे घगाड़ में 'भाव अधिक' कहा जाता या^३। शुकनोति में उक्तके पदका नाम 'सौधयोद्धाधिप' कहा गया है^४। राजमहल और शिविर में प्रायः गमन का नियमण 'द्वारपाल' नामक अधिकारी वही सततता से करता या। इस काम के लिए 'मुद्राधिप' नामक अधिकारी से अनुमति पथ लेने की आवश्यकता पढ़ती यी। राजा के सम्मुख तो और मिलनेवालों को पेश करने का काम 'प्रतीहार' या 'महाप्रतीहार' का या। राजा का एक अगरदृक्^५ दल होता या जिसे कही कही 'हिरोदृक्'^६ की कहा गया है। इस दलका नायक खालुक्य कालमें 'श्रगनिमूहू'^७ कहा जाता गया^८। महल का उपर्युक्त अतगत प्रबन्ध 'सभाप' के जिम्मे होता या। राजा के बजाने, पाकशाला संग्रहालय और चिह्निया और जानवरसाना^९ (menagerie) का प्रबन्धक इधी के अधीन होते थे। पाकशाला का प्रबन्ध वही जिम्मेदारी का था, पाकाधिप को बराबर सत्र^{१०} रहना पढ़ता या कि वही फोर्ट विषप्रदेश राजाक प्राणदरण की कुचेष्टा न करे।

^१ १, भाष्याप ८।

^२ २, ११०।

^३ मञ्जूमदार, दिस्त्री खॉफ यगाड (यगाड का इतिहास) माग १, पृ० २८८।

^४ भाष्याप २, ११६।

^५ मञ्जूमदार, दिस्त्री खॉफ यगाड, भा १, पृ० २८८।

^६ वही पृ० १८२।

^७ भाष्यवाह छेत्र, पृ० १५८।

^८ शुक २-११० १२०।

आद्वक्त्व की भाँति उस समय भी राजा के लिए राजा 'य' होता था। गढ़वाल दूसों में इसका उल्लेख है^१। गुफनीति में इसे सम्बन्ध 'आरामाधिष्ठ' कहा गया है^२। सन् ६०० ई० के बाद यह पल अयोतिप का प्रचार बढ़ा तब यह सभा में राजनीतिशी मी रखे जाने लगे, और युद्ध यात्रा के पूर्व इनके सलाह दी जाती थी। गढ़वाल, यादव, चाहमान और चालुक्य^३ दूसों में इनका उल्लेख मिटता है। बहुत प्राचीन काल से ही सभा में 'राजकवि' होते आते थे। समृद्धि के अधिकार प्रयत्नात कवि इसी ने किसी राजसभा से चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त राजा या सरकार द्वारा बहुत से पहितों द्वारा बुद्धि न कुछ उदाहरण मिलती थी।

अत युर का प्रध्य 'वक्तुकिन्' के बिम्मे रहता था। यह अवस्था में बृद्ध और राजा का परम विश्वासनात्र होता था।

सना विमाग निःसट्ट उद्यम मृत्युपूर्य विमाग था। अक्सर राजपटी कायदा ५० प्रतिशत उना पर स्वर्च कर दिया जाता था^४। इस विमाग के अध्यक्ष के 'एनापति', 'महाएनापति', महाबलाधिकृत^५ या महाप्रचडद्व नायक^६ आदि विमित्र नम विमित्र वाँपी और काल में थे। इसके अधीन 'महाव्यूपति' नामक अधिकारा धाम करता था जो आद्वक्त्व के (चोर वॉर्स / देनरल राप) के स्वर दौड़ी दफ्तर के प्रधान की भाँति का अधिकारी था^७। सना का पद्मतिर्ल, अश्वदल, गवर्णर और रथदल ऐसी चार शालाएँ जाती थीं। इनके प्रधान अधिकारी क्रमशः पत्तदध्यक्ष, अश्वरति (महाश्वरति और महाश्वरति भी), इस्तदध्यक्ष (गुप्तकाल में 'महावीर्णवति') और रथाधिरति^८ वहे जाते थे। 'अश्वरति' और 'रथाधिरति' के मात्रहृत-

१ इ. पै., १८, पृ १०। २ १-११६।

३ इड. पैटि १८ पृ १० और १६, पृ २१८। पृष्ठ दृष्टिका, १-पृ ३४३।

४ शुक १, ३१६-७ देखिये, अर्गो, अस्याय १३।

५ मध्य हिन्दुस्थान के परिमानक राज्य में ५ जी सदों में, दक्षिये, कॉ ६ इ. ३, पृ १०८

६ दक्षिय में यादव राज्य में, इड. पैटि १२ पृ १२०।

७ हिन्दा झोड़ देगाल, भा १ पृ २४८

८ अपदाल, भाग २, शुक्लाति, १ ११०-१११; अ स त्रि., २६०३-४, पृ १०० और आगे बारहवीं मदा द गाहड़वालों के राज्य में भी कराय कीव ये सब सेनाधिकारी हैं जैसे थे।

अश्वशालाभिकारी भी होते थे जिन्हे चाइमान काल में राष्ट्रस्थान में 'ठाईनीय' कहा जाता था^१। गुप्तकालीन लेखों में अनेकबार उल्लिखित 'दड़ नायक' आजकल के 'कनून' कोटि के होते थे और विभिन्न प्रदेशों में सेनात सेना की टुकड़ीयों के नायक होते थे^२। आजकल जिस भाँति 'शामि' 'उरियट' का प्रबन्ध करनेवाले 'फाटेर मास्टर जेनरल' होते हैं उसी भाँति प्राचीन भारत में भी सेना के लिए सामग्री जुटाने के लिए एक अधिकारी होता था और गुप्त काल में इस विभाग को 'रणभाण्डागाराधिकारण' यह अन्वर्धक नाम दिया गया था^३। इसके मात्रात कई अपसर होते थे, जिनमें 'आयुषगारावदक्ष' भी था जो सेना के अध्यात्मों की देख माल करता था। सेना के लिए इसी एक अधिकारी भी इसीके अधीन काम करता था। राष्ट्रीय रक्षा 'व्यवस्था में दुर्गों का बहा महत्वपूर्ण ह्यान था। प्रत्येक दुर्ग 'कोटपाल' या 'दुर्गाध्यक्ष' नामक अधिकारी के लिम्मे रहता था। दुर्गों की व्यवस्था के नियीन्य के लिए समवत् राज्य की ओर से एक विशेष अधिकारी भी रहता था। उमात और उस और के माग और दर्गों की रक्षा 'द्वारपाल' रहता था, जो अपने द्वेष के 'दुर्गणाल' से निकट सपक करता था। बहुधा दोनों पद एक ही वक्ति को दिये जाते थे, तथा प्रतिहार साम्राज्य में ग्यालियर दुर्ग का द्वारपाल ही सीमीत का रक्षक 'मर्यादाधुर्य' भी था^४।

१६ वीं सदी में भारत की सेना प्रदेश के अनुकार संचालित की जाती और रखी जाती थी जैसे बंधुई की सेना, मद्रास की सेना और उत्तर की सेना। ऐसे काइन घालू होनेके पहले इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक थी। प्राचीन भारत के बड़े बड़े राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। प्रतिहार साम्राज्य में राष्ट्रकूटीपर ध्यान रखने के लिए एक दिविणी सेना थी, पाली का रोकने के लिए पूर्खी उगा और मुख्लमानों का प्रतिरोध करने के लिए पश्चिमी सेना थी। राष्ट्रकूट राज्य में भी यही व्यवस्था थी^५। यीर्य और गुप्त साम्राज्य में भी इसी प्रकार की व्यवस्था रही होगी बल्कि इस सबसे में इसे कोइ दरष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं।

^१ पृ. इडि., ११ पृ. ११

^२ अ. स. रि., १६११-२ पृ. १५२

^३ अ. स. रि., १९०३-४ पृ. १०७ और आगे।

^४ पृष्ठ इडि., १ पृ. १५१-६०

^५ —राष्ट्रकूटों का इतिहास (राष्ट्रकूटाज्ञ बैष्ण देवर दात्म) (पृ. २४७-८)

एक राष्ट्रकूट लेखमें पक सेनिक अधिकारी के घोड़ों की गिराके अद्भुत कौशल का बतान किया गया है^१। यह स्पष्ट है कि सेना की विभिन्न शाखाओं को सामारिक शिक्षा देनेके लिए विशेष विमाग था। 'मौल' अर्थात् आनुबंधिक सेना को गिराके देनेकी विशेष आवश्यकता न थी और यही सेनाकी सर्वोच्चम शाखा भी होता थी। युद्ध करना ही इनका वंशगत कार्य था और इहें गाय या जागोर के रूप में शृंति भिजती थी।

सेनामें धायनों को उठानेवालों का भी दल रहता था। सेनाके चिकित्सक और शुश्रूषक भी होते थे जो विविध औजारों, औषधों, मरहमों और पट्टियों से भर्छीमाति लैकर रहते थे। चिकित्सक दलका ठल्लेल उत्कीण लेखोंमें बहुत ही कम मिलता है पर अर्थशास्त्र में^२ इसका वर्णन है और कश्मीर की सेना में भी यह विद्यमान था^३। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में सेना के पश्चुचिकित्सकों का भी उल्लेख है।

चिकित्सक दल को माति खनक और परिसारकों का (sappers and miners) दल भी आवश्यक था। कौटिल्य ने इसी प्रकार के एक विमाग का उल्लेख किया है (मा १० अध्याय ४) जिसका कार्य गिरियों, सद्कों, सेतुओं और कुण्डों का निर्माण और मरम्मत करना था। इसके भी अपने अध्यक्ष और अन्य अधिकारी रहे होंगे।

भारत के अधिकांश राज्य उमुद से दूर थे और उन्हें वेष्टल रथलगामी शम्भु से ही काम पढ़ता था। इसलिए नौसेना का उल्लेख स्मृतियों और उत्कीण लेखोंमें बहुत ही कम मिलता है। पर मौर्य राज्य में नौसेना यो वित्क प्रबल के लिए एक अत्यन्त समिति थी। कालिदास ने^४ बगाड के बगों के नौशहित का उल्लेख किया है। पाँड राजाओं के पाँड भी प्रबल नौसेना थी^५। तामिल राज्य में बहुत प्राचीनकाल से ही नौसेना रहती थी जो पूर्व पश्चिमके देशों के साथ होने वाले समुद्रो व्यापार की रक्षा के लिए पर्याप्त थी। ११ वीं सदी में चोल राजाओं ने अपने प्रबल नौसेनाकी सहायता से कई द्वीपों पर कब्जा किया था। पश्चिमी भारत के दिलाहार राज्य की भी नौसेना थी। पर नौसेना के उपर्यन्त और व्यवस्था के सबसे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती।

^१ वही पृ. २७२

^२ अथ, १० अध्याय ३, देखिये मा १२ ३५, ११।

^३ राज ८, ११। ^४ रघुवण्ण ४ ३१।

^५ मन्त्रमशार, बगाड का इतिहास (दिस्त्री भॉफ यैगाड)। मा १ पृ. २८१।

परराष्ट्र विषय एक अन्ना मंत्री के जिम्मे या जिसे लेखो में 'महाबिधि विप्राहिक' और समृद्धियों में 'दूत' कहा गया है। साधारणत इसे बहुत से सामर्त और स्वतंत्र राज्यों से सबध रखना पड़ता था अत इसके मात्रात्व कई अधिकारी होते थे। परराष्ट्र विमागमें गुहचरों की भी दुर्द्दी होती थी जो उद्दम वेश में घूम घूम कर भेद लगाया करते थे और अपने अध्यक्ष को सब हाल लगाया करते थे। इसी विमाग के अतगत 'महामुशाध्यक्ष' का भी विमागया हो राज्य में प्रवेश के लिए विदेशियों को अनुमति पत्र देता था और इसके अधिकारी पाटलिपुत्र आदि प्रमुख नगरों में रहने वाले विदेशियों की गतिविधि पर नजर रखते थे।

मल विमाग भी एक मन्त्री के जिम्मे या और इसके मात्रात्व भी बहुत स अधिक्षय थे। सरकारी एठों की व्यवस्था 'सीताध्यक्ष' के जिम्मे थी, जिसमा काम इसमें मबद्दों और पट्टेदारों 'और हजारेदारों द्वारा देखो करना था'। राज्य के जगत् भी एक अधिकारी के सिरुट्ट थे, इस पललव लड़ा में 'आरण्याधिक्ष' और समृद्धियों में 'आरण्याध्यक्ष' कहा गया है, इसका काम जगड़ों से होने वाली आयको बढ़ाना था। गोप्यद्वृ^३, जिसक जिम्मे राजकीय गोओ भैयों और हायियों के हुड़ रहते थे, आरण्याध्यक्ष स मिलकर वार्य करते थे, क्योंकि इन पशुओं के चरों के लिए व्यगल में हो भूमि सुरक्षित की जाती थी। प्रामौतिहासिक कालमें तो पशुचन ही राज्य का प्रमुख धन था, ऐतिहासिक काल में भी इसकी एकदम उपेक्षा न की जाती थी। १२वीं सदी तक परमार और गढ़वाल हेठोंमें 'गोकुलिक' का डललव मिलता है^४। दरतो या उसके भूमि के लिए भी एक अधिकारी 'विवीत ध्यक्ष'^५ रहता था। इसका काम इस प्रकार की भूमि यो सुधारना और बेचना तथा अधौउनीय लोगों को उपर रहने स और अपना पद्धत्य यहा चलाने स रोकना था। भूमि स्वधी बागव पत्रों को रखने का काम 'महादप्टनिक' का था, जो रातों और उनकी सीमाओं का ठाक ठोक विवरण रखता था, और राज्यकर विमाग के मात्रात्व काम करता था। इस अधिकारी क नीचे काम करनेवाल नहीं अधिकारी थे, वे विहार में

१ अथशास्त्र २, अध्याय ३४।

२ पुरि इटिका १ पृ ७।

३ यही,, पृ २९।

४ पुरि इटिका, १९ पृ ७३, १४ पृ १६३।

५ अथशास्त्र २ अध्याय ३४।

कोपविमाग

१]

‘सीमाकर्मन’^१ यगाल में ‘प्रसादृ’^२ और आणाम में ‘सीमापदाता’^३ कहे जाते थे। सूमिकर ही राज्य की आयस मूल्य साधन था, इसे बस्तु करनेवाले कर्मचारी कहीं ‘पटाविहृत’^४ और वहीं ‘बोद्रिगिक’^५ कहे जाते थे। यह कर वास्तविक दपज के अश्वरूप में अपात् अत या सामग्री रूप में लिया जाता था इतिहास इसी घटनी की देखरेख के लिए कर्मचारियों की एक पूरी सेना भी आवश्यकता पड़ती थी। गुनरात में इहैं ‘मुद्रा’^६ कहा जाता था। कुछ कर नकद मूद्राओं में लिया जाता था, इसे एकप्र करनेवाले कर्मचारों बगाल ने ‘हिष्पदामूद्रिक’^७ कहे जाते थे।

इहौं माल विमाग का काय समात होता या वहीं कोप विमाग का काय आरम होता था। प्राचीन मारत में इह विमाग का काय बड़े सज्जट का था। इनका ‘प्रम केवल’ इसाम किनाव करना और चौदों सोने को सुवित रखना नहीं था। राज्य के कर के रूप में अम, इंधन, तेल आदि सामग्री निलंबी यों। इहैं टीके रखना पड़ता या और पुरानी सामग्री बेवकर नयी रखनी पड़ती थी। इह विमाग का प्रधान ‘कोपाष्वद’^८ कहा जाता या और इसके मात्रात अनेक अधिकारी काम करते थे। इनमें से सबस मृत्युपूर्ण अधिकारी अम की खटियों का नियोदक कोषागाराष्वद^९ था।

प्राचीन मारत में सभी राज्य अग्ना कोप मर्य पूरा रखने में विशाल रहते थे, इसीलिए प्रतिवर्ष आयसा एक बहा अश्व स्थायी कोप मा सुरक्षित मद में ढाल दिया जाता था। पहले, राज्यकोप में सोना, चाँदी और रत्न ऐसी गति संचित रहती थी।

आय पर विमाग (फायनास) के अधिकारियों का उल्लेख सूत्रियों या उत्कील लेनों में बहुत कम मिन्ता है। महामारत के दीक्षाकार ने इहैं

१ वॉह इ माग दे पृ २१६

२ यगाल का इतिहास पृ ८८६। (३) परि इहि ९ पृ १००।

४ " " " " पृ २०८।

५ यगाल का इतिहास पृ २८४। ६ वॉह इ माग २१ पृ ११८।

७ शुद्धमाति में इसे विद्वाविष्य कहा गया है (१-११)।

८ अपशास्त्र, २ अस्पाय ४। शुद्धमाति में (२-११०, १२०) इसे अस्पा

स्पष्ट भी लेनों में ‘मोटागाराष्वितु’ कहा गया है (परि इहि, ११-

पृ १०७)।

'व्ययाभिकारी' या 'कृतपापुस्तेषु अर्थनियोजकः' इह कर निर्दिष्ट किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आय अथ विभाग का कार्य राजा, प्रधान पत्री और दातार्थिति मिलकर करते थे। परंतु जालुक्य राज्य में इसके लिए एक अलग अभिकारी 'व्ययकरण महामात्य' होता था^३।

प्राचीन भारत के राज्य उत्तोग और यवसाय के क्षेत्र में भी बड़े सहित रहते थे, इस विषय की देखरेख करनेवाले विभाग में बहुत से कमचारी रहते थे। देश का सबसे बड़ा उत्तोग वस्त्र उत्पादन था और राज्य के अपने वस्त्र बुनने के कारखाने थे जिनका उद्देश्य गरीबों की मदद और राज्य की आय बढ़ाना दोनों था। इस विभाग द्वारा दीन दुर्घट लोगों के बर दूर भेजी जाती थी और उनसे निश्चित पारिश्रमिक देकर सूत कतवाया जाता था^४। इनके अतिरिक्त और भी मजदूर कारखानों में अवश्य काम करते थे। इस विभाग के अभिकारी अर्थशास्त्र में सूत्राध्यक्ष और शुक्लनीति में (२ ११०) वस्त्र अध्यक्ष कहे गये हैं। मुगार्यश के निरीक्षण में सरकार के मादिरा बनाने के भी कारखाने थे^५। निश्चित शुल्क देने पर नागरिकों को भी सुरा बनाने की अनुमति थी। इस विभाग के अभिकारी सुरापान या विश्वय का समय निर्धारित करते थे और इसकी देखरेख रखते थे कि सुरालयों में वैर्हमानी या रटा न होने पाये। गणिकाध्यक्षों द्वारा सरकार वेश्याकृति का भी नियन्त्रण करने की चेष्टा करती थी^६। वैश्याओं को अपने यहाँ आने जाने वाले लोगों के बारे में पूरा व्योरा देना पड़ता था, जिससे पुलिस विभाग को अपराधों की जांच में भी सहायता मिलनी थी। वैश्याओं से गुप्तचरों का कार्य भी लिया जाता था और उन्हें इस कार्य के लिए अन्य राज्यों में भी भेजा जाता था। बहुधा सामत गण अमुण्ड्य की गणिकाओं को अपनी सभाओं में रथान देने पर वाद्य होते थे। धर्म नगरों में सरकार के कसाई खाने भी होते थे जहाँ शुल्क देकर जानवर कटाये जा सकते थे। गाय, खैल और छठों के बछ का पूर्ण नियेष्य था। इस सबसे की अवधारणा सुनाध्यक्ष के हाथ में रहती थी। उनका काम राजकीय बनों में अन्य लोगों को आरेट स रोकना भी था^७।

^१ १, ८, ३८

^२ ज बो लै ठौं प सो १४-१२२

^३ अर्थशास्त्र २ अध्याय २३

^४ बही १-अध्याय २५

^५ विष्णुविद्या १ प १०३। ६ अर्थशास्त्र ३ अध्याय २६

रथ्य की सब खानोंपर सरकार का ही स्वामित्र होता था। इसके लिए भी एक विभाग या विभिन्ने भूस्तरशास्त्री (geologists) रहे जाते थे जो खान व्यादि का पता लगाया करते थे। सरकार कुछ खानों को स्वयं शुद्धाती थी और कुछ का अधिकार 'यज्ञशास्त्रों' को दे देती थी, जिहे खान से निकलने काले पदार्थ का एक निश्चित श्रृंग सरकार को देना पड़ता था। बारहवीं-सदी में गढ़वाल राज्य में भी यह विभाग विद्यमान था^१।

कभी कभी सोने चौदी का सामान बनाने के लिए स्वर्णकरों को सरकार से अनुमति पत्र लेने की आवश्यकता पड़ती थी। 'सरकारी मुद्रा बनाने टेका का भी स्वर्णकरों को दिया जाता था। इस विभाग का प्रधान 'मुवर्षाध्यद' कहा जाता था^२।

वाणिज्य विभाग में भी बहुत से कामचारी रहते थे। प्रथमत बोधार चालकमंचारियों के निरीक्षण में रहते थे जिहे अधिकारी में पण्याध्यश^३, चमाल में हटपति, और काठियावाड में द्रागिक कहा जाता था। इनका काम रथ्य की सामग्री की ताप पर बेचने वी व्यवस्था करना और स्थानीय इनता के उपयोग की सामग्री का बाहर से आयात और उचित दाम पर विक्रय कर प्रबंध करना और स्थानीय उत्पादित सामग्री को मुनाफे पर बाहर निर्यात करने की व्यवस्था करना था। ये होम वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित करते थे और अनुचित नस्य और मुनाफा दोरीको रोकते थे।

इस विभाग द्वारा जुगी चपूल करने के लिए शुल्काध्यद भी नियुक्त किये जाते थे^४। इनका दफ्तर नगर के घट्टों पर रहता था; जहां नगर में विक्रयाये जानेवाली सब वस्तुओं पर जुगी निर्धारित की जाती थी। कभी कभी इसी स्थान पर विक्रय भी होता था। शुल्काध्यद को जुगी को चरका देनेवाले व्यापारियों को दण्ड देनेके पूरा अधिकार दिया जाता था। माप और तौलको देखनेवाल के लिए भी अधिकारी नियुक्त थे। ये होमें काम आनेवाल घटकरों की परीका करक उनपर मुहरण छापना देते थे^५। सभवत होट नगरों

^१ अधिकार २ अध्याय १२। २ पुरि इविहका १४ पृ १५३

^३ अधिकार २—अध्याय ३३। याक का इतिहास, पृ २८२। पुरि इवि १३ पृ २३१। ४ अधिकार २—अध्याय १६।

^५ पही १—अध्याय २१। पाल और परमार लेखोंमें इहे 'कीविहक' कहा गया है। पुरि इवि १५ पृ ७१।

^६ पही २—अध्याय ६।

में बाजार चुंगी और मापतौल आदि वा निरीचण एक ही व्यक्ति करता रहा हो। प्रामों में ये कार्य समझत सुनिया करता था।

अब हमें याय विभाग की व्यवस्था पर विचार करना है। राजा ही उर्ध्वोच्च 'यायाधिकारी' था और व्यपने शासने उपस्थित किये गये अभियोग या अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विद्वद् अपील सब प्रकार के सुकठमों का विचार करने की उससे व्याशा का जाता थी। राजा यथासमव रवय न्यायदान परता था पर कायाधिक्य हाने पर 'प्राहृविवाक' या प्रधान 'यायाधीश' डस्का कार्य सम्भालते थे। सरकार की नीति न्याय व्यवस्था के विषेद्वीकरण की थी और प्राम तथा नगर पचायतों को सब राजनीय दबहार (दीपानी शुद्धदमे) का विचार और निर्णय फरने का भार हाँपा जाता था। कोई भी अर्पी प्रारम में सीधे सरकारी यायालय में अभियोग उपस्थित न करने पाता था। इससे सरकारी यायालयों का काम बहुत हल्का हो जाता था। इसीहिं उत्कीण लेखों में सरकारी यायालय का उल्लेख यदा कदा हा मिलता है। पर बड़े बड़े नगरों और पुरों में सरकारी यायालय रहते थे और नारद^१ तथा वृद्धतिं दीनों इनका उल्लेख करते हैं। गुप्ताल में इहें 'धर्माधिनाधिकरण'^२ कहा जाता था और ये वेष्ट बड़े बड़े नगरों में ही रिखत होते थे। यायाधीश 'धर्माधिक' या 'यादकारिक'^३ कहे जाते थे। चट्ठल लेखों में 'धर्म लक्षी'^४ का उल्लेख हुआ है पर यह ठाक पता नहीं कि ये यायाधीश थे या अभियोग लिखनेवाले थीं।

प्रधान 'यायाधीश' को सूतियों का पूरा शान दोना आवश्यक था अत वही कभी घमठाल के पूरा जाता हाने के कारण पुरोहित ही इस पद पर प्रतिष्ठित कर दिये जाते थे। सन् १००३ में च'ल राजा धैंग क शासन में ऐसा ही विया गया था^५। छोटे मोटे पौष्टिकारी के मामल राजनीय पचायतों वे ही निपटाये जाते थे पर वह शुद्धदमे सरकारी यायालय में ही निर्णित होते थे। पौष्टिकारी क दालत के 'यायाधीश' समझत 'दटाप्यव' कहे जाते थे। एक बात

^१ २६-३।

^२ अ. स. रि., १११३-४, पृ १०७ और भाग।

आश्वर्य की है कि रमूतिनों और लेखों में करण के अधिकारियों का उल्लेख आमत टूटम है। इसका कारण सम्भवत यह या कि काराचास की सना बहुत ही कम दी जाती थी। साधारणत जुमाने ही किये जाते थे। जुमाना बदूँ करनेवाले कर्मचारियों को याबाग्रों के लेखों में 'दशपराधिक' नाम दिया गया है^१।

पुणित विमाग के कमचारियों का उल्लेख उत्तीर्ण लेखों में 'चोरोदरगिह' ('चोर पकड़नेवाले') और 'दशपराधिक' ('चोरों को पकड़ने का दश पारग परमेश्वान्') नामों से किया गया है। पाल, परमार और प्रतोद्वार लेखों में यही नाम मिलता है^२। इस विमाग के उच्च अधिकारियों का उल्लेख उत्तीर्ण लेखों में नहीं मिलता, सम्भवत इनका काम राज्य के विभिन्न भागों में तैनात सैनिक अधिकारी करते थे। हमें यह न भूलना चाहिये कि उस सभ्यता चौरियों बहुत बहुत होती थी। केवल साहसिक अक्षिं द्वैती या वशु और सप्ति अपदरण करने का दु साहस करते थे और इनका दमन सना की सहायता से हो ही सकता था। ग्राम का मुत्तिया ही गाँड़ का प्रधान पुणित अधिकारी होता था और ग्रामीण स्वयंसेवक सैनिक दड़ उसीके अधीन रहता था। राजनीय अधिकारियों के दवैतों के दमन में असम्पर्होने पर राजनीय दट पार्शिक और सैनिक अधिकारी भेजे जाते थे। ग्राम और नगराधिकारी को इनके भीषण और निवास की यज्ञस्था करनी पड़ती थी। 'अपद्वार' भोगने याने इस भारत मुक्त होते थे। अब तो गवा चोर द्वारा अपद्वार घन की द्वानि सरकार को ही मरनी पड़ती थी। मगर वह इस विमेदारी को दूसरे पर लादने की भी कोणिश भरती थी—यदि ग्रामवाली यह न छिद कर पाते थे कि चोर ग्राम से निकल गये तो सरकार उद्दै हरकाना देने को बाध्य करती थी। यदि यह छिद ही जाता था कि चोर किसी दूसरे ग्राम में छिरे हैं तो उस ग्राम का हरकाना देना पड़ता था। यदि चोर उचाइ या वाय प्रांत में शरण लते थे तो विविताध्यव और अरण्याध्यव द्वे उद्दै पकड़ना या हरकाना देना पड़ता था।

धर्म विमाग या धार्मिक विश्व पुरोहित और 'पटितों'^३ के अधीन थे। ग्रामीन माल में राज्य धर्म और नौकरी का सरकार था और इस विश्व की

^१ दिल्ली बॉक थाकुर, (थाकुर का इतिहास), मा १ पृ २८५।

^२ यही पृ २८५। एपि इटिका १३ पृ ११, यही, ३ पृ १। वही वही ये दोनों विद्वान् भी उहे जाते थे।

^३ यह पक्ष मशी का नाम है।

सारी कारबाह पुरोहित और पठितों के निर्देशानुसार ही को जाती थीं। यदि कोई सामाजिक धार्मिक प्रथा या रीति पुरानी पढ़ जाती थी तो उसके पालन पर भी नहीं दिया जाता था। यदि नये सुधार लहरी उम्मेजाते थे तो विद्वान् आद्धरणों से नयी स्मृतियाँ, माप्य या प्रबन्ध वैशार कराये जाते थे जिनमें नये नये सुधारों का प्रतिपादन किया जाता था और इस प्रकार धरि धरि नयी रीतियाँ जारी की जाती थीं।

इस विमाग के अधिकारी मौयकाल में 'धर्म महामात्र' सातवाहनकाल में 'धर्म महामात्र', गुप्त शासन में 'विनयस्थितिस्थापक' और राष्ट्रकूट काल में 'धर्माकृश' कहे जाते थे। इनका काम सब खंडों को समान रूप से प्रोत्साहन देना था, सरकार की ओर सहायता देते समय हिंदू, बौद्ध, जैन आदिका भेदभाव माय न रखा जाता था। धार्मिक कार्य के लिए राज्यकीय सहायता देने का काय जिस अधिकारी के बिच्छे या शुक्रनीति में उस 'दानपति' का नाम दिया गया है। दान विद्वान् आद्धरणों और मठों तथा मठियों को दिया जाता था जिसका उपयोग वे धिकाल्य, चिकित्साल्य और अनायाल्य आदि चलान में भी फरते थे। अत धार्मिक कार्यके लिए जो दान दिया जाता था उसका बहुत बहा भाग बारतव में शिवा, चिकित्सा और गरीबों की सहायतार्थी ही हाता था। उन् ४०० ई० से मठ मादर और विद्वान् आद्धरणों को दान किये गये गाँवों का सूच्या काफी बढ़ गयों थे ज्योकि इनकी व्यवस्था के टिए। विशेष आधिकारी नियुक्त होने लगे थे, कि हे गुप्त और पाल कालीन लेखों में 'अप हारक' कहा गया है^१। इनका काम यह देखना था कि दान पानेवालों का दान भोगन में कोई चापा नहीं होती यदि राजनोत्तिक उच्च पुर्णिमा के कारण दान पानेवाल अपन अधिकार से अचित हो गये हों तो उन्हें पुन एक दो दिनाया जाता था^२। दानके सूख्य अवस्थर मुकुल शत भी स्थायी जाते थे। कहीं कहीं ये शत दृग्यायी जाते थे कि दानका उपयोग तभी तक हो जब तक पानेवाल के उत्तराधिकारी विद्वान् और सदाचारी हो। अप्रहारिक व्यधारी इन शर्तों को बायां दित करने की ओर ध्यान रखता था। कभी कभी आद्धरण जाती

१ यौ इ इ, भाग ३ पृ ४३, पण्डित का इतिहास पृ २४। अप्रहारिक का अर्थ दान के बाला नहीं है बदाहि विद्वान् शिलालक्ष में (यौ इ इ ३ पृ ३) यह उत्तराधिकारीयों का सूचा में आया है।

२ प्रहार रात्रि में ऐसा पूर्व घटका हुआ था। पृष्ठ इटि १५ पृ १५-१०। आद्धरण के कालके इष्ट दस्तिये, पृष्ठ इटि ११ पृ ३०८।

दानपत्र भी बना लेते थे, अग्रहारिक का काम हनका पता लगाना और टड़ देना या^१। दविष्ण मारत के चोल राज्य में यह देखने के लिए विशेष अधिकारी भेजे जाते थे कि देवाचर संपत्ति का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं।

अल्प, हमने विभिन्न विमागों और उनके कार्यों की समीक्षा कर ली। यह कहना ठीक न होगा कि ये सब विभाग छोटे-छोटे सामत राज्यों में भी थे। पर ग्राम प्रभागों से प्रकट होता है कि औसत दर्जे के राज्यों में उपर्युक्त अधिकारण विभग थे। अर्थात् के विभिन्नों की पुष्टि बहुत हद तक उत्कीर्ण लेखों से होती है।

अत मैं हम इन विभागों के अधिकारियों की भर्ती के तरीके पर विस्तृत करूँगे। वाणिज्य, खान आदि बहुत से विभागों के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती थी और सूत्रितिया में इस बात पर जोर दिया है कि उपर्युक्त योग्यतावाले ही यक्षिता पूरी जात के बाद इन पदों पर नियुक्त किये जायें^२। शुक्र ने तो यहाँ तक कहा है कि होनहार नवयुवकों का वृत्ति देकर इन पदों के उपर्युक्त विशेष यिच्छा दी जायें^३। साधारण पदों के लिए ऊचे कुल और प्रभावशाली रिसेदारी की आवश्यकता की भाँति उस समय भी पृथु रद्दी हांगो, पर बाद में उन्नति कमचारी की योग्यता और परिश्रम पर ही निर्भर थी।

यह नहीं कहा जा सकता कि आवश्यक के अखिल मारताय, प्राणीय और मातृहत आदि भेदों की भाँति उस समय के उरकारी कमचारियों में मो ऊँची नीची अंतरियों होती थी या नहीं। समझ है कि आवश्यक के आयु सो एस् की भाँति मौयकाल के 'महामात्र' और गुप्तशाल के 'कुमारामात्र' रहे हों, इस श्रेणी के कर्मचारों ही उस समय बिले या प्रादेशिक अधिकारी होते थे और कभी कभी कदीय शासनालय में उच्च पदों तथा कभी मन्त्रिपद पर भी पहुँच जाते थे। इस श्रेणी के सदस्य साधारणत उच्च कुरके और कभी कभी पुराने राज्यों के सदस्य होते थे। मन्त्रिपद की भाँति ये पद भी बहुधा घशानुगत या आनुवंशिक हो जाया करते थे।

१ ग्राहकाल के इस प्रकार के जाली दानपत्र के लिए देविये झ ए सो ष, दृष्टि ५४०-८।

२ यो यद्यस्तु विजानाति स तत्र विनियोजयेत्। कामदक ५, ७१।

३ सर्वविद्याकृष्णासे शिव्येद्यसूत्रिपितान्।

समाप्तिपद स रूप्त्वा तत्कार्ये त नियोजयेत्॥ १-२१७।

प्रातीय (Provincial) और मातहत अधिकारों समवत् स्थानीय व्यक्ति ज्ञानाये जाते थे। यातायात की सुविधा न होने के कारण समवत् इनका सबादला भी बारबार न होता था। इन अधिकारियों को नकद वेतन के बजाय प्राय सरकारी जमीन और स्थानीय तुगों की आय का कुछ भाग दिया जाता था, जिससे उनका पद स्वाभाविक ही धैरानुगत बन जाता था।

दसवाँ अध्याय

प्रांतीय, प्रादेशिक, जिला और नगर शासन व्यवस्था

प्रांतीय, प्रादेशिक और जिला शासन व्यवस्था का व्यव्ययन करने के पूर्ण प्राचीन काल के राज्यों के प्रादेशिक विभाजन की व्यवस्था समझ लेना आवश्यक है। इस विषय में। उद्देश्य पहली बात यह हमरण रखनी चाहिए कि सर्वप्रथम् एक ही व्यवस्था न थी। आजकल भी मात्रा प्राचीन भारत में भी कुछ खिडे होटे थे और कुछ बड़े। इसका कारण जनसंख्या और उत्पादन शक्ति की विभिन्नता और राजनीतिक परिस्थितियाँ दोनों थी। यदि कोई छोटा सामत राज्य साम्राज्य में फिलाया जाता था तो एक छोटा विभाग उन जाता था। कुछ भी और नये नये प्रेषण इससाथ जरूर उत्तरोत्तरीय के बिले विस्तृत मी होते जाते थे। कभी कभी किसी प्रदेश का महत्व बढ़ने पर आसपास के अनेक गाँव उसमें शामिल हो जाते थे, यथा महाराष्ट्र के बहुतक विभाग (विल) में सन १६८ ई० में चार हजार गाँव थे, पर १०४४ ई० में इनकी संख्या बढ़ कर इस इकाई हो गयी थी।

पहल, चाकाटक, गहड़धाल आदि छोटे राज्यों में प्रादेशिक विभागों की बहुताता न होती थी। ये राज्य देशल जिलोंमें विभाजित रहते थे, जिसे राष्ट्र या विषय कहा जाता था^१। पर मीर्पे साम्राज्य ही के बड़े राज्य का प्रादेशिक विभाजन प्राय आधुनिक कालके भारत के समान ही था। मीर्पे साम्राज्य मी अनेक ग्रामों में विभाजित या जो विभागों में आधुनिक मारहीय ग्रामों के बराबर थे। प्रात प्रदेश में विभाजित थे, जिनके शासक आञ्चल के दिवीजनल कमिशनर भी मात्रा द्वारा व्यक्तियों, पर शासन करते थे। प्रदेश जिलों या विशेषों में, और विषय मुक्तियों पैठों या पाठकों में विभाजित थे। ये भी १० से लेकर ४० ग्रामों तक के समूहों में बटि जाते थे।

प्राचीन भारत का इतिहास वह उदियों तक चला जाता है जहाँ प्रादेशिक विभागों के नामों में विभिन्नता होता होई आवर्य की बात नहीं। यथा मध्य

^१ यथा एवि इविदा २४ पृ २३०, १५ पृ २५७, और ३ पृ १०४।

प्रांत और दक्षिण में भुक्तियाँ आधुनिक तालुकों या तहसीलों से भी छोटी होती थीं, पर उत्तर भारत में गुप्त और प्रतीहार शासन में यही भुक्तियाँ आधुनिक कमिशनरियों के बराबर होती थीं। यथा राष्ट्रकूट राज्य में^१ महाराष्ट्र में प्रति घटानक भुक्ति में केवल १२ और कोप्यारक-भुक्ति में ५० ग्राम थे, जब कि गुप्त शासनात्मक के बगाल की पुण्ड्रवर्धन भुक्ति में आधुनिक दीनाजपुर, बोगरा और राष्ट्रद्याही के जिले और बिहार की मगध भुक्ति में गया और पाटलिपुत्र जिले सम्मिलित थे^२। प्रतीहार राज्य की आवस्ती भुक्ति में घर्तमान युक्तप्रात के कर्दे जिने शामिल थे। राष्ट्र का अर्थ साहित्य में प्राय राज्य होता है पर राष्ट्रकूट शासन^३ में यह एक कमिशनरी का बोधक था। पर दक्षिण में पङ्क्ष, कद्र और शालक्यायन राज्यों में राष्ट्र का अर्थ तहसील या अधिक से अधिक जिला था^४। इन नामों का प्रयोग भी निरिचत अर्थ में न होता था। जैसे एक राष्ट्रकूट लेल में नासिक को एक बार विषय का नाम दिया गया और केवल २९ वर्ष बादके दूसरे ऐसमें इसी को देश^५ कहा गया। अत जैवल नाम से ही विस्तार का निरिचत अनुमान करना ठीक नहीं।

प्रांतीय शासन

आखकल के अर्थ में प्रांतीय शासन-व्यवस्था जैवल बड़े शब्दों में ही पायी जाती थी। मोर्य साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। उनमें से पाँच उत्तरापथ, अष्टविराष्ट्र, दक्षिणापथ, कलिंग और प्राच्य तथा उनकी राष्ट्रप्रानी सद्विला, उजपिनी शुष्टागिरि, तोषकी और पाटलिपुत्र के नाम हमें विदित हैं। समय है कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ स्वयं कई प्रांतों में विभाजित रहे हैं। शून्य राज्य के प्रांतमें माटका का पद एक प्रांत के बराबर था। कण्व राज्य समवत् इतना थहा न था कि उसे प्रांतों में विभाजन की आवश्य करा पड़े। सातवाहन शासनात्मक पूरे दक्षिण में देश हुआ था पर इसके प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में हमें कुछ जात नहीं। कनिक शासनात्मक में यनारदा, मधुरा, और उजपिनी के महादेव अवश्य ही प्रांतीय शासक का पद रखते

^१ राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ ११७, उपा परि इतिहा २५, पृ २३८

^२ एवि इटि, १५, पृ १११ से जागे।

^३ राष्ट्रकूटों का इति पृ १३६।

^४ एवि इटि १८ पृ ११०, १६ पृ १०१; इटि एटि, ६ प १७५।

^५ राष्ट्रकूटों का इतिहास पृ ११०।

हासनाविषयी

१०]

ये। गुरु साम्राज्य में काटियाबाड़, मालवा और गुजरात के प्रदेश प्रांतों का पद रखते थे। राष्ट्रकूट राज्य के मूल प्रदेश वो प्रांतों में नहीं विभाजित थे, पर बाद में जीते हुए गुजरात, बनवासी और गगताही प्रदेशों में प्रातीय शासक नियुक्त किये गये थे। प्रतीहार राज्य की सुक्षियाँ प्राप्त नहीं कमिशनरियों थीं। पाल, परमार, चालुक्य, घटेल, गढ़वाळ और चोल राज्य अपेक्षाकृत थोटे थे। इनमें से कुछ घड़े लैसे, चोल राज्य में दो प्रकार के विभाग थे, मठड़ थोटे थे। शासक के दो तीन बिलों द्वे बराबर थे और दूसरे नाह्न, जो प्राप्त आधुनिक दो तद्दीदों के बराबर थे। थोटे राज्य बिले और तद्दीदों में ही विभाजित थे।

प्रातीय शासक बड़े ढंचे पद के अधिकारी होते थे। बहुधा राजवदी के कुमार ही इन पदों पर प्रतिष्ठित किये जाते थे। यथा, ऐसे साम्राज्य में विदुसार, अशोक और कुण्डल सब प्रातीय शासकों के पद पर कार्य कर उके थे। यथा शासन में युद्धाज्ञ अभिमित्र मालवा प्राप्त के प्राताविभारी थे। गुरुशाल में शासक पद पर स्थित था। चालुक्य और राष्ट्रकूट यासन में गुरुशाल प्राप्त में राजवदी के कुमार ही शासक बनाकर भेजे गये और बाद में रहने इस प्राप्त में प्राप्त स्वतंत्र राज्य स्थापित किये। उन ७९० ई० में राष्ट्रकूट राज्य के राज वाडी प्राप्त में उत्ताप्त क्षेत्र पुनर्शासक पद पर नियुक्त था। यथा कुमारों के न रहने पर प्रातीय शासक का पद राज्य के सबूत ढंचे और अनुमति अधिकारियों को दिया जाता था जो बहुधा प्रदेश यात्रा नहानायक भी होते थे। यथा राज राज्य में 'दक्षिण' प्राप्त के शासक नहानायक और चालुक्याल सेना तथा, ऐसे प्रकार राष्ट्रकूट उत्ताप्त प्रथम अमोदवाप का बनवासी प्राप्त का शासक बड़े प्राप्त थी था। ऐसीविधि योग्यता संश्लिष्ट के ही लिए नहीं बल्कि प्रातीय शासक पद के लिए भी महत्वपूर्ण समझी जाती थी। प्रातीय शासकों के अधिकार विस्तृत थे और उपर थे। उनका काम अपने प्राप्त में पूरा धारित बनाये रखना तथा साम्राज्य की सीमाओं राज्यों के जाकर्मणों उ सुरक्षित रखना था। ऐसनिष्प देन्य उचालन की योग्यता उनके द्विष्ट अनिवार्य थी।

बहुधा राजकुमार दोनों के नाते प्रातीय शासकों के भी अपने सत्रों और राजसभा रहती थी। तदक्षिणा की जनवान प्रातीय दक्षिणों के अस्याचारों से ही पीड़ित हाल दियोर किया था। मालवा के द्वाग शासक अभिमित्रका अपना

मध्यिमंडल था^१। इसी प्रकार राष्ट्रकूट और यादव राज्य के प्रतीय शासकों के भी थे। इन शासकों को महासाम्राज्य का पद प्रदान किया गया था, जो करद राजा के समकक्ष था^२। ये शासक साम्राज्य की शाखारण नीति का ही अवलंबन करते थे जिसका निर्देश समय समय पर विशेष स्वाद-व्याहकों अथवा राजादायिं किया जाता था। फिर भी यातायात की कठिनाई के कारण इहौं पर्याप्त शासनस्वत्रता रहती थी। कभी कभी ये अपने ही मत से सचिवियमह मी किया करते थे जिसका अग्निमित्र ने विदर्भ राज्य से किया था^३। कुछ अधिक तक यह स्वामानिक था और बैद्धीय उरकार को इसमें आपत्ति भी न होती थी, कारण इनका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार ही था। प्रातीय की अद्या ऐना भी रहती थी और बहुजा अच्युत प्रातीय में विद्रोहादि होने पर बैद्धीय उरकार इह उक्त रक्षानी पर जाने की आशा देती थी। यथा उचिती राजस्वान में योधेयों के विद्रोह का दमन करने के लिए कुपाण उम्माट् ने अपने दक्षिण प्रातीय के महादात्रय रुद्रामन् को भेजा था, और गुजरात के विद्रोह का अस्तेले दमन करने में असफल होकर राष्ट्रकूट उम्माट् प्रथम अमोघवर्य ने घनवासी के शासक घड़ीय को बुलाया था।

प्रातीय की अंतर्मंदिरस्था और मालव्यवस्था में प्रतीय शासक का कितना हाय था, इसका हमें ठोक जान नहीं। अवश्य ही बैद्धीय शासन के निर्देशानुसार वे इसका निरीक्षण और नियन्त्रण करते रहे होंगे। श्रादेशिक शासक (दिविजनल कमिशनर) इहीं के अधीन काम करते रहे होंगे। परंतु गुप्त शासन में श्रादेशिक अधिकारी थोड़े उम्माट् से संबंध रखते थे। यथा, पुण्ड्रवर्धन शुक्ति के शासक की नियुक्ति रक्षय प्रथम शुमारगुप्त ने को यो और वह थोड़े उनके आदेशानुसार कार्य करता था^४। परंतु यह नियन्त्रित नहीं है कि उम्माट् और उसके बीच में कोई प्रातीय शासक था या नहीं, अर्थात् पुण्ड्रवर्धन शुक्ति निष्ठी प्रातीय का अंग था या सोध बैद्धीय शासन से संबद्ध थी।

शातिरचा और मालव्यवस्था के साथ साथ प्रतीय शासक का प्रमुख कार्य विचार के लिए बाह्य और नाहर तथा अन्य शार्वदानिक दिव के काम (Public Works) के कर प्रातीय की उम्मादि बढ़ाना और शुष्णान द्वारा

१ मालविकाग्निमित्र, पञ्चम शक ।

२ सौ दृष्टि, दृष्टि ११० और दृष्टि ।

३ मालविकाग्निमित्र, पञ्चम शक ।

४ प्रति विद्युत १५ पृ. १३८, १३९ ।

जनता में राजनीति बताने करके आज्ञाय या आपार मुद्दे करना भी था। पिछले अष्टाव वें केंशीय शासन या सरकार के द्वितीय विभागों का उल्लेख किया गया वे सब प्रातीय सरकार या शासन में भी अवश्य विद्यमान रहे हैंगे।

भूमिकर देश अन्य राज्यकर पहले प्रातीय राजधानी में एकत्र किये जावे हति और प्रातीय शासन का खर्च बाद करने के पश्चात् शेष बैंद्रीय सरकार को भेज दिया जाता था।

प्रादेशिक सरकार

प्राप्त के बाद का प्रादेशिक विभाग आब कृष्ण की कमिशनरी के बगावर शोला या जितमें दो बोन बिड़े शामिल रहते थे। गुप्त शासनमें इसे भुक्त, प्रतीहार काळ में राष्ट्र और चोल देश चालुक्य शासन में मटड़ कहा जाता था। कभी कभी इसके लिए देश शब्द का भी भयोग किया जाता था। शास्त्री आदिनियों पर शासन करनेवाले भौत्यं शासन के रञ्जक अवश्य ही आधुनिक कमिशनरी के समकक्ष थे, पर उनके द्वारा शासित प्रदेश का नाम विदित नहीं है।

अष्टोइ की नीति विंद्रीकरण की थी और उनके शासन में रञ्जक को अपार अधिकार दिये गये थे। साम्राज्य की साधारणताति के अनुसार वह दो शासनों, श्रीबद्धारी और माल आदि विभागों में पूरे अधिकार भासत थे। वे आवश्यकता नुसार पुरस्कार और दंड दे सकते थे^१। पर राष्ट्रकूट राज्य में प्रादेशिक शासक के अधिकार उभयित ही गये थे, प्रथम अमोघवप के बृप्ताम्र चक्रों को भी एक द्वेन देवालय को एक गाँध भवान करने के लिए सम्राट् की अनुमति की आवश्यकता पही थी^२। प्रतीहार काळ में सुकृति के अधिकारियों के अधिकारों वा शासन प्राप्त करने के शासन इसरे पास नहीं।

प्रादेशिक शासक का अपने भावहृत कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण था। राष्ट्रोइ या अधिकारी वरन् पर इह वह द्वारा देव करता था और योग्य दंड दिलाने के लिए राजधानी को भेजता था। दिले के कर्मचारियों के पाव छोटी उनिक दृष्टिकों मी रहती थीं अतः इनके विद्द कारंबाह करने का अपेक्षीय भोग उनिक अभियान करना ही था। इसीलिए भावहृत कर्मचारियों द्वारा उक्त प्रदेश के शासनों के नियंत्रण के लिए प्रादेशिक शासक को पर्याप्त

^१ रातम खेत स ४।

^२ राष्ट्रकूट का इतिहास पृ १४५।

ऐन्य पह भी रखना पड़ता था^१। युद्ध या वहे अभियान के समय इसका अधिकारी भाग केंद्रीय सरकार की सहायता के लिए भेज दिया जाता था।

प्रादेशिक शासक या रजक ही माल विपाल के भी अधिक होते थे। दानपत्रों में जिन अधिकारियों से दान को रक्षा का अनुरोध किया जाता था उनमें इसका भी नाम रहता था। मौर्य शासन में इन्हें जो रजुङ नाम दिया गया था, इसके भी इनका भूमि की पैमाइश या नाम छोड़ दे सबसे पहले होता है। गाँधों की पैमाइश और भूमिकर का निर्वाण या नहर आदि के सूख जाने पर अन्य कारणों से उसके सहोदन का कार्य इहाँ के पर्यावरण में होता था।

राष्ट्राद् असोक ने अपने रजुङों को दृढ़-सुरक्षा के लिए जो आदेश दिया था^२ उससे विद्यत होता है कि इहैं पायदान का भी अधिकार था। समवत् अपने प्रदेश के ये सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते थे।

विभिन्न काल और शासन में विषयपति के मात्रहर कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार भी कम या अधिक होते थे। मौर्य काल में अधिकार अधिक थे। गुप्त शासन में इहैं कभी कभी जिले के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार रहता था^३ पर कभी कभी यह काय स्वयं उप्राद् भी करते पाए जाते हैं। राष्ट्रकूट राज्य में तो जिले के कर्मचारी ही नहीं ताहसीलदार तक की नियुक्ति भी उप्राद् ही करते थे^४।

इम देख जु़के हैं कि ऐतिहासिक युग में पैद्रीय सरकार की राजनीती में थोड़े पैद्रीय समिति या सोकलमा न होती थी। आगे १२ वें अध्याय में दिखाया जायगा कि प्राचीन दुग में ग्राम पञ्चायते बरहर कार्य करती रही और इहैं काफी अधिकार भी प्राप्त थे। यह ५८ वडा कठिन है कि उक्तियों या कर्मिनरियों के केंद्र में भी इस प्रकार की पञ्चायते थीं या नहीं। ग्राम पञ्चायत के सदस्यों की पदवी महत्व थी। दानपत्रों में उल्लिखित अधिकारियों में 'राष्ट्रमहात्म' का भी नाम है^५, कभी कभी इनके अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है^६।

१ राष्ट्रसूत्रों का इतिहास पृ १०४-१।

२ स्वाम घेस सं ४। ३ पवि इडि १५ पृ ११०।

४ राष्ट्रसूत्रों का इतिहास, पृ १०६।

५ पवि इडि २० पृ ११६ (धानदेश में राष्ट्रसूत्रों के शासन में)

६ " " १९ पृ ११० (मालवा में कछुरि शासन में)

जिर भी निश्चय नहीं कि सुक्रियति या राष्ट्रपति को परमर्थ या सहायता दने के लिए राष्ट्रमहारोग कोई नियमित परियद होती या नहीं। इनका उल्लेख केवल दो दानरशो में मिलता है अतः इनके बड़ पर कोई धारणा नहीं क्याम की जा सकती। समव इसे कि राष्ट्रमहार इसी लोक समा के सदस्य न देकर प्रदेश के प्रमुख नागरिक ही रहे हैं। पर विना अधिक प्रभाग मिले इस सचब में कोइ निश्चय नहीं किया जा सकता।

जिले का शासन

प्राचीन काल के विषय साधारण आचारक के विळों के बाबर होते थे, इनमें एक हजार से दो हजार ग्राम तक रहते थे। इसवी सन् की प्रारम्भिक उदियों में काठियावाह में इसे आहरगी^१, तथा मध्यपांच, अधि और तामिल देश में राष्ट्र रहते थे। विषय दा ग्रामक मौर्य बाड़ में विषय पति या विषया श्यक फहा जाता था, इसका उल्लेख अशोक के लेखों में रञ्जुक के बाद ही हुआ है और उक्ती मौर्य इसे भी दौरे पर जाने को कहा गया है। सुरियों में उल्लिखित सहस्राधिप^२ अर्थात् सहस्र ग्रामोंका यात्रक भी समवत् यही अधिकारी है। तामिल देश का नाहू जिले से कुछ छोटा होता था पर इसके यात्रक का पद और अधिकार समवत् विषय-पति के ही बहार थे।

आयुनिक क्लेक्टर की मौर्य विषय पति का नाम जिले में शार्ति^३ मुख्यवर्त्या रखना और भालगुजारी तथा अन्य करों की वहउ कराना था। इनके मात्रात् बहुत से कर्मचारी रहते थे। बहुसंख्यक दानरशों में जिन कुछ आयुस्त, नियुक्त और व्यापृत^४ नामधारी कर्मचारियों से दान में बाधा न बालने का अनुरोध किया गया है, वे हर समवत् भाट्टियमार्ग के ही भारहर कर्मचारी थे। मौर्य काल में इनमें से कुछ गोप^५ और गुप्त सुग के बाद के गुजरात में प्रवृत्त नाम से हंडोपित किये जाए थे^६।

शार्ति और सुन्यवर्त्या स्थापनाय विषय-पति के अधीन छोटा सैन्य दल मो रहता था। दूसरायक, जिनका नाम लेखां और मुद्राओं में बहुत आया है,

^१ पृष्ठ १६ पृ १८, २६ पृ २६१, इदि योटि ५ पृ ११२।

^२ मनु ४ ११८ विष्णु ३, ७-१०।

^३ का ह ह रे पृ १६२, इदि योटि १६ पृ १५।

^४ अथधास्त्र, भाग २, अध्याय ३६।

^५ लैं र र रे पृ १०५।

समवत् जिलों में स्थित हनुमुक्तियों के नामक होते थे। दण्डशिक और चोरोदरणिक आदि पुलिस अधिकारी भी समवत् विषयपतियों के अधीन काम करते थे। घागिल्य, उचोग उगल आदि अन्य विमागों के जिले के कर्म चारी विषयपति के अनुशासन में था या नहीं इसका पता नहीं। विषयपतियों को न्याय का अधिकार या या नहीं यह भी विदित नहीं। समझ है कि ये जिले की अदालतों के अध्यक्ष रहे हैं।

कम से कम गुरुत भाल में तो अवश्य ही जिलों के शासन में जनता का कापो हाथ रहता था। प्रथम (मुख्य) महाजन, प्रथम व्यवसायी, प्रथम शिल्पकार और प्रथम कायस्थ या लेखक उस परिषद् के प्रमुख सदस्य थे जो १८ वीं सदी १८० में बंगाल के 'कोटिबर्ध' के विषयपति को शासनकार्य में सहायता देती थी। परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि जिले के शासन में अनपतियों को ही प्रधानता रहती थी। ये लो वेवड परिषद् के प्रमुख सदस्य थे, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सदस्य इसमें थे। फोरेंसिक लाइब्रेरी से विदित होता है कि परिषद् में २० उदाय य इनमें से कुछ कुलस्वामी और गुप्तदेव देशी जातीय थातियों के थे। यह परिषद् वेवड जिले के छंद के ही शासन में योग देती थी अथवा जिले के अतर्गत सभी इलाकों के शासन में इसका ठीक पता नहीं। हीमवता पुरा जिला इसके कार्य केवल में था।

दुमाँग्य था हमें यह विदित नहीं कि जिले की परिषद् के सदस्यों का जुनाय या नियुक्ति किस प्रकार होती थी। व्यापारी, महाजन या लेखक वर्ग के सदस्य तो ऐसा उनके नाम प्रथम थेटिन्, प्रथम कायस्थ आदि से विदित है उनके व्यवसाय संघ या निगम के अध्यक्ष ही होते थे। शेष एवं भी अवश्य ही अपने व्यपने वाली या ऐसे के प्रमुख व्योग्य, उदाचरित और लोकप्रिय व्यक्ति होते रहे होंगे, जिनका जिलाधी में आत्मर्पण करना उचित समझती थी। हीमवता इस परिषद् में नगरकाली का ही प्राथमिक रहता था यद्यपि वो चार उदस्य देहातों देशों के भी रहते होते।

गुरुत भाल के पूर्व या बाद के देशों से जिला पचासत का विशेष विवरण नहीं मिलता। पर भौमिका के १ ठी जाताएँ के विष्णुदुर्यदी लेख^१ और १ वीं सदी के एक गुजरात के राज्यकृष्ण लेख^२ विवरमहस्त या विला पचासत के

^१ इहि षौटि १८१२ पृ १३८ से।

^२ ज जा दि रि सो, माग १, पृ १०। ^३ परि इदि, १ पृ १४।

सहस्रों का उल्लेख किया गया है। इसे अनुमान किया जा सकता है कि गुप्तकालीन कोटिवर्ष विषय परिपद की मात्रा बाद में भी जिला पचायते कार्य कर रही थी।

मुस्कालमें जिले का शासन वहाँ सुसंबंधित था। पुस्तकाल की अध्यक्षता में इसके ऐतिहासिक कार्यालय में सुरक्षित रहते थे, इनमें जिलेकी इच्छा भूमि-खेत, परतों और ऊपर तथा भक्ति की जमीन का पूरा और ठीक विवरण दर्श रहता था। ऊपर भूमिके, जिलका स्वामी राज्य होता था, क्रय विक्रय में भी जिला पचायत की सहमति अर्हती थी। कुछ भूमिदानपत्रों पर जिले के शासन की मुद्राएँ भी अंकित पायी गयी हैं^१। नालदा में प्रात राचण्ड और गया विषयों की मुद्राओं से शात होता है कि जिले से बाहर के व्यस्तियों से लो पन्न व्यवहार होता था, उसपर जिलेकी सरकारी मुहर लगती थी^२। सब काम नियमित दर पर किया जाता था। यहाँ तक कि धार्मिक कार्य में दान देने के लिए भूमि खरीदने की आवश्यकता पड़ने पर इस विषयपति को भी जिला पचायत के सामने उपस्थित होकर उसकी अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी^३।

तहसील शासन

जिला या विश्वामित्र और ग्राम के बीच में भी कुछ शासन विभाग रहते थे जिनका स्वरूप और आकार समय के अनुसार बदलता रहता था। मनुष्यानुभव है कि शासनमुद्रिका के लिए १० गांवों का एक हृन्द या गुट (छोटा शासन विभाग) होना चाहिये। और ऐसे १० हृन्दों या १०० ग्रामों का एक मठल, जो व्याचकल के तहसील या लालुके के बराबर होता है। जिले में १ इकार गांव अर्धात् १० तहसीलें होनी चाहिये। महामारत ग्रामों के समूहीकरण की इस दार्शनिक प्रगती को बदलकर २० और ३० ग्रामों का समूह बनाता है^४। उक्तीय लेखों से भी जात होता है कि कुछ प्रांतोंमें इसी प्रकार की प्रगती का अनुकरण किया जाता था। आठवीं और नौवीं सदा में रैदराबाद रियायत में पैठाग लिखेमें बन्दुमाल और इह १० ग्रामों के, गुजरात में कपटवागिन्द्र

^१ दि. एंटि १६१० पृ. ११५, १ २७।

^२ अ. स. रि., १११३-१४।

^३ एवि इह २१ पृ. ५८।

^४ अ. ११५, विष्णु ३।

^५ १२-८०, ३ से।

और वर्टप्रक विषयों में सिद्धरि और सारकंजु १२ ग्रामों के, और कर्णाटक में पुरिगेरि विषय में सेवलो ३० ग्रामों के समूह शासन-केन्द्र थे^१। ५ वों शताब्दी में वाकाटक राजव में प्रधरेश्वर महल ४६ ग्रामों का समृद्ध था^२। ११ वीं और १२ वीं शताब्दी में राजपूतों ग, गुजरात और बुदेलखण्ड में क्षमशः तनुकूप घडहटिका और रत्नेष्ठ १२ ग्रामों के समूह थे^३। इसी कालमें मालवा में यायप्रक समूह में १७, मरणाका समूह में ४२ और परदेश्वर क समूहमें ६३४ ग्राम थे। ८४ और १२६ ग्रामों के समूहों के भी उल्लेख शास्त हैं^४। इनका नामकरण भाष्य, उसी क्षेत्र में स्थित किसी प्रमुख कर्त्ते के नाम पर होता था। इनको जिला विभाग कहना चित्त द्वीपा।

उपरि निर्दिष्ट प्रकार के कई ग्राम समूहों को मिलाकर आधुनिक तहसील या तालुक के बाहर का जासनघटक बनता था जिसे विभिन्न ग्रामों में पाठक, पेट, स्थली भुक्ति आदि विधिव नामों से सम्बोधित किया जाता था। २०० ग्रामों के लर्णुक और ४०० ग्रामों के द्वोषमुख^५ मी विषय के ही उप विभाग थे, जो आधुनिक तहसीलों के करीब करीब बराबर होते थे। केंद्रीय सरकार को ओर से इनके शासन के लिए आधुनिक तहसीलदार या ग्राम लतदार देश कोइ अधिकारी नियुक्त किया जाता था। अपनी इदमें उपके अधिकार भी विषय पति के ही समाज होते थे।

केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये तहसीलदार आनुबंधिक करपाइकों (मालगुणरो) को सदायता दे जाय भरते थे। अमरे कम ददिश में तो ऐसी ही हिति थी। ये कर्णाटक में नावगामुह^६ और महाराष्ट्र में देशप्रामूर्त बहे जाते थे। मराठा युग के देशपडि, सरदेशपाडे और देशमुख इहों की परपरा में थे। उच्चर भारत में इस प्रकार के आनुबंधिक कर्मचारी दाते थे या नहीं, यह जात नहीं।

^१ शास्त्रूष्टों का इतिहास पृ १३८।

^२ एडि इटि २४ पृ ३१४।

^३ वदी १ पृ १०६। इडि एटि ६ पृ ११३। एडि ४ पृ १५०।

^४ एडि ६, ३८ पृ ३२२ वदी, ३ पृ ३८।

^५ वदी १ पृ ३१०, इडि एटि २६ पृ ३५०।

^६ अथ शास्त्र, २, भाष्याय १।

^७ शास्त्रूष्टों का इतिहास, पृ १७८-८०।

इन ग्रामपूँजों के अधिकारियों के साथ लोकप्रिय संस्थाएं या पचायतें रहती थीं या नहीं इसका अभी विचार करना है। यह दिखाया जा सकता है कि जिसे मैं इस प्रकार की संस्थाएं होती थीं, और अगले अध्याय में यह भी दिखाया जायगा कि ऐसी संस्थाएं ग्राम शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण अग्रणी हैं। इसलिए यह असमव नहीं कि लालुको आदि छोटे शासन विभागों में भी इस प्रकार की संस्थाएं रही हों। किंतु चोल कालमें केवल तामिल देशमें इस संस्था के अस्तित्व के निश्चित प्रमाण उपलब्ध हैं। इनके स्वरूप की प्रणाली पूरी तरह विदित नहीं है, परं भी (Leyden) 'लेडेन' के दानपत्र से ऐसा अनुमान होता है कि नाहू के शतरंग रहने वाले ग्रामों के प्रतिनिधि इस संस्था में उपस्थित रहते थे। नाहू पचायतें मालगुजारी के बदोबस्त, और भूमि के बांकरण में सक्रिय मोग लेती थीं। दानपत्रोंमें शासक गण इन संस्थाओं से अनुरोध करते थे कि वे भविष्य में उनके भूमि या आमदान में हस्ताक्षेप न करें। अकालादि के अवधीन पर नाहू पचायतें लगान में छूट प्राप्त करने की व्यवस्था करती थीं^१।

ग्राम पचायतों की मांति नाहू पचायतें अपनी ओर से दान भी देती थीं और जनता द्वारा प्रदत्त सपत्नि अथवा निवि की व्यवस्था भी करती थीं। ऐसे भी बहुत से उदाहरण मिले हैं जब सयोगवश किसी के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाने पर नाहू पचायतों ने निषय किया है कि उक्त घटना हस्ता नहीं दुर्घटना है, और अभियुक्त को प्रायविच्च स्वस्प स्थानीय देशालय में नदादीप जलाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया^२।

शासन का अतिम और सबसे महत्व पूर्ण खोपान ग्राम या। इस विषय पर अगले अध्याय में विचार किया जायगा। पुरा या नगर की शासन-व्यवस्था पर विचार करके प्रस्तुत अध्याय पूरा किया जायगा।

पुर-शासन

आधुनिक बाल के धरदर ऐसे महानगरों की शासन-व्यवस्था और प्रातीय के छोटे-भोटे नगरों की व्यवस्था में महान् अंतर रहता है। यद्यपि धरदर फारपरेशन और निषी छाटे शहर के मुनिसिपल सर्कार में कुछ समान विद्रोह भी अवश्य

^१ सौ इ. प. रि., संख्या ३२६।

^२ „, सन १११६ सं ५५६।

^३ „, सा ११२५ सं ११७ और सन १११२, सं ४१।

‘‘मिर भी पहिली संस्था का कार्यक्रोग दूसरी से कहाँ अधिक विस्तृत है और उसके लिए अधिक उपलब्धियों की भी आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारत में भी ऐसी ही स्थिति थी।

वैदिक काल के नगरों और उनकी व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वैदिक सम्पत्ति मुरादत ग्राम्पोण थी और पुर या नगर का उसमें होई अधिक महत्व नहीं था। परवर्ती हिता और शादागम्यथो के काल के भी गर्यों के बारे में बहुत ही कम जात है।

पर ऐतिहासिक काल में आनेपर चिकंदर के आक्रमण के समय पश्चात नगरों और पुरों से परिषूँ दिलायी देता है। इनमें से अधिकांश शासन में नायक थे और अपनी नगर परिषदों द्वारा अपना शासन प्रयोग करते थे। इन परिषदों के संघटन का बर्णन नहीं प्राप्त होता है, समवता नगरों के बोगूद और प्रतिष्ठित नेताओं का एक घटकार के सर्व सम्मति से उसमें अनुर्भाव होता था।

गुप्तकाल से साधारण नगर और पुरों की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण उपलब्ध होने लगता है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पुरपाल पुर शासन का प्रभान होता था। यदि २ बिले का केंद्र हुआ तो यही बिले के हाथ का भी कार्य करता था। यदि पुर दुर्ग हुआ तो इसमें बोट्याल नामक केंद्रीय सरकार का एक और अधिकारी रहता था, जिसे मालहत कह नायक होते थे^१। प्राय पुरपाल स्वयं ही ‘नानायक होते थे, जैसे मशी और जिले के हाथ क हुआ करते थे। यथा, कर्नाटक के सबदुर नामक करने का पुरपाल खदेश राष्ट्रकूट समाट् तृतीय कृष्ण के अग्रसामी के से था^२। खगदेशमल्ल के शासनकाल में बादामी के सुख्त पुरपाल महादेव और पातालदेव दोनों ही दृढ़नायक थे। कभी कभी ऐसे विद्वानों वी जेनो में से भी जो पददर्शीन ऐसे कठिन विषयों में भी दिलचस्पी रखते थे पुरपाल चुने जाते थे^३। समझ है कि वे उन दुर्लभ घटकों की ओटि के रहे हों जिनमें शम्भ और शास्त्र दोनों का सम्म महत्व होता है।

पुरपाल को शासन कार्य में मदद देने के लिए गोटी पचकुल या चीकटि^४

^१ सन ८७५ इ से ग्रालियर में यही स्थिति थी, पृष्ठ ११४ १५४।

^२ इटि एटि १२ पृ २५८।

^३ यही, १८ पृ १५।

^४ पृष्ठ ११४ १५४।

आदि विभिन्न नामों से निर्दिष्ट एक गैरछेकारी उमिति भी रहती थी। इसमें सभी ऐगी और हृतियों के प्रतिनिधि रहते थे। कभी कभी पुर विभिन्न दृष्टियों में बॉट दिया जाता था और इलके या बड़े से इसमें प्रतिनिधि भेजे जाते थे। यथा राजपूताने के खजौप नगर में आठ 'वाहा' (आधुनिक बाढ़) थे, और प्रत्येक से दो प्रतिनिधि लिये जाते थे^१ । प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रणाली विदित नहीं। समष्टि लोक प्रतिधित व्यक्ति इनमें लिये जाते थे ।

पचकुल में पांच ही नहीं अधिक सदस्य भी रहते थे जो नगर के विभिन्न 'वाहो' का प्रतिनिधित्व करते थे। इस संस्था की कार्यकारिणी उमिति भी होती थी, जिसके सदस्य प्रतीद्वारा काढ़ीन राजपूताना और मध्यमारत में 'वार' नाम से हवाघित किये जाते थे^२ । यों से यह नाम विचित्र सा जान पड़ता है, पर यह इस बात का सूचक है कि कार्यकारिणी उमिति के सदस्य जारी जारी से बदला करते थे। गुजरात में भोनमाल से प्राप्त ११ वीं सदी के एक टेलमें वर्तमान वय के "वारिक" का उल्लेख है^३ । इसके प्रतीत होता है कि उच्च पुरमें प्रतिवप कार्यकारिणी उमिति का चुनाव होता था। राजपूताना के सिष्टेनि पुरी में जो व्यक्ति सन् १६७ १० में 'वारिक' थे वही सन् १६९५ में भी थे^४ । इससे प्रतीत होता है कि कार्यकारिणी की काय अवधि यहा अधिक थी ।

वारिकों की सख्ता प्रत्यक्ष नगर में भिज भिज रहा करती थी। सिद्धोनि में दो वारिक थे और खालियर में तीन। इनका काम कर्ते की घस्त्ले, छावनिक घनका छेन देन देन, चर्मा^५ निधियों और छावनिक कार्यों की व्यवस्था आदि नगर भी बन संवेदी सभी विषयों का प्रबन्ध करता था ।

'वारिकों' का आर्याट्य रहता था, और उनको मदद देनेके लिए स्पायी पेतनघारी कर्मचारी रहते थे। आर्याट्य राजपूताना में 'श्वान' कहा जाता था और यही महरव के घब लेख पथ मुरवित रहते थे^६ । यथा घब पेशेभा नगरी के अद्वयवसाद्यों ने एक घर्मं कार्य के लिए स्वेच्छा घ चढ़ा देन का निष्पत्र किया, तो इस निष्पत्र की एक प्रति नगर के 'श्वान' में रख दी गयी ताकि

^१ यही ।

^२ पृष्ठ ३५, १ पृ ११४; १७३-१७५

^३ वर्तमानशपदात्मिकाग घट वा ग १ पृ ३३ ।

^४ पृष्ठ ६ । पृ १७५-७६ ।

^५ डिपितस्यानानुस्वेत वर्विष्टपदात्मिका । पृष्ठ ६-१७३-७५ ।

भविष्य प इसी के अनुषार चक्र एकत्र दिया जाय। नगर उमिति के लेख पत्रों की देखरेख और पश्चात्यवहार के लिए 'करणिक' नामक एक स्थायी कमचारी होता था। उमिति के निर्देशानुसार यही महत्व के पश्चादि विस्ता था। इसके मात्रात्मक अनेक कारबुन रहे होंगे। 'कीसिक' नामक कमचारी बाजार से कर उगाहता था, जो पुर उमिति की आद का मुरल भाग होता था। अभी कभी केंद्रीय सरकार का कर भी उठकी ओरसे उमिति उगाह देती थी, यथा गुजरात में 'बाढुलोदा' पुरी का यात्रा कर जिसकी रकम लाखों तक पहुँचती थी, केंद्रीय सरकार की ओरसे नगर उमिति ही उगाह करती थी।

अभी तक जो उदाहरण दिये गये हैं वे सब गुजरात और राजपूताना के ही पुरों के हैं, इसके बहुत समझ लेना चाहिये कि अन्य प्रकार की व्यवस्था यी ही नहीं। २ री उत्तान्दी इ में महाराष्ट्र में नालिक की भी 'निगमलमा' (नगर सभा) थी, भूमि के नियन्त्रित सबधी सब व्यवहार और लेख पत्र इसके कार्यालय में दख किये जाते थे^१। जिसके शासन सबधी प्रकरण में भगाल के फोटिक्स की उमिति का उल्लेख किया जा सुना है। कोकण के गुग्गुपुर में पुरपाल की सहायता के लिए एक उमिति यी जिसमें १ ग्रामण १ घ्यापारी और २ महाजन सदस्य थे^२। राष्ट्रकूट और चालुक्य शाखा कालमें कर्नाटक की ऐहोड़ पुरी में यसावर एक उमिति यतमान रही। इसी प्रात में कुट्टद पुरी ५ बाहों में विभाजित थी, राजपूताने यी श्वलोप पुरी की मात्रि यह विभाजन भी उमवत उमिति के प्रतिरिद्धि हुआ था तथा यह यथार्थ इस सबसे का वर्तीर्ण लेत अपूण हाने के कारण इस नियन्त्रण पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। अस्तु, प्राचीन भारती शाखन-व्यवस्था में नगर उमितियों का भी निश्चित और महत्वपूर्ण स्पाठ था।

३ री और ५ यी शतान्दी १० पूँ के पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था ए पर्याप्त करके यह अध्याय समाप्त किया जायगा। सामाज्य यी राजधानी होने और देश पिंडेश के व्यक्तिया स परिपूर्ण रहने के कारण इसकी व्यवस्था साधारण से कुछ भिन्न थी, पर इसका सामाज्य सहस्र यही या जो साधारण नगर उमितियों का था। पाटलिपुत्र नगर उमिति में ३० सदस्य थे, और यह ६ द

१ प्रथम चित्तामलि पृ ८४।

२ पवि इ ७ नालिक सिक्षालक।

३ पवि दृष्टि, २, ११ २६०

सदस्यों की ४ उपराजितियों में विमाचित थी। इनमें से एक उपराजिति जो विदेशियों की देखरेख और उनकी गतिविधि पर हाथि रखती थी, अन्य बड़े नगरों और पत्तनों (बदरगाहों) में भी, जहाँ विदेशी अधिक संस्था में बसते थे, रही होगी। दूसरी समिति का उल्लेख, जो जाम और मरण का ठीक ठीक विवरण रखती थी, स्मृतियों या उल्कीर्ण टेलों में कहाँ भी नहीं पाया जाता है। समवत् यह मौर्य शासन की ही मौलिक योनना थी, जो बादमें छोड़प्रिय न हो सकी। बस्तुओं के उत्तरादन की देखरेख करनेवाली तो सभी उपराजिति के बल श्रीयोगिक नगरियों और पुरियों में ही रही होगी। चौथी और पाचवी उपराजितियों उचित मञ्जदूरी रही करती, बाजारों का निरीदग फरती, शुद्ध और बिना मिनावट के बस्तुओं के ही विक्रय की व्यवस्था करती तथा व्यापारियों के कर आदि बस्तु करती थी। ये कार्य से प्राचीन काल की अधिकांश पुर और ग्राम समितिया करती रही। शावधनिक निर्माण समिति^१ का, जिसे तामिङ देशमें उत्तान या सुरोदर समिति कहा जाता था, यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। इसका कारण समवत् यह था कि साम्राज्य की राष्ट्रधानी होने के कारण पाटलिपुत्र में इस विषय की व्यवस्था देशी राजकीय अधिकारी ही करते थे। उपरुक्त दृष्ट समितियों में से किसी के द्वारा अर्पणी निषियों की व्यवस्था का उल्लेख भी नहीं मिलता, जो कार्य बादमें सभी पुर और ग्राम समितियाँ करती थीं। जैसा कि अर्थशास्त्र में क.। गया है समवत् इस कार्यके लिए अनलग ही कोई गैर सरकारी संस्था थी। यूनानी लेखक यह भी नहीं लिखते कि पाटलिपुत्र की नगर-समिति और उपराजितियों का संघटन जैसा था, वे सरकारी थी या गैरसरकारी, निषाचित या नियोजित। साम्राज्य की राष्ट्रधानी होने के कारण समवत् है कि पाटलिपुत्र नगरी की विधिन समितियों में अपराजित मै वर्गि, पर्य, शुद्ध, नाप तो आदि करने के अध्यव व्यादि अनेक राज कमचारी भी रहे हों। परन्तु इस विषयमें कोइ नियिन प्रमाण उपरब्द नहीं है। ग्रामों और किले के पुरों की समितियों में अधिकांश गैरसरकारी सदस्य रहते थे, यह पहले ही सताया जा सकता है।

— — —

ग्रामरहवाँ अध्याय

ग्राम-शासन पद्धति

अति प्राचीन काल से ही भारत के ग्राम, शासन-च्यवस्या की दुरी रहे हैं। इनका महत्व ऐसे पुग में और भी अधिक वा घब यातायाव के साथन महगानी ये और भारतानों वा दशों का नाम भी न था। प्राचीन भारत के धीरन में नारों का स्थान नगाप था। वैदिक मन्त्रों में ग्रामों की समृद्धि की प्रार्थना बहुत की गयी है, पर नारों वा पुरों का शासद हो कमी नाम लिया गया हो। घातक क्याक्षों में भी इसी प्रदेश की समृद्धि के वर्णन के प्रश्नग में उसके समृद्ध ग्रामों को सरका का तो बड़े गर्व से उल्लेख किया जाता है पर नारों वा पुरों का नाम भी नहीं लिया जाता। वैदिक काल के राज छोटे होते थे, इससे ग्रामों का महत्व और भी छढ़ गया था। काल में राजों का विस्तार छढ़ने पर भी रियति में दर्शित हुआ। कारण-छढ़न समाव शासन ग्राम नियाची होने के कारण ग्रामों का ही उपोषरि महस्व होना स्वाभाविक है। आधुनिक काल में गवर्नर शासन उच्ची प्रश्नों पर विचार करने के लिये कठकरों का सम्मेलन बुलाते हैं, प्राचीन काल में इसी कार्य के टिए विविधार ही से शासक ग्राम के मुखियों को बुलाते थे। इसमें कोई सटीक नहीं कि ग्राम ही देश के महत्व पूर्ण प्रग और सामाजिक धीरन के केंद्र थे। राष्ट्र की सकृति, सन्दर्भ और शासन डारों पर निर्भर थे।

ग्राम का मुखिया

ग्राम का शासन ग्राम के मुखिया के ही निरीदग और निर्देश में चलता था। देशों में इसे 'ग्रामी' कहा गया है और घातक क्याक्षों में भी उग्रवर इसका उल्लेख मिलता है। अद्याज्ञ शासन-च्यवस्या में इसके महत्व पूर्ण स्थान का सावी है और इसा की प्रथम सहस्राब्दी के ग्राम सभी उत्कौर्च हेस्तों में इसका उल्लेख पाया जाता है। इसकी सन की प्रारम्भिक सदियों में इसे

उच्चर मारत में^३ 'ग्रामिक' या 'ग्रामेयक' और तैलगदेश^४ में 'मुनुन्द' कहा जाता था और ६०० से १२०० ईं के भीच महाराष्ट्र में 'ग्रामवृष्ट' या 'पट्टकील', कर्नाटक में^५ 'गाडुद' और युक्तप्रात में^६ 'महतक' या 'महतक' कहा जाता था^७।

सामारणत एक ग्रोम के लिए एक ही मुखिया रहता था^८। उनका पद आनुधिक था, पर सरकार को अधिकार था कि यदि उच्चाधिकारी अयोग्य हो तो उसी दश के किसी अन्य व्यक्ति को मुखिया बना दे। सामारणत यह ग्रामजेतर जाति का ही होता था। वैदिक काल से ही वह ग्रामदेना का नायकरत्व करता आया था अतः वह समवतः द्युमित्र ही होता था, पर कभी कभी वैश्य मी इस पद का बाकाद्वी होता था और इसे ग्राम मी कर लेता था^९।

मुखिया ही ग्राम राजन में सबसे महत्व का पद रहता था। उसके बाँ^१ के प्रतिनिधि को वैदिक काल के 'रतिनदो' में स्थान मिलता था और जातक क्षयाभो में तो उसका वर्णन प्राय ग्राम के राजा के अनुरूप ही हुआ है। ऐसा की प्रथम सदस्याद्वी के उत्तीर्ण लेखो में वर्णित ग्राम अधिकारियों में

१ एवि. इ., १ पृ. १८७, इ. यें १ पृ. १५५, कॉ. इ. इ., २ पृ. २५६

२ एवि. इ. १ पृ. २८, इ. यें., १८ पृ. २५, पवि. इ., २ पृ. ३५९

३ राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ. १८८

४ इ. ये., १८ पृ. १५, १९ पृ. १०१-४

५ सरकारद्वारा जिन ग्रामज्यों पा सेना के बहुतों को प्रामकर पाने का अधिकार मिलता था वे कभी कभी ग्रोममोक्ष पा ग्रामपति कहे जाते थे। मगर ग्राम का मुखिया उनसे अलग होता था।

६ कभी कभी एक से अधिक मुखियों का सो बदलेन मिलता है। कर्नाटक के कुछ प्रामों में ६ और १२ मुखिया रह जाते थे (राष्ट्रकूट इतिहास, पृ. १८६-२०)। समवत मुखिया यश की सभी शासाभों को सहुष करने के लिए ऐसा किया जाता था, किंतु प्राय हर शासा को यारी यारी से मुखिया होने का अवसर देकर सब शासाभों के अधिकारी की रक्षा की जाती थी।

७ ऐति. सं. २, ५, १७ से जात होता है कि मदत्याद्वी हर वैश्य का अध्य 'ग्रामयो' पद ही होता था।

उसका स्थान उसी प्रथम है। गढ़वाल राजा किंचि गौव में भूमिदान करने के पहले उसके मुरिया से बहुता राय लेते थे^३।

मुखिया का सबसे मुरिय वृत्तिय ग्राम की रक्षा करना था, वह ग्राम के स्वयंसेवक दल और पहरेदारों का नायक था^४। आजकल की अपेक्षा ग्राचीन काल में जीपन कहीं अधिक सकटपूर्ण था^५ और यातायात की कठिनाई के कारण ढाकुओं के अचानक व्याकुमण आदि के समय सरकार से शीघ्र सहायता भी न मिल सकती थी। अत ग्रामवालियों को अपनी रक्षा स्थय करनी पड़ती थी^६। ग्राम की रक्षा में ग्राम के मुखिया और स्वयंसेवक दल के सदस्यों के प्राण तक दे देने के उदाहरण बहुत मिलते हैं^७।

मुखिया का बूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकारी घरों की उगाईना था। उन्होंने लेख पत्र उसी के संरक्षण में रखते थे और ग्राम पचायत की मदद से वह वस्त्री का काम करता था। मुखिया ग्राम पचायत का पदसिद्ध अध्यक्ष भी होता था और ग्राम संचाली प्रश्नों पर विचार और काररायाई उसी के निर्देश में होती थी। उसे अपने काम के पारिश्रमिक रूप करमुक्त (मापी) जमीन और अन्नाज आदि के रूप में उगाए जाने वाले झुठ छोटे मोटे कर्ऊ की आमदनी मिलती थी।

मुखिया गौवका सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता था। उपनीति का यह कथन बहुत यथार्थ है कि वह ग्रामवालियों के माला पिता के समान था^८। सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी वह जनता का ही आदमी था और उनके हित की रक्षा के लिए उदा तत्पर रहता था। जनता के लिए भी वह उतना ही आवश्यक था जितना राज्य के लिए था।

ग्राम के कार्योंक्रम में राज्य कर की वस्त्री और भूमि के प्रयोगिक्य था

३ पृष्ठ ६२, पृ ३८१-३८१।

४ प्रारम्भिक काल के लिए कुछाथक और खरस्सल जातक देखिये, याद के लिए देखिये—यथा हवसी-येन सह ग्रामाध्यक्षादिसै-य सुर्याध्यहस्य मवति।—सांख्यतात्पकोमुद्दी पृ ५४ (शा संस्करण)

५ इतिहास पृ ११०-१।

६ अथर्वाव अध्याय १

७ सप्तशती ७-३१, पृष्ठ ५, भाग द सोराव न ४४६, इ ऐ, ७ पृ ३०४, सी इ परि, १६१६ ने ४७१ और ४८२

८ २, इष्टै।

स्वामित्व संबंधी सब लेखन्यथा रखे जाते थे। उरकार और जिने के अधिकारियों से हीनेशाले पद व्यवहार और ग्राम पचायत के नियमों की मी प्रतिलिपि रखना चाहती था। यह सब काम गाँव का मुनीम करता था। उक्ता पद भी आनुवयिक या और पारिमिक में उसे भी करमुक्त जमीन मिटती थी। तामिल देश में उसी नियुक्ति प्रामपचायत द्वारा होती थी^१।

ग्राम के ग्राम सभी सदृश्यम् ग्रामसमा को सदस्यता के अधिकारी थे। इस संघ में उत्तर भारत और प्रारम्भिक काल के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। किंतु भी ऐसा दिक्षित होता है कि महाराष्ट्र में ग्रामसमा में गाँव के सब गृहस्थ रहते थे^२। इसमें मी संदेह नहीं कि कर्नाटक में और ६०० इ० से तामिल देश में भी यही अवस्था थी। कर्नाटक के बहुत से लेखों से विदित होता है कि ग्रामसमा के सदस्यों को सदया,—निनको वहाँ महाजन करते थे—कभी १०० कभी ४२०, कभी ५०० और कभी १००२ तक होती थी^३। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इनमें गाँव के सब गृहस्थ शामिल थे^४। तामिल देश में हुगो लीट कर सब ग्रामसमी क्षमा के लिए आमत्रित किये जाते थे।

अस्तु, ग्राम के सब निम्नेदार गृहस्थ ग्रामसमा के प्रारम्भिक सदस्य होने के अधिकारी थे। यदि उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रानों में ग्राम घमा के समायनों के लिये प्रयुक्त सब शब्दों का एक ही अर्थ 'गाँव के बड़े आदमी' होता है—यथा, मुक्त प्रांत में महाजन, महाराष्ट्र में महातर, कर्नाटक में महाजन और तामिल देश में पेदमण्डल सदका एक ही अर्थ है।

इसी बहु संख्या में होने के कारण ग्राम महाजन ग्राम के प्रदेश के लिए अपराध ही किसी कार्यालयी समिति या परिषद से काम लेते रहे होगे। अमी दर्शे इसके संघरण पर विचार करता है।

आतकों से शब्द होता है कि न तो मुखिया और न ग्राम का मुनीम ग्राम प्रबंध में भनमानों कर सकता था। उन दोनों को ग्रामजूदों को राय के अनुसार घटना पड़ता था। ये ग्रामजूद प्रारम्भिक क्षात्र से ही एक प्रकार की

१ कभी कभी पचायत द्वितीय उसी मुनीम को उन्नीयुक्ति कर देती थी,
जो इ.ए.रि १२३३, सं ३२

२ एवि इ., १४ पृ १५०।

३ ईटि पेटि ४ पृ २०४, एवि इ ४ पृ १७४, १५ पृ २२-८

४ ग्रामजूद, ग्रामजूदों का इतिहास पृ १३६-२०१।

ग्रामधासन पद्धति

१६२

जिर सरकारी उमिति के रूप में कार्य करते थे। यह दिलाया जा चुका है कि द्विदल युग की उमा ग्राम पचायत या परिषद के साय साय ग्रामाधिक गोष्ठी का भी कार्य करती थी। इसमें घेठकर उदस्य गग ग्रामाधिक वर्चों भी करते, रेन बादि खेलते थया साय साय गग ग्रामाधिक वर्चों भी करते थे^१। घावकों से शान दीता है कि ग्राम प्रदेश सर्वथी कार्य भी निपटते हैं। इनमें इस कार्य के लिए किसी स्थायी उमिति या उधाके होने वा कोई उल्लेख नहीं है। काम करने का मार मुतिया पर ही था, पर यदि उठका कोई कार्य शीति विहृद दीता था तो ग्राम वृद्ध उठकी गत्ती याकर भूल मुधार देते थे^२। मौख्य युग में ग्राम स्थाया सार्वजनिक प्रमोदजनक और उपरोक्त कार्यों की अधिकारी करती थी, गाँवसांगों का आश्रण का हागड़ा ते किया करती थी और नावालियों की सर्वति का सरदूण करती थी^३। परंतु इस काल में किसी कार्यकारी परिषद का विकास न हो पाया था व्योकि अर्थधास विवस्त (trustee) रूप से कार्य करनेवालों में ग्राम वृद्धों का उल्लेस करता है, किसी समिति^४ या उपरसमिति का नहीं।

गुप्त काल में कम से कम कुछ ग्रांतों में तो ग्राम उमितियों का विकास हो चुका था। मध्य मारत में इह 'पचमण्डी' और विद्वार में 'ग्राम-जानपद'^५ कहते थे। नालदा में विभिन्न ग्राम जानपदों की अनेक मुद्राएँ मिली हैं जिन्हें जाता होता है कि ग्राम जानपदों द्वारा नालदा के अधिकारियों को जो प्राप्ति भेजे जाते थे उन सब पर उनकी मुद्रर रहती थी^६। यह निवितप्राप्त है कि विद्वार में ग्राम जानपद नियमित स्थायीों का रूप घारण कर चुकी थीं जिनके नियम वा 'पवस्या मुद्रर छाकर याहरियों को प्रेषित किये जाते थे।

१ देखो वीक्षे अध्याय ७, पृ ९०४

२ कुणाल जातक

३ पानाय जातक। यहाँ मुतिया मदिरा वेदने और जानवों के काटे जाने की नियेवाया पापस देता है, जब गाँवपाले यह रामायादे हैं कि वे गाँव

४ अध्याय ३, भज्याय १०।

५ प्रयोजनासविषये ग्रामवृद्धेषु स्थापयिता, ३, भज्याय १२।

६ म. स. १६, पृ ४५ से जागे।

पहलव^१ और बाकाटक^२ राज्य में (११०-१४० ई) 'महत्तर' नाम भारत कनेवाले ग्रामबृद्ध^३ ग्राम का शावन कार्य कर रहे थे, पर यह शात नहीं कि किसी समिति का विसास हो चुका था या नहीं। परतु गुजरात और दक्षिण^४ के उत्तरी लेखों से पता चलता है कि ६०० ई० के लगभग 'ग्राम बृद्ध' अपनी एक कार्यकारिणी समिति संघटित कर चुके थे जिसे 'महत्तराधि कारिण' या 'अधिकारिमहत्तर' कहा जाता था। राजसूताने में प्राप्त लेखों से भी ऐसी ही स्थिति का पता चलता है, यहाँ कायकारिणी समिति 'पचकुल'^५ नाम से प्रसिद्ध थी और 'महत्तर'^६ नाम से अभिहित एक मुख्यिया की अध्य चत्ता में कार्य करती थी। निम्नदेह पह बड़ी महत्वपूर्ण सहया थी क्योंकि राजकुल के दानों की सूचना भी इसकी बेठकों में दी जानी आवश्यक थी^७। गद्वाल लेखों में भी 'महत्तर' या 'महत्तम'^८ का उल्लेख मिलता है पर उनकी कोई नियमित समिति संघटित हो पायी थी या नहीं इसका पता नहीं चलता।

चोल राजवंश के (१००-१३० ई०) लेखों से तामिळ देश में ग्राम समा और उसकी 'समिति' के कार्यों का अधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है^९। साधारण ग्रामों की ग्रामसमा 'उर' और अप्रहार ग्रामों की सहाँ अधिकार विदान व्याप्ति रहते थे, 'समा' कही जाती थी। कभी कभी

^१ पृष्ठ ७, पृ १३५।

^२ पृष्ठ ८ १४, पृ १०२।

^३ सर्वोन्मेर राजसामाज ग्राममहत्तराधिकारिकान् । इ पै १३ पृ ७७ सर्वोन्मेर राष्ट्रपति ग्रामबृद्धायुक्तनियुक्तकाचिकारिकमहत्तरादीन् । इटि पैटि, १३ पृ १२ । देखिये, भरतेश्वर, 'विक्रेत काग्यूकिरोज इन वेस्तन इटिया' पृ २०-२१

^४ पृष्ठ ११ पृ ५८ । यहाँ गै १ १ पृ ४७४-५ ।

^५ पृष्ठ ११ पृ ५५ ।

^६ बद्दी ११ पृ ८९-९० ।

^७ इ पै, ३८, १४-५, पृष्ठ ८, ३ १६६-७ ।

^८ देखिये—ए लीटकड शास्त्री, कदि चोल, भाष्याय १८ और 'हादाम इन चोल इस्ट्री पैट पृद्धमिनिस्ट्रेशन' पृ ४३-१६३ । यथा एस के भव्याम- 'पैटमिनिस्ट्रेटिव इस्टीट्यूशन इन सार्वय इटिया', भाष्याय ५ ।

दोनों प्रकार की सर्वायं एक ही ग्राम में पायी जाती हैं। उम्बवत ऐसा तब होता या उब नवी वाद्यण उस्ती छोटी होती थी । जैसा कि पहले फहा ला चुका है ग्रामसंघ के सदस्य सभी एहस्य होते थे। इसके अधिवेशन की एचना हुयी पिट्ठाकर ही जाती थी^१ । इसका एक प्रधान कार्य कार्यकारिणी समिति या पंचायत का चुनाय था। 'ठ' में एकम उब ग्रामवासियों की राय से यह चुनाय होता था^२ । पर इसकी प्रशाळी जात नहीं। स्वीकृति समवत् मोलिक रूप में ही दी जाती थी, और अतिथिव्यक्तियों का कहना माना जाता था। कार्यकारिणी का नाम 'आङ्गु गमगू' (आएक समिति) था, मगर इसके सदस्यों की संख्या विदित नहीं है।

ग्रामसंघ और इसकी कार्यकारिणी का सबसे अच्छा और विस्तृत विवरण 'व्यग्राह' ग्रामों के बारे में मिलता है। इनके निवासी अधिकतर विद्वान् वाद्यण होते थे, जो समाज के सबसे सुखदकुत और शिवित थर्य थे। इनमें से कुछ ने ग्रामसंघ की कार्यकारिणी या पंचायत के विवान का विस्तृत विवरण देकर इतिहास का बड़ा ही उपकार किया है। सबसे अच्छा और पूर्ण विवरण उधर मेरुर ग्राम के प्रविद्ध लोगों से मिलता है। यह ग्राम चिंगलीपुर जिले में आयल्व परिवर्तित 'ठुंडर मल्लूर' नाम से अभी तक ग्रियमान है^३ ।

इस ग्राम का आधनकार्य ग्रामसंघ की पाँच उप समितियों द्वारा होता था। उब सदस्य अधेतनिक कार्य करते थे और उनका कार्यकाल एक साल था। अनुचित कार्य करने पर वे शोच में भी हटाये जा सकते थे। ग्राम के प्रत्येक थोर निवासी को ग्राम करने का अवधार देने के लिए यह नियम बनाया गया था कि एक घार किसी उप समिति में रह चुकने पर पुन तीन थप्पे तक उस व्यक्ति का उक्त उपसमितियों में अंतर्भूत न हो। दुष्परिष और सार्वजनिक घन का दुरुपयोग करनेवाला व्यक्ति या उपक निकट उपर्योगी सदस्यता के अधि-

१ तिरुवेश्वर में यही स्थिति थी (सौ इ प रि, १९१४ ई स ११२ और ३२३) और तिरेश्वर में भी (सौ इ प रि, १९१७ स २०१, ३१६)

२ सौ इ प रि, १९२१-से ५८३, १८६६ स ८५, १२१७ स ७८, और १९१० स १०५ ।

३ सौ इ प रि, १९१४ ई सं घट ।

४ इन लोगों के गृह के लिए देसिये, इ प एन शास्त्री, रट्टीन द्वा चोल द्वितीय तथा अ स रि, १९०८ ।

कार से बचात कर दिये जाते थे। सदस्यों को भी दिनत बरने का उद्देश्य इस कार्य की गहरीयता पर लोर देना था। सदस्य न तो बहुत कम वय के होने चाहिये न बहुत अधिक वय के, उनकी अवश्या ३५ के ऊपर पर ५० के नीचे होनी आवश्यक थी। सदस्यता के लिए इतने प्रतिवर्षों के अतिरिक्त सदस्य के पास अपना मकान और कम से कम चौथाई 'वेल्ड' (छापग २ एकड़) कर देनेवाली भूमि होना चाही था। इसका उद्देश्य यह था कि ऐसियतदार व्यक्तियों को ही साधननिक भन की अवश्या का भार सीमा जाय। पर ऐसे, सूति और याप्त (दर्शन) के विद्वान के लिए एक एकड़ जमीन का स्वामित्व भी पर्याप्त माना जाता था। यह स्थामाविक ही था कि 'अप्रहार' प्राप की उपसमितियों के सदस्य यथाकथ्य अन्ते ऐसियतदार, विद्वान, सदारित्र और ईमानदार व्यक्ति हों। यह उल्लेखनीय है कि इन उपसमितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को स्थान न था। दक्षिण के आमों के 'महत्त्वात् विद्युति' में उल्लिङ्ग लेखों में उरकारी कर्मचारियों से प्रक्षिप्त अलग रखे गए हैं।

पर यह न समझ देना चाहिये कि ये नियम अप्रहार आमों में भी सर्वथ विना अपवाद दाग् किये जाते थे। प्रामुख्या का विकास गाँव के लोगों के एक स्थान पर एकत्र होकर सामाजिक, वार्तिक, राजनीतिक वया अन्य विविद विषयों पर जातजीत करने की प्रथा से हुआ। इन चांडींओं के पलस्यरूप कुछ नियम थारे और बने और आपसी देढ़क ने एक संघर्ष का रूप प्रदान किया। उल्लिङ्ग लेखों में इनका उल्लेख ८ वीं सदी के अंतिम चरण से मिलने लगता है। प्रायः 'समा' का अपना स्वतन्त्र विचान रहता था यद्यपि इनका साधारण रूप छापग एक था ही था। यथा, कहीं सदस्य होने का कम से कम वय २५ तो कहीं ३० साल भी। कहीं सदस्य है साल के व्यक्तर के बाद पुन निर्वाचन के अधिकारी थे तो कहीं ५ और कहीं कहीं १० साल के बाद भी। कुछ उमाओं में यहाँ तक इडाई थी कि एक शर निर्वाचित सदस्य के निकट दैषविदों को भी ६ वर्ष तक सदस्य होने की अनुमति न थी।^१ उपसमितियों की संख्या और कार्यों में भी परिस्थिति के अनुसार बंतर होता था।

प्रायः समा अपना विचान सर्व बनाती थी। उससे पुराने विचान का उदाहरण माननिलैनहृष्टर माम को महात्मा का है। ऐसका विचान एक विशेष अधिवेशन में निर्मित हुआ था, जिसकी एचना 'हुगी पोट कर दी

यी थी । विधान में उठोपन मी समा द्वारा ही किये जाते थे । कही कमी तो दो महीने के अंदर ही विधान उठोपन किये जाने के उदाहरण मिलते हैं ।

उत्तर मेहर में ग्रामसमा की पचायत या कार्यकारिणी समा के सदस्य चिह्नी ढाल कर चुने जाते थे । ग्राम के तीर्थों 'वाडो' में से प्रत्येक द्वारा कई व्यक्तियों के नाम प्रतावित किये जाते थे, प्रत्येक उमोदशार का नाम अन्न अन्न युर्बियों पर लिख लिया जाता था । हरएक घाँई की सुर्जियाँ एक बर्तन में रख ही जाती थीं और जिसी अबोध बाटक से एक चिह्नी उठाने की कहा जाता था । जिसके नाम भी चिह्नी उठानी थी वह उस घाँई का प्रतिनिधि घोषित किया जाता था, इस प्रकार किसी पैरधी, प्रचार या दलभद्री की आवश्यकता ही न पड़ती थी ।

इस प्रकार निर्वाचित ३० आदमी भिन्न भिन्न उपचामितियों में रख दिये जाते थे । पहली उपचामिति गाँव के उदानों और फल की बगियों को देखोल रहती थी, दूसरी गाँव के सरोवर और जल प्रगाढ़ी की, तीसरी आपसी लगड़ों के निपटारे का महत्वपूर्ण कार्य करती थी । चौथी 'स्वर्ण उपचामिति' थी, इसका निष्पक्ष भाव से सकासोना परख कर उठाका मान निर्धारित करना था । इस समिति में विदेषज्ञ ही रखे जाते थे । उस समय योर्ह निश्चित मुद्रा प्रणाली थी इसलिए कर के रूप में या क्रव विक्रय के भाव्यम रूप में जो सोना दिया जाता था उसकी टीक परख और मूल्य-निर्धारण करना अत्यावश्यक था । इस उपचामिति के उदस्यों के चुनाव की विधेय विधि नियत थी । पाँचवीं उपचामिति 'र्घचार' समिति कही जाती थी, मगर इसका कार्य कीक जात नहीं ।

एक उपचामिति की उदस्यता का कार्य काल पूरा हो जाने के बाद निश्चित यवधान छोट जाने पर पुनर्निर्वाचित होने पर उक्त सदस्य किसी दूसरी उपचामिति में रखे जाते थे । इससे उहै ग्राम शासन के अनेक अंगों का अनुभव आपत करने का अवहर मिटता था ।

इन पाँच उपचामितियों के अतिरिक्त, उन पर देखोल के लिए एक समिति भी जिसे 'सांवत्रकारीयम्' (धार्यिक समिति) कहते थे । इसके उदस्य केवल अनुभवों व्यक्ति ही हो सकते थे, जो विविध उपचामितियों में जाम अनुभव रखते थे ।

उपचामितियों द्वारा सख्ता और कार्य-सेवा प्रत्येक ग्राम की आवश्यकतानुसार

शासी—चोक स्टडीज, पृ. ८३ ।

सौ. इ. ए. रि. १८८२ है. स. १३० और १३१ ।

मिलमिल रहती थी। एक लेख से^१ भूमि माप समिति का पता चलता है। इसका काम भूमिकी नाप खोख और बर्गीकरण करना और यह देखना था कि सरकारी नाप या भूमिकर भी उचित और व्यायाममत हो। एक अन्य लेख में^२ देवालय समिति का भी उल्लेख है। अम्बार ग्रामी में विद्यालय भी रहते थे अत इसमें एक शिक्षा समिति भी रहती हो।

यह देखा जा सकता है कि गुप्त और परवर्ती काल में विहार, राजपूताना, महाराष्ट्र, और कर्णाटक में ग्रामसमाजों की कार्यकारिणी समितियों भी कायम हो चुकी थीं। पर समृद्धियों या उत्कीर्ण लेखों से इनके सघटन के बारे में कुछ ज्ञानकारी नहीं प्राप्त होती। जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है तामिल देश में प्रतिवर्ष इस समिति का पुनर्संघटन होता था। राजपूताना में भी नमाल के एक लेख (१२७७ई०) में पचकुल (कार्यकारिणी समिति) के सदस्यों द्वारा एक दान का वर्णन है, जिसमें सदस्य यह लिख देते हैं कि दान इम करते हैं पर इसका द्वेष जो जो भविष्य में इस पद पर आये उन सबका रहेगा^३। इससे ज्ञान पड़ता है कि उत्तर भारत में भी इस समिति का निश्चित अधिकार पर पुनर्संघटन हुआ करता था। पर यह ज्ञात नहीं कि इनका कार्यकाल क्या था। उत्तरमेहर में निर्वाचन चिह्नी द्वारा होता था। आज कल के समाज दलदृष्टि और तदृष्टि द्वारा चुनाव प्रणाली समवत् प्राचीन भारत में कही न थी। गाँव के सदूरपश्चियों की समाजे साधारण जनमत के अनुसार प्रमुख व्यक्ति कार्यकारिणी के लिए चुन लिये जाते थे। इसमें ज्ञात पाँत के भेदभाव का असर न पड़ता था। गुप्तकाल में इन समितियों में बहुत से व्याक्षणेत्र जातियाले काम करते दिखाई देते हैं और मराठा शासन काल में ऐसे ग्राम पञ्चायत के देसनों पर व्याक्षण द्वारा नहीं अस्पृश्यों तक के हस्ताच्छर मिलते हैं।^४

कर्णाटक में तामिल देश की भौति घायलमा को उपरसमितियों में विभाजित करने की प्रथा न थी। बहुत से उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि ग्रामके महाजन पाठशालाओं का प्रबन्ध, सरोकरों और घर्मशालाओं का निर्माण, साध-अनिक कार्यों के लिए चदा, तथा घर्मायि निवियों और आनियों (trusts) के

^१ सौ ई परि, १५१३ स २३२।

^२ सौ ई परि, १५१५३ पृ ११५।

^३ ग्रस्मापचकुल सर्वो मतस्य इति सर्वका।

पत्त्व पत्त्व तदा थेयो खस्य यस्य यदा पदम् ॥ यौ गौ, १, १ पृ ४८०

^४ देविहासिक लेख समझ, १६ पृ ४५।

ग्रामशासन-पद्धति

१५६

उरक्षण और प्रबन्ध आदि कार्य किया करते थे। इन विविध कार्यों के लिए उपसमितियों का निर्माण होना स्वामानिक बात होती पर लेखों में इनका कभी भी उल्लेख नहीं किया जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम महाजन इन कार्यों को अपनी कार्यकारिणी समिति पर छोड़ देते थे, इसमें ह या ८ सदस्य होते थे^३। ये लोग आवश्यकतानुसार ग्राम के अन्य प्रमुख लोगों की सहायता करते थे।

उचर भारत में भी समवत् लोल देश के समान उपसमितियाँ न थीं। यहाँ ग्राम समिति में ४ सदस्यों की संस्था नियत थी, इसे स्पष्ट रूप से गुप्त काल में 'पञ्च मठनी' कहा जाता था^४। मध्यकालीन कई लेखों में भी इसे 'पञ्चकुली' कहा गया है^५। अस्तु, ५ सदस्यों की छोटी सी संस्था की उपसमितियाँ क्या हो सकती थीं।

अब ग्राम पचायत के कार्यों पर इष्टिपात किया जायगा। दधिग भारत के बहुत लोगों से प्रकृत होता है कि भूमिकर पद्धत करने वी जिम्मेदारी इसी पर थी। अकाह तथा अन्य सफर पद्धते पर यही राज्य से लगान में सूत आदि कराने की व्यवस्था करती थी। पर पक बार इसका परिमाण तथा हो जाने पर ग्राम पचायत उसकी वस्तुली के लिए भी जिम्मेदार हो जाती थी और इस कार्य के लिए उसे सब प्रकार की कार्रवाई, घकाया लगाने वालों की भूमि का नीलाम भी, करना पड़ता था। वार्षिक कर की रकम एक प्रश्न भी ग्राम पचायत के पाठ जमा की जा सकती थी। इस दशा में पचायत इसे राज्यकर देने से मुक्त कर सकती थी। यह कर जमा की हुई रकम के व्यावर से दिया जाता था।

इसमें स्टेट है कि उत्तर भारत, महाराष्ट्र और कर्नाटक की ग्राम पचायतों को भविकरों के दबाव में लोल देश की पचायतों के समान विस्तृत अधिकार थे। कम से कम उक्तीय लेले तो इस विषय में मौन ही है।

ग्राम की ऊपर भवित्व का स्वामित्व भी पचायत को ही रहता था। गुप्त काल में याज्य ग्राम की पचायत की सम्मति से ही इसे बेच सकता था^६। बहुत ले लोल लेखों में पचायतों द्वारा भवित्व के विषय का वर्णन है, इनमें से संभवत बहुत से ऐसे भी ऊपर रहे होंगे, जो लेती के योग्य बनाये जा सके थे^७।

^१ अठटेका, राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ० २०२।

^२ को है इ, पृ० ३१, ४८, ११, १०४, ११, १०४, १६, यों १०३ ४७४

^३ पृष्ठ ११४, पृ० ११०।

^४ सौ ह परिष १९१० से ११२, ११३, लोह १२८।

गाँव घाड़ों के ज्ञागड़े निपगना पचायत के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में था^१। पहले तो घर और बिरादरी के बड़े बूढ़े ही ज्ञागड़ा निपगने का प्रयत्न करते थे, उनके विषय होने पर मामला पचायत में जाता था। गमोर अपराष्ट स्वभावत पचायत की अधिकार सीमा के बाहर थे, ज्योंकि इसमें प्रामदण आदि कड़े दहों की आवश्यकता पड़ती थी और इसका अधिकार उच्च राजकीय न्यायालय को ही होना उचित था। पर एयोगवधि किसी के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाने की घटनाएँ चोल काल में अक्सर पचायत हो निश्चय किया करती थी^२।

पर दीवानी मामलों में पचायत के अधिकारों की कोई सीमा न थी। हजारों स्थानों की सूचि के ज्ञागड़े भी वह ते कर सकती थी।

कुछ देखकों का यह भत है कि पचायतों को न्याय के अधिकार मिलने का कारण उत्कृष्टीन अराजकता और राजकीय न्यायालयों का अमाव था। पर स्मृतियों, उत्कृष्ट देखों और मराठा शासन के कागज पत्रों से प्राप्त जानकारी इस भत को पूर्ण आमक और नियापार ठिक कर देती है। स्मृतियों का कथन है कि पचायत का नियमानुकूल निर्णय राजा को भी मान्य होना चाहिये क्योंकि उसी के द्वारा पचायत को न्याय का अधिकार दिया गया है^३। मराठा काल के अनेक आगज्ञों से ज्ञात होता है कि गिवानी, राजाराम और शाहू आदि, जो मामले उनके पास सीधे दाये जाते थे, उन्हें वे स्वयं न सुन कर ग्राम पचायत के पास भेज दिया करते थे^४। बीजापुरके मुसलमान मुलतान भी ऐसा ही करते थे। मध्येर ग्राम भी पचायत ने ग्राम के मुखिया पद के अधिकार के ज्ञागड़े का निश्चय किसी बापा वी मुसलमान के विषय किया। तालुका पचायत से भी यही निश्चय कायम रहा। इस पर बापा वी मुसलमान ने सीधे इसाहीम आदिलशाह के पास परियाद को कि सांप्रदायिक देव के कारण उसके साथ अन्याय हुआ है। मुलतान ने स्वयं सुनने के बाब्य प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थान पैठन ग्राम की पचायत के पास मामला पुनर्विचार के लिए भेजा। इस पचायत ने भी

१ यैदिक फाट में भी यह काय उनके द्वारा किया जाता था जूँकि समाचार का सबूध घर्में पा न्यायदान से दिखाई पड़ता है।

२ सी. इ. प. रि., १९०० सं ६४ भौ० ७७, १९०३ सं २२३, १९०६ सं २१७, ३२२

३ ते इस अत्यवर्थमें निप्रहानुपर्द नृणाम्।

४ द्वाराहत्प्यमुमत्प्य निष्टार्थो दि ते स्त्रियः ॥ धार्मवद्य दृ१०।

५ अल्लेकर, वित्त द्वयूक्तिवृत्त पृ ४५ ६।

परियादी शापाजी मुख्यमान के विषद ही निर्णय दिया और इमाहीम आदित शाह ने भी इसमें हस्ताक्षेप करने से इनकार किया^१। इससे प्रकट होता है कि राज्य की सुविचारित नीति पंचायतों को व्यापक न्यायाधिकार देने की भी ओर और लोगों को पंचायत फी शरण देने के सिवा और कोई उपाय न था।

यद्यपि ये प्रबल प्रमाण बाद के हैं फिर भी इनके बाद पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि इसा की प्रथम सहस्राब्दी में भी ग्राम न्यायालय, जिन्हें याशवद्यम ने 'पूर्ण' संज्ञा दी है, इसी प्रकार काय कर रहे थे। यह दुर्घट्य का निष्पत्ति है कि इनके कार्य कलाप के विषय में तत्कालीन गाँवों व्यवसा उत्कीर्ण करने से कोइ विवरण नहीं प्राप्त होता। परंतु बहुत से दान पत्रों में गाँव के अपराधियों के छोटे मोटे खुमाने दान पाने वाले व्यक्ति को दिए गये हैं, इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उक्त गाँवों का पेचला ग्राम पंचायतों द्वारा ही हुआ होगा^२।

कुछ गाँवों में देवाक्षयों के प्रबन्ध के लिए उनकी अवधि समिति होती थी। पर जहाँ ऐसा न था ग्राम पंचायत या उसकी कोई उपसमिति इसकी देख रेख करती थी मंदिर की मरम्मत, पूजा, अर्चा आदि ठीक से हो और घर्मार्थी सपत्नि का दुष्पत्योग न हो^३।

द्वितीय भारत के उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायतें शाहूकार का भी काम किया करती थीं। वे रथायी निविक या दरवाजा बनने वहाँ रखती थीं और दाता की इच्छानुसार उसकी आमदनी या दूद का उपयोग करने का विभाग लेती थीं^४। वे एक मुश्त रकम लेकर किसी भूमिखड़ की प्रति वर्ष राज्य कर देने से मुक्त कर दिया करती थीं, और उसी के दूद से कर देने की व्यवस्था कर दती थीं। इस व्यवहार में घन की देनदार ग्राम उमा ही होती थी, 'उसके व्यक्तिगत सदस्य नहीं। सदस्यों के बदलने पर भी जिम्मेदारी कायम रहती थी। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण भी उच्चस्मेहर ग्राम से मिला है जहाँ उन् १२१२ हूँ में समा से तीन शताब्दी पहले ली हुई जिम्मेदारी पूरी करने को

१ पारसनीस, येति के स १६ सं दरे। अलठका, वि क पृ० ४४ रे

२ पंचायतों का न्यायदान प्रणाली के अधिक विवेचन के लिये आढतेकर

विलेज कम्प्यूनिटीज, पृ० ४२-५३ देखो।

३ हूँ दे., १२ पृ० २८८, एवि हूँ ३, पृ० २७८

४ हूँ दे., १३ पृ० १२०, पृ० २५६, एवि हूँ ६ पृ० १०२, २५४

कहा गया । समा ने बिना व्यापारों किये अपनी जिम्मेदारी स्वोक्तार की और उसे कूज न्यून रूप में पूरा करने का बाद किया ।

बड़ाल आदि पढ़ने पर ग्राम समा सांख्यनिक भूमि वंचक रखकर पीड़ितों के सहायतार्थ सार्वजनिक प्रशुण भी देती थी । कम से कम चोल काल में तो इसके उदाहरण मिलते हैं । एक गाँव की समा ने ४३५ 'थेलि' भूमि वंचक रख कर व्याकाल पीड़ित जनों की सहायता हेतु १०११ कलहु (करोव २५३ टोडा) सोना और ४६४ पठम् (= १३६२ टोला) चारों प्रशुण दी ३ । इस प्रकार के अवधार में प्रशुणों ग्राम के देवाकाय दीते थे, क्योंकि इनके साथ पुरुष उपचिह्न होती थी ।

ग्राम समाँय या पचायते सांख्यनिक हित की योजनाएँ भी उठाती थीं । ग्राम का उत्पादन बढ़ाने के लिए जगदी और उत्पादन प्रदेशों को कृषियोग्य बनाया जाता था ४ । चोल काल की और समवत् सब काल और प्राती को ग्राम सपाँय चिचाईं की नहरों और सरोवरों का निर्माण और देख रेख किया करती थी । आदर कर्याओं में ग्रामवासियों द्वारा सड़कों की मरम्मत का बड़ा उत्तरा वर्णन मिलता है ५ । दक्षिण मारत के एक लेख से जात होता है कि ग्राम समा के बड़े सड़कों की मरम्मत ही नहीं करती थी बरन् दीनों और की भूमि खरीद कर उसे प्रशस्त भी कर देती थी ६ । पानी पोने के लिए कुँए मी सोदे जाते थे और सुरक्षित रहे जाते थे । कमी कमी समा घर्मादा भी बनवाती थी ।

इससे यह न समझ लेना चाहिये कि ग्राम समा ग्रामवासियों की मौतिक उन्नति मात्र की ही विकास करती थी । ग्राम समाओं द्वारा सांख्यिक और साहित्यिक विकास के कार्यों के भी अनेक उदाहरण हैं । उचरमेहर की समा द्वारा तीन अवसरों पर व्याकरण, भविष्य पुण्य और यज्ञोदय के अध्ययन के

१ सौ. इ. प. रि., १८६६ ११०० पृ० २० १८५८ का ६७

२ सौ. इ. प. रि., १८६८ स. ६०

३ सौ. इ. प. रि., स. ११

४ माप १, पृ० १३६

५ सौ. इ. प. रि., १८६८ स. ३

लिए कृति बोधो का उल्लेप मिलता है^१। यहुत सी ग्राम सभायें वेद अथवा वेद वृत्तियों भी देती थीं^२।

अब यह देखना चाहिये कि इन कार्यों के लिए अर्थ की व्यवस्था किस प्रकार की जाती थी। इस बात के प्रयोग प्रमाण हैं कि राज्य ग्राम में प्रकार करों का एक भाग ग्राम के हिताथ खच करने की अनुमति देता था। मराठा काळ में ग्राम की रक्षा और सार्वजनिक कार्यों के लिए ग्रामों को राज्य कर का १० १५ प्रतिशत खच करने की अनुमति थी^३। ग्रामीन काळ में भी समवत् ऐसा ही दीता था यद्यपि इसके साथ प्रमाण नहीं मिले हैं^४। ग्राम पंचायतों द्वारा अपराधियों पर किये गये खुर्माने भी ग्राम सभा को आय का एक साधन था। ग्राम सभाओं को अपने और ऐ अतिरिक्त घर और छुम्ही लगाने का भी अधिकार था। तामिल देश में नदूर ग्राम की सभा ने १० वीं शताब्दी में स्थानीय देखालय से २५ कामु का प्राप्त किया था और इसके बदले में उसे देखालय के अद्यते में लगाने वाले शास्त्रार से कुछ कर लगाहने का अधिकार दिया था^५। कर्नाटक में सालोटगी ग्राम के निवासियों ने स्थानीय विधालय के सच के लिए विवाहादि संस्कृतों के समय कुछ शुल्क देने का निष्ठय किया था^६। सन् १०६९ ई० में खानदेश के पाटण ग्राम के निवासियों ने भी इसी कार्य के लिए ऐसा ही निष्ठय किया था। उत्तर भारत से भी इसी प्रकार सर्वजनोपयोगी कार्यों के लिए ग्राम सभाओं और बोगियों द्वारा इसी प्रकार कर लगाये जाने के उदाहरण मिलते हैं^७।

सार्वजनिक दित की योजनायें कार्यान्वित करने में ग्राम पंचायतों को बहुं भी यहां उदायक होता था। वृष्टि, सरोवर, अनाथालय, साणालय आदि का निर्माण समृति पुराणों ने पुण्य कार्य में शामिल किया था। उत्तर मेहर ग्राम के सरोवर की सफाई करने के लिए दो दानियों ने रथायी निधियों स्थापित की

१ सौ दू ए दि, १८८८ स १८, १९, और १२०, १९३९ स १२४

२ वही, १९३० स ४८१ और ४८७।

३ अक्षरेश्वर, विकेन्द्र कस्तूरी पृ० ७० ७१। मैम, लैंड एंड लेन्ड इन ए एक्ट
विडेन, भाग १ पृ० ४२-५०।

४ कर्य शाल ३ अध्याय १०।

५ सौ दू. ए इ १९१० स ३२। ६ एवि इ ४ पृ० ११।

७ हिंदि चैदि १५, पृ० ८७। पुरि दू १, पृ० १८८।

यो ११ लीने के बड़ के द्विषु दुदाने के हेतु भी पक सज्जन ने दान दिया था। इस प्रकार के उदाहरण अपवाद नहीं, साधारण स्थिति के निदर्शक हैं।

इन कामों के लिए मैनीय उरकार से भी घन या सामग्री की सहायता प्राप्त होती थी^१। घड़े घड़े निर्माण कार्य चिनका लच्चे स्थानीय दूस्या उदा सज्जने में समर्थ न थी तो राज्य ही दारा किये जाते थे। काटियाणी का गिरनार का इतिहास प्रसिद्ध शब्द इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।

ग्राम समा और उसकी कार्य कारिणी समिति या वंचायत और उसकी रूप-समितियों की कार्य प्रगती पर भी हाइपात आवश्यक है। ग्राम समा का अधि १ वेश्वन कभी सधारण में, कभी वेश्वन के मट्टप में और कभी बरगद पा इमली की छाया में भी होता था। समा में ग्रामवाली उब सदृश्यों को शामिल होने का अधिकार या पर कमवत् २०० या ३०० से अधिक उपरियति न रहती होगी। साधारण समा की बैठक कार्यकारिणी समिति के संघर्ष के प्रमाण होती थी। तामिल देशके अप्रहार ग्रामों में कार्य समिति का चुनाव चिठ्ठी भठा कर होता था। अब हथानों में पहले ग्रामके प्रमुख व्यक्ति मिट्टकर व्यापक में विचार कर लेते थे और ऐसी नामांकणी तैयार करते थे जो ग्राम सभाओं स्वीकार्य ही, उत्तमांत समा बुलायी जाती थी, जो साधारणतः प्रमुख व्यक्तियों का निर्देश मान रही थी। आजकल भी भौति भूत देने की प्रगति उठ कालमें न थी।

महर्षके प्रश्न उपरियत होनेपर, यथा अशाक आदिके उठट नियारण्यादेह, गाँव भी सार्वजनिक भूमि खेचने पा ग्रहण लेने के प्रहनो पर विचारार्थ भी साधारण समा की बैठक बुलायी जाती थी। ग्रामोंत यूनान भी याति ऐस अपहरण पर दृढ़ी थी ही यथ हो जाती थी। पर कभी कभी कुछ दुष्ट व्यक्त व्यक्तारण विरोध करके ग्राम में याधा दालने को खेटा भी करते थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए तामिल देशकी एक ग्राम समा ने २ कासु (करोड़ २ लाख सोना) के उठटकर विश्वान किया था^२।

ग्राम की ओर से ग्राम के हेतु दान भी स्वीकृति देनेके लिए भी ग्राम समा

^१ सी. इ. ए. रि., १८८८ सं ११ अ और ४४

^२ अर्थात्, २. अप्पाय १।

^३ सी. इ. ए. रि., १८०६ सं ० प२३।

की ऐठक बुलायी जाती थी। विशेषकर कन्नौट में ऐसे अवधरों पर प्राम श की ओर से दाता को आशासन दिया जाता था कि दानकी रकम अधिक्रेकार्यमें ही लगायी जायगी। दाता के प्रति कृतज्ञता घट्ट करने की यह बहुतुदर विधि थी।

कार्य समिति और उसकी उपसमितियों की शार्य प्रणाली के विषय में बहुत सम ज्ञानकारी ग्रास हुए है। सभवत उत्तर भारत और दक्षिण में गोदामुखिया और तामिल देशमें 'मध्यस्थ' इनकी ऐठकों में अधिक होते थे। ऐठ प्राम कार्यालय (चावडी) में होती थी। ग्रामका मुनीच कारबाह का ऐसी भी रक्खता रहा होगा जाएकर दान व्यादिकी खोकृति और करों की माप आदिक। कभी कभी इस विषय के महापूण निश्चय देवालय की दीयारों पर अंकित भी कर दिये जाते थे। इर्हा अकित विषरणों से आम हम इनके बां में इतना जान सके हैं।

अब केंद्रीय सरकार और प्राम पचायत या सभा के संघर्ष पर विचार किया जायगा। कुछ सृजितियों में कहा गया है कि प्राम पचायतों के अधिकार राजा या केंद्रीय शासन से प्रदत्त हैं^१। यह कथन राज्य के साठेभीम अधिकारों का स्वतंत्री पर ऐतिहासिक हृषि से सत्य नहीं है। प्राचीन भारत के अधिकार राजवंश दो शताब्दियों से अधिक न कायम रह चुके। पर प्राम संस्थाएँ और पचायते सभासभान काढ से चली आती थीं और उनके अधिकार भी पर्याप्तता ये विशी राज्य विशेष से कानून हारा प्रदत्त न थे। जब वैश्वीय हस्ति अधिक विकासित हो और सुर्खेतिस हुई हो इसने प्राम संस्थाओं के अधिकारों में कमी करने का भी प्रयत्न लीच लीच में किया। कभी कभी विभाजन ये स्थोरन के अवधर पर प्राम सभा को ऐठकों में राज्य के अधिकारी के भी उपरियत रहने के भी उदाहरण मिलते हैं,^२ कभी कभी नियमों पर स्वयं राजा की स्वीकृति दिये जाने के भी उल्लेख मिलते हैं^३। परन्तु ये असाधारण घटनाएँ साम पढ़ती है। सभय है कि प्राम सभा के अधिकेशन के सभय प्राम में उपरियत रहने पर राज अधिकारी भी उठाये जाते हों, और प्राम सभार्थी द्वारा पेश किये जाने शरण उनके नियमों पर अपनी जाजासा स्वीकृति की मुद्रर लगा देते रहे हों।

^१ वाचशब्दलय २, ३०

^२ १११ दं में उत्तर मेहर में पेसा हुआ था, च. स. रि., १६०५.

^३ छी हू. प. दि., ११३७ स १४८।

प्राप्त प्रमाणों का ध्यान पूढ़क अध्ययन करने से यही प्रकट होगा कि ग्राम समाज स्वयं अपना विवान बनाती थी, केंद्रीय सरकार नहीं। उत्तर भारत में भी समवत् यही इतिहास थी, यहाँ तो ग्राम की कार्य कारिणी समिति में प्राप्त पांच ही सदस्य होते थे, जो ग्राम समाज द्वारा उस पर प्रतिष्ठित किये जाते थे। केंद्रीय सरकारको विवान निर्माण में हस्तांत्रिक करने का कोई अवसर ही न था।

उत्तर और दक्षिण भारत से ऐसे बहुत से लेख मिले हैं जिनमें ग्राम द्वारा ग्रामके मुखिया और पंचायत को दिये गये भादेशों का विवरण हैं, इससे पठा चक्षता है कि केंद्रीय सरकार का ग्राम व्यवस्था के साधारण नियोजन और नियन्त्रण का अधिकार रहता था। इस अधिकार का उपयोग यों होता था कि कभी कभी जिनेका शासक कुछ पूछ जाते के लिए मुखिया को अपने दफ्तर में बुला देता था और ग्राम पंचायत के साधारण प्रबन्ध और दिनाव विताव की जांच के लिए नियोजक भेजे जाते थे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत के दिनाव विताव की निर्बाधित अवधि पर जांचका उस्तेल चौक बाटीन रेस्टोर्न में किया गया है, और अन्य राज्यों में भी यही इतिहास होते होगे। ज्ञान में गहराह करने पर ग्राम पंचायत के सदस्यों को समा स्वर्य पदन्धन फर देती थी, पर कभी कभी केंद्रीय सरकार भी उनपर लुम्जना किया करती थी^१। दो ग्राम पंचायत में इगड़ा होनेपर साधारण ग्रामला केंद्रीय सरकार के समने ही पैदा किया जाता था, पर एक उदाहरण ऐसा भी मिला है जिसमें दो ग्रामों में झगड़ा होने पर होस्ते ग्रामकी पंचायत निष्पिक बनायी गयी^२।

अल्पु, निष्कर्ष यह है कि केंद्रीय सरकार को देखक दाखारण नियोजन पर्याय नियन्त्रण का अधिकार था। ग्राम प्रबन्ध की दूरी जिमेदारी ग्राम समा वा पंचायत पर ही थी और उसे अधिकार भी बहुत थे। ग्राम पंचायतों ग्रामकी रक्षाका प्रबन्ध करती थीं, राज्यन्कर एकत्र करती थीं, और अपने हर मी स्वार्थी थीं, सांख्याकी के इसका का ऐसा करती थीं और साधारणक हिटकी मोषनाएं हाथ में देती थीं, साहुकार और विवाह का कार्य करती थीं, सार्वजनिक आम्ल आदि हेकर अकाल और अन्य संघटों के निवारण का उपाय करती थीं, पाठशालाएं, शिक्षण, अनायास आदि सोडहो और चलाती थीं, और देशांतरों द्वारा विविध राम्भिक तथा चार्मिक कार्यों को ध्यानपथ करती थीं। इसमें कोई छोटे होट नहीं कि

१ सौ इ. प. रि, १९१५ से १८१ १२१०, स २६८

२ यही, १९११ स १६

आधुनिक कालमें हिन्दूधरान था योरप अमेरिका में ग्राम उत्थानों की जितने अधिकार प्राप्त है उनसे कहीं अधिक इन ग्रामीन कालीन ग्राम संस्थाओं को ये और इनकी रक्षा करने में वे इमेशा सावधान रहतों थी। ग्राम वासियों के अभ्युदय और उनकी सर्वोगीण भौतिक, नैतिक और धार्मिक उन्नति के सावन में इनका मात्र ग्रामशालनीय और महत्वपूर्ण था।

—०—

वारहवौँ अध्याय

आय और व्यय

राजकी समृद्धि और स्थायित्व उसकी आर्थिक हितविकी सुरक्षा पर ही निर्भर है। इस विद्वांत को प्राचीन भारतीय आचारामें मन्त्री मांति समझते थे। इसी दिए रहोने कोष की गणना राय के अंगों में ही है और कोष या आर्थिक दुर्बलता की राष्ट्र की महान् विरचि माना है।

धर्मप्रधान होने के कारण वैदिक वाद्यमय से ताकाढीन राज्यों की आर्थिक व्यवस्था के विषय में अधिक जान नहीं प्राप्त होता। राज्यों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में राजा की हक्कि अधिक न थी और छोटे स्वेच्छा से खो करी कभी दे देते थे पुरी उंडे कर रूप में प्राप्त होता था। अतु, यज्ञ अर्थने अनुदायों और कर्मचारियों का पोषण अपनी ही भूमि, चरणाहों और गोशन से प्राप्त होने वाली आय से ही किसी मांति किया करता था। देवताओं की प्रसन्न करने के दिए चढ़ायी जाने वाली भैट का नाम ही 'बलि'^१ राजा द्वे स्वेच्छा से दिये जाने वाले कर्ते थे अब उपहारी के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। राज्य अष्ट राजा के पुनर राय प्राप्ति के समय प्रार्थना वी जाती है कि ऐसे भगवान उसे प्रका से 'बलि' दिलाने में सहायता दें^२ और उसे प्रका से प्रचुर उपहार और 'बलि' प्राप्त करने का उम्मीदाय प्राप्त हो^३। इन प्रार्थनाओं से मी यह अनिनि निष्ठता है कि उनका अभी राजा को नियमित कर देनेमें अम्बस्त न हो पाया थी।

धीरे धीरे इस रिपति में वरिवतन दुमा। परवर्णी वैदिक शास्त्रमय में राज्यामिषेन क समय के एक मन्त्र में राजा 'प्रजाङ्ग सानेषाला' (विशामता^४) कहा गया है। इस सबोषन से यही बोल होता है कि लोग राजा को नियमित रूपसे कर दिया करते थे और इसी के बज पर राजा अर्थने कर्मचारियों कहित टाट बाट से रहता था।

^१ देखियू न्यूयॉर्क ५ । ३०।

^२ अया ते इन्द्रा केवली प्रका विद्वान्द्वारा। श्रू १००. १५३. १।

^३ अथवै ३ ४ ३।

^४ विशामता सम्बन्धि। येत्र शास्त्र. ०. २९।

आय और व्यव

१८८

वैदक कालमें ग्राहण दोग पौरोहित्य शुचि काले थे, जिसमें अधिक दामधी गुजार्या न थी, चत्रिय लोग नये प्रदेशों के लीतने में ही लगे थे, और घटों के पाठ वौह रुपति न थी। अतः कर वा मुख्य मार वैश्यों पर ही पड़ता था और बहुत से इष्टों पर उनका वर्णन ग्राहणालों के रूपमें हुआ है । पर यह भी न समस्ता चरित्रे कि अब य दोग कर देने से एक-म मुक्त थे क्योंकि राजा वो बहुत से इष्टों पर सबसे कर हेनेवाला बदा गया है ।

पहले के अच्छायों में दिखाया जा चुका है कि मार्गमें ग्राहा की रिपति सरदार मठल के प्रधान थी थी थी। अत यह भी संमव है कि राजा के अविकारिक अब्य सरदार लोग भी अपना अलग कर बदल हरते थे। इस अनुमान का अमर्थन शतपथ ग्राहण के इस कथन से होता है कि 'दुष्टले' को बहुत षलशानों को कर देना पड़ता है ।

'भागधुक्' (राजा का भाग बदल फ़लेवाला) और 'धमाहता' (कर लाने वाला) वो इस समय के 'रत्नी' मठल में थी थे, संमवत कर विभग के ही अधिकारी थे। संमवत पहले वा काम अन तथा अब्य उत्पादित धाम प्रियों में से राजा के भाग का अंश एकत्र करना था और दूसरे का काम इसे भंडारे और कोयों में वितर रखना था।

राज्य की आय के खोत कुरक और पशुपालक थे। इष्ट राजा को अपनी पश्चलका एक भाग दिया करते थे, जिसका परिमाण वैदिक प्रथों में नहीं बताया गया है। उस समय के समाज में पशुपालकों का आज्ञकल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रस्तुत था, क्योंकि समाज को पशुपालन को दाया से वृषि में प्रवेष्य किये अधिक समय न हुआ था। ये दोग कर में गाय, घैड, और चोदे दिया करते थे । यद्य इन सब के एक निरिचत अध्य का अधिकारी था ।

प्रजा से 'भाग' के अतिरिक्त राजा युद्धमें विजित शत्रुओं या सरदारों से भी खट्टीया कर पाया करते थे । वैदिक कालमें विषय व्यवसाय की आयों में विदेष प्रविष्टा न थी इसलिए, इस खोत से विदेष आय न थी। लाना

१ अव्यस्य बन्निकृत । ये त शा ० २६, शत शा ११ २ ६ १४ ।
२ विषोऽदि लर्य । अथवे ४ ११, ७ ।

३ शत शा ११ २ ६ १४ ।

४ एम मन्त्र प्रामेयस्त्रेषु गोपु । अथवे, ४ २२ १ ।

५ क्रावेद, ७ १८, १९ ।

पर राज्य का अधिकार या या नहीं और राज्यदाता उनकी सुनारं की जाती यी
या नहीं इसका ठोक पता नहीं।

हॉपकिंस का यह मत है कि वैदिक काल में कर बहुत अधिक और कठोर
थे, और राजा को शोशक प्रश्निक का नियन्त्रण करने के बजाय पुरोहित उसे
अपनी प्रक्रिया का 'मशाय' करने में प्रोत्ताहन देते थे^१। परन्तु यह जारणा ठोक
नहीं है। हॉपकिंस 'विशामचा' शब्द से घोना खा गये हैं। जिस कि 'वैदिक
इडैस' में कहा गया है इस उक्ति का सम इस प्रका में है जिसमें राजा और
उसके कर्मचारियों का पापग प्रक्रिया के उपहारों से चलता था, जिसके अनेक
उदाहरण आयदेहों में भी मात्रोन काळ में पाये जाते हैं^२। ब्राह्मण ग्रंथों में
'मचा' शब्द का प्रयोग बहुधा 'मोक्ष' के अर्थ में हुआ है। यथा, एक उपह
पति को 'मत्ता' (मात्रा) और पत्नी को 'भाय' (भोग्या) कहा गया है^३।
इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि पति पत्नी का खानपाना या पीढ़क
या। फिर यह भी प्यान रखना चाहिये कि 'विशामचा' का प्रयोग वादगिक
भूमि में और राज्याभिप्रेक के वर्णन के प्रदग में हुआ है जहाँ राजा की शानशौकत
का बहा लचा चौड़ा वर्णन किया गया है। यथा, "मान प्रतिष्ठित हो रहे हैं
सब छोगों के शासक, प्रक्रिया के खानेवाल (विशामचा), दुगों की तादेनेवाले,
देसों का नाय करनेवाल और धर्म तथा मात्रायों का प्रदिपादन करनेवाले"^४।
पाँचवें अध्याय में यताया का चुना है कि इस समय राजा की दिव्यता बहु ही
कमज़ोर थी और उसके ऊपर अनन्द की स्थिता 'समिति' का काप्तनी नियन्त्रण
रहता था। अत यह समझ प्रतीत नहीं होता कि इस समय के दोगे करों के
मार से पिछे था रहे थे।

वैदिक सुग के बाद और मौय शातके द्वेष बोचके समय की कर व्यवस्था क
बारे में बहुत कम जान है। इस सुग का कुछ हाल जावड़ी से मिलता है, पर
उनसे भी इस विषय पर बहुत कम ज्ञानकारी प्राप्त होती है। वे केवल यह
जाता है कि अच्छा राजा क्षेत्र विज्ञानसमव कर ही टैटे थे और दुष्ट शासक
नाना प्रश्नारक भर्वंच कर लगाकर प्रबाल्डी इतना सताते थे कि वे कर वसूल

१ हॉपकिंस, 'हार्दिया भोज्द एंड न्यू' पृ० २४०।

२ वैदिक इडैस, 'राजन्'।

३ शतरंप सू. १ ३ ६।

थाय और अय

१६०

करनेवाले कमचारियों के मय से भागकर उगाह मैं शरण लेते थे^१। इन उद्देशों से कर व्यवस्था के वास्तविक रूप के बारे मैं कुछ भी जात नहीं होता। मीर्य कालमें इसे निश्चित पानश्री प्राप्त होती है। जिनकी छानबीन तरसाई गिना और रम्यतिथों से पर्याप्त सामग्री मिलती है, जिनकी छानबीन तरसाई गिना और ताम्बलेतादि और यूनानी दृष्टिलेखों के विवरणों से भी की जा सकती है। प्रारम्भ में ही कर व्यवस्था के मूल उद्दातों पर विचार कर लेना सुविधा जनक होगा। इस संबंध में रम्यतिथों ने जो उद्दात प्रतिपादित किये हैं, उनसे शेष और दोष रहित दूसरे ग्राम्यद ही हो सकते हैं।

(१) कर न्यायोनित और सीमित होते चाहिये। अखंक कर लेनेवाले राजा से जनता जितनी कष्ट होती है उतनी और कठीन नहीं^२। माली फूल और पछ तोड़ लेता है पर वृक्षकों हानि नहीं पहुँचाता^३। राजाको मी इसी भाँति कर उगाहना चाहिये कि प्रकाको कष्ट न पहुँचे। बकरी काट टालने से अधिक से अधिक एक दिन का आहार मिल जायगा पर उसे पालने से तो अनेक दर्दों तक नियत दूषक का लाभ होता है^४।

(२) उचित कर की कठीनी यह है कि राजा और प्रजा, विशेषत कृषक और व्यवसायी, दोनों समझों को इसे अपने परिवाम का उचित लाभ मिल रहा है^५।

(३) विविध और उद्योग में लाभ पर कर लगाना चाहिये आमदानी पर नहीं।

(४) कठीनी भी यस्तु पर कर एक ही वार लिया जाय दुवारा नहीं^६।

^१ जातक, ३ पृ १३६, ५ इन्द्र, पृ १०१। २ पृ १५
कर व्यक्त करनेवाले, 'विविसाधक' या 'विविपतिगाइक' पुकारे जाते हैं। इनमें वैदिक या 'इ बलि' की परपरा कायम रखी जाता है।

^२ प्रद्विष्पति परिष्पति राजानमतिव्यादिनम्। म भा, १२ दृ ७९।
३ कदाचीं नृपतिर्दौकाण्याक्षेत्रस्तमादित्यत्।

^४ भज्ञामिष्य प्रना हन्यायो मोहादृष्यिवोपति ॥ पघतन १ १४३।
तस्यैका जायते मीरिनै द्वितीया कश्यन ॥ यदी १४२।

^५ विक्रम व्यवसायम भक्ष च सपरिव्ययम्।
योगदेसं च समेदय विद्यो दार्येकरात् ॥ मतु ७ १२७।

^६ वसुग्रावस्यैकवार द्युतक भ्राद्य प्रद्वान्तः।

(५) महिं कर बदाना आवश्यक हो जाय तो शुद्धि एक नहीं क्षमता ही जाप^१।

(६) राष्ट्रपर छट के अवसर पर ही अतिरिक्त कर उगाना चाहिये। उनका को मठी भाँति रिवति समझा देनी चाहिये ताकि वह स्वेच्छा से कर दे। यदा ही कभी न भलना चाहिये कि अन्य उपाय न रहने पर ही अतिरिक्त कर जाया जाये।

सभी दोग स्वोधर करेंगे कि उपर्युक्त उद्दात आराम है और आमुनिक मुग के लिये भी उठने ही उपर्युक्त है उठने प्राचीन मुग है। इनका पालन वहाँ देख हीता या इस पर सी आगे चलकर इम विचार करेंगे।

परिस्थिति के अनुसार नियमित कर मैं पूरी या अचल छट देनेके बारे में भी धृत ही न्यायसुगत व्यवस्था भी गयी थी। अर्थात् और उपनीति दोनों पर धृत है कि दोहरे और अपने उपर्युक्त से वेकार भूमिही कृषियोग्य इनाये या सरोबर आदि बनका कर उचित द्वारा मयि की उत्तात्त्व शक्ति बढ़ावे की उपकार उत्ते नाममात्र का कर लेकर भूमि दे और धृत धृत उत्ते बढ़ाकर ४५० घनों में साशारण स्तर पर लावें। इस धृतके पर्यान प्रभाव है कि प्राचीन काल से १८ बीं शताब्दी के अंत 'तक मारत मैं राज्य इस नीतिरा अनुसरा करते दें।

राष्ट्रीय देना मैं नियमित काल मैं पर्याप्त सरदा मैं ऐनिक भेजनेवाले ग्राम सी फर ऐ मुक्त कर दिये जाते थे।

गृण, धारे, धाँचे और अन्य अपादिज व्यक्ति भी अपनी गरीबी के कारण फर से मुक्त हिये जाते थे। यह सी कहा गया है कि गुद्गुल मैं विद्यापथ्यन भरनेवाले श्रद्धिवासी और बड़ों मैं कर भरनेवाले तपत्ती भी फर से मुक्त हिये जाने हे अधिकारी हैं, क्षेत्रिक इनकी कोई आमदनी नहीं थी। जिनको

१ शहरेतरापेन हैरेत दर्थमात्रं प्रदापयेत् ।

ततो मूलमत्तुवो भया द्यमउद्दिभमात्तरेत् ॥

दमपनिषद् दन्तानि शृदद्वारं विद्यमेत् ॥ म मा ११८८, ४८।

२ म मा १२-१७ २३-२४, शुक्रवारि ४ २ १०

३ अप्यशाष्ट ४ अप्याय ५, शुक्रवारि ४ २, १२३।

४ ५ ६, ३ सेतिगग्न्य ८ १४८, सौ. है ८ रि, १५१२ से १३१;

६ म प्रे, भाग २ मदुरा है ४ म ।

प्रारम्भिक फालमें संपत्ति का अधिकार बहुत कम था अतः उन्हें भी कर से मुक्त करने की चिपारिश की गई है^१। यादमें जब उ है धायमाण मिला तो केवल निर्धन विषवाणैं और अनाय विषयों ही कर मुक्ति के थीय समझी गयी हींगी।

स्मृतियोंने 'ओत्रिय' (विद्वान् शास्त्रण) को भी कर से मुक्त करने पर भीर दिया है^२। आदर्श ओत्रिय का कर्तव्य अकिञ्चनता प्रत धारण कर विद्यार्थियों को नि शुल्क वेद वाङ्माणि की विद्वा में ही जीवन लगा देना था । और प्राप्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वे वार्तव में इस कर्तव्य का पालन भी यथासाध्य करते थे अतः यह उचित ही था कि ये राज्य-कर से मुक्त किये जाय । विद्वान् शास्त्रणों को कभी सरकार से अग्रहार ग्राम भैट में मिलते थे जिनके सरकारी कर वे व्यापर में घाट लेते थे, इस अवस्था में उ हैं कुछ कर देना पड़ता था^३ । यह उचित भी था, क्योंकि अब वे अर्थ हीनता के आधार पर पूरी मुक्ति पाने के अधिकारी न रह जाते थे । पर यदि शास्त्रणों को इन ग्रामों से अपने हिस्ते में मिलने वाला घन श्वल्प होता तो इस दिवति में उन्हें सरकार पूरी माल गुणार्थी पाप कर देती थी^४ । भगव ऐसे करमुक्त ओत्रियों की सरया । यहुत कम रहती थी ।

^१ अक्षरः ओत्रिय । सर्ववज्ञानी दिष्टः । कुमाराद्य प्राप्तव्यजनेत्रम् । ये च विद्यार्थी वसंति । उपरिवर्ग ये वर्मपरा ॥ । शृणुष्व पादावनेका अस्तविष्टमूढः रोगाविहारः । आप श एव ११ १० २६, १४ ३७ ।

२ क, ४, चामराजनगर, स १८६ और येलदूर स २ इन खेड़ी से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इन सिद्धतों का अनुसरण किया जाता था । येलदूर लेल में कहा गया है कि ओत्रियों का साधन न रहने पर न देवता, पौत्र वाराह कर देने से ही मुक्त की जाय यद्यु वसे छ वाराहों की चृति भी ही जाय ।

३ मिष्यमाणोप्याददीत न राजा ओत्रियाकरम् । मनु, ७ १२३

४ दिदुगुर अग्रहार को १०० निर्ख भीर केशवपुर अग्रहार को ३५० निर्ख आगुणारी में देना पड़ता था । ५, क ५ चक्षाय पद्म स १०५ और १०६ ।

५ इ म त्रे, भा ३ पृ ७५ यहाँ पूरी मालगुणारी । मारु की गयी सदी पर याद के राजाभों में इसे भ माना ।

इह सूतियों ने पूरे भाद्रग वर्ष को ही कर से मुक्त करने का आदेश दिया है । पर इस विषय में शास्त्रकारों में मतभेद दिलाइ देता है । महामारत में स्थृत करा गया है कि वर्ष भ्राद्रग अधृते वेतन पर सरकारी पदों पर ही और जो शास्त्रिय, इषि या पशुपालन बैसी अर्थकारी वृत्ति में लगे हैं, उनसे पूरा पूरा कर जिसा व्यापक । वज्र भाद्रग दसक स्वयं भी इस विषय पर एकमत के लहरी है तो स्वयमावत् राज्यों ने भी इह आदेशको अनिवार्य न माना होगा । फिर भी पूरे भ्राद्रग वर्ष के कर मुक्त किये जाने के डाकाहरण यदा कहा भिल्हते हैं । परमार वंश के राजा शोमचिह्न इव (अनु १२३० ई)^३ और विष्वदग्नर के राजा अन्युदाराय^४ के लेखों में सब भ्राद्रगों के कर स मुक्त किये जाने का वर्णन किया गया है । पर इही लेखों से यह भी जात होता है कि यह एक असाधारण और नवी वात समझा गए, इसी लिए यह इन राज्यों के विशेष ऐव का वारप मी माना गया । इससे पता चलता है कि ये इष्टविदि साधारण नियम नहीं उसके अवशाद के सूचक हैं ।

इस वर्तमी पुष्टि दक्षिण मारत के कुउ दखों से और मी पक्की तरह से ही जाती है, जिनमें कर न दे सकने के फारा भ्राद्रग भूस्तामियों की भूमि के नीटाम किय जानेका ठहरेस है । सन् १२३६ ई के एक लेख से जात होता है कि अद्याहर मोरनेकाले भ्राद्रगों को भी भ्राद्राया भूमिकर पर व्याज देना पड़ता था । यह बकाया भी तीन माससे अधिक न रखा जाता था, इस अवधि के

१ यथ भ्राद्रयेष्य करादान न क्षयात् । ते दि राता धमदहा ।

विष्णु द २२६

२ शोऽग्नविभिषिपात्रा च बद्वान्नं च सोपदा ।

३ यथर्भु प्रतिपथन्ते तान् (विशाल्) वैरयासशचन्द्रे ॥ २ ॥

४ ऐश्वर्येहामा ये चापि सामिपाश्चैव भारत ।

५ विश्वानुमहारात्साद्विभ्राद्विद्यान् विदुः ॥ ५ ॥

६ अशोकिप्रद सर्वं एते सर्वं जानाहितामय ।

७ उमसवोपासिको राजा यहि यांति च धारमेत् ॥

म भा १२ ७६ ३० ।

८ ५ ६ , ८ ५ २०८ ।

९ ६ म भ्रे या , १ पृ २३ युगुर शिष्टेने भी भ्राद्रलों को पूरी करमुक्ति करनी करनी भिल्हते का वर्णन आता है; देखो, ६ म भ्रे, या १ पृ २२ १७

उमात होने पर न देनेवालों की भूमि बेचकर बकाया बहुन कर दिया जाता था^१। एक व्यय लेख के पता चलता है कि बकाया छुकाने के लिए कभी तीन महीने के अवधि दो वर्ष तक मोहल्लत दी जाती थी, पर इसके बाद पूरा छुक्ता किये दिना घमीन नहीं बचायी जा सकती । यो^२ । उत्तर भारत के इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिले हैं पर यह मानना गऱ्ठन न होगा कि पूरे भारत वर्ष के कर मुक्त किये जाने के उदाहरण माल्यों भारत में विरल ही थे । साधारणतः आद्यों की भी कर देना पड़ा था, जिवा विदान् आद्यों (ओप्रियों) के, जो निर्भन होते थे और जिन्हें राज्य से कोई जूति भी न थी ।

जिन देवालयों के पास विस्तृत भूमि थी, वे भी कर से मुक्त न थे । जिन मदिरों की आय कम रहती थी उनसे आधिक कर हो जिया जाता था, लेकिन जिनकी आपदनी काफी थी उनसे पूरा पूरी कर बदला जाता था । राज्यकर छुकाने के लिये मदिरों द्वारा अपनी भूमि के कुछ अशु बेचने के भी उदाहरण मिलते हैं^३ । कभी कभी तो बकाया लगान के लिये राज्य द्वारा ही मदिरों की भूमि बेचे जाने के भी उदाहरण मिलते हैं^४ ।

अब करों पर विचार करना चाहिये । मूलिकर ही राज्य की आय का मुख्य साधन था । उत्तरार्ध लेखों में इसका उल्लेख कभी 'भागवर' और कभी 'उद्दग' नाम से किया गया है । समृद्धियों में कर की कोई एक ही दर नहीं निश्चित की गयी है, आठ पौँछदी से ११ पौँछदी तक कर लेने का निर्देश मिलता है^५ । मूलि की अचाई लुटाई के बारे ही यह अतर पाया जाता है, उदाहरणात् जब मनु एक ही साँठ में आठ, बारह या छोड़द प्रतिशत भाग कर में लेनेका निर्देश करते हैं, तब यह स्पष्ट है कि मूलि की किस्म के अवधि को ध्यानमें रखकर ही उहोंने यह निर्देश दिया है । कुलोत्तुग चोल ने कर के दिसाव के लिये मूलि को आठ लेनियों में विभाजित किया था^६ । मिन मिन राज्यों में करकी मिन मिन दर होने या एक ही राज्य द्वारा आवश्यकतानुसार मिन मिन समय पर मिन

१ ए क , प्रभसिङ्गेरा स १२८ ।

२ इ म प्रे भा २ पृ ११४८

३ सो इ ए रि , १८९० सं ६०

४ इ म प्रे , भा २ पृ १८२२

५ मनु द १३० , गौतम १० २४ २७ , वर्णशास ५-२ ।

६ धार्म्यानामहमो भाग पद्मो द्वादश पूर्व था । C १३० ।

* हे म प्रे , १ पृ १२९-१३०

मिन दर से कर लगाये जाने के कारण मो, स्मृतियों में इस विषय में भी न अभान निर्देश मिलते हैं^१। किंतु भी साधारण परिपाठों उपन का छठा भाग ही भूमिकर के रूप में लेने की यो। धगाल^२ और बुदेलखड़ तथा बहुधा अथवा भा कर एकत्र करनेवाले कर्मचारियों का नाम ही 'पश्चात्तिकृत' पढ़ गया था।

पर महात्वाकांक्षी राज्यों के लिए १६ प्रतिशत भूमिकर पूरा न पढ़ता था। अर्थात् अस्त्र^३ और युनानी लेखकों^४ के विवरण से दात होता है कि मौय शासन में भूमिकर कृपक की आय के २५ प्र श के द्वितीय से छिया जाता था, अथात् ने मगान् बुद्ध के बामस्थान लुधिनो ग्राम में विशेष रियायत स्वरूप यह दर आधी (अथात् उपजका आठवाँ भाग) कर दा थी^५। चोल शासनमें साधारण भूमि पर २० प्र श और सरोवर विचित भान उत्सादन करनेवालों भूमि पर ३२ प्र श छिया जाता था^६। राजाभिराज चोल के राज्य में मदिरों का रियायत के स्वरूप १० प्रतिशत कर देना पढ़ता था, अर्थात् साधारण २८% कर इसक अधिक समवत् २० से ३० प्र श रहा हांगा।

यह अहना कठिन है कि सरकार खेत में होनेव ढे पूरे गल्लेका छठवाँ भाग लेती थी या खर्च से बची हुई उपज का। जातक कयाओं में पकड़ बटारते समय सरकारी कर्मचारियों या बलिपतिगाहका का उपस्थित रहने का बणन है इसके पता चक्रता है कि समूचो उपजका ही भाग छिया जाता था^७। पर इसका भा कोइ प्रमाण नहीं कि राज्य कर देते समय कृषिका खच बाद न करता रहा हो साइकर खब उसको दर इतनी ऊँची २५% या ३२% प्र श रही हो। शुक्रनीति, जो ३२% प्र श की अनुपति देती है स्पष्ट कहता है, कि कृपक को जितना मिकर और कृषिका खच देना पढ़ता है कमसे कम उसका दूना उसे पकड़को

१ पद्मांगमुपब्रह्मण्य चायता भ्रजानां पीवा। न स्यात् ताप्तैव प्रजापालक-
स्यावश्यकत्वात्॥ स्तु विरतनाहर पृ ६२।

२ सेन 'दूसमित्यान मौम यगाक' स १।

३ मा ८ ख २। ४ पेशेट हिंदिया पेंज विद्यालय वाय मेगास्येनोत्।

५ हिंद भगवा बुधे जातेवि लु विनिगामे उष्णिके कटे घडमागिप च।

(उपिमनदे शिळालेश)

६ मायण ३ १६ १७ मे भी २५% प्र श का विधान है।

७ प. क , मा. १० मुहम्मदान्द स ४१ ख भी १००।

८ मा. २ पृ ३७८।

आय और व्यय

१५६

आयके रूपमें मिलना चाहिये । इससे प्रतीत होता है कि सरकार का भाग पूरे उत्पादन का अग्रभग १६ प्रश्न और आय का २२ प्रश्न होता था ।

प्रवृत्तिज्ञाय कारों से चतिप्रस्त दोने पर, परिस्थिति के अनुसार सरकार कर में सुविधा अपने आप भी मिल जाती थी^१ । कर तो उत्पादित व्यापार का ही एक अश होता था अत यदि उत्पादन कम होता था तो कर भी उधरी ही दिया जाता था ।

भूमिकर अनाज के रूपमें ही इस बातका सचक है कि यह खेत में होने वाली पहल ही एक माग था । जातकों में कर प्रबन्ध करने वाले कर्मचारी को 'द्रोगमापक' अभिज्ञान दिया गया है, जिसका अर्थ 'द्रोग' भी माप के अनाज नापने वाला होता है । जातकों में ऐसे भी कर्मचारी जो विद्यालय उचित्यों या कोठिया होती थी, जहाँ भूमिकर में मिल जाने का सचिपक्षिया जाता था । इसकी दैशरेख एवं कीय अविकारी करते थे जो शुन लगने वा सढ़ने के पूछ ही इसकी निकाली की यथवद्धा करते थे^२ ।

कुछ लेखों से यह भी जात होता है कि ६ वीं शताब्दी के बाद कहीं कहीं भूमिकर नक्द भी बहुल किया जाता था । सुक्रीत के १० वीं शताब्दी के एक शुक्र प्रतिहार दान प्रथा में एक गाँवका आमदनी में से २०० पुरा किलो देयालय के लिए लगाये जानेका वर्णन है^३ । [इसी कालके उद्दीया के एक वस्त्रमें ४२ 'दप्तयों' (चाँदी के छिके) भी आमदनी के एक गाँव के दानका विवरणों में० । राजराजेश्वर मंदिर के ११ वीं शताब्दी के दो मिलिएकों में२ ग्राम

१ राजमार्गादिव्ययतो द्वितीय उम्मते यत् ॥

दृष्टिवृत्य तु तत्त्वोऽप्त वल्लयून दुखद नृणाम् ॥५ ३ १५१ ।

२ इ. म. प्रे., १पृ. १३६ ।

३ मा. २ पृ. ३७८ ।

४ मा. २ अ. २२ ।

५ द्यक्तनीति, ५ ३ १३-४ ।

६ द्य. ६, १२ पृ. २० ।

७ द्य. ६, १६ पृ. १७४ ।

को आपदनी का विश्लेषण दिया गया है, इनमें से ३० प्रामों में सरकारों के अनावृत्ति के रूपमें ही, प्रति 'वेहिं' १०० 'कलम' ज्ञान के दिस्ताव उ, लिपा जाता था, पर ५ प्रामों में यह विश्लेषण में १० स्वर्ण कलनु प्रति 'वेहिं' की दर से लिया जाता था^३। इससे प्रतीत होता है कि इनकी ज्ञानावृत्ति के आस पास नकद कर लेने का प्रारम्भ हुआ। पर ऐसे उदाहरण बिल्कुल ही हैं।

भूमिकर नकद लिये जाने को अवश्या में यह अप्रदद ही दो किरणों में प्रगत और वक्त श्रुतुओं पक्षन बटारते समय लिया जाता रहा होगा^४। गुजरातके एक लेखने जाते होना है तो कमो कमो राष्ट्रकूट ज्ञानसन में यह तीन बार में एकवर्ष किया जाता था^५।

भूमिकर का प्रमाण समय समय पर बदलता था। मृतियों ने भाज्द को आवश्यकतानुसार इसके दृष्टि की भी गुजारण रखी है। साप ही सिंचाइ को नदर सूख जाने पर कर में भी करना भी आवश्यक थी। बनवासी के एक उत्कृष्ण लेख से जात होता है कि ऐसे अवधिरों पर सरकार अपने कर्तव्यपादन से विरह न होती थी^६।

भूमिकर न चुकाने पर एक निश्चित अवधि के बाद, जो समय और स्थान के अनुसार मिन मिन थी, भूमि बेच दी जाती थी। राजेंद्र चौटके^७ समय यह अवधि ३ साल की थी, कुछोंसुग^८ ने इसे बग कर दा बर्द कर दिया या बकाया रकम पर व्याज नी लगाया जाता था। यद्दने दिलाया जा चुका है कि राजगों की और मदिरों की भूमि भी कर न देने के कारण छत कर ली जाती थी। पर आश्वय की बात है कि मृतियों में कहों भी राज द्वारा नादेहों की नूमि छव्वत करने के अधिकार का उल्लेख नहीं है। क्या यह भविकार १०० रुप के बाद ही अवित्तवर्म आया?

यहाँ इस प्रश्न पर भी विचार करना है कि कृष्णियम्भूमि का स्वामी कौन होता था। यदि भूमि भा स्वामी राज्य या तो कृष्ण से लिये जानेवाले धनको मालगु

१ सौ रुप मात्र सं ४ लीर ५।

२ भट्टशास्त्रा (अपग्राह २, १५) और कुशलक (मनु न, २०३) ने इस प्रगतावा का प्रतिपादन किया है।

३ इटि पुटि, १३ पृ ६८।

४ प. क. न सोरायस ८३।

सौ रुप, २, स १। ६ रुप म प्रे, मात्र २ पृ १२४९।

आयी मानना पड़ेगा, भूमिकर नहीं । पर यदि भूमि का स्वामी हृषक जा सो इसे भूमिकर कहना होगा ।

आजकल की भाँति प्राचीन कालमें भी इस प्रश्न पर मतभेद था । मनु रम्यतिमें कहा गया है कि भूमि पी तिथियोंका स्वामी राजा है क्योंकि वह भूमि का भी आधिपति है^१ । इसके बेकल कृपियोग्य ही नहीं हब शकार की भूमि पर राजा के स्वामित्व का समर्थन होता है । अर्थशास्त्र के दीक्षाकार महस्त्वामी ने एक इतोक उटपूत विषय दे जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भूमि और भट्टाचार्यों पर राजा का हो स्वामित्व है^२ इतर व्यक्ति का नहीं । ढायोडोरस की कथन है कि मारतमें भूमि का स्वामी राजा हो माना जाता है, कोई व्याकु भालिक नहीं माना जाता । उपर्युक्त इन सोन मतों के विवर, जो इस विषय में निधायारमक नहीं माने जा सकते,^३ हमारे लामने पूर्ण मीमांसा की सरष्ट उक्ति है जिसमें कहा गया है कि कुछ यज्ञों के अत में राजा द्वारा सर्वेष्व दान का विपान है पर इस अवधर पर राजा भवा की निक्षी भूमि दानमें नहीं दे सकता^४ । अर्थशास्त्र भी

१ विधीकां तु पुराणानां धात्रामेव च वित्ती ।

अधमाप्त्यादाज्ञा भूमेऽपिपतिद्वि भ ॥ ८ ३९ ।

२ राजा भूमे परिहस्ते शास्त्रेष्वदकस्य तु ।

शास्त्राप्यप्यसु यद्युद्य तत्र स्वाम्य कुद्विकाम् ॥ भा २ अस्याय २४

३ समर्थ है कि भूमभैत्य विधियों का स्वामित्व सिद्ध करने के बिष्ट ही मनु ने समस्त भूमि पर राजा का आधिपत्य प्रतिपादित किया हो । महस्त्वामी का आशय भी सोधारेंगतः जल और श्यक पर राजा का आधिपत्य प्रतिपादित करना या जैसे आजश्छ जल श्यक और आकाश में राज्य का आधिपत्य माना जाता है । राजकाय भूमि से ही यूनानी देशहोंने समस्त भूमि पर राजा के स्वामित्व की वक्षणा कर ली हो । इस संघर्ष में युधान घर्वां के मत का पता उत्तर के यात्रा विररण से नहीं चलता । देखिये भाग १ पृ १७६ ।

४ न भूमि सर्वान् प्रति आधिपत्याद् । प० सी० ६ ७ ३ इस पर का दावत्याक्य देखा है —

य इदानीं सार्वमीमा स तद्दिं भूमि दास्यति ।

सोऽपि नेति भूमि । कुत् ।

सार्वमीमांसे त्वर्येतदेशाधिक यदसी पूर्विन्द्र्या सभूलानां 'ब्रीहाद्रोगो रहायेन विद्विश्य वर्यविज्ञाप्येष्टे न भूमे ।

राजकीय भूमि और प्रजा की अपरिगत भूमि में स्पष्ट अंतर करता है^१। नारद भी कहते हैं कि राजा जनता के यह और देवता के स्वामित्व में इस्तेवेष न करे अन्यथा इसे पूरी अधिकृत्या पैल आयगी^२। नीलकण्ठ भी अवहारमयूल में स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि राजा समस्त पृथिवी का अधिपति है, पर भी देवता आदि (खेत) का स्वात्व जनता का ही है राज्य का नहीं^३।

प्रागेतिहासिक कालमें भूमि पर पूरे समाज का स्वामित्व माना जाता था, इसका पता कुछ आचारों के इस मत से चलता है कि पूरे ग्राम, गोत या विरादी की अनुमति स ही भूमि बेची या इस्तोतरित की जा सकती है^४। भूमि के इस समाजगत स्वामित्व का यह अर्थ नहीं कि समाज सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि हीन सकता था, इसे तो केवल भूमिके इस्तोतरित किये जानेपर एक शोक सीरहती थी ताकि कोई अवाञ्छिय व्यक्ति ग्राम में न आ जाय। यह ध्यान में रखना चाहिये कि वैदिककाल में राजा भी कोई भूमि दानमें तभी दे सकता था जब पढ़ोषी उसमें आपत्ति न करे^५।

प्रागेतिहासिक कालमें समाजगत स्वामित्व का प्रभाव ऐतिहासिक कालमें ही बातों के रूप में देख पड़ता है। भूमिकर न देने पर भूस्वामी को उसकी भूमि से इटा सकने का राज्य का अधिकार मकानदार के किराया न देनेवाले कियाये दार को इटा सकन के अधिकार के समान है। यह स्पष्ट लिख करता है कि पहले राज्य सब भूमि का स्वामी था। ऐतिहासिक काल में भी ऊपर जगल और जानी पर राज्य का अधिकार पूर्व काल के उसके समस्त भूमि पर स्वामित्व के ही अधार पर था।

१ भाग २ अध्याय २३।

२ गृहक्षेत्र च द्व द्वे वासदेव दुदुविनाम् ।

तस्माचे नाहिपेदाजा भूमेरविषतिहि स ॥ ३ ४२ ।

३ तद्दृग्रामक्षेत्रादी स्वत्वं तु तथानीमिकानामेव । राजा तु इतप्रदृग्मात्रम् ।

अतः इदानीतनपादिभारिक्षेत्रदृग्मादी न भूदानसिद्धि ।

किंतु वृत्तिकश्चपनामात्रमेव ।

अवहारमयूल, स्वत्वागम अध्याय ।

४ स्वज्ञामशात्तिसामन्तरायादानुमतेत च ।

हिरण्योदकदानेत पदमितारद्विति मेदिनी । मिताक्षरा याज्ञ २ ११५ ।

५ शत वा १ ३ ४, ८, १ १ ८ ।

इस बात के निश्चित और प्रबल प्रमाण हैं कि ६०० रु० पू० के बाद से कर न देने को अवश्या को छोड़ कर देय किसी भी स्थिति में सरकार किसी भी व्यक्ति की भूमि नहीं छीन सकती थी। लोगों को अपनी भूमि दान करने वेचने या बदल रखने की पूरी आजादी थी। अमरपाली और अनाष्टिक ने छोटे सभ को वैशाली और आयस्ती में विस्तृत भूमि दान दी थी। जातक में भी मण्डप के एक सालाह द्वारा अपनी भूमि दूधरे को देने का उल्लेख है^१। उक्तीय लेखों में मो अनेक व्यक्तियों द्वारा बिना सरकार की आरे से किसी वाधा या आपत्ति के अपारी भूमि के दानों के बहुत से उल्लेख मिलते हैं^२।

इसमें संदेह नहीं कि उक्तीय लेखों में राज्य द्वारा जातागो या देखालयों को पूरे गाँव दान में दिये जाने के उदाहरण मिलते हैं, पर इसके क्षणियोग्य ममि पर राज्य का स्थानिक नहीं बिद दोता। कारण इन दोनों को राज्य को मिलनेवाले कर, जिनमें भूमिकर भी शामिल है, अपने लिये लेने का ही अधिकार दिया जाता था, इससे गाँव में रहनेवाले व्यक्तियों को निजों भूमि के स्वतंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पहता था। दानपत्रों में लोगों से अपनी भूमि छोड़ देने को कभी नहीं कहा जाता, उनसे केवल यही कहा जाता है कि दान पाने वाले व्यक्ति का यथोचित सम्मान करें और राज्य अधिकारी को छो कर दिये जावे ये वे उसे दिये जायें। मविष्य में जानेवाले शासकों को गाँव की भूमिकर क जा करने से नहीं वरन् गाँव से कर दगाहने को बरजा जाता है^३।

कभी कभी राज्य द्वारा भूमिदान के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, पर इनमें पूरा प्राप्त नहीं वरन् उसमें स्थित भूखण्ड, जो कभी कभी छितरे भी रहते हैं, दान किये जाते हैं। यथा, बड़मो के मुख्येन एक प्राप्त के देवालय को ३६० पादावत भूमि देना चाहते थे, इसमें उ होने प्राप्त के उत्तर रथियम में स्थित चार दुड़डे और उत्तर्युर्य के चार दुड़डे बिनका माप ३०० पादावत था और ४० और २० पादावत के दो येत कुर्दे से कीचे जानेवाल दिये^४। यदि राजा

^१ मा ४, पृ० २८।

^२ परि ५, ८ नालिक स० १६।

^३ ते यूवं समुखितयागमोगकरदिरपादिप्रायायोनतपन करिष्य आदा अद्यविदेवाइच भविष्यत्। कर्त्त इ ह मा ३ पृ ११२।

देखिये छोटे साम्राज्य, यही पृ ११६ १३। पाली दानपत्र, परि ५, २ पृ ३०४, पाह दानपत्र, परि ५, १५ पृ १२।

^४ परि ५, ३ पृ ३२।

ग्राम की पूरी भूमि का स्वामी होता तो वह ₹६० पादावत का पूरा एक चक ही दे सकता या और पानेवाला भी यही पदद करता। पर ऐसा न करने का कारण यही ही सकता है कि राजा या सरकार के अधिकार में गाँव के कुछ खोदे से खेत थे, जो उसे उत्तराधिकारी न रहने या कर के बकाया में मिल गये थे। व्याजकल को भाँति प्राचीन कालमें भी मत्येक ग्राम में कुछ भूमि राज्य के अधिकार में रहती थी, इहें कुछ लेखों में 'राज्य-वस्तु' कहा गया है^१। जब राजा भूमिदान करना चाहते थे तो यही राज्यकीय खेत दे देते थे^२। जब 'राज्यवस्तु' में कोइ खेत न होते तो वे खरीद कर भूमि दान करते थे, एक लेख में एक वैदुम्ब वशी राजा द्वारा (₹५० इ.) ग्राम सभा से ₹३ वेलि भूमि खरीद कर देवालय को दिये जाने का वर्णन है। कुछ चोल लेखों में भी ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं जिनमें राज्य की अपनी भूमि न होने पर अन्य व्यक्तियों से खरीद कर दान किये गये थे^३।

कुछ अल्प लेखों से उपर्युक्त घात और भी स्पष्ट हो जाती है। एक लेख में दक्षिण के राष्ट्रकूट सम्राट् अमोघवर्य (₹५० इ०) द्वारा तम्भेरू ग्राम और उसीमें स्थित एक 500×150 फ़ायो की पुड़वारी के दान का वर्णन है^४। एक अन्य लेख में सम्राट् गोविंदचन्द्र (११५० इ० सुक प्राति) द्वारा लोलिशपाद ग्राम और उसमें स्थित 'तियायी' नामक लेश के दान का उल्लेख है^५। यदि ग्राम के दान से ग्राम को पूरा भूमि के दान का अर्थ होता तो, उसमें के किसी रेत या पुड़वारी के अलग दान के उल्लेख को क्या आवश्य कता थी!

अत निश्चित प्रमाणों से लिद हो जाता है कि कम से कम दसर बोद काल में कृषियोग्य भूमि का स्वामित्व खनता का हो या और राज्यकरन देने के

^१ चेंडलूप्रामे राज्यवस्तुभूमि स्थित लेश " शाहानाप प्रदत्तम् ।

एवि इ पृ २३८ ।

^२ उत्ते छोटे दृढ़ों के दान के लिए देखिये इ पै ६ पृ १०३ (गोप देश, बासी सदा), एवि इ ३ पृ० २६० २ (मध्यप्रात् ५ वीं सदा), इ पै ९ पृ० ७९ (तामिळ देश ६ ढी शाशाद्दी), एवि इ ३ पृ० २६ (मैसूर् १० वीं सदी), इ पै ९ पृ० २०३ गुजरात १३ वीं सदी)

^३ पौ इ ६, २ पृ १०४६ ।

^४ एवि इ ४ पृ० २९,

^५ यही ४ पृ० २०४४ ;

आय और व्यय

२०२

सिवा और किसी कारण से इस स्वतंत्र का अपहरण न हो सकता था। अतः राज्य को मिलने वाली रकम भूमि कर या भूमि का किराया नहीं। अब हम दूसरे को की ओर दृष्टिकोण करेंगे। इष्टि की मात्रा वाणिज्य और व्यय को भी अनेक कारण काम ठड़ाना पड़ता था। व्यापारियों को ग्राम या नगर में आनेवाला बस्तुओं पर चुगी देनी पड़ती थी। इसका औचित्य यों था कि राज्य को उदयों की मरम्मत और सुरक्षा पर बहुत खबर करना पड़ता था^१। यह चुगों नगर या ग्राम के प्रवेश द्वार पर 'शीलिक्ष्म' नामक कर्मचारियों द्वारा बहुक वी जाती थी^२। राजन स्थान को प्रथानुसार यह शुल्क पेशा या पदार्थों में दिया। जाता था। समृद्धियों के निर्देशी से प्रतीत होता है कि चुगी पदार्थों के रूप में ही जाती थी^३, कभी कभी तो कुछ देखों में किसी राज्यान पर शुल्क में मिलने वाले थे, तेह, कपाट, पान आदि की दोगों, चोना, चोटी, और रानों पर तो अवश्य ही नवद चुगी बगती रही दूरी। कभी कभी उद्योगों लेखों में चुगोंपदार्थों की आय से दान का उल्लेख मिलता है^४, इससे भी इद होता है कि दोगों को अधिकार या कि चुगी पदार्थों के रूप में दै या मुद्रा में।

बहुत के अनुसार चुगी की दर भी पृथक् पृथक् थी, डेसा आजकल होता है। मनु ने ईश्वन, मातृ, मधु, ची, गच, और्याच, फूल, शाक, मिट्ठी के बर्तन और चमड़े के सामान पर ३६ प्र० श० चुगी लेने की अनुमति दी है। अर्थशास्त्र ने इन पदार्थों पर इससे कम, माने ४ या ५ प्र० श० लेने का आदेश दिया है। शुती वज्र पर भी इतना ही शुल्क या पर मादिरा और उद्योग वज्र पर ६ से १० प्र० श० दिया जा सकता था^५। अतः ३६ स्पाठ है

^१ मागसस्त्कारराज्य मागरोम्य फल हरेत् । शुक २ २३

^२ इ दे २६ प० १८ (चुमायूँ ए थो राता दो) मन्मदार हैस याक्ष स १ (याक्ष द वीं शत वर्दी)

^३ भाद्रदीताय पद्माग मुमोसमुसरिंगाम् ।

गधोदविसार्वी च पश्चमूष्कलस्य च ॥ मनु ७-१३ । और भी शुक्

४ २ १२१, अथशास्त्र २ १२ देखिये ।

^४ एवि इ ३ पृ ३६ ।

^५ एवि इ १ स १३ ।

^६ ल० ७, १३-२ ।

कि राज्य को नीति और आवश्यकता तथा समय और स्थान के अनुसार जुगीको दर बढ़ाती रहती थी। रम्भियों में उत्तिष्ठित बहुमों पर जुगी वसूले जाने का प्रमाण उत्कीय हेतु में भी मिलता है पर इसकी दर नहीं बतायी गयी है।^१

जुगी के साथ ही यात्री, माल, मवेशी और गाड़ियों पर नदी आरपार छे जाने के लिए एक नीका कर भी पड़ता था। यह कर बहुत अच्छा था।

जुगी, जात, और नीका कर के अतिरिक्त यात्रियों को कुछ और भी कर मार बहन करना पड़ता था। कुछ राम्भों में माप और तौल की खाँचकर उन्हें मुहर्टदगा कर प्रभागित किया जाता था और इसके लिए कुछ स्वत्तन कर देना पड़ता था^२। उसीमें जैसों में बहुधा दूकान कर का भी उस्तेज है यद्यपि रम्भियों में यह वित्त ही है। यात्रक बाल में दक्षिण प्रात में इसका चढ़न याः^३। दक्षिण भारत में पांडपर राज्य में इसकी दर इ पास प्रति वर्ष, और गुजर प्रदिव्यार राज्य में दो विशेषक प्रतिमास था। ऐसा जान पड़ता है कि यह एक इटका कर या जो छोटे जरों और गामों में दूकानों पर लगाया जाता था। मेगास्थनीज ने यिक्की की रकम पर चिन्ह १० म० श० कर का जिक्र किया है, वह वर्षेशास्त्र या रम्भियों में नहीं पाया जाता। समझ है कि अप्रबहु देशस्थनीज जुगी को ही विक्की कर समझ रखे हों।

अब उद्योग घघो पर टगनवाल करी का विवार करना है। जहाँ तक पदह और छात्र खेते छोटे भोटे कारीगरों का सम्बन्ध है उद्देश्योने में एक या दो दिन उत्कार के लिए काम करना पड़ता था^४। उत्कार यह अविकार अविकार स्थानीय स्थानों को दे दिया करती थी ताकि सावजनिक निमाग काप में इसका उपयोग हो सके। उत्कीर्ण हेतु में इसे 'बादकर' (कारीगर-कर) कहा गया है। इसमें संपत्ति नाइ, खोजी, मुनार, और कुपार भी शामिल थे।

१ अथशास्त्र मा० २-३३।

२ अ'शास्त्र मा० २ ११।

३ है दे १२ ए० १२४।

४ ए दे, २ स० ३३।

५ वहके स्मृतिकार मनु (७ १५८) और विष्णु (३ १२) गाड़ि महोने में यह दिन काम करने का आदेश देते हैं पर याद के रम्भिकारों, दृष्ट भाद्रने इसे बहाहर दी दिन कर दिया।

आम और व्यव

२०४

विजय नगर यात्राइय में पुनकरों को प्रति करणा १२ पाश्म कर देना पड़ता था^१। समवेरे कि पहले भी यही परियाटी रही हो। मुसा के खापार पर राज्य का कहा नियमण था। मुसा राजकीय सुरालयों में भी बनाये जाती थीं और व्यक्तिगत सुरालयों में भी। इदे २ प्र श आबकारी कर देना पड़ता था^२।

छव खानैराजकीय उपचार समझी जाती थीं। कुछ तो सरकार स्वयं पुदवातो थीं और कुछ ठेकेर दी जाती थीं। ठेकेदार को खाने से निकलने वाले ५ पर भारी कर देना पड़ता था। शुक्र सोने और हीरे पर ५० प्र श, चाँदी और तांपिर ३५ प्र श और अर्जुन चाउलों पर १६ से २२ प्र श कर देने की अनुमति देते हैं^३। रमतियों में सोने पर जो २ प्र श कर दिया गया है^४ वह घुड़ा छक्कत या आबकारी नहीं।

नमक पर भी आबकारी कर दिया जाता था। नमक की खानी या तो सरकार पुदवातो थी या उसकी अनुमति से कोई अर्य। मासों के दानपत्रों में करने का अधिकार भी दिया जाता था^५।

पश्चालन में एक प्रमुख व्यवसाय या विशेषकर प्राचीन वा वैदिक फार्म, अत इसे भी व्यपना माग राज्य को अदा करना पड़ता था। मनु ने पश्चालन पर २ प्र ३० श० कर की अनुमति दी है^६, यह २ प्र ३० श० उमधत् पूरे यूप्य था। शुक्र ने ६ से १२ प्र ३० श० की राय दी है, यह माग उलधर में वित छुकिहुर हो समवर्ती उत्तोषे दिया जाता था। उत्कीय लेलों से एक ती प्रशान्ती का पता चलता है, इसमें यूप्य में जितने पश्च होते थे प्रति पश्च नकद रकम प्रति घप छो जाती थी^७।

१ इ म प्रे १, पृ ५०।

२ अर्थदास्त्र, मा० २ अर्थाय २५।

३ ४ २ ११८-८।

४ विष्णु ३ २४।

५ इ दे १८ पृ ५७-८।

६ अ० ७ ११०।

७ वीरपाण्डय के राज्य में (१२२० ई) ५० मेंबों, ३० गायों या ५ भेसों पर १ पश्चम प्रतिवय दिया जाता था। पश्चम भाजहाल के ६ भाने के बरा वर पक चाँदी का सिवका था।

जिन चुगी और आवकारी करों का अब तक उल्लेख किया गया है उनके लिए शिलालेखों में एक ही सारगम्ब 'शब्द 'भूतोपाचप्रस्थाय' प्रयुक्त होता था। अथात् 'भूत' जो कुछ अस्तित्व में आया था बनाया गया हो और 'उपाच' जो कुछ बाहर से लाया गया हो, उस पर लिया जाने वाला करे। कभी कभी जाता था चुगी के लिए केवल शुल्क का प्रयोग होता था^३।

प्राचीन कालमें 'विष्टि' (वेगार) का भी काफ़ी चलन था। यह उचित समझा जाता था कि जो गरीब आदमी नकद या धार्यादि के रूप में सरकार का कर देने में समय न थे वे शारीरिक अम के रूप में राज्य को कुछ कर दें। उन्हें प्रतिदिन तो काम मिलता न था अत उनसे मास में एक दो दिन सरकार के लिए काम लेने में कोइ अनोचित्य न समझा जाता था^४। सरकार के लिए विष्टि करते समय वे सरकार से भोजन पाने के अधिकारी थे^५।

सरकार के अधिकारी घब देहात में दीरे पर जाते थे, तब यह वेगार भी जाती थी^६। अयथा स्थानों स्थायाओं को गांव, या नगर के सार्वजनिक उपयोगी कामों में इस अम का उपयोग करने का अधिकार दे दिया जाता था।

वेगार एक अप्रिय प्रथा है। युवान च्यांग के समय (इ. स ६१० कहीं की) इसका चलन ही न था और अन्यत्र भी इसके बहुत ही कम काम लिया जाता था^७। अधिकारियों का दोरा रोन रोन तो होता न था, इसलिय सहक, घमणालाओं तथा सरोवरी आदि को मरम्मत और निर्माण में ही जो लोग इन कारों के लिये चढ़ा न दे सकते थे उनसे वेगार भी जाती थी। इन कारों से सर्व साधारण जनता का ही लाभ होता था।

१ ऐपि इ ६, पृ २३, दै एं १२ पृ १३१, ५ पृ १५०, आठतेहर, राइदूर्नों का इतिहास, पृ २२८-९।

२ इ प २३ पृ २६४, १६ पृ २४।

३ गौडम १ ११, मनु ७ १३८ और विष्णु ३ ३२, केवल एक दिन की घगार की अनुमति देते हैं, शुक ही दिन की।

४ भक्त च तेष्यो दद्यात्। गौ घ स २ १ ३२।

५ उद्योगी मास के देखी में 'स्कंधक' करका उपलेख है। इसका अर्थ संभवतः दोरा कानकाले अधिकारियों का सामान लोना था। पूरि इ ३ पृ २६६।

६ घोटसं, माग १ पृ १७३।

राजपकाय से सरकारी कमचारियों के ग्राम में आगमन पर ग्रामसालियों को उनके रहने और भोजन का व्यय देना पड़ता था, इसके लिए सबसे चढ़ा लिया जाता था^१। इनके घोड़ी के लिए दाना और शास्त्र देना पड़ता था तथा इनकी यात्रा के लिए अगली मञ्जिल तक सामान पहुँचाने के लिए भारताद्क पशुओं का भी प्रवध फरना पड़ता था^२।

नियमित करों के अतिरिक्त आन्ध्रिक सहट उपस्थित होने पर या सामाजिक विस्तार की योजनाओं के लिए सामन लुगने के लिए प्रका से विशेष कर भी लिये जाते थे। महाभारत तो ऐसे अवधरों पर भी विशेष कर लगाने के विहद है पर वही अनिच्छा से कहता है कि कभी कभी इसके लिया दूसरा उपाय भी नहीं रहता है। यह इस बात पर खोर देता है कि ऐसे अवधरों पर विशेष प्रवारक भेजे जायें जो जनता को नये कर का ओचित्य समझाकर उसे फर देने के लिए राबी कर लकें^३। अर्थशास्त्र में इन विशेष करों को 'प्रणय' या भेट का नाम दिया गया है और कहा गया है कि किसानों से २५ प्र० श० और व्यापारियों से उनको हेतियत के अनुसार ५० से ५० प्र० श० तक लिया जाय^४।

उत्तीर्ण लेखों में इन विशेष करों का उल्लेख मिलता है। राजदामन ने अपने लेख में यकौंकि की है कि विद्याजुहर्णन क्षीठ विना प्रका से विशेष कर या बेगार लिये जानवायी गयी। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के विशाल मिर्मांग कार्य के लिए विशेष कर लेने की प्रथा थी। और राजेन्द्र ने देगो के चालुक्यों के विहद अपने युद्ध का याधन लुटाने के लिए प्रति वेळि भूमि पर कल्जु सुवर्ण का विशेष कर लगाया था^५। गृहद्वार राज्य में लिया जानेवाला 'तुहङ्क दद' भी इसी प्रकार का एक विशेष कर या जो ईमवत मुख्लमानी आकमण का सामना करने के लिए सेव्य संग्रह हेतु लगाया गया था^६।

१ राजसेवकाना वस्तिदृप्रयाप्ति न दृत । इ. पे १४ पृ ३१।

२ अवारवरगोदलिवद् । वाकास्त दात शत ।

३ शोति० दृ० २६-३१ ।

४ भा १ अ १२ ।

५ शो इ पे १२२० उस० १२० ।

६ एवि इ १४ पृ ११३ ।

८। अन्त में प्राचीन भारत के कर व्यवस्था वास्तविक व्यवहारमें कहाँ तक न्यायसंगत और औचित्य पूर्ण यो इसका विचार करना जरूरी है। इस देश सुके हैं कि समृद्धियों में कर व्यवस्था के बो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं वे अर्थात् निर्दोष और न्यायसंगत हैं। पर प्रश्न यह है कि वे प्रथ्यक्ष व्यवहार में कहाँ तक माने जाते थे। इस विषय में छानबोन करते समय यह स्परण रखना चाहिये कि हमारे पास इस सबज में बहुत कम सामग्री है। राजप्रशस्तियों में सर्वदा प्रजा सुखो, सतुष्ट और समृद्ध ही बतायी जाती है, पर उत्कीण लेखों और प्रयोगों से इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिन्ह है कि कमी कमो कर अर्थविक और प्रजा के लिए कष्टकर होते थे। एक बातक में कर एकत्र करने वाले कर्म चारियों के भय से लगात में मामो हुई प्रजा की कष्ट क्या का वर्णन है?। कश्मीर के राजा ललितादित्य ने अपने उत्तराधिकारियों को सलाह दी थी कि प्रजा पर इतनो कर लगाया जावे कि उसके पास केवल इतना ही अज बच जाय जिससे किसी प्रकार साल भर तक उक्का काम चल जाय^३। कश्मीर के राजा शक्तर धर्मा के शासन में इतना अधिक कर लिया जाता था कि प्रजा के लिए इस पीकर ही प्राण रक्षा करने के सिवा अन्य कोई साधन शेष न रह गया था^४।

कुछ लेखों से जात होता है कि तब्बोर ज़िले के कुछ प्रामों में प्रजा ने अल्प विक कर से व्याकुल होकर विरोध स्वरूप लेती करना ही छोड़ दिया था^५। तृतीय कुलोत्तुग के राज्य में उसके एक सामत ने प्राम-सभा के विरोध की उपेक्षा करके ऊपर भूमि पर भी कर लगा दिया था। यह अन्याय करने देने पर प्राम पचायत के सदस्य घटी एह में रखे गये और उनमा छुटकारा तभी हो पाया जब प्राम उमा की कुछ भूमि बेच कर नया कर लुकाया गया^६। अप्पादेय प्रामों के लोगों को भी अन्याचार का धिक्कार होना पड़ता था और कर की बदूनों के लिए कहाँ धूप या पानी में खड़े रहना पड़ता था और इस अन्याचार से छुटकाय पाने का भी उपाय न था^७।

^१ मा २ पृ० १८

^२ राज चरित्मा ४, पृ ३४४।

^३ कापरस्यप्रेरणारेतिदेवेनाम् प्रवतिते ।

भाषामै शासयेवैष प्राणवृति शरीरिणाम् । राज ५ १८४ ।

^४ सी ६ ए वि, १८६७ सं ३६, ३८, और १०४ ।

^५ वही, १९१२ सं १०२ । ^६ वही १८२८ सं १५३ ।

पर इन घटनाओं को व्यथे अधिक महत्व भी न देना चाहिये। उपर्युक्त फैशनीरी राजा असाधारण अत्याचारी थे। उनमें से शक्तरवर्मा, दिवा और हर्ष को भेजी ही थलग है। हर्ष^१ के बल मदिरों की संरक्षिति का ही अपदारण करता था बल्कि देवमूर्तियों का भी भ्रष्ट करके उनका छोना कोप में लाना करता था। अत इन राजाओं के अत्याचार को साधारण स्थिति का दौतफ नहीं माना जा सकता। दक्षिण भारत के सबसे में ऐक्ष्यों लेखों से पर एक विषय की जाने की प्रणाली का वर्णन मिलता है। और मह उल्लेखनीय बात है कि इस सब्सेप्शन में उपादानों के उदाहरण महत्व ही कम मिलते हैं। जो कुछ भी उदाहरण मिलते हैं वे चौड़ा शासन काल के अत के हैं जब शासन व्यवस्था महत्व जुही थी। अत्याचार करों का जनता द्वारा सबल विरोदों के भी उदाहरण हमें पर्याप्त मिलते हैं। तजोर लिले के नामुओं का उदाहरण हैं जहाँ प्राम सभाओं ने अपनी बैठक में वेष्ट नियमित कर के उपादान अन्य कोई भी कर न देने का निश्चय किया था^२। कनाटक की एक ग्राम सभा का उदाहरण भी हमारे समुख है जिसने गायों और भैंसों पर कर देने से इस कारण इनकार कर दिया कि इस प्रकार के कर की प्रथा चिर काल से न थी। इसके अतिरिक्त इस ग्राम सभा ने यह भी निश्चय किया कि भूमि कर किसे हिसाब से दिया जाय^३। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जनता अनुचित कर का विरोध करने में सदैव तत्पर रहती थी। अत्याचारी निरकृष्ण शासनों के उपराने भले ही उनकी न चल पाती हो पर साधारण प्रवृत्ति के शासनों के समुख वे अधिकारों को रक्षा कर रहे थे। वैदिक फाल की समिति की मांति कोइ जनसंस्था इसकी पहला सहस्राब्दी में न थी जो राजा की निरकृष्णता पर अकृश रख सके, पर ग्राम पचायतों में अपने अधिकारी और स्थानों की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति थी।

अब यह देखना है कि करके अतिरिक्त राज्य की आमके और इया स्रोत थे। इनमें सुख्य राजकीय संपत्ति और राजकीय कारखाने और लघोग्य से होनेवाली व्याय, शुर्मानों की रकम और सामग्री से मिलने वाला उपायन या विराज थे।

राजकीय संपत्ति में राज्यवस्तु भूमि, 'कान्त, जगत, भूगर्भस्थ धन या निवास, खान, प्राकृतिक उत्तेजना और जलाशय, अरादि एको गणना की जाती थी और इनसे काफी आमदनी होती थी। जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है कृष्णोदय

१ सौ इ परि, १८९७ सं १६, १८, १०४।

२ प क, १०, युद्धवाणि सं ४४ (अ)।

भूमि कृपक को ही होती थी पर उद्धराविकारी के अमाव, राज्यकर न देने तथा गुहतर अपराधों, सपस्तिहरण (forfeiture) आदि कारणों से राज्य के कब्जे में भी बहुत भूमि आ जाती थी। अत अविक्षा प्राप्तों में राज्य के भी अनेक खेत रहते थे जिनकी लेही या तो प्रचड़ी द्वारा कराए जाते थे या वे व्यक्तिमयों (lessees) को दिये जाते थे। राजकीय भूमि की देवतेव का काम एक विरोप कर्मनारी का या जिसे अर्यवाच में सीतार्घ्यव इहा गया है। बादमें उसका कदा नाम या यह शब्द नहीं।

उधर भूमि पर किसी का कुन्जा न रहता था अत वह राज्य की सपत्ति मानो जाती थी। प्रारम्भ में ५-६ करों तक पहले पूरा और ऐसे अरु भूमि कर याद कर देनेका आश्वासन देहर^१ इन पर भी कृपि करने का प्रयत्न किया जाता था। बहुधा लक्ष्य भूमि का प्रबन्ध इत्यातीय सूख्याओं को संपादिया जाता था, तुम्हाल वे इनकी रक्षाकृति और सहमति है ही इसके विकाय होता था^२। ऐसा प्रतीक होता है कि ददिग भारत में न ऐसल इसका प्रबन्ध ही प्राय सूख्या के द्वारा में था बरन इसके स्वामित्व का भी वे दावा करते थे। अकाल बाद आदि के समय बहुधा इस प्रकार की साधनानिक भूमि के विकाय के उदाहरण मिलते हैं^३।

ऐसा कि प्राय सब युग में सूख्याओं का नियम रहा है प्राचीन भारत में भी रानों और खनिज बस्तुओं पर राज्य का ही स्वामित्व था। ग्रामी के दान देते समय उसमें स्थित लानी को खोदनेवा अविकार भी प्रतिप्रई का को प्राय प्रदान किया जाता था। लानी में नमह और परपर को लाने भी शामिल थी^४। रक्तों को लाने बहुमूल्य राज्य सपत्ति समझी जाती थी, इनकी सूख्या की विधि पहले १ थे अप्याय में पृ० १४७ पर चढ़ायी जा चुकी है।

अमीन में गडे लक्ष्यों पर भी राज्य का ही अविकार माना जाता था, बारप लाकारित माल का स्वामी भी राज्य ही जाता था और भूगम से निकलने के कारण ये भी खनिज सपत्ति के हो बर्ग में जाते थे। पर यदि

^१ अर्यास्त्र भा०, ६ अ० या० ६।

^२ परि इ १५ पृ १२१।

^३ सी इ., प. रि, १८१८ सं ५७८।

^४ सरापालवति। भगवदेव का दावरप (मुक्त्याव ११ वी सदी), इटि धैटि १८, १४-५।

आय और व्यय

२१०

खजाने का पता किए मालिण को लगता था तो उसे यह सरकार न हेती थी, अय जाति के पाने पर आधा सरकार हेती थी आवा पानेवाला ।

बगान भी राज्य की मरम्मतपूण उपचिति समरो बतते थे । इनका एक भाग गलद के हाथी प्राप्त करने के द्वारा गजों के लिए ढोइ दिया जाता था, एक भाग राजा के बालेट के लिए सुरवित रखा जाता था । बाकी हिस्से द्वे ईधन और लकड़ी प्राप्त होती थी^१ । इनकी व्यवस्था का हाल इसे अध्याय में

पृ० १४४ पर बताया जा सुका है ।
बेबल गहड़वाल राजाओं के दानपत्र में दी दान पानेवाले को आम और महुए (मधुक) के मेहों का भी स्वामित्व प्रदान करने का उल्लेख है^२ । पर इसी के बल पर यह नहीं कहा जा सकता कि जनता की निजी भूमिपर उगनेवाले इन बूदों पर भी राज्य का स्वामित्व होता था । सभवत उपर्युक्त लेख में तरिक्कित इच्छ उसर भूमिपर उगे थे, एक लेख में ऐसा सकेत भी मिलता है^३ ।

अब अप्पाय में बताया जा सुका है कि प्राचीन भारत में सरकार की ओर से भी उच्चोग धरे जाते थे । वस्त्र वस्त्रादन के लिए सरकार का एक बुनाई विमान भी होता था । इसी प्रकार सुरा बनाने के लिए राजकीय काटे जाते थे । भेड़, बड़ी, गाय भेड़ और हाथी आदि के यूथ राजकीय बनों में पशुगालाओं में पाले जाते थे । सरकारी टक्काल में अल्प दूलक पर जनता मुद्रा दब्लो लकड़ी थी । कभी कभी जो जनता के गहने आदि बनाने के लिए सरकार की कार से कारखाने खोले जाते थे, वहाँ प्रमाण पत्र देकर सुनार रखे जाते थे । व्यापारियों का माड़ दोने के लिए भी राज्य की ओर से किराये पर नौकापै नौका कर भी लिया जाता था । सरकार की ओर से गणिकाल्यों और दूतगद्दों से साकार को अड़ी आय हो जाती थी । इन सब कार्यों और व्यवसायों आमदनी हो जाती थी । परंतु इसकी रकम निश्चित न थी और यह तभी तक

^१ भयशास्त्र अप्पाय १-२ ।

^२ दृष्टि, १५ पृ १०२-४ ।

^३ समसूचाग्रहातिका, चदावती दामन्त्र, पृष्ठ १६ पृ ११३ ।

जारी रहती यो जब तक करद राज्यों को वशमें रखने की शक्ति साम्राज्य में रहती थी।

जुमाने भी राज्य की आयके एक स्रोत थे। सामारण अपराधों के द्विए ग्राम यायालयों द्वारा किये गये छोटे मोटे जुमानों की आय तो सामारणत प्राम स्थाया या मुखिया को ही मिलती थी। पर राजकीय यायालयों द्वारा किये गये जुमानों की रकम राजकोप में ही जाती रही होगी। जुमाना बक्षल करने वाले अधिकारी को कुमोहँ प्रांत में 'दशापराणिक' कहा जाता था^१।

उत्तराधिकारी या स्वामीविहीन वस्तु पर रघुमावत राज्य का इक होता था। जब विधवाओं को सपत्नि का उत्तराधिकार न था, तब मृत व्यक्ति की पूरी सपत्नि उत्तराधिकार ही ले लेती थी, विवाह को भरण रोपण के द्विए समुचित वृत्ति दी जाती थी^२। विधवाओं को दायमाग मिलने से राज्य की आय मारी जाती थी अत १२ वर्ष शताब्दी तक अनेक राज्य इस सुधार का विरोध करते पाये जाते हैं, यद्यपि ऐसी शताब्दी इसकी में ही अनेक पुरोगामी वाचायों ने इसका प्रतिपादन किया था^३। कुछ चालुस्य और यादव लेखों में पुष्टीन अवश्या में भरने वाले व्यक्ति की सपत्नि पर कर का उल्लेख है, संभवत यह विधवाओं के दायमाग से होने वाली राज्य की हानि की पूर्ति स्वरूप था^४।

अब हमें राज्य के व्यय की मदों पर विचार करना है। इस विषय में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। महाभारत या प्राचीन स्मृतियों में भी इस विषय का अधिक विवरण नहीं मिलता। उत्तर कालीन स्मृतियाँ उत्तीर्ण लेख और तात्पर पत्र भी इस सबसे में ग्राह्य मौन हैं।

अर्थशास्त्र से इस विषय में कुछ सहायता मिलती है। इसमें व्यय की मदों का विवरण दिया गया है। पर ये सब अधिकतर राज महल के खर्च से ही सबसे रखते हैं, शासन के विभिन्न विभागों में होनेवाले खर्च का इससे अनुमान

१ इं, एंटि २५, पृ० १८।

२ घदाधिक राज्यानि

धर्यत्र भाष्यादित्तु राजा धर्मदरायण।

तत्प्रीणो भीवन द्यादेव व्रम सनातन। नारदस्मृति १३ ५२

३ गुजरात में यारद्वी सदी उक विधवाओं का यतिसपत्नि पाने का अधिकार इतीहस नहीं हो पाया था। देखिये, कुमारपाल प्रतिबोध मार्क, दृतीय अंड।

४ इ १०, १९ १४५ पृ०, कोशदापूर, पृ ३३३ प द, ३८ ३६।

आय और व्यय

२१२

नहीं होता। न इसे यही पता चलता है कि राजमहल पर हानेवाला खर्च राज्य की आयका कितना प्रतिशत था। कौटिल्य ने मन्त्री, अपाराय और कुछ अन्य अधिकारियों के बेतन का भी विवरण दिया है परं राज्य की आय का पता न रहने के कारण इस यह नहीं जान सकते कि वेतन उचित थे या अनुचित। यह भी प्राय निश्चित है कि प्राचीन भारत में राज कर्मचारियों को अधिकतर नकद बेतन के स्थान पर जागीर या राज्यकर का अश ही दिया जाता था।

युक्त ही एकमात्र ऐसे ग्रन्थकार हैं जिनमें यह पता चलता है कि राज्य की आय का स्थितना प्रतिशत किस मदर्में व्यय होता था। इनके अनुसार व्यय का विवरण इस प्रकार है।

१—घेना (बलम्)

२—दान धर्म (दानम्)

३—जनता (प्रकृतय)

४—आपन खर्च (अधिकारिण्)

५—राजपरिवार खर्च (आपमोग)

६—कोश (मुखित या स्थायी Reserve Fund)

१० प्र श

८३ प्र श

८३ प० श०

८३ " "

८३ " "

८३ " "

८३ " "

इस खर्च के ब्योरे का (बचत) स्थायी ठीक समझने के लिये योहा तथा वेदव्यय लागती है। ऐसा आपाततः जान पड़ता है कि इसमें सामाजिक और राष्ट्रिय के कार्यों के लिए व्यय की घटवस्था नहीं की गई है। परं प्रकृति (जनता) और दान की मद इसी कार्य के लिए है। शुकनीति के दीकाकार और दान बोधालै प्रकृति का अर्थ मन्त्री और अपाराय जैसे उच्च अधिकारी समझते हैं, परं इन सबका बेतन मिलाकर राज्य की आय का दृढ़ प्र० श० होना अपमद या। परं यह भी न भूलना चाहिये कि अधिकारियों के लिए एक अलग मद (८० ४) भी ही। प्रकृति शब्द का साधारण अर्थ जनता ही है अतः यह जनता के शास्त्रिय और मीतक हित के कार्यों के लिए ही थी। प्रकृति के मद में दृढ़, स्थालय, मठ (विहार), विद्यालय व मंदिर पर किया जाने वाला खर्च आता है। विहार और मंदिर बहुता पाठशाला और विकिषण

१ १ ११६७, ४ ७ २४ ३८ में युक्त १ आय वाचिक आय बाढ़े कर्द
राज्य के लिए कुछ जोड़ा सा विभिन्न व्यष्टियाँ यताते हैं।

२ हिंदू रेवेन्यू सिस्टीम, पृ १६१

क्षय मी चलते थे^१। अग्रहार आमों के भास्तव्य उपमोक्ता भी योग्य विद्यार्थियों को नि शुल्क पढ़ा कर छिदा और सत्कृति का सबधन करते थे।

इस प्रकार सामाजिक, सात्कृति और राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए राज्य की आयका १६३ प्र श. निर्धारित किया जाता है। पर बास्तव में व्यय इसके मी बहुत अधिक होता था। क्योंकि इसमें स्थानीय सरथाओं द्वारा राज्य के उन से व्यय को जानेवालों रकम समिक्षित नहीं है।

राजा के निली खच के लिए ८३ प्र श अरयचिक नहीं है। वर्तमान मारकीय नरेशों के सामने अप्रेज सरकार न हाल में यह आदर्श रखा था कि वे राज्य की आय का १० प्र श से अधिक गत परिवार के लिये खर्च न करें।

सेना (बलम्) पर ५० प्र श व्यय अवश्य ही आयचिक है। ५०० ई ऐ सामाजिक विस्तार का बोर बढ़ा और आये दिन मुद्र होने लगे। अतः अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए उनों पर यूब खर्च करना आवश्यक था। परंतु स्मरण रहना चाहिये कि इस खर्च की एक पाँह मी दश क घावरन जाती थी और इसके न बेवल जनता में खोरपाव की वृद्धि होती थी घरन देशमें उद्याग और व्यवसाय को भी प्रोत्ताहन मिलता था।

स्थायों कोष में आयका १६ प्र श जाता था। मुहलमान लेखनों ने इस बात का विशेष ठल्लेल किया है कि हिंदू राजा अपने पूद्धों से मरा पूरा कोष पाते थे और अत्यत सकट पढ़ने पर ही इसमें हाथ लगाते थे। सार्वजनिक या सरकारी शृणु की कल्पना प्राचीनहाल में अठात थी और वही गज्य सकट से अपनो रक्षा कर पाते थे जिनका कोष और मोहार मरा पूरा रहता था। दक्षिण के राजाओं से अलाउद्दीन और मटिक काफूर ने जो श्याम चन्द्रशिंह द्वयों थी एह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू राजा अपनी काय का बहुत बड़ा मात्र संकट के समय काम देनेके लिए अपने स्थायों कोष में उचित और मुख्यित रहते थे।

^१ अड्डेश, पुद्देश्य इव ऐश्विट इटिया (द्वितीय संस्करण, पृ १११ ११८),

१३ वाँ अध्याय

अतर राष्ट्रीय संघर व व्यवहा।

राज्य और शासन व्यवस्था सबकी प्रथ में राज्यों के परस्पर संघर के विषय पर सरुसी तौर पर ही विचार किया जा सकता है। इस विषय के दो पहले हैं, एक शांति काल में संघर और दूसरा सुद काल में। शांति काल के संघर का विचार करते समय प्रमुख (Sovereign state) और सामत राज्य (Feudatory state) के संघर का भी विचार करना होगा।

वैदिक काल के विभिन्न राज्यों के परस्पर संघर के विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है। ये राज्य अधिकतर लग्नराज्य थे और बहुत समय तक इनकी सारी शक्ति अनार्थ जातियों को पराखित करने में ही छी रही। अत इनमें परस्पर संघर हावारण्यत मैत्री पूण ही था। पर एक दूसरे का उत्तर्य देख कर आय जातियों में भी परस्पर दर्दार्ह के माव उत्तर्ण होने लगे। पहले कभी कभी उनमें आपाप में भी संघर होने लगे, जिनमें बहुधा अनार्थ जातियों से भी सहायता की जाती थी, पर ऐसे अवसर कम थे।

उत्तर वैदिक काल में छोटी छोटी आर्थ जातियों के मिल जाने से कुछ बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। परतु इनका भी विस्तार बहुत अधिक न था। बड़ा दृश्यार्थ प्राचीन बौद्ध प्रथाओं में वर्णित ह स पूर्ण आत्मी सदी के १६ महाजनपदों में से भी अधिकांश वास्तुनिक काल की क्षमितानियों से बढ़े न थे।

अपने शासकों की शक्ति और शासन के अनुसार राज्यों का पद भी छोटा था होता था। 'स्वयंट', 'एकार्य', 'समाट' और 'अधियट' आदि पदवियाँ राजाओं के विभिन्न पदों की सूचक हैं, पर इनकी निश्चित मर्यादा निपट फरता इस समय कठिन है। 'समाट' आदि पदवीरामी राजा निर्दृष्टिरूप राजाओं से कुछ उच्च स्तरान पर थे। पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे सामत राज्यों के अधिपति पद पर थे या नहीं। यह समव है कि दुर्घट राज्य अपने से अधिक शक्तिशाली राज्यों को कुछ कर देते रहे हैं।

उत्तर वैदिक काल की सहस्रिति और आर्मिक यशादि विधियों ने आर्थ राजाओं के समूल समाज्य का आदर्श उपस्थिति किया। राजाओं का

राजा बनने के आकांक्षी शासक के लिए 'अस्वमेध', और 'हमार्द' पद के अभिभावी के लिए 'वाल्मीय' यह का विधान था। इसके रख्यों के परस्पर सम्बन्ध में अस्तित्व उत्तर द्वारा हो गयी। कोइ मी विशिरीयु राजा किसी भी समय साम्राज्य विस्तार की इच्छा से किती मी राज्य पर चढ़ाइ कर सकता था। इसके साथ यह मा ध्यान में रखना चाहिये कि इन राज्यों को पृथक करनेवाली कोई प्राकृतिक सीमाएँ न थीं जैसे कि कौशामी धारी और कोशल राज्यों में। जोही इनमें से कोइ अपने की शक्ति शाक्षी समझने लगता था तोही वह औरों को दबा कर अपना विस्तार करने का प्रयत्न करता था।

स्मृतियों का मत है कि जब राजा अपने राज्य को समृद्ध और लेना को बन्धान देखे और यथा की त्रिपुरीति इसके विपरीत देखे तब वह उस पर विहित आक्रमण कर सकता है¹। स्मृतियों में इस प्रकार विना कारण पर शीढ़क सुद का समर्थन होते देख दुछ दोग बहुत आधर्य करते हैं। परन्तु यदि देवा धाय हो वास्तविकता यही है कि सारे सकार में जो मी राज्य बन्धान और विस्तार यने थे अपने से दुष्कल राज्यों को दबा कर ही। और युद्ध हेठले का असली कारण सदा यशु की दुर्बलता ही रहा, यने ही इस धाय के समर्थन में लैंचे सिद्धांती की दुशाही दी जाय। अबतर, शाहजहाँ और औरगढ़ेर भारि ने अपने ही उपर्यांती दिग्गज के मुनज्जतानों पर आक्रमण किया। सन १८०३ में अमरेश्वी ने मराठों से युद्ध कर्यों किया। इबल इष्टीटिए कि वे समझते थे कि इस अपने प्रतिवक्त्वी से मरमूत द और आखानी से उत्तरा राज्य हटाप सकते हैं। पिछले दो विश्व सुद धर्यों द्वारा। ऐकड़ इष्टीटिए कि युद्ध करनेवाले राष्ट्रों ने या तो यह समझा कि विश्व पर प्रभुत्व करने की आकांक्षा पूरी करने का यही उपयुक्त अवसर आ गया, या अपने विद्याज्ञ साम्राज्य को बनाये रखने के लिए युद्ध करना ही अपराह्न दागा। अत इस्मृतिशारी को ऐसी नीति के समर्थन के लिए दोप देना उचित नहीं थो आज मी अंतरन्याष्ट्रीय घगत में प्रतिष्ठित है।

अवश्य ही यह कहा जा सकता है कि इस्मृतिकार अपने समद के समावके उपर्यन्त अधिक उत्तरांश आदर्श प्राप्तुत द उक्ते थे और अशोक की माति साम्राज्य लिप्ता के कारण आकामक सुद रायाने का उपदेश दे सकते थे। पर यह निश्चय करना उठ नहीं कि आकामक कौन है अर्थात् इद्दार्द किसने शुरू

की। मत्येक पद्ध अपने कार्य के समर्थन में ज्ञाय और आत्म रक्षा की दुहार्दे दे सकता है। युद्ध के एकदम रथाग देने को नीति कार्यान्वित करना बहा कठिन है, जैसा कि सप्लाइ अधीक के इस दिशा में अडफल प्रयत्नों से चिद होता है। हालालीन अशांतिमय बातायरण में यह आवश्यक या कि समाज में एक ऐसा शक्ति शक्ती वग हो जो समय पहने पर उसकी आकृपणों से रक्षा कर सक। द्वितीय वर्ग ऐसा ही योद्धा वग या, जिसका आदर्श यह या कि 'शक्ता पर पहुँचे मरना द्वितीय के लिए घोर अवधि है'। युद्ध इसका सहज कर्म या, इसे निविद कर देना इनका काम छोन देना या। अतः यदि समृद्धियों ऐसा आदर्श प्रतिपादित न कर सकी जो द्वितीय घर्म के विरुद्ध या और जो आज के समाज में भी व्यवहाय नहीं तो कोई आवश्यकी वात नहीं है।

फिर भी यह समझ लेना भूल होगा कि राज्य के भीतर शांति का प्रतिपादन करनेवाले प्राचीन भारतीय मनीषी विभिन्न राज्यों में परस्पर शांतिप्रयोग की ओर उदासीन रहे। उगमग उच्चने महावाकीदी राजाओं को यथा समय युद्ध से दूर रहने और शांतिमय उपायों से दी अभाष चिदि का यत्करने का उपदेश दिया है^१। उनका कथन है कि अवधि और अज्ञाय सुद से इस छोकमें तो नाश होता ही है परलोक भी मारा जाता है^२। औरवों और पाण्डवों में अत तक समझीते भी चेष्टा और पाण्डवों का पौर्व गाँव लेकर ही सद्गुरु हो जाने की तपरता से चिद होता है कि प्राचीन भारत में विना विचार क ही प्रायः युद्ध नहीं देह दिये जाते थे।

प्राचीन भारतीय आचार्य आनन्द ये कि युद्ध का एकदम रथाग का देना समय नहीं, अत युद्ध की समावना यथा समव करने के लिए उद्देने विविध राज्यों के 'प्रदेश' बनाकर उनमें शक्ति सतुरन कायम रखने की व्यवस्था की थी। समृद्धि और नीति प्रथक्षारों की प्रयोग सहकर नात शक्ति सतुरन के विद्वान पर ही आधारित थी। इन आचार्यों ने विभिन्न राज्यों में प्रायः जो

^१ अधम द्वितीयस्येष यजुर्वल्यामरण भवेद्। शुक्ल, ७, ३०५।

^२ सामना दानेन मेरेन समस्तेयथा पृथक्।

विजेतु प्रथेतारीच युद्धेन कषायन ॥ मनु ७, १८८

नाशो भवति युद्धेन कदाचिदुभयोरपि ॥ रामदृक् ८, ११।

^३ नाप्तेन भद्री जेतु छित्तेत पृथिवीपति ।

अधमविजय ज्ञाया को तु मन्येत मूमिष ।

अधमयुद्धो विजयो धार्मोऽत्यार्थं पृथ च । म भा १२ १६ १ ३।

सर्वथ रह सकते हैं लेकिं समझाते हुए दुर्बल राज्यों को अपने अधिक शक्ति शाली पड़ोशी राज्यों से सावधान रहने की सलाह दी है और इनकी विस्तार नीति से अपनी रक्षा के हेतु अस्य समाज या 'मूलाधिक बटवाले राज्यों के मेंशी स्थापित करके एक ऐसा मठल बनाने की सलाह दी है जिस पर आक्रमण करने का शमु को लाइस ही न हो ।

वेदिक धर्म में अस्तमेष और वास्तवेय आदि यज्ञों का विधान होने के कारण आदर्शवादी राजनीतिक विचारक भी विजय अदियानों का विरोध न कर सकते थे, पर उन्होंने इसकी उपराता कम करने की शक्ति मर जेष्ठा की है । धर्म विजयी राजा को पराजित राज्य का अपहरण करने(annexation)या उत्तरी शासन पदति में कोई इस्तेवेप न करके केवल अपनी अधीनता स्वीकार करा के और कर लेकर हो पाया भूत शुक्र को छोड़ देने का अपदेश दिया गया है^१ । प्राचीन आचार्यों का कर्पन है कि यदि परावित राज्य का राजा युद्ध में धीर गति को प्राप्त हुआ हो, या यदि वह धीरित हो पर परावीन होकर राज्यारुद्ध न होना चाहे तो उसकी गद्दी पर कोई दूसरा राज्यपुत्र विडाया जाना चाहिये यदि राज्य की मिला ही लेना पड़े हो उसके विवि नियमों और प्रचलित परिवारी की रक्षा की जाय और नयी प्रजा के लाय बैठा ही बहाव किया जाय जैसा अपनी मूल प्रजा के साथ किया जाता था अर्थात् नयी प्रजा को विनित मानकर अपमर्दित न किया जाय^२ ।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि यह नीति साधारणता कार्यान्वयन भी की जाती थी । जातहों में ऐसे किसी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता जिसमें विभिन्न प्रदेश विजेता के राज्य में मिला किया गया हो । जब ओशन का राजा काशी पर आक्रमण करता है तो काशिराज को उनका मत्ती इस प्रकार समझाता है—'महाराज दरिये नहीं, आपका अनिष्ट न होगा, आपका राज्य जना रहेगा केवल आपको ओशनराज की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी'^३ ।

१ गृहीत प्रतिमुख्य संघविश्वासी नृप ।

विष्णु महेन्द्रनायक जहार न तु देविकीर्त्ति रथु, ४ ८३ ।

२ रायपेत्तप्र उद्धव्य कुर्याद समयक्षियम् । मनु ७ २०२ । देविपे विष्णु ६ १०, गुरु ४ २ ३२३, ३१७-८ ।

३ मा मावि महाराज मात्यि से परिपदो तद रज्जु तवद भवित्वमिति देवज्ञ मनोजरन्तो एसवती हो दि । आत्म ५ ४ ११३, पृ १११ मी ।

अतर राष्ट्रीय संघर्ष और व्यवहार

२१८

८ वीं और ९ वीं शताब्दी के मुहरितम याची मी दहिण मारत में इस प्रकार के 'वर्षे विजय' देखकर वहे प्रभावित हुए थे। सुलेमान का कथन है जब एक राजा दूसरे को पराजित करता है तो वह उसके हाथ के एक व्यक्ति को पराजित राज्य में स्थापित करता है जो विजेता के नाम पर शासन करता है। इस देश की यही प्रथा है और जनता इसे अन्यथा न होने देगी।

विजय के बाद जीते हुए राज्य को अपने राज्य में न विलाने की सहाइता देगा आशान है पर इसका कार्यान्वयन कठिन है। परवृत्त प्राचीन मारतीय इतिहास से यहो तिदं हीता है कि प्रविक्तर इसका पालन ही होता था। मौर्य पहली है कि मौर्य साम्राज्य के अदर भी राज्यव्याप्ति का हमें बहुत कम शान है पर संमादन की यही ज्ञान में भी ये सामत राज्य वर्तमान थे। समुद्रगुस ने बहुत से राज्यों को स्वयं पराजित नाग वशीय राजनग अतंवेदी (दोमान) में साम्राज्य के अधिकारी के स्वयं में शासन कर रहे थे। इसमें उद्देश नहीं कि समुद्र गुस ने बहुत से राज्यों को ले भी लिया पर इनकी और जो साम्राज्य के सामत होकर अपने राज्य में बने रहे। इर्वंधन के साम्राज्य में भी भी ये सामत राज्य का बहुत से राज्यों को ले भी लिया पर इनकी राज्यों में बहुत से राज्यों को ले भी लिया पर अधिक से अधिक जो किया जा सकता था इर्वंधन के साम्राज्य के सामत राज्यों को ले भी लिया पर इनकी सक्षमता और अतर्गत सचा सुरक्षित रहे। और इसे इनकर नहीं किया जा सकता कि प्राचीन मारत में इस दिशा में बहुत इदतक सफलता भी हुई। इस और धारिक प्रक्रिया को है कि इद्देनेवाले राज्यों में संस्कृतिक जो दो शब्दों में द्वेष और द्वशता के माव भरते हैं और उन्हें प्राचीनक यश्व बनाकर एक दूसरे का आमूल नाश करने को उचित कर देते हैं, प्राचीन मारत के इन राज्यों में वर्तमान न थे। अत पराजित राज्य को आंतरिक स्वतंत्रता देने में कोई कठिनाई न थी।

¹ हैलियट और चाडसन, फिस्टी भाव, इंडिया भाग १ पृ ० । और, भारत भाव चाइना एंड इंडिया पृ १३।

युद्ध के भारण साधारणत ये होते थे, (१) साम्मान्य पद की आकोदा। (२) आत्मरक्षा की आवश्यकता। (३) रात्यविस्तार या सामनों स अधिक कर को इच्छा। (४) शक्ति संबोधन की चेष्टा। (५) शशु के आवों का बदला और (६) शीघ्रत जनता की रक्षा। यही भारण सब उगों और देशों में युद्ध के हेतु बनते हैं। अत ग्राचीन भारत में इनके दृष्टित या उदाहरण दृढ़ना व्यथ है।

परस्पर युद्ध को अनिवार्यता देखकर ग्राचीन भारतीय विचारकों ने उसकी भीषणता कम करने की योग्यत्य चेष्टा की है और इस हेतु वे होने घर्मयुद्ध के बहुत कैंचे आदर्श का प्रतिपादन किया है। पर यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि वैदिक युग में आर्यों और दस्युओं के युद्ध में यह आदर्श लागू होता या नहीं। मृग्यवेद में वर्णन है कि इन्होंने दास्यर्यों को पैरों तले कुचल कर गुहाओं में दबेट दिया था। सभवत यही व्यवहार वैदिक आद के व्यवहार का सूचक है। वैदिक वाङ्मय में विष से बुझे वाणों के उपयोग का भी वर्णन है^१। पर सूतियों ने एक स्वरूप इनके प्रयोग का निपेद दिया है। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि शशु पर ऐसी अवधारणा में बदापि न बार किया जाय जब वह साधारण न हो, पूरी तरह शज्जों से लैड या तैयार न हो पा किसी भी तरह औचट पा विपत्ति में हो^२।

यह मान लेना अनुचित न होगा कि जब तक दोनों पक्षों में लोह ताढ़ का मुकाबला रहता या और परालय के बाद राज्य अपहरण की आशका न थी तब तक इन नियमों का बास्तव में अनुसरण होता था। मगार्येनीष को यह देखकर आश्वर्य हुआ था कि युद्ध काल में भी शूपिकार्य चलता रहता था, पर लिखता है कि 'दोनों पक्ष एक दूसरे के बहार में लीन रहते हैं पर किसानों को कोई हानि नहीं पहुँचाता।' युवानश्वर्ण भी यह देखकर चकित हुए थे कि ग्राचीन युद्ध होते रहने पर भी देश को बहुत ही कम हानि पहुँचती थी।

अत्यु, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार घर्म विजय का आदर्श समुद्देश या और राज्य नाया की परानार्थ बहुत हम होती थीं लहान में भी घर्मयुद्ध का आदर्श प्रवान रहता था और उदारता तथा शीरका से कम लिया जाता था पर जब साम्मान्यवाद की भावना ने जोर पकड़ा और सामन राज्यों की दासता

^१ मृग्यवेद, ० ११७ १६, १ ७२ १५, व्यथय ६ ६७।

^२ शशु, ० १०।

अतर राष्ट्रीय सवध और अधिकार

२१०

की शूलका कही जाने वगो तब आपराया की मावना भी प्रबल हो उठी और युद्ध में उमड़ता पाने के लिए सभी उचित अनुचित सामन और उपाय ठीक समझे जाने लगे। कौटिल्य ने इस विषय में संशीक यात्रा हो दी है कि जब तक अपना पत्ता भारी है तब तक घर्मे युद्ध के आदर्श पर चलने में हानि नहीं अपराया निष्पत्त उपाय के उपलब्ध मिले वही करना उचित है जाहे वह घर्मे हो या भर्मे^१ युद्ध का भी यही मत है^२।

कूट युद्धपै किसी भी समय किसी भी स्थिति में शशु पर आक्रमण लायजा, शशु प्रदेश को तदसु नहसु कर दालना, उच्चो का काटना, फल और अनागार जला देना, नागरिकों को दास बनाना सब क्षम्य या। अशोक के कलिङ अभियान में ऐसे कुछ अनर्थ दुष्प ये और दूसरी उन् के बाद के युद्धों में कभी कभी वे होते रहे हैं। पर भी इसमें उदेह नहीं कि घर्म युद्धके आदर्श पर चलने की भी वेदा यथार्थव्य क्षदा होती यी, और इसे का परिणाम या कि मध्यमा तक राजपूतों में घर्मयुद्ध का आदर्श लोकित रहा।

यह मो पह देना अध्यानेवित न होगा कि भारत के कूटयुद्ध के कोड भी प्राचीन काल के अन्य पूर्ण देशों के यद्ध को बदरता के सामने सीध्य प्रतीत होते हैं। किसी भी प्राचीन मारतीय नेतृय ने शशु दल के मुद्दों पर मीनार बनवाने या शशु की राल लिचवाकर नगर की परिदा पर मदवाने में अपनो दुरी नहीं समझी देखी कि तृतीय युट्सोवेस और असुरवनपाल ने हो यो।

शशु को प्राण दान या अमय दान की भी निश्चित परिपायी यो। शशु ल देने या शशु में अने पर पराखित शशु पर हाथ उठाना निश्चित रा, शायक या मारगते दुष्प शशु पर मो वार करना मर्ना या। शायक युद्ध बदियों की चिकिता करना भी आवश्यक या। साधारणत युद्ध बदियों की दात बनाया या बेवा भी न जाता याउ बहिक युद्ध समाप्त होने पर लर होने की अनुमति दे दी जाती यो^३।

^१ पठविशिष्ट प्रकाशयुद्धसुपैवाद। विषयपै शक्तयुद्धस। अथ १० अध्याय ३

^२ घर्मयुद्धे कूटयुद्धेहम्यादेव दिषु सदा। ३ ३५०।

^३ न्देवशानामदोप प्रजो विकेतुमायातुं या। अथ मा ३ १२१।

बिसी को अपने बढ़के में देकर अपनो मुकि करा सकते ये।

^४ अग्नि पुराण, अध्याय ३४०।

युद्ध में भीते हुए माल के बारे में भी निष्प्रित नियम थे। पराजित शत्रु के कोश, सपष्टि, शास्त्रास, अम आदि पर विनेता का अधिकार था^१। विजित देश के नागरिकों की स्थानवर हपत्ति का भी अस्थायी तौर पर प्रदर्शन और उपयोग किया जा सकता था।

परस्पर युद्धरत देशों में कैसा व्यवहार रहता था इसका हम लागें की शान नहीं है। चूँकि शारिकाल में भी विदेशियों को किसी राज्य में जाने के लिए प्रवेशन्यत्र लेने की आवश्यकता पड़ती थी इससे अनुमान किया जा सकता है कि युद्ध काल में दोनों देशों के बीच यातयात विट्कून बद कर दिया जाता रहा होगा। युद्धरत राज्य इस बात की अवश्य अवस्था करते रहे होंगे कि उनके देश से शत्रु देश में ऐसी कोई सामग्री न जाने पाये जिससे उसकी शक्ति वृद्धि हो। पर जब सीमाएँ दूर तक फैली होती थीं और यातन प्रवास दोनों रहता था तो दोनों ओर से चोरी चोरी काढ़ी व्यापार चलता रहा होगा। यमुद्ध मार्ग से भी शत्रु देश के अवरोध की अवस्था और शत्रु पारें को पारने की परिस्थिती थी या नहीं यह गत नहीं।

अब हमें इस पर विचार करना है कि याति काल में दो स्वतंत्र राज्यों में बद्य अवधि रहता था। यह निष्प्रित मालम नहीं कि प्राचीन मारत में स्थायी दूतावादी की परिस्थिती थी या नहीं। मेगाघणीष चालगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और छायमेहस बिदुसार के। बहुत समय है कि मौर्य सज्जारों की ओर से भी ऐल्युकवशीय राजाओं की राजधानियों में दूत भेजे गये ही ताकहर जब कि धम प्रचार के लिए बोद्ध भिक्षुओं के दल बहाँ भेजे गये थे। पर यह विदित नहीं कि मौर्य दरबार में यूनानी दूत स्थायी रूप से रहे गये थे या कूउ वर्गों के लिए ही। तदहिला के यूनानी नरेण अतिष्ठित (एटिश्वलकारदस) का दूत हेलियोदारउ मालवा की राजधानी विदिषा में शुगर्थयी मागमद राजा के दरबार में रहता था पर यह भी समव है कि वह किसी विशेष प्रयोजन से योद्धे समय के लिए ही भेजा गया हो। यमुद्धगुप्त भी राजधाना में तिहळ राजा के दूत और चालुस्यराज पुद्देशों के दरबार में (६३०-६०) राजन से दूत भाये थे, पर ये विशेष दाय स ही भेजे गये थे। चौन और रोम में प्राचीन मारठ से थे दूत भेजे गये थे ये भी आव्रहल के उद्भावना भद्र की हो जाति थे। उनका काम उन नरेणों को कपवरी देश की ओर से उपहार में करना और

^१ मनु, ४ १६-१७, दृष्ट ४ ४८६।

अन्तर राष्ट्रीय सम्बन्ध और व्यवहार

२२२

उनसे व्यापार की सुविधाएँ प्राप्त करना था। यूरोप में भी इतापी दूतावास रखने की परियादी मध्यपुण में ही कोयम दूर। उसकत के 'दूत' शब्द का अभियेय अर्थ भी संदेशवाहक या बासीदार ही है और इससे यही सकेत प्रिलता है कि वह किसी विशेष कार्य का प्रयोजन से ही भेजा जाता था। अर्थशास्त्र में (भाग १ अध्याय १६) दूत के आचरण समझी जो निर्देश दिये गये हैं उनसे यही प्रफृट देता है कि उसे उसी समय तक विदेशी याच भानी में रहना होता था जब तक अग्रीकृत प्रयोजन की विद्धि की कुछ आशा हो, अब यथा ताकाल लौट आना पड़ता था।

विदेशी में भेजे जानेवाले दूत तीन ब्रेणी के होते थे। 'निष्ठार्थ' दूत वह या जिसे अपने राज्य की ओरसे सब विजादभूत याते तय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, 'परिमितार्थ' दूत दिये गये निर्देश से पाइरन जा सकता था और 'आसनहर' दूत केवल अपने राज्य की ओरसे संदेश भर दे देता था की माति प्राचीन कालमें भी दूत अधिकृत और प्रकाश्य रूप से भेदिये का कार्य करता था। उसका काम विदेशी राष्ट्रपुरुषों से जान पहिचान करके उस देश स्थिति का जान प्राप्त करना और अपने युत्तरों द्वारा उसके दुर्गं और देना का प्रामाणिक अनुमान करना और अपने युत्तरों द्वारा उसके दुर्गं और देना का प्रामाणिक विवरण प्राप्त करना यह सब भी उसका काम था। यह सब विवरण वह 'गुद लेख' (सकेत लिपि) द्वारा अपनी सरकार को भेजता था^१। यह सब विवरण वह 'गुद आधुनिक काल की माति प्राचीन काल में भी दूत अवध्य था। रामायण में कहा गया है दूत व्यक्त लंदेश वाहकादै, अपने खामों की ही घात घह कहता है अत वह घात वड और मोष जनक मी हो तो भी दूत पर कुछ आसन नहीं करना चाहिये^२। महामारत में कहा गया है कि दूत का हाता राजा अपन सचिवों के समेत नरकगामी होता है^३। युद्ध छिड़ जाने पर भी दूत और उसके साथी अवध्य है^४, पर यदि वह अनुचित आचरण करे तो उसे विस्तर करके

^१ अर्थशास्त्र भाग १ अध्याय १६।

^२ यही।

^३ मूल-परायं परवान दूतो व्यपमर्दति।

^४ दूतस्य हता निष्प्राप्तिविरोत्सविवे सह ॥ १० ८५ १९

^५ नीति प्रकाश १४।

या दसे लोहे से दागकर निशादा वा सकता था जैसा राष्ट्र ने मार्हाठे के साथ किया था।

दूरी के न रहने पर भी गुप्तचर इसी प्रकार वे भेड़ों की टोह में बगवर आप किया करते थे। ये टोग छाँटों, लच्चाँसियों, व्यापारियों आदि के विविध उपच वेशों में रहते थे। बेश्याओं और नवकियों से भी बहुत गुप्तचरों का आम लिया जाता था, कभी कभी राष्ट्रमहल में ये तांडूल या छप्र बाहिकाओं का पद भी प्राप्त कर लती थीं, ताकि राजा के समीप रहकर सरकार की अदानग गति विविध का भेद लेने का अवसर पिले।

राजिकान में आवागमन पर एकावट न रहती थी। प्रवेश पश्चों की आवश्यकता पड़ता था, पर इसके सिवा अन्य किसी प्रकार की रोक टोक न थी। व्यापार के कार्य से बगवर आने जाने वाले व्यापारियों की भी ग्रन्तेक घार आने के लिए प्रवेश पत्र लेने की सखरत नहीं थी। सदिगढ़ व्यक्ति इन्द्रगढ़ी में ही गिरफ्तार कर लिये जाते थे और आगे न जाने पाते थे। विदेशियों की गतिविधि पर कही नज़र रखते थे कि कहीं वे भैदियों का आम न रहते हैं। व्यापारिक सामग्री के आयात नियंत्रण पर भी रोक टोक न थे, अबश्य ही निर्धारित शुल्क देना पड़ता था।

यात्रा के रिसाविन में खाल या पोत जब जब किसी बद्रगाह या पत्तन पर ठहरते थे उन्हें पहन शुल्क देना पड़ता था। दृतिगति होनेपर उन्हें मरमत की पूरी सुविधा दी जाती थी और उनको अन्य आवश्यकताएँ भी पूरी की जाती थीं।

सामत राज्यों से सर्वध

प्राचीन भारत में शामत या अर्धे स्वतंत्र राज्यों की संख्या बहुत थी। यह दिलाया जा सुहा है कि विजेता से यह आदा की जाती थी कि परावित राज्य का अतितान नष्ट न करके अपने आविश्य में उसकी स्वायत्त सत्ता कायप रहने दे। इससे शामत राज्यों की संख्या काफी ही जाती थी। यह प्रातोद शालक या सरेदार आनुष्ठिक हात लगे और महाराज, लामत, महासामत और महालधर आदि पदवियाँ पालन करने लगे तब ये भी असंवित राज्यों की देशों में आ गये और इनको उन्होंने लक्ष्य में ली और बृद्धि हुर। दक्षिण के दाद्वाँ या चाल्क्यों के राज्य

१ अर्द्धशालक भाग २ अर्द्धशाल ३८।

२ यही।

में हो यह जानना कठिन था कि महामण्डलेर उपाधिधारी व्यक्ति सामंत है या सामंत उपाधिधारी सुवेदार। पताकित राजामों को प्रांतीय शासकों के पदपर नियुक्त करने की प्रथा से यह गड़बड़ी भी बढ़ जाती थी।

सतमान मारत के दैदराचाद घोषा, कोहलीपुर, आदि कुछ वहे सामंत राज्य के भी अपने सामंत राज्य हैं, मारत में ग्रामीन काल में भी ऐसी ही स्थिति थी। उदाहरणार्थे, पाँचवीं छही में प्रश्न के राजा मातृवधु सुपरिम चद के सामंत थे, जो स्वयं सम्मान-बुधगुप्त का सामंत था^१। सन् ८१३ई० में तृतीय गोविंद शास्त्रकृट सम्मान^२ थे, उनका मतीका तृतीय कक्ष उनके सामंत के रूप में दक्षिणी गुजरात पर शासन कर रहा था, और उसके भी सामंत के रूप में सालुकिक वधु का श्रीमुखवप्त चिरिका १२ पर शासन कर रहा था, उसे इस पद पर पक के छोटे भाई ने प्रतिष्ठित किया था^३। अस्तु यह स्पष्ट है कि सामंत राजा भी समवतः सम्मान की अनुमति छोड़कर अपने उपसामंत बना सकते थे।

अतएव सामंतों पद और अधिकार एक समान न रहते थे, जैसा कि आज के सारकीय राज्यों की स्थिति है। प्रमुख सामंतों को उंडागन पर बैठने, छत्र चापर घारण करने और गिरिका (पालकी) तथा हाथी पर चढ़ने का अधिकार रहता था। उहे अपनी सदारी के समय शृण, शब्द, मेरी, जयघटा और रमट व्यादि पाँचों बजाने का भी अधिकार प्राप्त था। यह अधिकार सम्मान आधुनिक लोगों को सलामी को तरह बहुत खोड़े व्यक्तियों को ही देते थे। महाराज, सामंत, महा सामंत, मण्डलेर भादि इनके विद्व थे।

सामंतों के दरबार में सम्मान को हित रक्षा के लिए और सामंतों के नियन्त्रण के लिए सम्मान को आर ऐ प्रतिनिधि रहा करते थे। आजकल के रेजिस्टरों और पोलिटिकल एडेंटों की मांति है ये सामंत राज्यों के सापारण निरीकण और नियन्त्रण का अधिकार था। सुलेमान दौदागर के कपनानुसार सामंत राजा इन प्रतिनिधियों की आवानी सम्मानीचित समान से ही करते थे। ये प्रतिनिधि गुप्तचरों द्वारा बराबर इक्षु लगवर रखते थे कि कही सामंत राजा विद्रोह की तो नीयन नहीं रखता। सामंत राजा भी सम्मान के दरबार की गतिविधि पर ध्यान

^१ स्वयं मा छे ३ पृ ८९।

^२ पृष्ठि इडि ३ पृ ८५।

रहने के लिए अपने प्रतिनिधि वहाँ रखते थे। उदाहरणार्थ, बगवासी के सामत शासक विद्य ने राष्ट्रकूट समाट् तृतीय अमोघरथ (८५० ई०) के दरबार में गणवति नामक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि रूप में रखा था।

सामत रथ पर समाट् का नियन्त्रण सामत के पद और समाट् की सामर्थ के अनुसार होता था। समाट् की आशाओं का पालन सामत का इर्दगिर्द था। सामत के दानपत्रों, और शासनों (फर्मान) में समाट् का नाम दर्ज प्रथम देना चाही था। उह प्रायः अपने उपर्युक्त चलाने का भी अधिकार न था। समाट् के दरबार में सामटों को उपस्थिति छेड़ उत्तम और गुण्या मिश्र आदि अवस्था पर ही नहीं, बरन् घोड़े घोड़े समय के अंतर पर भी गठित थी। अतएव छिटालेखों में अनेक जगह समाट् के दरबार के बान में अनेक सामटों की उपस्थिति के उल्लेख मिलते हैं। समाट् को नियमित बर देना भी चाही था, या तो दह कर समाट् के दरबार में भेज दिया जाता था या समाट् अपनी यात्रा में इसे बहुल करते थे^१। समाट् के वहाँ पुष्परचना और विशाह आदि अवधियों पर भी सामटों से उपायन (मैट) की आदा की जाती थी। समाट् को इच्छा होने पर सामटों को अपनी छन्दाएँ उनके व्याहनी पढ़ती थीं। गुप्त सामाज्य में परादित राजा अब सामत पद स्वीकार करते थे तो उह उक्त इकायर बरना पड़ता था और समाट् उह अपने फर्मान (शासन) द्वारा पुनः अपने गाय में प्रतिष्ठित था तेरे थे। इस शासन में इन शरों का भी उल्लेख रहता था जिन पर राज्य बास्त दिया जाता था^२। अन्य सामाजिकों में भी ऐसा होता था या नहीं, हमें जात नहीं।

मध्यज्ञानीन यूरोप की भौति प्राचीन भारत में भी सामतों को समाट् के सहायताप निर्धारित दल्खा में देनिक भेजन पढ़ते थे। कल्चुरि राजा लोडोरे (८२० ई०) अपने समाट् निहितमोह के दग्गाट अभियान में सम्मिलित हुआ था^३। दक्षिण अमेरिक का नरविंह चाटुप्प (६१२ ई०) अपने समाट् राष्ट्रकूट तृतीय इह भी और वे प्रतिरार समाट् महोपान के विश्वद मुक्त प्रोत में जाकर रहा था^४।

^१ पृष्ठ ६६६ ६६७ ६६८।

^२ इटि एंट ११ पृ १२६

^३ सुट्टगुप्त द्वी प्रथाप नियन्त्रित।

^४ पृष्ठ ६६७, ६२ पृ १०१।

^५ राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ २३५।

श्रातरन्यास्त्रीय संवेद

२२६

८ वीं शताब्दी में देशो क चालुक्यों को मैसूर के गोंडों के विष्णु राष्ट्रकूटों की सहायता करनी पड़ी थी। राज राजाओं के सामत नागरण को अपने उम्माट की आशा से अद्यपदेव और श्रीमहेन्द्र के संबंध में १० वीं शदो में भाग लेना पड़ा और अपने प्राज्ञ मो देन पड़े^१। उपर्युक्त घटनाओं के अतिरिक्त

इस प्रकार क और मी भृत उदाहरण है।
परिवर्तित के अनुसार सामतों की अपनी अोत्तरिक स्वायत्तना में भी अतर होता था। इदै बड़े सामतों की पर्याप्त अधिकार रहते थे, इसे गुप्त राजालय में उच्चकल्प और परिमात्रक राजाओं को, राष्ट्रकूट राज्य में गुप्तराज के सामतों को और चालुक्य तथा यादव राज्य में गिराहार वधी सामत राजाओं को थे। उच्चकल्प वधी सामतों की मौति कुछ तो अपने दानपत्रों में अपने उम्माट का उल्लेख भी नहीं करते, पर इसे अपवाद समझना चाहिये। अविष्वात को कर देने के पहले रूप उन्हें पूर्ण अतिरिक्त स्वायत्त अधिकार प्राप्त हो जाते थे। ये अपने उपसामत बना सकते थे और अपने कमचारियों की दृश्य नियंत्रित करते थे। विना उम्माट^२ पूर्णे वे लागोर दे सकते थे, गाँव दे सकते थे और बेच भी सकते थे^३।

(रिष) उपसामत उम्माट को दाव कितानी कम मानते थे इसका पता जादानावाद उठ ने उपसामत अविष्वात खोकार करने वो लिखा था इसके उत्तर में अवखम ने लिखा—मैंने कभी आपका विरोध या आपके जगदा नहीं किया। आपका मैंना पूर्ण प्रभ मिला, मैं उपर्युक्त गौरवाचित हुआ हूँ। इमारी मैत्री कायम रहेगी और हम में कोई शक्ता न होगी। मैं आपके आदेशों का पालन करेंगा। आप जादानावाद के इटाके में जहाँ चाहें उच्छ्वास ते रह सकते हैं। यदि आप मिलो अय दिया मैं जाना चाहते हैं तो आपको रोकने या ढेरने बाध कोई नहीं। मेरा इतना प्रश्न और शक्ति है जिससे आपको मदद मिल सकती है^४।

छोटे सामतों की स्वामावत इसके भृत फ्रान्स कम स्वतंत्रता थी। वाकाटकों के सामत नारायण महाराज और यजुर्म महाराज, वैयुक्त के उपसामत उद्द-

१ राष्ट्रकूटों का इतिहास,

२ इदि युटि १३ पृ १३६, पवि इ ३, पृ ११०। उच्छ्वास और परिमात्रक शासनों में साधारणत अविष्वात का नाम न रहता था।

३ इतिहास, १ पृ ३४६

और कहाँवों के सामत भानुरुद्धि आदि को अपने ही राज्य के कुठ ग्रामों की मालगुबारी दान करते समय अपने सम्बाटों की अनुमति लेनी पड़ी थी^१। राष्ट्रकूट सम्राट् द्वितीय गोविंद का सामत बुधवर्ष शनिवारी दिया निवारणाय एक गाँव दान देना चाहता था, इसके लिए उस सम्राट् से अनुमति मांगनी पड़ी^२। राष्ट्रकूट ग्रुप के सामत शक्तराज्य की भी एक गाँव दान करने के लिए सम्राट् की अनुमति लेनी पड़ी था^३। कठव सम्राट् भी अपने सामतों पर इसी प्रकार नियन्त्रण रखते थे। गुजर प्रदोहर सम्राट्य क काठियावाड़ और दूरस्य प्रदेशों के सामतों को भी गाँव आदि दान देने के लिए अधिकृति की अनुमति लेनी आवश्यक थी और यह अनुमति साधारणत उनके यहाँ रहने वाले सम्राट् के प्रतिनिधि दिया करते थे, जो बहुधा सम्राट् की आर से ताप्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते थाये जाते हैं^४। ११ वीं शताब्दि में परमार राज्य में भी उसी शताब्दी में कर्मोर में भी यही प्रथा प्रचलित थी^५।

विष्णु ऐंगी के सामतों पर तो सम्राट् का नियन्त्रण व हस्तक्षेप और भी अधिक रहता था। इनके सम्राट् और उनक मत्री भी इनकी रियासतों के गाँव दान कर दिया काते थे। उदाहरणाय राष्ट्रकूट द्वितीय कृष्ण ने अपने सामत चदगुत क राज्य का एक गाँव दान दे दाला था^६। चालुत्य सम्राट् सोमेश्वर के प्रधान मत्री के आदेश से उसके एक सामत को किसी कार्य के लिए ५० स्वग मुद्राएँ दान में देनी पड़ी थी^७। परमार राजा नरवर्मा ने अपने सामत राज्यदेव के एक गाँव की २० 'हस्त' जमीन किसी व्यक्ति को दान का।

१ वीं इ. इ. ३ पृ० २३६ इंडि दिस्त्र वा ६, पृ० ८३, इंडि देवि ६ पृ० ३१०-२।

२ इंडि देवि १२ पृ० १५।

३ परि इंडि १, पृ० १६५।

४ परि इंडि ३ पृ० ६।

५ ज. प. सा. य. ७ पृ० ७३३ ३

६ इंडि परि १३ पृ० ३८।

७ परि दि १ पृ० ८९।

८ इंडि परि १ पृ० ११।

९ प्रोमेन रिचर्ड, भ. स. वे. ५, पृ० ५७, सादारक्त दृश्य पृ० १८०।

परमार ने इस संघर्ष के आदेश से उसका सामत गणरेव भूमिदान करता पाया जाता है ।

विद्रोही सामतों को पराजित होने पर वहो लौउनाएँ सहनी पड़ती थीं । गुरुरात के कुमारपाल (१११० ई) ने अपने सामत विक्रमिदि का हराकर उसे अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके भतीजे को प्रतिष्ठित किया था^१ । कभी कभी इससे भी अधिक लौउना सुगतनी पड़ती थी, कभी कभी उनसे विजेता के अश्वशाला हस्तिशाला में हाह्व दिल्लियों जाती थी^२ । राजदोष के दृढ़ में उनका कोय, जोड़े और हाथी खस कर लिये जाने थे । कभी कभी उनके राज्य भी खस कर लिये जाते थे या योड़े दिनों के लिए शासन प्रबंध उनके हाथ से छोन लिया जाता था ।

बंशीय सत्ता कमज़ोर पहुँचने पर सामत गण प्राय स्वतंत्र हो जाते थे । गुरुर प्रतीक्षार साम्राज्य को अपनति के समय उसके अनेक सामतों ने 'महाराज्ञविद्या परमेश्वर' आदि समाचेतित उपाधियों घारण कर ली थी^३ । सामत लोग अपने शासनों में (फर्मानों) में अधिष्ठित का नाम देना चाह कर देते थे पा देते भी थे तो यों ही उल्लेख कर देते थे । फर भी नियमित रूप से देना चाह हो जाता था । अधिष्ठित की शक्ति कम हो जाने पर उस उसे युद्ध में सामतों की मदद की आवश्यकता होती थी तो सामत सहायता के बदले अपनी मनमानी शर्तें लगाते थे । उदाहरणार्थ चगाड़ के राजा रामपाल को अपने सामतों को ऐनिक उदायता प्राप्त करने के लिए, बहुत अधिक अधिकार छोड़ने पड़े थे । सम्भाट अधिष्ठित के उत्तराधिकारियों में राजसिंहासन के लिए संघर्ष होने पर तो सामतों की ओर उन जाती थी, वे प्रतिद्विद्यों का पक्ष महण करके अपने पक्षद के आदमी को छिनाउन पर बिठाने की कोशिश करते थे, और नये राजा से मनमाने अधिकार प्राप्त करके अपनी पुरानी परावयों को छोने का प्रयत्न करते थे । नया सम्भाट राजा भी इस विषय में न रहता था कि अपने गद्दी दिल्लीनेवालों की बातें मानने से इनकार कर सके । यदि उच्चर विकारी बहुत हो कमज़ोर होता था, तो सामत स्वयं सम्भाट पद प्राप्त करने के लिए लड़ना शुरू कर देते थे । चालुक्य साम्राज्य के पतन पर यादवी, कठ

^१ दृष्टि दृष्टि ४ पृ० १२० ३ । २ कुमारपाल प्रबंध पृ० ४२ ।

^३ परि दृष्टि १८ पृ० २४८ ।

^४ परि दृष्टि १४ ११३, ३ ४ २६१-७ ।

चुरियों और होथालों में दक्षिण के आविषय के लिए १२ वीं सदी में गहरी होइ लगी जिसमें यादशो को सफलता मिली। इसी प्रकार के दृश्य प्रत्येक साम्राज्य के पतन के समय देखने में आते थे।

परावित राजाओं को राज्यबद्ध न करने की नीति से अवश्य ही चिरागत स्नायों और स्थानीय स्वतंत्रता की रक्षा होती थी। परतु इससे राज्य व्यवस्था में स्थायी अशांति और अधिपतता के बीज पड़ जाते थे। निःसंगत सामत राजा सम्प्राट् के शुए को अपने कब्जे से उतारपेक्ने की ताकमे रहते थे, और प्रभु शक्ति को सदा उनकी रातिविधि पर छही नज़र रखनो पड़ती थी। सामत गाज्यों की सैनिक शक्ति नहीं थी जो सकती थी क्योंकि अधिपति को उसकी आवश्यकता पड़ती थी। प्रभु शक्ति और सामत का सम्बन्ध बहुधा समझ तटस्पता (armed neutrality) का सा रहता था। अधिपति अपनी प्रभुसत्ता तक कायम रख सकता था, और उक्त धृष्टि अपने सामतों को एक दूसरे के मुकाबले रखकर उनकी शक्ति सद्विरित रखकर सबको अपने वश में रख सके। इस स्थायी अशांति और अधिपतता के परिणामों पर अगले अध्याय में विचार किया जायगा।

१४ चौथ्याय

सिंहावलोकन और गुण दोष विवेचन

पिछले १३ अध्यायों में हमने राज्य और उसका स्वरूप ध्येय तथा कार्यों के विषय में प्राचीन भारतीयों के विचारों, आदर्शों और शासन की विभिन्न शाखाओं का धर्णन किया है। शासन के विषय का विचार करते समय हमने शासन यज्ञ के विभिन्न पुँडी,-राजा, अमात्य, वैदीय शासन कायानय,-आदि पर अलग अलग विचार किया और उनके विशेष स्वरूप तथा प्रत्येक युग में उनके इतिहास की समीक्षा की। इससे पाठकों को विभिन्न शासन उद्धारों और पदों की उत्तराधि और विकास का कम समझने में सुगमता हुई होगी। परन्तु यह भी आवश्यक है कि पाठक के सम्मुख विभिन्न युगों की शासन व्यवस्था का यूरा विश्व में रहे ताकि वह प्रत्येक युग की शासन व्यवस्था को सुरक्षा विशेषताओं को ध्यान में रख सके। अत इस अतिम अध्याय में पहल एक एक युग की शासन व्यवस्था की साधारण समीक्षा की जायगी।

योते युगों के अध्ययन का अपना ही आकर्षण और महसूस है। पर यह बहुत्यान की समस्याएँ, मुलाकातें में भी उदायक हो सकती हैं। अतएव इस अध्याय के दूसरे माग में हम प्राचीन भारत के राष्ट्रनीतिक चितन और शासन व्यवस्था की साधारण समीक्षा या मूलवॉक्न करेंगे और निपद्ध भाव से उनके युग दोष का विवेचन करेंगे। प्राचीन भारतीय राज्य तथा के गुणों को समझ कर हम वर्तमान काल में भी उन्हें प्रशंसा कर सकते हैं, और दोष पहचान कर नया विभान बनाने में उनसे बहु सकते हैं।

सिंहावलोकन

प्राचीन भारत को जाति, विवाह, आश्रम आदि सत्त्वा और प्रथाओं के विकास कम के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है पर राज्यतत्र और शासन व्यवस्था के विषय में यह बात नहीं है। वैदिक काल की शासन पद्धति की साधारण रूपरेखा तो लोंचों जा सकती है पर अगले एक हजार वर्षों में इसके विकास का कम हमारी आँखों से बोझल हो जाता है। पिर पर्दी उठने

पर मोर्ये सम्राज्य के पूर्ण विभक्ति शासन तंत्र का दर्शन होता है जो केवल राज्य के आवश्यक ही नहीं बरन अनेक लोकहितकारी इतरार्थों का भी समाजन कर रहा था। वैदिक काल की राजदत्तत्र, जो वैष्णव योगे से आवश्यक कार्यों का ही समाजन करता था, विभक्ति द्वाकर के से इतने कार्य बरने लगा यद एक प्रकार से अशांत ही है। मोर्ये सम्राज्य की शासन पद्धति जाद के लिए मोर्ये एक पक्षार से रुद्धि हो गयी और इसमें अधिक परिवर्तन या विकास नहीं दिखाया देता।

वैदिक काल में राज्य और शासन-पद्धति

वैदिक काल का राज्य प्राचीन यूनान के नामर राज्यों की मात्रि छोटा होता था, उसका विस्तार आजकल के एक छिके से प्राय अधिक न था। अधिकार्य राज्यों की दरवाज़ी भी एक विदेष जन या क्षेत्रे से सबद्ध थी, राज्य के नागरिक अपने बो दटु, पुरु, तुग्गु देस विही पौराणिक पुरुष की सतान समझते थे। यातक बग में विभिन्न कुलों के घटपति ही समिनित थे। इन कुलों को मिटा कर 'विश्' की रचना होती थी, विश्वा अध्यद 'विश्यपति' होता था, इन 'विशों' को मिटाकर 'वन' की रचना होती थी जिसका प्रधान जनशति या राजा होता था। प्राचीन यूनान की मात्रे यहाँ भी राजा का पद अभीरों या सरग्नों के महल के प्रधान का था। अतः उसके अधिकार भी सीमित थे और यह देवोपम भी न माना जाता था। वैदिक काल के अतिम चरण में राजा के दार्यों की तुलना इंद्रादि देवताओं से होने लगी और उसके द्वितीय के द्विदाति का शीघ्रारोग हुआ।

काटकम से यादों का विस्तार और राजा के अधिकार भी बढ़ने लगे। विदु एतान्दियों तक समिति देखी लोकसभा का पूरा विषयवस्तु राजा पर काढ़म रहा। समिति के विरोध राजा के निए सबके बड़ी विपत्ति समझी जाती थी। समिति में समवद विश्युपति और दृद्यति रहते थे। निर्य के शासन कार्य में राजियों की समिति राजा की सहायता देती थी, इसमें उसके गिरफ्तेदार, दरबारी, और प्रमुख विमलों के अध्यक्ष रहते थे। इस मुग के प्रमुख अधिकारियों में देनापति, समर्हीता, सनिधाता और आमणी आदि का उल्लेख होता था। यद इसे कि सरकार का मुख्य कार्य भी ही शम्भुओं और उनको से याज्ञ का रखा जाता था, और इसके द्विए आवश्यक कर वसुल किया जाता था। आरम्भ में कर यदा कदा और स्वेच्छा से दिये जाते थे पर आर्यों भी में अनिश्चय हो गये। वैदिककाल के पर्वती मार्ग में ही सरकार ने गम्भीर

विहावलोकन और गुणदोषविवेचन

शासन के निपटारे के नाम लिया, इसके पूर्व सब शासके ग्राम रभा द्वारा ही निपटाये जाते थे ।

वैदिक राज्यों के छोटे द्वारे के काले इस युग में प्रतीय या प्रादेशिक शासन का प्रारम्भ भी नहीं दिखाइ देता रहा । प्रामनी का (मुखिया) राजा और उसको राजन्यरिपद से सीधा उच्च था । कालकाल से राज्यों का विस्तार बढ़ा । राज्य सब बनाने की प्रवृत्ति भी लवित होती है, कुरु और पांचालों के मिलकर एक राज्य बनाने का उदाहरण हमारे समुद्र है । जाहाज ग्रन्थों में समाट और साम्राज्य का भी उल्लेख मिलता है । पर ये साम्राज्य भी शायद ही आधुनिक कल्पितविद्यों से बड़े रहे हों । पर इनके विकास से उन राज्यों (Tribal states) का अत दो गशा । १००० ई० प० से सर्वेत्र प्रादेशिक राज्यों का ही चलन दूर्या ।

जाहाज युग के बड़े राज्यों में (१० प० १०००) अवश्य ही जिक्रों की शासन पद्धति का विकास हुआ रहा पर इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । न केंशीय शासनालय का ही कहीं बोलन है । उस समय लिपि या वेष्टन कला का अधिक प्रचार नहीं था और राजा अपने छोटे राज्यों का प्रबन्ध से स्वयं ग्राम घूमकर या उद्देश्यवाहकों द्वारा उपक इधरित करते थे ।

राज्य के लक्ष्य और आदर्शों के विषय में भी विषयित विचार या चर्चा वैदिक बाटमय में नहीं मिलती । पर एक उल्लेखों से जात होता है कि वरुण की मातृत आदर्श राजा से भी घृतवत्, (नियमों का पालक) होने की आशा की जाती थी । अपनी प्रबन्ध की नैतिक और भौतिक उन्नति को वेदा भरना भी उसका कर्तव्य था ।

वैदिक काल में नृपतत्र उर्बाचिक प्रचलित था, पर इसके साथ साथ गण राज्य (Republics) भी बहुमान थे । वे वैराज्य (राजा नहिं) कहे जाते थे, इनकी लोकसभा में सभमत विश्वृति और गृह्णपति रहते थे अपना अध्यक्ष चुनते थे । जब अध्यक्ष पद अनुघ्यक हो जाता था तब राज्य नृपतत्र में परिवर्तित हो जाता था, जब तक यह पद निर्वाचित रहता था, गणराज्य का अस्तित्व बना रहता था ।

ई प० ६०० ई० के बोच मगध और कोशल ये दो राज्य काफी विस्तृत हो गये थे, पर इनकी शासन पद्धति का अधिक विवरण नहीं मिलता । राजा शासन उनका प्रबन्ध था, उसकी सहायता के लिए मन्त्री रहते थे । बिला और प्रात के शासन का मठों मात्रि विकास न हो पाया था, क्योंकि माधवराजा

विविषणने एक समय ८० द्वारा ग्रामों के मुख्यांश का समेलन किया था, न विषयाद्विपत्तियों का या पदचार्यपत्रियों का। परं नंद राज्य में महामात्रों की सहायता से प्रांताय शासन पद्धति का निर्माण आरम्भ हुआ। मौर्य राज्य में इन महामात्रों का पद और भी महत्वपूर्ण हुआ।

मौर्य युग

मौर्य काल का राज्य और शासन पद्धति वैदिक कालसे बहुत अलग है। इमरे सम्मुख एक सुसंगठित राज्य की पूर्ण विकासित शासन पद्धति उपरियत होती है विभेदे प्रात्, उच्चा, नगर और ग्राम की संरक्षणे अपने अपने देश में काम करती दिखायी देती है। राजा का पद अनुबंधक हो जाता है और निर्वाचन पद्धति छुट हो जाती है। राजा के अधिकारों को भी वृद्धि होती है और वह लेना, शासन, याय आदि राज्य के सब विषयों का सर्वेक्षण हो जाता है। यह विविध नियम बनाने के अधिकारों का भी दावा करता है और उसके शासन दाया घारणाओं को कानून कानून मिलता है। वैदिक काल की समिति के तिरोधान से राजा के अधिकारों में भी भी वृद्धि हो गया। राजशे के अधिक विलूप्त हो जाने के कारण और यातायात की कठिनाई के कारण समिति के नियमित रूप से एकत्र होने में कठिनाई होने लगी, इससे भीमे भीमे उत्तर वैदिक युग में समिति का तिरोधान हो गया और मौर्य काल या उत्तर वाद के किसी लेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा कि सभी अध्याय में दिखाया जा चुका है यह मत ठीक नहीं है कि समिति के इषान पर वीरकानपद सत्याश्रों की प्रतिष्ठा इस युग में हुई।

वैदिक कानून रूलियों अथवा राजा के परामर्श दाताओं की समिति का इस युग में विकास और शक्ति हुदि हुई। अब इसने नियमित मन्त्रि परिषद का रूप घारण कर लिया और इसमें राजा के विरेदारों और चापलों की स्थान न रहा। समिति के न रहने के कारण मन्त्रिपरिषद् वैषानिक दृष्टि से राजा के प्रति दो उद्दरदायी रही एवं प्रति लोकमन्त्र का भी इस पर बहुत प्रभाव था।

मौर्य कालीन शासन में सबै उल्लेखनीय परिवर्तन सरकारों कारों के विस्तार में दर्शित हुआ। इसके मन्त्रियों और विमानों की संख्या में भी वृद्धि हुई। उत्तर वा ग्राम के बड़े शासनों और सुव्यवस्था की रद्दा न रह गया बल्कि यह एकमुदि के लिए राज्य को और से खान सुदृशने, घग्नों के विस्तृत करने, नयी घस्तियाँ बढ़ाने, राज्य की ओर से उद्योग दर्शे चढ़ाने, और

सिंहावलोकन और गुणदोषविवेचन
सभीगरों तथा गिलिस्यों का सरदान करने आदि को भी ध्यान स्थापना होने लगो ।
सामाज्य नागरिक स्वीकारगरों (Consumers) के हित का भी ध्यान रखा गया
और इस हेतु नाप व तौल का मान स्थिर करने तथा बस्तुओं का सचय और
मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार की ओर से बाजारों के नियीक भी नियुक्त
किए जाते थे । यह, मदिरापान की अत्यधिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धि
के लिए अम और सदाचार के मोरसाहानार्थ विशेष कर्मचारी नियुक्त किये
जाते थे और विद्वानों तथा कलाकारों की आश्रय दिया जाता था । आत और
दीनों के कष्टनिवारण के लिये सत्र, शगालय (अस्ताल) और अमंशालाप
लोटी जाती थी । इन सब कार्यों के लिए राज्य को बहुत से नये विभाग लोडने
पड़े और कर्मचारी नियुक्त करने पड़े । इसमें उद्देश नहीं कि उपयुक्त कार्यों
में मौर्य शासन को पर्याप्त सफर्ता मिलो । यह कहना कठिन है कि मौर्य
साम्राज्य के बाद के छोटे राज्य भी इन सब कार्यों को कर सके या नहीं ।

इतने विविध कार्य करनेवाले बड़े साम्राज्यों के प्रादुर्मांव के फल स्वरूप
हुई । २५० ई० पू० तक साम्राज्य के शासनालयों (Secretariats) को भी स्थापना
और शासन की विभिन्न कंद्रीय, प्रातीय, प्रदिविक और स्थानीय शाखाएँ भी
अस्तित्व में आ चुकी थीं । यही ध्यान स्थापना किंचित् परिवर्तनों के साथ पूरे प्राचीन
काल में तोहबी बढ़ी के बर्त तक चलती रही ।

बड़े साम्राज्यों की बड़ी सेना भी दोनों चाहिए, और २०० ई० पू० से घड़ी
सेनाएँ प्रत्येक राज्य में पायी जाती थीं । राज्य की आय का सबसे बड़ा भाग
इहीं पर खर्च होता था । सरकार के विभिन्न विभागों और सेना के लिए ध्यान
जुटाने के लिए करों में भी वृद्धि हुई । करों की संख्या और इनको दरमें भी
वृद्धि उत्तरोत्तर होती गयी ।

इम देख चुके हैं कि वैदिक काल में अनेक प्रदेशों में गण-राज्य बहसात
में ये गणराज्य कायम में । अगरी शताब्दी में नद साम्राज्य के वित्तार ने
शाक्य, कालिय, मङ्ग, विदेश आदि अधिकोश उत्तरी पूर्वी गणराज्यों का अस्तित्व
नष्ट कर दिया । पर पश्चात और विष्वके गणराज्य ३२२ ई० पू० तक कायम रहे ।
इहें मौर्य साम्राज्य के बामने विर सुखना पहा पर मौर्य राजाओं ने आतंकिक
प्रधान में इनकी स्वायत्त रखा । कायम रहने दी । मौर्य साम्राज्य के पतन के

बोहगय राज्योंने फिर उत्तरायण पर कुपाण्य राजाओं ने फिर कह दयको तक हमें अपने अधीन रखा।

विदेशियों की शासन प्रणाली

इस काल में शासन पद्धति में बहुत कम परिवर्तन हुए। इस काल खड़ में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत और गुजरात, छाड़ियावाड़ द्या यजपुलाना में अनेक विदेशी राज्य स्थापित हुए पर उनको शासन पद्धति पूर्ववर्गित पद्धति से बहुत भिन्न न थी। राजा शासन का अधिष्ठाता थना रहा। उसके अधिकार दिनों दिन बढ़ते ही थाते थे। उसकी उत्तराधियाँ बड़ी लड़ी चौदो होती था रही थीं। चार्गुप्त और अशोक जैसे शृङ्खिलाओं द्याएक हो के बहुत राजा को ही उपाधि से हटाए ही गये। कनिष्ठ ने 'महाराज' 'राजातिराज' और 'देवपुत्र' की उपाधियाँ घारण की थीं। 'देवपुत्र' स सूचित देता है राजा की दिव्यता की भावना कुपाण्य राजाओं के समय और भी बढ़ती हो गयी। कुपाण्य राजा देवकुल या मंदिर भी बनवाते थे जिसमें उनका बृहके मृत राजाओं को प्रतिमाएं स्थापित हो थाती थीं। यह कुपाण्य राजाओं ने 'द्वैराज्य' की भी प्रथा चलायी जिसमें राजा और युवराज उपुत्त शासन करते थे। स्वेलिरायप्रेम और अमेष, इगन और इगमप, गोदोपर और गढ, कनिष्ठ द्वितीय और हृषिक के द्यम इस द्वैराज्य के उत्तरायण हैं। परिचम हिन्दुस्थान क चतुर्पांके राज्य में पिता और पुत्र एक साथ राज्य चलाते थे और दोनों अपने नामउ मुद्राएं भी थारी करते थे। इसमें पिता महाद्वयप को उपाधि घारण करता था और पुत्र द्वयप का शक्तिकुपाण्य की इस द्वैराज्य पद्धति में कनिष्ठ शासक के अधिकार हिंदू शासन पद्धति में युवराज को ग्रास अधिकार से अधिक थे।

इस देश नुक्के है कि ५०० ई पूर्व के दिक्क वालों लोक सभा या सभिति का अस्तित्व मिट चुका था। प्रलूब युग में भी इस प्रशार की काह लोक सभा स्थापित न हो सकी। ऐंक्रोप उत्तरायण, युवराज और मन्त्र परिषद् (जो राज्य के प्रति उच्चराज्यीय थी) के राज्य में थी। पूर्वशास्त्र की मांति ऐंक्रोप राजधानी में शासनाध्य (Secretariat) बहंमान के जो ऐंक्रोप सरकार के विभिन्न कार्यों में प्रकृत्यता बनाये रहते थे और ऐंक्रोप सरकार के कार्यों को शान नगर और मामों को भेजते थे।

श्रीत, चित्तो, और पुर का शासन पूर्ववन् चलता रहा। विदेशी राजाओं ने देवद कुठ प्राचीन राजधानियों के नाम भर दिये, उत्तरायणीय भीतीप शासक या उत्तरायणीय राज्य में दक्षन और महाद्वयप, जिन्हें क अधिकारी

चूनानी राज्य में समवत् 'मेरिहार्क' और लेनानायक 'स्ट्रैटेगास' पुकारे जाते थे। विदेशी शासन एक दो पीढ़ियों के बाद भारतीय बन जाते थे और हिंदू उत्तरित और घर्म क द्वाय हिंदू राजनीतिक सिद्धांत और पद्धति भी अद्वा कर लेते थे। उदादरशाय महान् शक शासक छद्ममा को भी चारपुष्प और अशोक की भाँति प्रक मन्त्रिपरिषद् यो लिखके सदस्य 'प्रति सचिव' और 'कम सचिव' नामो स सबोधित किये जाते हैं। छद्ममा ने अपने रेख में गवं के साथ छिला था कि 'मैंने अथविदा (राजनीति) वा अध्ययन किया है और इसी के सिद्धांतों के अनुसार शासन करता हूँ।'

कुम, पञ्च, पाहल्व, कुषाण, शक और छात्वादिन वश के शासकों के शासन क्षेत्र के बारे में बहुत कम सामग्री मिलती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये शासक अर्थ शासन में निर्दिष्ट और मौर्य राजाओं द्वारा किये जाने वाले विविध राजकीय कार्य करते थे या नहीं।

गुप्त और गुप्तोत्तर कालीन शासनप्रणाली

भारतीय राज्य शासन के सिद्धांतों और शासन पद्धति में गुप्त और गुप्तोत्तर काल में भी (३००-१२०० ई.) अधिक परिवर्तन न हुए। अतु वैशकराजा शासन का अधिष्ठाता बना रहा और उसके हाथों में ही शासन, लेना और यायके समत्त अधिकार वैदित है। राजा देवोपन माने जाते हैं पर दायी और भूलों के परे नहीं। उसे विशेष रूप से घर्मानुसार भावारण और कत्य वाल्न करने को कहा गया था वर्णोंकि प्रजा भी उठी के दिलाये रास्ते पर चलती थी। मन्त्रिपरिषद् पूर्ववद् राजा को सहायता देती रही और भावारण रियल में राजा तथा शासन की गतिविधि को प्रमार्वत करने को इसमें शक्ति थी। वैद्रीय शासन कार्यालय भी पहले की भाँति काम करते रहे। मिरीदग की पद्धति पहले को अपेक्षा बहुत विकसित हो चुकी थी। पूर्य की भाँति प्रांग, जिनेमौरपुर के शासन कायम रहे पर विमिन शतान्द्रियों और प्रदेशों में इनक पदाधिकारियों के नाम बहुधा बदलते रहे। लेना विभाग सबसे महत्वपूर्व और लच्छिला विभाग बना रहा। अधिकारी श्रोतों और प्रादेशिक और जिनेके शासक और मन्त्रिपरिषद् के सदस्य लेना के पदाधिकारी भी थे। राष्ट्रोप सपत्नि और प्राइविक लाघनों के विहार पर पहले के समान हो ज्यान दिया जाता था। लानों और लग्नों के विकास का यज्ञ शोता रहा। व्यापार और उद्योग की देखरेख के जिए विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। प्रचारी भाष्यालिक और नेत्रिक उन्नति का भी मात्र किया जाता था, इसके टिए, मन्त्रि परिषद् में प्रक विशेष मशी रहता था जिउका

काम जनता के आचरण की देख रेख रखना, धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों को सहायता देना और समाज सुधार तथा प्राचीन प्रथाओं में व्यावश्यक परिवर्तन के विषय में राजा को परामर्श देना था। अन्य योगों को अपेक्षा इस कालके बहुत अधिक शिलालेख और ताम्रपत्रादि उपलब्ध हैं जिनके पता चलता है कि यिन्हाँके प्रचार और ज्ञानको वृद्धि की प्रश्नासनीय आकृष्णासे प्रेरित होकर सरकार शिक्षासंस्था और विद्यालयों को खोलकर दान और सहायता देता था। राज्य द्वारा मंदिर निर्माण की प्रवृत्ति भी संशोधन, व्यापार्य, चित्रण और वृत्त्यादि उत्तित कलाओं को उन्नति में बहुत सहायक हुई।

इस कालमें शासन पद्धति में दो बदलेखनीय परिवर्तन हुए। ४०० ईं से प्राचीन भारत से गगतश पद्धति का अविकास उठ गया। अनुवशक राजा को उच्चोचर बढ़ती हुई मक्ति के कारण गगतश के अध्यक्ष का पद भी अनुवशक होने लगा। गणतंत्र के अध्यक्षों को राजकीय उपाधियाँ भी लगायी जाने लगी। अब इनका पद भी अनुवशक हो जाने से इनमें और अनुवशक रूप में ऐह ही न रह गया।

इस काल का दूसरा उल्लेखनीय परिवर्तन ग्राम और नगर समाजों के द्वारा और अधिकारों में अभ्यूतपूर्व वृद्धि है। ये संस्थाएँ पहले भी बहुमान थीं, पर उपलब्ध प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि इनका रूप वैष्ण द्वी जेर सरकारी और इनका कार्यक्रम उतना ही विस्तृत था जैसा ४ थी शताब्दी से उच्चर और दक्षिण भागत दोनों में पाया जाता है। सधि विग्रह को छोड़कर सरकार या राज्य के बाही सब काम ये करती थीं। ये स्थानीय शासन संस्थाएँ जनसंघ के दृढ़ दुर्ग के समान थीं और इनकी कार्यक्रमता के कारण समिति के व्यभाव का हुआपरिणाम विषेष रूप से प्रवीत न होने पाया। जनता के अधिकारों और खर्चों को सहरकूता पूर्यक रूपां द्वारा ये ग्राम संस्थाएँ राजा की अधिकाधिक अधिकार इसतंत्र करने की प्रवृत्ति की काफी रोक याम करती थीं। जनता से कर वसूने का कार्य अधिकतर ग्राम पचायते ही करती थीं, यदि राज्य द्वारा नये और पाय विद्युत कर लगाये जाते तो ये उद्दे वसूने से हो इनकार कर सकती थीं। गमोर व्यवराधी जो छोड़कर बाही सब झगड़ों का निपटाया ग्राम पचायने ही किया करती थीं।

प्राचीन शासन पद्धति का गुण-दोष विवेचन

अब हमें प्राचीन हिंदू राज्यतंत्र और उक्ती सम्बन्धीय कार्यक्रमता के विषय पर विचार करना है। ऐसा करने में हमें पूरी निष्पत्ति से काम लेना

आवश्यक है। पर हमें यह भी न भूलना चाहिये कि प्राचीन शासनों और संस्कृतों की परीक्षा ऐसे मानदण्ड से नहीं करनी चाहिये जिसका उस समय कही अस्तित्व थी न था। हमें हिंदू राज्यवर्ण के विषय में धारणा लिख करते समय उस समय के आतावरण और परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। प्राचीन फाल की इस समीक्षा से बहपान और भविष्य के उपयोग को छोड़ते होकर देना ही हमें उल्लेख कर देना है।

प्राचीन भारत में गण राज्य, उच्चजनताच, द्वैषज्य और नृपतत्र आदि विविध शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं, पर अत में नृपतत्र का ही सर्वत्र प्रचार हुआ। यह घटना प्राचीन भारत में ही नहीं थी, प्राचीन यूरोप में भी ऐसा ही हुआ। प्राचीन ग्रीक और इटली में भी नृपतत्र और साम्राज्य ने गण राज्यों को विनष्ट किया था। प्रतिनिधि शासन की पद्धति प्राचीन भाल में पीर्वाण्य तथा पाश्चात्य दोनों से देखो को शात न थी अतएव गणराज्य या ग्रज्ञातत्र तभी तक कायम रह सकते थे जब तक राज्य का विस्तार योद्धा ही और लोक सभा के सभी सदस्य, जो अधिकतर विवरण के होते थे, प्रक इधान पर एकत्र हो सकें। प्राचीन ग्रीक और रोम के ग्रज्ञातत्र राज्यों की मौति यहाँ के गणराज्यों पे भी सक्ता साधारण जन क हाथ में न होकर दफ्तिय, या कहीं कहीं नाशाग जैसे छोटे से विशेषाधिकारों वाले के ही हाथों में रहती थी। हिंदू राज्यतत्र ऐसे उमाद में काम कर रहा था जहाँ जाति प्रथा बहमान थी और शासनार्थी दफ्तियों का कार्य भौर कर्त्तव्य माना जाता था, कुछ हद तक ग्राहण भी इस काय में ठनकी रहायता करते थे। अत प्राचीन भारतीय गणराज्यों में प्रतिनिधि जुनने या मतदान (franchise) का अधिकार साधारण भन को नहीं दिया था सकता था। परन्तु यतमान सुग जामना जाति हाथ साथ विप्रवेन का सिद्धांत स्वीकार नहीं करता अत आज सबकी मता दिक्षार देना होगा।

यह छोक्तत्र का मुग है और हाल में ही भारतवर्ष स्वतत्र ग्रज्ञातत्र हो चुका। अत हमें उन भारतीयों का जान लेना चाहिये जिससे प्राचीन भारतीय गणराज्यों का विनाश हुआ। साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में लोकतत्र पद्धति छोटे राज्यों में ही सफलता पूरक रूप सकती थी। इसके लिए शासक वर्ग का एक विशदी का होना भी आवश्यक था। इस प्रकार के ग्रज्ञातत्र विस्तृत मानेविक राज्य का रूप न धारण नह सके। परन्तु अब वैशालिक यातायात ने दूरी की कटिनार्ह दूर दर दी है,

प्रतिनिधि शासन पद्धति का आविष्कार और संघेत्र प्रचार हो चुका है। जातीय राज्य का अस्थाय मी कब का बीत चुका है और ग्रामीय भावना का विकास हो चुका है। अतएव व्यव कोइ कारण नहीं कि भारत में प्रबालत्र पद्धति क्यों न सफलता पूर्वक चल सके।

प्राचीन गगराजपों के विनाश का एक कारण राजा को देवता मानने और राजमहिला की भावना के अत्यधिक प्रावृत्त करना भा था। जब गगराज के अध्ययन, इनापति और शासन परिपद के सदस्यों के पद मी अनुयशक होने लगे तब इनमें और नृत्यश में अवश करना कठिन हो गया। अब राजा के देवता का सिद्धांत मर चुका है और यह वर्तमान सुग में बोक्टत्रात्यक भाव नाभों के विकास या सद्याचारों की इधापना में वापक नहीं हा सकता, तिथा देशों राज्यों के बहाँ नृत्यश की परपरा अमो मा चली आ रहा है। पर प्राचीन भारत में भी देवता के अधिकारी थे हो राजा समझे जाते थे, जो सदाचारी, अत दत्त और सुयोग्य होते थे, जो अपनी प्रका के धारात्विक विधित (trustee) या सुरक्षक का काम करते थे और प्रका क हित के लिए अपन इत्यादि, सुविधा और सपत्नि का त्याग करने को तैयार रहते थे। देशों राज्यों में नृत्यश तभी कायम रह सकता है जब उसक नेतृत्व उपर्युक्त ऐगो क हो। यह न भूलना चाहिय कि हमार आचारों न दुष्ट अत्याचारी और अयोग्य राजा को राशाल बताया है और उन्हें राज्यस्थुत करने और मार डाढ़ने की मी अनुमति दी है।

प्राचीन भारतीय इतिहास और राज्यतत्र के अध्ययन से जात होता है कि हमारे गगराज शब्द तक पहले फूटवे रहे जब तक उनकी समाजों के सदस्यों में पकड़ा और मेल रहा। उनमे आपकी जगहे की प्रकृति बराबर वर्तमान रहे। इछ गगराजनों में केंद्रीय समा क प्रत्येक सदस्य को राजा को उपाधि द दी जाती थी। ये सदस्य किसी को मी अपना नेता मानते थे को चियार न थे क्योंकि इष्टवे ये अपनी ही मानते थे। पहोची राजा गगराजपों की समाजों के उदासों में फूट डाढ़ने के लिए अपने चर मेलते थे। गगराजमाझी में असुर गुट और दृष्ट बन जाते थे जो इक दूसरे की नीचा दिलान की उदा चेष्टा किया जाते थे और इस प्रकार बाहरी शृंखला की अने पर में इस्तदेव का दीपा देते थे। प्राचीन भारत क बहुत स गगराज्य पहोची उपजामों क प्रदेश से भारत में फूट हो जाने के बारग नष्ट किये गये। अबकर गगराजा का एक दृष्ट परिवर्त होकर दूसरे पद की नीचा दिलाने के टिक बाहरी शृंखला देता था और अने राज्य के नाम वा धारण बनता

सिंहावलोकन और गुणदोषविवेचन

२४०

मा। प्रजातप्रबादी नवमारत के होक-समा मनन (पार्लमेंट) के सिद्धार पर किञ्चित गणराज्य के विश्व में कहे गये मगवान्-बुद के बाह्य स्वर्णद्वारों में अकित रहने चाहिए। बुद का कथन या कि,—किञ्चित गणराज्य तब तक पलता-कृद्धा रहेगा जब तक उसके परिषद के सदस्य वार वार एकत्र होकर मनना करते रहेंगे, इद्ध अनुष्ठवी और योग्य पुरुषों का आदर और सम्मान करते रहेंगे, राज्य का एक मेड जोल और एकमत से करते रहेंगे और अपने द्वन्द्व स्वार्थों के लिए ज्ञानदेवाने दलों को उत्तम ही न हाने देंगे।

पीछे उल्लिखित कारणों से अत मै उपत्र ही सर्वथ प्रचलित हुआ। इसके इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे आचार्यों के सम्मुख जो आदर्य रखे उनसे ऊंचे आदर्य आधुनिक युग भी नहीं रख सकता। राजा पृथक्षत, माने नियम, व्यवस्था, याय और सदाचार के प्रत का पालन करनेवाला या, वह नियमों के पेर नहीं, नियमों का अनुगामी या। उसका पद अपनी प्रवास के विश्वस्त (trustee) = भी अधिक विमेदारी का या, विश्वस्त का कर्त्त्व तो सुपुर्ण कार्य से व्यक्तिगत ढाम न ढाना ही या, पर प्राचीन मारत के आदर्य के अनुसार राजा को राज्य की मलाई के लिए देनों पढ़ती थी। देवत का सुख, सुविवाची और बामों को व्यक्तिगत नहीं, उसका पद या। राजा कमी गलती अधिकारी राजा का व्यक्तिगत नहीं, तिलोजड़ि देनों पढ़ती थी। देवत का नहीं कर सकता और ईश्वर के दिया किसी को उसके बावजूद करने का अधिकार नहीं, यह सिद्धांत प्राचीन मारतीय आचार्यों को समत नहीं या। इस बात पर बराबर लोग दिया जाता या कि राजा को साधारण मनुष्य की अपेक्षा बहुत अधिक छठिनाहयों का सामना करना पड़ता है अत उसे राज्य कर राजसचा के प्रति आदर उत्तम करना या न कि राजाओं में निरकृपता और स्वेच्छाचरिता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना।

पर यह भी मानना होता कि व्यवहार में बहुत से राजा इस ऊंचे आदर्य का निर्वादन कर पाते थे। किंतु प्राचीन मारत में अस्याचारों और निरकृप शास्त्रों को सख्त मध्यमीन यूरोप से व्यापि अधिक न थी। पर भी इस पर विचार करना चाहिए कि किन कालों से राज्य का यह ऊंचा आदर्य कार्यान्वयन हो पाता था।

इसका सबसे प्रचान काल राजा के अधिकारों पर हिसी लोकिक और धरानिक रोड़ याम की व्यवस्था का अमाव या। मध्यकालीन यूरोपीय विचारकों

की मांति इमारे बहुसंख्य आचार्यों ने यह सो कभी नहीं कहा कि ईश्वर के सिवा अन्य कोई राजा से ज्ञान ललव नहीं कर सकता। पर भी व्यवहार देश में नरक के दय के अतिरिक्त राजा को निरकुशता से रोकने का कोई साधन न था। हमारे आचार्यों ने यह भी उठाह दी थी कि अस्त्यचारी राजा का दय छोड़ कर जनता अद्यत्र चली जाय और प्राचीन देशों से इह शास्त्रादिक राज्य धारा राजा के होश ठिकाने आने के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। पर यह उपाय व्यवहार में अस्त्यत कठिन है और इसका प्रयोग करना आसान नहीं। प्राचीन आचार्यों ने अस्त्यत गंगीर रियति में अस्त्यचारी राजा के वध की भी अनुमति दी है। पर इसके लिए प्रांति या जनविष्वद आवश्यक है, नित्य के शासन में ज्यादती रोकने के लिए यह उपाय बिज्जुल बेकार है। प्राचीन मारतीय राज्यशासी राजा की निरकुशता को रोकने का कोई लौकिक, वैज्ञानिक और च्याप्टारिक उपाय न निकाल सके इसमें कुछ संदेह नहीं है।

इसका प्रबान कारण वैदिक काल की टोक-समा या समिति का बाद के दुश में तिरोहित हो जाना है। जब तक यह सद्या वर्तमान थी, नित्य के शासन कार्य में राजा पर एक अकुण रहता था। वैदिक वाद्यमय से स्वयं शोत होता है कि राजा तभी तक अपने उपासन पर रह सकता था जब तक उसकी समिति का उपर्युक्त विरोध न हो। विरोध होने पर समिति भी हो बात प्राय मानी जाती थी और राजा को या शुक्ना पढ़ता या राजायाग करना पढ़ता था।

पर उत्तर वैदिक काल में धोरे धोरे देशीय लोक दमा बिलुप्त हो गयी। इस लिए नहीं कि जनता में बोकतप्र की माघना कम हो गयी बल्कि इस लिए कि राज्यों के अधिकाधिक विस्तार के कारण टोक-समा का अविवेशन दूसङ्कर होता गया। यदि चक्रगुप्त, अशोक या दृपदीवर्णन ने देशीय समिति पुनरस्यापित थी दूती तो सदस्यों को अविवेशन में बम्पिलित होने के लिए राज्यवानी पहुचने में कई सप्ताह लग जाते, बैठे ही, और पुन अपने अपने पर छौटने में उतना ही समय लग जाता। प्रतिनिवित निर्वाचन की पदति उस काल में अधिया या दूरोप देखी भी शात न थी।

वैदिक काल की मांति प्रातिनिधिक लोक-समाज़ रथापित कर के वर्तमान देशी राज्यों में नियधित और वैज्ञानिक वृपतप्र को पदति चलायी जा सकती है। किंतु हिंदी नरेशों को ज्ञान रखना होगा कि टोक-समा से विरोध होने पर उह या तो शुद्धना होगा या प्रदयाग या निर्वाचन शोलना पढ़ेगा।

मध्य राज्यों में देशीय टोक-समा का दार्ये करना असम्भव देख कर प्राचीन मारतीय आचार्योंने जनता के दित के रथार्थ शासनकार्य में अधिकाधिक

विकेन्द्रीकरण करने की व्यवस्था की थी। लिटा, ग्राम और नगर शासन को व्यापक अधिकार दिये गये थे। इन शासनों पर स्थानीय लोक समाजों का पूरा नियन्त्रण और देखरेख रहता था। गुप्त शासन काल में तो राज्य की पाती पा उच्चर भूमि बेचने के लिए भी खिले की लोक समाज की स्वीकृति आवश्यक थी। प्राचीन भारत की नगर और ग्राम समाजों के अधिकार, आधुनिक या प्राचीन, पाण्डात्य या पौरवात्य, कहीं भी इसी प्रकार की समाजों से पढ़ुत अधिक थे। ये स्थानों पर व्यक्तिय शासन की ओर से कर एकत्र फरती थीं, अनुचित करतों को एकत्र करने से इनकार कर देती थीं, गाँव के समाजों का निपटारा करती थीं, सार्वजनिक निर्माण कार्य करती थीं और बहुधा अस्पताल, अनाधार, और शिक्षा-स्थानों स्थापित करती और चलाती थीं। भारत के नव पिंडान में भी इसी परिस्थिति का गहरा व्यक्ति है और स्थानीय समाजों को अधिक से अधिक अधिकार और कार्य संभवना हितकर होगा। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा। प्राचीन काल में ग्राम या नगर समाजों की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय जनता सत्य और चारित्र्य का आदर करती थी और योग्यता, अनुभव तथा व्य का हार्दिक समान करती थी। ग्राम पञ्चायत के सदस्यों को निर्बाचित के लिए दीड़ धूप ने फरती पहुंची थी, जनमत ही उहे उस पद पर प्रतिष्ठित कर देता था। आजकल की लोकतत्र पद्धति और हृभाव, दलधर्षण और मतदान की प्रणाली उस समय अवश्य थी और आज भी इस देश के लिए नयी ही है। इसके सफलता के लिए शिक्षा के व्यापक प्रचार की आवश्यकता है और इसे शीघ्र उसके बारे में प्रयत्नशील होना चाहिये। ईश्वर और नरक का मय, धर्माधम का विचार तो आज लोग हो जुका है पर इसके स्थान पर नागरिक कर्तव्य पालन की मावना का विचार होना चाहिये। इसीसे इमारे निर्धारित प्रतिनिधि जनता के हित की सबसे ऊँचा स्थान हेने में समर्थ हो सकेंगे।

प्राचीन भारत की ग्राम पञ्चायतों को यायदान के व्यापक अधिकार थे। लिंग समीन अपराजितों के बाढ़ी सब मामलों का पैदाया ये ही करती थी। प्राचीन काल में लोकन सादा था, न्याय के लिए आने वाले सागड़े अधिकतर स्थानीय जनता के हाथ व्यवहार से सबूद रखते थे। सभी लोग विधि नियमों को जानते और समझते थे। आजकल का कानून पैचीदा और दुर्भोग होता है, इसकी आखरा या प्रयोग के लिए विशेषज्ञों की सहायता आवश्यक होती है। न्यायार्थी प्रतिपद्धी भी कमी कमी दूरके स्थानों के होते हैं। अतः आजकल की ग्राम पञ्चायतें उठना विस्तृत शाय नहीं कर सकतीं जितना दीवानी

मुहूर्दमों में प्राचीन काल की पंचायतें करती थीं। पिर भी ग्राम पंचायतों को कुछ दीवानी अधिकार देकर याय व्यवस्था के बिंकेंद्रीकरण का श्री गगेश अवश्य करना चाहिये। अपने पढ़ोत्तियों और रात दिन के साधियों के सामने सत्रविदित घटनाओं और हथ्यों के सबूत में सर्वथा मिष्ठा जाती देना प्राय छठिन होता है। ग्राम पंचायतों को न्यायशार्य सौंपने से ज्ञानदौ के विस्तरे में विषय अवश्य कम होगा। फिर भी प्रारम्भ में अवश्य छठिनाहस्या आरंभी। प्राचीनकाल में ईश्वर पर ग्रदा, जन्म से द्रेष और अधर्म से तिरस्कार के कारण लोगों में सत्यप्रेम तथा यायभावना प्रवल्ल थी। अब नागरिक इसमों का अहन और स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण आमों में परस्पर द्वेष और दृष्टदी का प्रावल्ल है और याय अ-याय का विवेक कुद पड़ गया है। अब अबतक प्राचीन काल की चर्मभावना के रिक्त स्थान पर नागरिक उच्चराजादित्व का भाव नहीं प्रतिष्ठित होता, ग्राम पंचायतों के सफलता यूर्वक वार्य करने में कुछ दिक्कत अवश्य होगी।

स्थानों परस्पराओं के लिए आवश्यक द्रव्य की व्यवस्था भूमिकरके एक अश्वी उनको देकर की गयी थी। सरकार के लिए प्राम-समाजें जो कर एकत्र करती थीं, उनका १५ से २० प्र श सरकार उद्देशी द दिया करती थी। आषुनिक काल में भी इस परिपाटी को अपनाया जा सकता है।

इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीयों ने कर व्यवस्था का आधार बहुत अच्छे विद्वानों पर रखा था। करमें छूट और रियापतों के लिए भी बहुत अच्छे विद्वान रियर किये गये थे। सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि सरकार उहों प्रकार कर एकत्र करे विस प्रकार भाषुमवला घूर्णी से रख एकत्र करती है और उद्देश थोड़ा नुकसान नहीं पहुँचाती। व्यापार और उद्योग को याय पर नहीं किन्तु लाप पर कर लिया जाय, किन्तु बहु परदो चार करन टागना चाहिये, और यदि कर बदाना आवश्यक ही हो तो थोरे थोरे दृष्टि दोनी चाहिये। उरमें छूट की व्यवस्था भी ठोक थी। प्रारम्भ में केवल निधन और विद्वान् जातियों की ही जो नि दुर्ल विद्यादान किया जाते थे, कर से मुक्त करने का विद्वान प्रविनादित किया गया था। इसका कुछ दुर्लप्तों मी दुश्मा, पर साकारातः व्यानार मा सरकारी नौकरी करने वाले जागरण कर स छूट न पाते थे। ऐसे उदाहरण विल दी थे जहाँ उम्जा जास्ता वर्ग कर स मुक्त था। जो ही आषुनिक काल में जाति के आधार पर किसी भी वर्ग को इस प्रकार की मुक्तिपा नहीं दो जा सकती।

देय स्वन की परिपाटी और परपता के अनुसार ही कर लगाये जाते हैं।

राज्य न केवल शासनों की ही वित्ता करते थे बरन सब जातियों की मौद्रिक और नैतिक उपचार के लिए यत्त्वाल रहते थे। हाँ एक जाति के व्यक्तियों अन्य जाति की वृत्ति प्रदान करने की चेष्टा अनुचित समझी जाती थी, कारण समाज का यही विश्वास था कि वृत्ति सभन्म से ही निश्चित ही जाती है।

आधेत्रहिमाचक पक्षकांग राज्यालय के रूप में सर्व भारतीय राज्य की कल्पना १००० रुपू ते तो अवश्य वर्तमान थी। पर भारतीय इतिहास में इसके पूर्णभूत होने के पूर्फ दो ही ददाहरण पाये जाते हैं। यह आदर्श भारत की मूलभूत भौगोलिक धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षता के अनुमय का ही परिणाम था। पर प्राचीन भारतीय राज्यतन्त्र स्थानीय स्वतंत्रता, सकृति और संस्थाओं को नष्ट करके सामाजिक स्थापित करना। अनुचित समझता था, इसी से यह उद्दिष्ट दिपर किया गया कि चक्रवर्ती पद का आर्थिक राजा अथ राजाओं से पर जेकर या अपना भमुत स्वीकार कर कर ही संतुष्ट हो जाय, उनका राज्य न नष्ट करे। युद्ध देश में मारे जाने पर भी वह किलो राजा के राज्य को अपने राज्य में न मिलावे, यहाँक मूल शासक के किसी कुटुंबी या रिश्वेदार की शर्दि वह उसी प्रमुख रूपीकार करे तो उसी गद्दी पर बैठावे। विजेता की स्थानीय विधि नियम, शैति और परपरा में भी इस्तदेव करने का निषेच था।

अत्यु, प्राचीन भारत के आदर्श राज्य के रूप में ऐसे शक्तिशाली राज्य की कल्पना की गयी थी, जो समस्त देश को एक सूक्ष्म में प्रवित करके एक ऐसीय शासन के अत्यर्गत सब राज्यों और दर्खों के विद्योग से आहरी शशुभों के आक्रमण से देश की रक्षा की इष्पस्था करे और साथ ही स्थानीय राज्यों या शासनों को अपनी रीति रिवाज और परपरा का पालन करने की तथा अपनी सकृति और अपने आदर्शों के विकास की स्वतंत्रता दे। यद आदर्श हमारे वर्तमान अखड़ और सुरक्षा भारत और पूर्ण स्थापत्य प्रांत के आदर्श से पूर्णतया मिलता है। अतः इस इसका सूक्ष्म विव्लेषण करके इसके गुण और दोष समझने की चेष्टा करेंगे।

एवं वित्त राज्यों को करद सामत रूपमें लीवित रहने देने की नीति के कुछ अच्छे फल जहर निकले। इससे स्थानविद्येय की सकृति, परपरा और राजनीतिक उत्थानों की अनुसृप विकास का अवसर मिला। इससे प्रातीय स्पर्श का माव व्यनिष्ट और संहारक रूप प्रदान न करने पाया, क्योंकि एक प्रोत दूसरे प्रोत या एक राज्य दूसरे राज्य की सकृति या अवितरण नष्ट करने का माव मन में न जाता था, उनका दृश्य अपनी प्रमुख रूपीकार करना ही रहता था। इससे युद्ध वह सर्वे संहारक और धर्वर रूप भी न ग्रहण कर पाया, जो इस विश्व युद्ध में दिखाई पड़ा, क्योंकि पराजित होने पर समूद्र नाश की

आशका किसी पद्धति के सामने न थी, जो उन्हें युद्ध में अमानुषिक व अशार्मिक उपायों का भी आलबन करने को प्रेरित करती ।

अधीन किंतु अत्यंत स्वातन्त्र्य रखनेवाले प्राचीन या राज्यों से बने हुए इस साम्राज्य के अनेक गुणों को स्वीकार करते हुए भी हम इसके दोषों को भी आँख से ओझल नहीं कर सकते । परावित राज्यों को कायम रखने की नीति मारत के इथायी एकीकरण में बाधक सिद्ध हुई । प्राचीन मारत के अधिकातर साम्राज्य सामत राज्यों के एक ढीळे सघ से थे, जो कुछ प्रभावी सम्प्रार्थी के पराक्रम और कार्यक्षमता के कारण कुछ दशक तक एक में बंधे रहते थे । सभी सामत सम्प्राट् पद के आकांक्षी रहते थे, और प्राचीन राजनीति याची भी इस आकांक्षा को स्वामादिक और उचित स्वीकार करते थे । फलस्वरूप प्राचीन मारत के किसी भी बड़े राज्य की स्विरक्षा अधिक दिनों तक न रह पाती थी । सर्वकांचित चक्रवर्ती पद के छिपे निरतर सघर्ष चला करता था । प्रत्येक राजा का अत्यंत या कि पढ़ोसी राज्य को कमज़ोर पाते ही उपर आक्रमण करे, और स्वयं चक्रवर्ती बने । अत यामत लोक सदा अपने अधिपति के विशद विशेष करने की ताक में रहते थे । यदि अधीन सामत राज्याओं के सम्मुख चक्रवर्ती पद प्राप्त करने का आदर्श न उपरिषित रहता और परावित राज्याओं का अरित्यन्त कायम रखने की नीति न बर्ती आती तो प्राचीन मारत के ३० प्र या युद्ध न हुए होते ।

प्राचीन मारतीय विचारकों को इस आदर्श में कोई दोष नहीं दीख पहा । उम्मेत उनका यह विचार या कि प्रत्येक प्रात या राज्यवद्य को चक्रवर्तित्व पद प्राप्त करने का उचित अवधर मिलना चाहिये । इससे यार यार युद्ध अविवार्य हो जाते थे, पर उम्मेत्वा के युद्ध द्वियों की सामरिक प्रशृति को बनाये रखने के लिए उपयोगी समझे जाते थे । मारत के साम्राज्य की राजघानी पाटलिपुत्र हो या कम्मोज या अष्टपी, कोई भी प्रात योग मारत पर आविष्यन्य प्राप्त करे, इससे किसी भी अधीन प्रात को सहृदयि, यम, या भापा पर कोई सकट न आता था, क्योंकि विजेता को किसी भी स्थान विशेष की सहृदयि, रीति रिवाज और सह्याभ्यों में उनिक भी हस्तद्वेष करने का कहा निषेष था ।

चीमे घीमे प्राचीन मारतीय दृढ़ और सुद्धियर केंद्रोंय राज्य की आवश्यकता और उपयोगिता को भूलते गये । हुकि ४०० ई० से सर्वत्र तृप्तत्र ही प्रचलित हो गया, अतएव राज्यों को प्रति स्पर्श ने राजघानी की व्यक्तिगत स्पर्श का रूप बारग कर दिया । जनता इन सम्पर्कों से उदासीन रहती थी, क्योंकि इसके परिणाम से उड़के रीति रिवाज, विधि नियम, और सह्याभ्यों पर कोई भी विषेष

सिंहायोकन और गुणदोषविवेचन

१४८

भूमि के लिए नहीं राजा के लिए लड़ने का मात्र रहता था। इसमें स्वदेशप्रेम ने, जिसमें प्रत्येक सामत बहुल सधीय सामाजिक के आदर्श था, पर विषय प्राप्त करके एक केंद्रीय राज्य की स्थापना की पूरा अधिकार हुआ करते थे, पर उनसे किसी सुदृढ़ एकेंद्रीय राज्य का प्रादुर्भाव न हो पाया था। राष्ट्र की शक्ति आंतरिक कठह में बेकार दृष्टि होती गयी। लड़नेवालों को कोई दाम न हो उक्ते वे कमज़ोर ही हुए, और देश शक्तिहीन होकर आपानी से सुखलमानी आकमण का धिकार बना।

इसारे इतिहास पर इष्टिपात करने से प्रकट होगा कि मारत ने उसी समय उन्नति की है जब यहाँ कोई सुदृढ़ केंद्रीय शाखा न स्थापित था। अधोक, दितीय मारत काफी उन्नति कर उका। पिछले १०० वर्षों में देश ने जो समय हम इतिहास की यह घिरा भुला नहीं सकते। पराजित राज्य का अस्तित्व और उसके नियम और न्यवस्था नष्ट न करने का पूरा अधिकार आज भी उत्तमता का अपने दृग पर अपनी सकृति के विद्युत का यह स्वतंत्र होना रखने और दूसरों पर विचारक यह सुविदा देना उचित समझते थे, ताकि प्रत्येक राज्य को कभी मारतवर्य का प्रमुख राज्य होने का अवधर मिल सके। इसारे माचीन क्षेत्र में ऐसी कोई प्रातिनिधिक सरकार न थी, जिसमें प्रत्येक प्राप्ति और नियंत्रण और मारा है। वैद में लोकप्रतानुयायी प्रतिनिधि सरकार हो जाने पर अब किसी मो प्राप्ति या राज्य को समर्पण मारत न थी, जिसमें प्रत्येक प्राप्ति और अपने दृग पर विकास का अधिकार पर अपना आविष्ट्य उभाने का अवधर नहीं दिया जा रहा। प्रत्येक प्राप्ति और राज्य को पूरी स्वायत्त उसी प्रशृति को दबाकर केंद्र में सुदृढ़ सावंदेशिक सरकार कायम करनी होगी, जिसमें देश को रदा करने की सामर्थ्य और मारत को पुन शक्तिशाली और समद राष्ट्र बना सकने की उमता ही।

परिशिष्ट १

विशिष्टार्थक शब्दसूची

द्वितीय अंग्रेजी

वित्तमेत्यम् Ultimatum	जनराज्य Tribal state
अधिकारिक अधलोकिक Semireligious	तत्त्वज्ञ Sculpture
अपदस्थ करना Dethrone	पातो Trustee
अनुमति पत्र License	दावित्य Obligations
अमीर दमा House of Lords	दूत Ambassador
अधारी Lessee	दूतावास Embassy
अहस्तिना Laissez faire	धर्मनियमितराज्य Theocracy
आ गरिक स्वायत्तता Internal autonomy	नौसेना Navy
आयव्यविभाग Finance department	पट्टिदार Lessee
इकारेश्वर Lessee	प्रजात्य Democracy
उच्चार्थगंतव्य Aristocracy	प्रतिनिधि पदति Representative government
उपस्थापना Sub sedentary	प्रभुराज्य Sovereign state
उपाधन Tribute	प्रादिग्यक राज्य Territorial state
एकात्मक राज्य Unitary state	प्रादिग्यक शाखा Divisional administration
के शोषण लाइब्रेरी Parliament	भूस्तरशास्त्र Geology
कोफार्स्टर Treasurer	महान् नूतनि Chief of the General Staff
संसदी Tribule	मित्र Ally
सनक ए परिवारक Sappers and miners	मूल्यांकन Evaluation
उपीदार Consumers	रामार्टालरिक Quarter Master General
राष्ट्रसंघ Republic	राजमहल विभाग Palace department
तिक्तिकाप्रष्ट Red cross	

राज्यरूप Federal state	शासनकार्यालय (केंद्रीय) Secretariat
राष्ट्रीयता Nationality	शासन विभाग Department
विधान Constitution	संपत्तिहारण Forfeiture
विधिनियम बनाना Legislate	समिलित कुटुम्ब Joint family
विशेषाधिकारी वर्ग Privileged class	समिलित राज्य Composite state
विश्वस्त Trustee	सशब्द तटस्थता Armed neutrality
वैधानिक व्यक्तिरत् Legal personality	सहमतिविद्वान्त Theory of contract
यष्टाधार्यविधान Administration of law	सामाजिक निर्माण कार्य Public works
शक्तिसंतुलन } Balance of power	सुरक्षित कोष Reserve fund
शासन Fitman	रक्षणीय कोष Reserve fund

— — —

परिशिष्ट २

विशिष्टाधक शब्दसंची

अमेरी द्विती

Administration of law व्यवहार	Finance department आय प्रयोग संकाय
Ally भित्र	Forfeiture सम्पत्ति विचारणा
Ambassador दूत	Geology भूस्तरधारा
Aristocracy उच्चजनता	House of Lords अमीर समा
Armed neutrality सशब्द तटस्थता	Internal autonomy आंतरिक स्वायत्ता
Balance of power शांति सुलभता,	Joint family समिलित कुटुम्ब
शक्तिशुल्क	Laisses faire महस्तदेश
Chief of the General Staff महाव्यूहस्ति	Laws विधिनियम, कानून
Composite state सम्मिलित राज्य	Legal personality वैवानिक व्यक्तिगति
Constitution विधान	Lessee अपासी, पटेशार, एक्सेटार
Consumers खरीदार नागरिक	License अनुमतिपत्र
Democracy प्रजातात्पत्र	Nationality गांधीवाद
Department शासन विभाग	Navy नौसेना
Dethrone अपदस्थ करना, राज्यस्थुत इरना	Obligation दायित्व
Divisional administration प्रांती शिख व्यवहार	Palace department महल विभाग
Embassy दूतावास	Parliament देशीय सोक समा
Evaluation मूल्यांकन	Privileged class विशेष विधिवारी वर्ग
Federal state राज्यविह	Public works सामाजिक नियोगहार
Feudatory state साम्राज्य राज्य	Quarter Master General राज्य मीडामारिः
	Red cross चिरिक्षणापद्धति

परिचय २

२५२

Representative government
प्रातिनिधिक सरकार

Republic गणराज्य

Reserve fund स्पायि कोष

Sappers and miners खनक और
परिदारक

Sculpture तत्त्वण कला

Secretariat केन्द्रीय शासन कार्यालय

Semi religious अधमार्मिक व अध
लीकिक

Sovereign power प्रभुराज्य

Sub-feudatory उपसामत
Territorial state प्रादेशिक राज्य
Theocratic state धर्मनियंत्रित राज्य
Theory of contract सदमति
fact, इकारानामा
Treasurer कोषाध्यक्ष
Tribal state गणराज्य
Tribute खटणी, उपायन
Trustee यातो, विश्वस्त
Ultimatum अतिमेहयम्
Unitary state एकात्मक राज्य

परिशिष्ट ३

वालन्मूची

इस ग्रन्थ में अवक स्थळों पर विविध इय, राजा, गणराज्य और वाल खड़ो के निरैन जाये हैं। इतिहास दरभिन्न पाठों के द्वाये उनके बाल हस्त सूचा में अदावानुक्रम से दिये गये हैं। कोण में (अ) अदाव का संक्षेप है।

अग्नियुग	₹० ८०० (अ०)
अग्निकिञ्च द्वाराजा	₹० ५० १५० (अ०)
अजावयु राजा	₹० ५० १३०-१४० (अ०)
अग्निकायेन राजा	₹० ५० २५ (अ०)
अग्नव वेद काल	₹० ५० २००० (अ०)
अमोघवर्ण तृतीय, राजा	₹० ८१२-८७८
अर्पणाल दीनिलाय	₹० ५० ५००
अर्योक	₹० ५० २७३-२३२
भाषारागसूक्त	₹० ५० ३००
इतर सहिता ग्रन्थाल	₹० ५० २०००-२५०० (अ०)
इष्टिपादाल	₹० ५० १०००-६०० (अ०)
शुग्रेवाल	₹० ५० २५००-१२०० (अ०)
करकायस्त दिलीप, राजा	₹० ६०-३८ (अ०)
कविल राजा	₹० ८८-१०५ (अ०)
कवरावदवालाल	₹० ५० ५२-२८ (अ०)
कामदक नीतिसाह, ग्रन्थ	₹० ५०० (अ०)
कालिदास	₹० ५०० (अ०)
कुपालरामध्य काल	₹० ८०-२६०
क्षारदेव राजा	₹० ५० १५०
गगायण काल (मैसूर का),	₹० ५००-१००० (अ०)
गद्यवाल हावदा काल	₹० १११०-११०१
गुरुकर (नौहोकलेस) राजा	₹० १०-४५
गुरुगुग काल	₹० ५००-१००
गुरु सद्गती का वाल	₹० १११-११०

२५४

गुजर प्रतिदार यथा काळ
प्रीक राजवरा काळ
चदेल राजवरा
चदगुस द्वितीय (गुस)
चदगुस मीर्य
चालुक्य राजवरा (बदामी)
चालुक्य र जवय (कश्याणि)
च लुचय राजवरा (चेती)
चाहमान राजवरा
चुवळवण्णा प्रथ
चेदि वंश काळ
चोल राजवरा काळ
चौलुक्य राजवरा काळ
जातक समाजस्थिति काळ
दीघनिकाय ग्रथ
प्रसंसूत्र प्रथवाल
नदराजवरा काळ
महायाग राजा
ताराद स्मृति
निवन्ध प्रथवाल
पतलिंग प्रथकाल
परमार राजवरा काळ
परियन रवारी
पुराणो का युग
पुष्यमित्र शूंग
पूर्ख मीमांसा प्रथ
याहस्वत्य शर्याणाश
पुद्मिवीण काळ
ब्राह्मण प्रथकाळ
भोज, परमार राजा
भोज, प्रतिदार राजा
मनुस्मृति

₹० ७०५-१०००
₹० ₹० ९०-१०
₹० १००-१२००
₹० १८०-४१५
₹० ₹० १२०-२१५
₹० ५५०-७५०
₹० १७५-११५०
₹० ६१२-१२७०
₹० द्रावद यात्रक
₹० ₹० ४००
₹० ३५०-१२००
₹० १००-१२००
₹० १५०-१३००
₹० ₹० ५००
₹० ₹० ४२०
₹० ₹० ६००-२००
₹० ₹० ४००-५२५
₹० १००-१३०
₹० ५०० (अ०)
₹० १०००-१६००
₹० ₹० १५० (अ०)
₹० ४५०-१२००
₹० ₹० ११८ (अ०)
₹० ४००-८०० (अ०)
₹० ₹० १९०-११० (अ०)
₹० ₹० १२० (अ०)
₹० ८०० (अ०)
₹० ₹० ५८० (अ०)
₹० ₹० १५००-८०० (अ०)
₹० ₹० १०१५-१०४२ (अ०)
₹० ८४०-८९० (अ०)
₹० ₹० १०० (अ०)

काल सुर्खी

महामारु प्रयत्नाळ	₹० प० १०० (अ०)
महामारु पुद्धाळ	₹० प० १४०० (अ०)
मिनवर राजा	₹० प० १६०-१८०
मेंगस्येनेज	₹० प० ३००
मोहरि राजवंश काळ	₹० ४४०-६०५
मोयराजवंश काळ	₹० प० ३२०-१८५ (अ०)
वाग्वंश्य समृद्धि	₹० २००
याइवा राजवंश काळ	₹० १०८०-१२१०
युधान इवाग, लिनी प्रवासी	₹० ६२९-१४७
यूनानी राजवंश काळ	₹० प० १६०-१०
यीथेष गणराज्य	₹० प० १६०-१५०
राजत्रिगिषी प्रथ	₹० ११५०
रामायग्रप्रयत्नाळ	₹० प० ५०
राष्ट्रपृष्ठ थण काळ	₹० ७१०-८०७
दददामन्, दद्वाजा	₹० ११०-१६०
द्वितुवि गणराज्य	₹० प० ६००-१५०
द्वाकाळक राजवंश काळ	₹० २५०-५००
द्येहिक क छ, पूज्यता	₹० प० २५००-१००० (अ०)
द्येहक काळ, उत्तर लद्द	₹० प० २०००-१५०० (अ०)
द्याक-द्युपाग राजवंश काळ	₹० प० १००-१०० ३००
द्यावय गणराज्य	₹० प० ५००
द्युपाराजवंश काळ	₹० प० १८५-४५
द्युष्मनीति	₹० ८०० (अ०)
समुद्रगुप्त राजा	₹० ११०-१७५
स रघुदत्त राजवंश काळ	₹० प० २००-१०० २००
इग न राजा	₹० प० २ (अ०)
हामाय राजा	₹० प० २५ (अ०)
हृष्णर्घन राजा	₹० ६०६-६४८

परिशिष्ट ४

सचित्प्रथ नाम सूची

अथ	अर्थशास्त्र, कौटिल्य वृत्त
अ ये	अययवेद्
अ स रि	अकेभॉर्डेजिकल सर्वे ऑफ हॉटेल्स, अंग्रेज़ रिपोर्ट
अ स ये इ	अकेभॉर्डेजिक सर्वे ऑफ वेस्टन हॉटेल्स
भा ध ए	भावस्तव धर्मसूत्र
भा धी ए	भावस्तव धीतसूत्र
इ अँ } हॉटेल्स ऑफ }	हॉटेल्स ऑफिसेरी
इ डि या	हॉटेल्स हिस्टोरिकल ऑर्ट्स
इ म प्रे	हिस्टोरिक्स प्रोमोशन मद्रास प्रेपिडेंसी, रगाणाय द्वारा संवादित, तीन भाग
ईडियट्	हिस्टोरी ऑफ हॉटेल्स हॉटेल्स टोहट बाय हर ओन हिस्टोरियस इडियट नीर योग्यता द्वारा संवादित
श्व ये	श्वायेद्
प इ } पि हॉटि }	पुदिग्नाकिया हॉटेल्स
प क	पुष्पिग्राहिया छन्नाटिका
पे डा	पैतरेय बादायण
का र	काठक संहिता
गो श स्	गोतम धर्म सूत्र
ज आ हि रि सो	जनक ऑफ दी ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च सोसायटी
ज प सो ये	जनेल ऑफ दी प्रशियाटिक सोसायटी ऑफ वेगाउ
ज ऑ ब्रॅ शॅ प सो	जनेल ऑफ दी ऑये ब्रॅच ऑफ दी ऑफल प्रशियाटिक सोसायटी
ज रॉ प च	जनेल ऑफ दी ऑयल प्रशियाटिक सोसायटी
जा	जातक

सक्षिप्त प्रथनाम सूची

२५७

बै बा.	जैमिनीय ब्राह्मण
तै जा	तैचिरोप ब्राह्मण
तै सु.	ततिरीय महिला
प बा	पञ्चविंश ब्राह्मण
पू नी	पूर्वमोमांसा
वृ द्य	वृहद्ब्रह्मणक डग्निपद्
वी घ सु	वीघायन घम सुत्र
वी थी सु	वीघायत थीत्र सुत्र
मादाक्षर, सूर्णी	त्रिष्टु खॉफ नास्त्री इस्कोंपूरा स अ क बॉद्धन इटिया
म नि	मणिमन निकाय
म भा	महामारु
मे अ स इ	मेमौयस खॉफ दि अवैद्रोहोत्रिष्टु सवे खॉफ इटियो
राम	राजत्रुरगिता
राष्ट्रकृ	राष्ट्रकृष्ण अंड देवा दारम्प,
राष्ट्रकृष्णका इतिहास } <td></td>	
व घ सु	वगिष्ठ घमसुत्र
वा सु	वाह्नमनेया सहिता
श घ बा } <td>शत्रुपय ब्राह्मण</td>	शत्रुपय ब्राह्मण
श बा } <td></td>	
सी इ ह	सीय इविधन इन्द्रियपद्मा, हृष्टु द्वारा सपादित
सी इ प रि	सीय इविधन पवित्रेया रिपेर्स

परिशिष्ट ५

आधार भूत ग्रंथः सस्कुर, प्राकृत व पाली

अर्थवेद
 अञ्जवेद
 अपर्ववेद
 काटक सहिता
 तत्त्विरोय सहिता
 येतरेय ब्राह्मण
 यतपय ब्राह्मण
 पचविना ब्राह्मण
 तत्त्विरोय ब्राह्मण
 शृदरायक उपनिषद
 आपस्तव घर्मसूत्र
 गीतम् घर्मसूत्र
 वशिष्ठ घर्मसूत्र
 वौघापन घर्मसूत्र
 विष्णु घर्मसूत्र
 रामायण
 महाभास्त
 मनुस्मृति
 याच्छब्द्य स्मृति
 गाद स्मृति

कौटिलीय भर्यशास्त्र, शामशास्त्री द्वारा
 सम्बिद्ध
 कामदकीय नीतिशास्त्र
 नीलकण्ठ राजनीतिमयूल
 मित्रभिर, राजनीतिप्रकाश
 शुद्धनीति
 अग्निपुराण
 मार्कंडेय पुराण
 दीघनिकाय
 चुम्बकगा
 दिव्यावदान
 जातक
 भाष्यारोग सूत्र
 भशाक के गिर्लाइंड
 प्रतिक्रायौगव्यायण
 मृष्टदृक्षिक
 रघुग
 मालविकाग्रिमित्र
 यजतप्र
 राजतरपिणी
 कथासरित्सागर

अंग्रेजी ग्रंथ

Books on Hindu Polity
 K. P. Jayaswal, Hindu Polity, Calcutta, 1924, (First
 Edition)

J J Anjaria, The Nature and Grounds of Political Obligation in the Hindu State, Longmans, Green and Co 1935

H N Sinha, Sovereignty, in Ancient Indian Polity London, 1938

Beni Prasad, Theory of Government in Ancient India, Allahabad, 1927

Beni Prasad, The State in Ancient India, Allahabad, 1928

A K Sen, Studies in Ancient Indian Political Thought, Calcutta, 1926

N C Vandyopadhyaya Development of Hindu Polity and Political Theories, Calcutta, 1927

N N Law, Aspects of Ancient Indian Polity, Oxford, 1921

N N Law, Inter-state Relations in Ancient India, Calcutta, 1920

S V Visvanathan, International Law in Ancient India, Longmans, Green and Co, 1925

D R Bhandarkar, Some Aspect of Ancient Indian Polity, Benares, 1929

V R R Dikshitar, Hindu Administrative Institutions, Madras, 1939

V R R Dikshitar, Mauryan Polity, Madras, 1932

R C Majumdar, Corporate Life in Ancient India, Calcutta, 1932

R K Mookerji, Local Self Government in Ancient India Oxford 1920

U Ghosal, A History, of Hindu Political Theories, Calcutta, 1923

U Ghosal, Hindu Revenue System, Calcutta, 1929

परिचय ५

U Ghosal, History of Public Life in Ancient India,
Calcutta, 1944
 L V Rangaswami Aiyangar, Some Aspects of Ancient
Indian Polity, 2nd Edition, Madras 1935

Epigraphical Works

Epigraphia Indica

Indian Antiquary

Epigraphia Carnatica, Edited by Rice, Bangalore

South Indian Inscriptions, 5 Vols., edited by Hultzsch

South Indian Epigraphical Reports, Published by Madras

Government annually

Fleet, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III, (Gupta

Inscriptions) Calcutta, 1888

Hultzsch, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol I,

(Ashoka Inscriptions) Oxford, 1925

V Rangacharya, Inscriptions from Madras Presidency, 3

Vols Madras 1919

Archaeological Survey of India, Annual Reports

General Works

MacCrindle, Invasion of India by Alexander the Great,
West Minister, 1896

MacCrindle, Ancient India as described by Megasthenes,

Arrian etc Calcutta, 1906

T Watters, On Yuan Chwang's Travels in India,

London, 1904

Elliot and Dowson, History of India as told by her
own historians, Vols, I II

Rhys Davids, Dialogues of the Buddha

A S Altekar, Rashtrakutas and their Times, Poona 193

A S Altekar, Education in Ancient India, 1943 Benares

आधारस्त्र श्रम

- A S Altekar, Position of Women in P.W.C
Benares, 1938
- A S Altekar, Village Communities in India
Bombay, 1927
- R Fick, Social Conditions in Northern India
the time of the Buddha, tr by S K Mastrz, Calcutta
- R C Majumdar, History of Bengal, Calcutta
- R C Majumdar and A S Altekar, "The
Vakatakas and the Guptas, Lahore, 1946
- K A Nilkantha Shastri, Studies in
Administration, Madras, 1932
- R N Mehta, Pre Buddhist India, London,
Macdonel and Keith, Vedic Index
Subjects, London, 1912
- — —

परिशिष्ट ६

वर्णनुक्रमणिका

सूचना— संख्या पृष्ठ संख्या निर्देशक हैं

(अ)

- अनुपठिक १३०
- आदावाप १११
- अग्रहातिक १५१
- अगरदूक १५०
- आतिक लर १०३
- आधवेद में रात्रिपिपक वल्लेज १ २
- भवम् युद १७५-६
- भिक्षातिमहात १५३
- भिक्षातियों की भर्ती १४१
- भुपह ३३
- भरत राष्ट्रोप संघ, २१४५, युद्ध
घोषणा २१६, २२०, युद्धाळ में
१११, प्रतिकाळ में २२१ ३
- आयज, १५५
- आन्धक युद्धिय गणराज्य ४७
- आमारप, मामसन्नी १३१
- आमारप परिपद् भविसहाल से नीचे १५
- आन्धु गणराज्य ४७
- भग्नायन गणराज्य ४५
- भग्नायन, उसका काल विपय और
कर्ता, ५ ७, उसमें विरिट पूर्वग्रह
कार २ ३
- भग्नोह की सत्रिपिपद १२३

अरवदति १४१

अहस्तवेष का तात्प ३४

(आ)

- आङ्गमण की भग्नायनि ११५ १
- आनुविकला, अधिकारियों में, १२६
- आतिक स्वापत्रा, सामरों की २२६ ७
- आद्यवृक्ष स्वामित्र २१०
- आपस्यय विमाग १४८ ३
- आयुथायाराज्य २४२
- आवस्थिक १५०
- आत्मवाविहत १४४

(इ)

इन, अयकार २

(ओ)

- इवाङ्ग, २०
- इत्तरमद, २०
- इत्प्रसामत, २२६
- उर, मामसमा १७३
- उशनस्, अयकार, ३

(ऊ)

ऊसर भूमि का स्वामित्र २०९

(ऋ)

प्रग्नेद में रात्रिपिपक वल्लेज १

(ओ)

श्रीदेवी १४६

(क)

कम्तुकिन् १४१

इया और राजदूत पैदे

कमलवर्णन का निर्वाचन १५१ टि

कम्बोज मण्डामय १५६

कर, वैदिक काल में, १५७ १, कर
व्यवस्था के सूचि सिद्धांत
१५० १, २४३, करविमुक्ति के
काल १५१ २ विविध कर,
१५४७

काव्यिक १६३

काव्यावन, प्रदक्षिण ३

कानून, व्यवान का अधिकार १०६ ८

कामदृक नीतिमाला ३

कादम्ब २०३

कुलिद, मण्डामय, ७८

कुमारामाय १५१

कुशाय शासनों के पूर्वव्रम्भिर २७

कृष्णद, २१८ २३०

केन्द्रीय छोक्समा, मण्डामयों में, ७८

८०, नूरहत्र में ११, वैदिक पुण

में, ११ १

केद्रीय सरकार, उसके द्वारा प्रोत्तिवि

धाराओं वा जिरोदग, १२० ८

मुद्द हानि का आवश्यकता २१० ८

कोहपाल १४२

कोपास्त्र, १५१

कोपिमाल, १५८

कौटिल्य—उसके द्वारा पूर्व प्रयत्नों
का उत्तेज २ ३

कौपापद्म, प्रयत्नाक, ३

कौरदोपरय, मण्डामय ७५

कौषिक, १६६

कौञ्जिमि, मण्डामय, ७८

कृष्ण, एक इनी १११

कृष्णिय, आद्योंती अपेक्षा उनकी
स्थिति ११०-२, उनका घम, २१६

कुद्रक मालव सम, २०, ६१ ००

क्षत्ताना का इकानिष्ठ, २०५ १०

क्षत्तक यदिसारू, १४३

क्षान विमान, १५०, क्षानोपर कर, २०४
क्षत्तक का स्वामित्व, ३०

क्षात्रिय, और पौत्रानपद समा, १८
(ग)

गदत्रय, उसके अस्तित्व के प्रमाण

१५-७०, प्रसासनाद या या न,

१००, १, उसके धातुक प्राप्त

कृष्णिय ७२, वेदान्त मे ७३,

प्राप्त मे ७४, विष्व राज्युक्ताना मे

७८ ७९, उत्तर विद्वार और गोरक्ष

पुरमे, ७१; उसकी शासनपदति,

११ ८८, देवदाय समा और उसके

अविद्या, १०, उसमे वाइविद्याद

और ददर्दी, ८२ ४, वाइविद्याद

पदति, १५, ४७३ का मनिषदस्त

१६, उसमे वर्णित्यमावना १५ ८,

दैन मह दुर ८६ ७, २११ ४,

२१६ १०।

गणिकाध्यक्ष १४६
गुप्तकालीन शासनप्रणाली २३६ ७
गोमध्यक्ष १४४
गोकुष्ठिक १४४
गोपाल राजा, उसका निर्वाचन ५०,
गोविकस्तंन, एक रत्नी ११
गोदध्यक्ष, एक रत्नी ११
गोरक्षिराम, प्रधान ३
ग्रामपर्यायक, और सुधिया १६८ ३०
उसपर केंद्रीय सरकार का निय
शासन, १४, १८८ ६, उसका विषय स
१७१ २, उसके अधिकारोंमें वृद्धि
२१७, चाल देश में १७८ २,
उत्तर भारत में १७७, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, गुजरात में १७८ गुप्त
काल में १७२ ३, उपसमितियाँ
१७६, उनके समासदों की घोषण
का और लुनाव १७४ ५, उनके
विविध अधिकार १७८ ८३,
२४२; उनके आमदनों के ग्रोव
१८२ ८३, कार्यालय का प्रकार,
१८४ ८४, सफलता के कारण
२४२ ३
ग्रामभृत्य १७३
ग्राममहाभ्रत १०१
ग्रामसुधिया १६८ ४०
ग्रामषुद्ध १००
ग्रामसमाज और सुधिया १६८ ४०
उसके समासदों की संख्या १७१,
उसकी समाज और अधिकार १०२,
१८१ ८५

(घ)
घोटमुख, प्रधान ३
(घ)
चक्रवर्तिपद २३६ ७
चाराध्य, प्रधान ३
चिकित्साध्यक, १४३
चुगी १४७, २०२ ३
चुनाव, छोकसमाजे समासदों का ९५
ग्राम पर्यायतेरा के समासदों का
१०४ ६
चोरी, भ्रमणी हानि के किये राज्य को
जिम्मेदारी १०३ ४, १४९
चोरोदरिणक १४९
(ज)
जंगल का स्वामित्व २१०
जनराज्य, २१ १, २३१
जन्मन् ४
जामकि गणराज्य ७५
ज्ञानपद धर्म, रुद्रपवस्थायें, कानून नहीं
१५ ३००
जिला पर्यायत १६०
जिला शासन १५ ६ ३७
ज़दा, एक रत्नी ११
तदसोल शासन १५१ ३
ग्रिगर्गर्मपल गणराज्य ७५
(द)
ददकि गणराज्य ७५
दधनाध्यक १४२
दंडपानिक १४५
दग्धापराधिक १४२

वामपति १५०	
वामपि वायारद्य ७८	
विश्ववर्ष की अनुपति २१२ C	
दीर्घनिशाय, रात्रोन्नति वर १२ ११	
दुर्गापाल १४३ :	
दुर्गापत्र १४२	
दृष्ट, स्थायी या न २११, सनकी येनी	२३२, सनकी अवध्यता २३३
देवपुत्र ५०, २३५	
देवीगति, राजाहा ४८-९, अस्यदेवी	से ६०
देवपत्र, रुद्रायत्तमायै, कानून मही,	
३८ १००	
दीर्घ, विश्वजाय १२७ C	
द्वारिक १२०	
द्वारयाक १४० १४२	
द्वैराज्य १६, २३६	
(घ)	
असनिविदित राज्य २६ १२	
अममहामात्प १२०, १५०	
अमयुद्विष्म, ११६ २१०	
अमरकृष्ण ६१	
अमंसवध्य, राज्य का उद्देश्य होने	से परियाम २७ ८
अमृकुम १२१	
अमौतशिक्षण १४८	
भूक ११८	
(न)	
नदिक कर १०९	
नामाति, इनकी धैर्य १८, बनाये से	११

विदेशविकारी ३८, और विदेशी	
३८ और समानविकार ४० २	
नाहृदसृति और स्वर्णमुग १२	
निरीदिन दीरा १५९ C	
निश्चार्य दृष्ट १२२	
नारिसयूल १०	
नृत, देखो राजा	
नीमेना १४३	
न्यायकरणिक १४८	
न्याय दावाविकार, प्रामाण्यवर्ती १	
१७१ ८०	
न्याय विभाग १४८	
न्यायावध्य १४८	
नवविद्यान, मारसहा और प्राचीन	
मातृतीय शामनशद्वति, राजाओं	
की खोड़वमायीन हाने की आध	
इयक्ति १४३ २, प्रामाण्यवर्ती	
विशृणु अविकार व वरदन १४२	
३, अवसायी की अविकार इस्तम्भ	
ता १४४, लम्बिद विश्वाविकार	
का निर्मूलन १४५; सुदृढ़ केनोप	
माकार की आवश्यकता १४०	
प्रबन्धका १७२	
प्रवित अमरदो १५०, ३७८-८०,	
१४६ ७	
प्रदायावध्य १४७	
प्रदद्यत्त ३४९	
प्राराष्मवी ११३	
प्राराष्मा, प्रदद्यत्त ३	

। वरियेट ६

२६६

परिमिताधूत २२२
पशुपालन पर कर ३०४
पाठ्यलिपि का शासन १६६ ७
पार्षदीवि विद्वित गणराज्य ७५
पापक १५५
पाकाग्र, एक रात्रि १११
पिशुन, एक ग्रयकार ३
पुरापायत १६२ ६
पुरपाल १६३
पुरशासन १६३ ८
पुरुषकृत राजा, अधरेव २१
पुरोहित, उसका राज्यशासन पर असर
२१२, २१६ ७ उसका संग्रहण दर्शन
शासन ११०, उसका काय ११६ ७
पुस्तपाल १६२
पोकिटिकल प्रजट २२४ ५

पौरवानपदसमा, न रामायण में १७
म; न स्मृतियों में, ११ १००, न
मृष्णकठिक में १०३, उसके तथा
कथित अधिकार १०२ ६, यिथा
लेहों में अनुरिक्तित १०२ ६
प्रतिनिधि, एक सत्री ११८
प्रतिनिधि, प्रभुराज्य का नियन्त्रक २२४ ८;

सामतों के २२५
प्रतिनिधि पद्धति २३८, २४१

प्रधान मत्री ११८

प्रसादा १५८

प्रभुराज्य वैदिक काल में उसके सामतों
से संघर्ष २१४ ८, उससे सामतों

का नियन्त्रण २२५ २९
प्राचीविदाक १२०, १३८
प्रोतीष शासन १५४ ७
प्रादेशिक विमाग १२३ ८
प्रादेशिक सरकार १२७

(च)

बलि १८८ ।

बहुदूत, एक ग्रयका ३
बहुधायक, यौवेषों की शासा ७।
बुद का गोजो को उपदेश २४०
बुनकरों पर कर २०४

ब्रह्मगुप्त गणराज्य ७५

ब्रह्मा, एक ग्रयकार २

ब्राह्मण, उनका राज्यवर्त असर ३० २,
द्वित्रियों की अपेक्षा उसकी स्थिति
३१ २, उनकी कानूनी सहृदियते
४० १, ४४५; करों से विमुक्ति
११२ १, उनको मत्रि महल में
संरक्षा ४१

मटाइवर्ति १५१

माराधुक १८८

मुकि १२३ ५४

मूलोपात्रप्रयाय २०८

मूलिकर, उसका दर १९४ ६ उसमें
दृष्ट १६६, सत्राज में या बगद में
१२६ ७, न जुहाने के लिये फज
१६७

ममिकामित्र १९८ २०१

(म)

माटक पद्धति २१६ ७

मताधिकार ३० १,६५ २३८
मग्नायशास्त्र ७६, १४५
मधुक वृद्ध श्वासित्र २१०
मन्त्री, उनका महत्व १०८ ११० उनकी
योग्यता १२५ ६ उनके अधिकार
११८ ६ उनमें कार्य विभाजन
११६ उनके परिपद् की कार्य
प्रणाली १२० ४ उनके राजाज्ञायों
का फेर विचार १२३ ४ उनका
राजा पर प्रभाव १२९ ३२ उनकी
नियुक्ति १२८ ६, विभागाध्यक्षों
से पूर्णक १३९, उनमें प्राक्षणों
की संख्या १२८ कुछ मत्रियों की
संख्या ११४ ५ विविध मत्रियों के
विभाग ११६ २१, उनके दर्शक
१२४ वैदिक युग में ११० ११
ऐतिहासिक युग में ११२ ३,
प्रार्थिक शासन में ११३ ४,
अद्वितीय परिवर्तन ११३ ४
मर्यादा युग १४२
महाभागवाच्य २१, ७८
महत्व १७३
महत्वाधिकारी १०३
महत्वम १७६
महक विभाग १५०
महापटलिङ्ग २३६
महावनसंमत, प्रथम वर्षा १३
महायज्ञदण्डमाप्त ११६, १४१
महायतीहार १४०
महायापिहत ११६, १४१

महामारत, शांतिपर्व में राज्यशास्त्र
प्रणेताओं का सद्वेष २, उसमें
चर्वित राज्यशास्त्रविषय ४
राज्यप्रतिपत्ति पर ११ और नृपनिवार
चन ४९
महामात्र १४१
महामात्रिय १२०
महामुद्राध्यक्ष १४४
महाघृहपति १४१
महारथपति १४१
महासंघिविमाइक ११६, १४०
महासेनापति १४१
मात्र यात्रा १२
मात्रमंत्री १२१, १५४
मात्रक गणराज्य २१, ७६ ७
मित्र २४
मुद्राप्रिय १४०
मौल्यल १४२
मौर्ययुग शासनपद्धति २३३ १५
शुक ६
शुद्धकारण २१२ ११८
शुद्धमंत्री ११९
शुद्धराज, उसकी छिद्रा १३, रत्नमंदिर
में ११०
शूलानी इतिहासकार और ग्रन्थ
पत्र ६१००
शौचेय गणराज्य ८५ ६
(र)
रातुठ १४००
रामायामायिष, १४२

१६८

राती १३० ३
राजा, पक्षरानों १११
रायविविति १४१
रामठवि १४१
रामज्ञेतिया १६१
रामनीतिहास १०
रामनीतिप्रकाश १०
रामसहकारिमान १४०
रामवैद्य १४१

रामा, उसके पद की वापसि ४६ *
उसकी निवापन प्रथा ४८-५१ उसके
अधिकार व प्रतिष्ठा २९ ६ उसका
देवरथ २६ १०, २४ भगवद्गीता ६३
प्रशासेवक ६२ प्रमाणाती या विषयत
६२ उसके अधिकारों का नियमण
६३ ७, २४१, २४४

(अ) उसके वापसीपर विचार ११ ६,
के प्रकार १० ११, उनके सब
२०, संउपलित राज्य २०
प्रामान्यक २१ जनहितकारी संघा,
न दमनकारी २२ उपके खा -३
भवेत्य, घर्मेत्य कही तदेर्य
के लिये आवश्यक २६, उसके
सदैरय २३ ८ कही तद उम
निरादित या ७ उमका कायदेव
२४ १७ और रथविग्रन स्वतंत्रना
१५ १६ उसके प्रति कर्त्तव्यों के
आधार १४ ५ उसके कर्त्तु याने
का अधिकार १४८ उसके द्वारा के
छोत १५०-२०६, उत्तरा व्ययका

बीरा २११ १२ उसका इयापी
कोप २१५ १
राज्यवाच के निर्माता २, उसके
मौकिक प्रयो के उत्तरांश ।
भासाव ० ८

राज्यसंघ २१
राज्यवद्वय ११७ ८, २२८
रामचंद्र पत, भसात्य १०
रामायण और नृशनिर्वाचन ५९ ४
रानी, उसके अधिकार २४, रविमंड ८
मे ११
राह, एक राज्यविमान १५४
राहवर्मा १० १, ७६
रुसो १२
रेजिस्टर २२४ ५

(ल)
लिखद्वि गण्याय ११, ७८
लुह मध्य राज्यान्ध पर २४
लेपर १३५-६
लौक, रथोत्थिति पर १४ १५
लोहमान, कंदीय १२ ६, प्रादेशिक
१५८, जिल्हे १६० तदसील मे
१६३, पुरो मे १६५ ७

(व)
वाणीवद्वय, उसका शामन पदति पर
भसर ३० २, २४५
वस्त्राध्यद १४८
वालि-पविमान १४७
वातावापि, एक प्रयक्तार ३

बालीगुरुकमणिका

वारिक १६२

विकेंद्रीकारण का कारण विविलाम २४२
विक्रिगीतु को भाकमग डी, अनुमति
२५५-७

विद्य, विद्यासमा १२
विद्येविद्यो की विधिविभिन्निकार ११ ४०

विदेहगामाय ८८

विदेह की अनुमति ८, ६८

विषवामों के उत्तरविकार २१

विधिनियम-वानों के अधिकार १०१ ८

विनयवित्तिरथापक १२०, १२०
विमाणाध्यक्ष, विविध, उनके कार्य

श्री नाम १२८ ५०
विवरन्, प्रथम राजा १२

विवीताध्यक्ष १४४

विवर १७८, २३१

विवरपति २११

विविधपति १५१ ६१

वृद्धस्थानिक २१०

वृक्षलेखक ११८

वृत्तिगामाय ८८

वैदिक शासन, वदति २११ २

वैष्णव १८ २०, ७३

वैष्णव, १३५ का १११ १

वैष्णवकार्य, महामात्र, १४६

वैष्णवसाय, रामदासा चहाये जाने वाले

११०

(१)

वैष्णवाय रामवदति २१५
वन्दिस्तुक्त ११६ ७

वास्य वायराय ७८
वासनकार्यालय १३४ ३, २१२ ५, उत्त
का निरादय और निपत्रण कार्य
१३८, उसके संवेदनावाहक १३८
वासन सरयामों के प्रकार १३-११

वासनहर दूत २२२

विरोधाक १४०

वृक्षनीति १ १०

वृक्षप्रायद १४७

वृद्धों पर अव्याप, १४१

वृद्धिकल २०३

वृद्धिमहामात्र ११०, ११०

वृद्धिय और कर ११२ ३

(२)

वृषभित्त १४५

(३)

वृचिकायन लक्ष १३०

वृद्धशावाहक १३८

वृह प्रहृति २१५

वृहांग रात्रि २३

वृम, वैदिक ११०, भगवार प्राम का

१०१ ८

वृमण, रात्र्यद्यवर्त्याय, कानून नहीं

१०० १

वृमाहती १८८

वृमिति, वैदिकाक्षीन केदीप लोक

समा १० ३, उत्तरविभिन्न १५,

उत्तरां विरोधात्र २१३, २११

वृमात्र १२०

वृमिति इह पर्वत व रात्र्योत्तरि १५

२७०

संसिद्धि राज्य २१
सम्राट्, उसका सामनो पर विषयवा
२१४६, वस पर सामनो का
ग्रामाव २२८
सहमति विद्वात् १४
सामन, उनके प्रसुराज्य से सम्बन्ध,
बैदिककाल में, २१४८, उनकी
थ्रेण्य २२३४, उनपर सम्राट् का
विषयवा २२५८, २४६७
साम्राज्य का रूपरूप २१७१८, २४६७
साहृजीय १४२
सीमाकरण १४५
सीमाप्रदाता १४५
सुराक्षर २०४
सुराज्य १४६
सुन्मान २१८, २२४
सुवर्णाज्य १४०

सूत, इनिमद्दल में १११
सुत्राज्य १४९
सेवापति, इनिमद्दल में १११, १४१
सेनाविमाग १४१ ३
सौधोदाचिप १५०
स्त्रियों और राज्य सचालन १३४
स्थायी कोष २१० १
स्वदेशासिमान ४२४४
स्वराट् ७३
स्वराज्य १८
स्वर्णयुग १११५
(८)

इटपति १४७
हृषी राजा और निर्वाचन ५० १
हस्त्राज्य १४१
हिरण्य सामुदायिक १४५
हृदस, राज्योपति पर १४१५

परिशिष्ट ७

शुद्धिपत्र'

१८	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	३	के	की
३	४	को	का
७	६	हा	हो
७	७	पदानवा	प्रधानता
८	८	वक	सेवक
९	१०	आये	आर्य
१२ पादटिप्पणी २, पक्ति २		शज्जय	राज्य
"	"	च	च
"	"	घमेणैष	घमेणैष
१६	२५	वणन	वणन
१७	शीर्षपंक्ति से	३ निकालिप	
१८	१	सस्था	सस्थाएँ
१९	२६	स्वराज्य	साम्राज्य
१९	१०	राज्म मीमा	राज्य मीमा
१९	२०	दा	दो
२१	१८	सयुक्त	सयुक्त
२१	२१	शोय	शाय
२३	१४	प्रकृतियो	प्रकृतियो
२४	पादटिप्पणी १	विमानो	विमानो
३०	२०	माहार्णा	म द्वार्णा
३५	६	सुपगटित	सुधगटित

१ स्वरमाला के टाइप पिचे हुए हाने के कारण यहां जगह जगह ब ठोक से नहीं लठे हैं। नन सरका समाररा इस शुद्धिपत्र में नहीं किया गया।

परिचय *

२०२			शुद्ध
२०३	पंचि	अशुद्ध	उठाकर
२०४	२	उहाकर	पूरा
२०५	४	यूग	पादेसियों
"	११	परदेशिया	बरन्
"	१८	बरन	व्यवस्था
२०७	२४	व्यवस्था	प्रथम ।
२०८	२८	भ्रयल	पृति
"	३१	बुत्ति	साय
"	१	साय	विरोध
२०९	२२	तिरोध	पृ० १५९ १६०
२१०	पादटिकणी १		बड़े
"	२	बड़े	मास्तक
२१२	२०	मस्तिक	दीबी
२१३	१०	देवो	घड़े
२१४	१८	बड़े	सखार
२१५	१५	इकार	की
२१६	१८	के	नियंत्रण
२१७	२४	निमच्छ	योधेय
२१८	८	योधेय	आत्मा
२१९	११	या हातिया	२ मंकक्षिड़
"	२१	मैक्किहड़	परिषद
२२०	"	पारिषद	दाय
"	"	दाय	दग
२२१	१३	या	याने
२२२	२	माने	मेलायानोस
२२३	पादटिकणी १		वैशजयेष
२२४	पंचि २	“राजशयेष	
२२५	४	पर्व	पर्व
२२६	५	अपनी	अपना
२२७	१७	जिनको	जिनकी

राष्ट्रियपत्र

पृष्ठ	पक्षि	अगुद्ध (Republic)	गुद्ध (Republic)
७७	१९	माने	याने
७७	२६	लेल	लेन
८२	पादटिप्पणी २	वो	वो
८८	१५	ओफ	लोग
९२	१५	अगुद्ध	गुद्ध
९४	पक्षि	छोडे	छोड
९२	२०	उपरि	उपर
१३	२१	परिवर्तित	परिवर्तित
९६	४	फरस्त	फरड
१११ पादटिप्पणी २ पक्षि ८२		मूल	मूळ
१०२	५	बघानिक	विरासत
१०३	११	प्रकर	प्रकर
१०३	५	मृच्यकटिक	मृच्यकटिक
१०३	१३	ने	ने
१०७	११	परामर्श	परामर्श
१०८	११	गोविकवन	गोविकवन
१११	१५	घर्समझामात्य	घर्समझामात्य
१२०	२१	० स्यापक	० स्यापक
१२०	२२	सर्व	सुद
१२७	२१	दंत्रिय	दंत्रिय
१२८	१५	उपरि	उपरि
१२९	१६	शेष्या	शेष्या
१३२	१३	कर्तृत्वशाला	कर्तृत्वशाला
१३३	५	'समोप'	'समोप'
४०	१९]]
४१	शोपर्पक्ति	राज॑ य	राज॑ य
४१	१		
१४२ पादटिप्पणी दो के नीचे			
१४७	१८	मुनाफा खोरीको	दुर्घटनाको
	११।।		

परिधिष्ठ ७

१४८

पूर्प

पक्कि

अशुद्ध

शुद्ध

१४८

पादटिप्पणी पं ३ 'आसाम मे सप्तम सर्वी मे, ए इ अ मा ११ पू १०७' पढो
प ४, 'इ अ अ मा १६ पू २०८, इ अ मा ४ पू १६०, अ मा १० पू ४७९' पढो

१४९

शीर्षपक्कि

१९

जिमेदारी

१४९

जिमेदारी

१५०

१

फारवाई

कारवाई

१५०

३

देवात्तर

देवोत्तर

१५१

११

द्वाता

द्वाता

१६१

१७

मनुका ८

मनु का४

१६१

६

द्विता

द्विता

१६४

१६

८

पुर

१६४

पादटिप्पणी १

Work

Works

१६७

पादटिप्पणी ८

अविचोल

दि चोल

१५३

पक्कि १

भग्नि

भूमि

१७८

२६

सदावान

सुदावाने

१८३

१

पेदक

चैदिक

१८८

१

पापण

पोपण

१८९

८

भलना

भूठना

१९१

५

३ भ

ह भ

१९३

पूटनोट ४

भमिकर

भूमिकर

१९६

२०

विवरणो

विवरण

१९६

२३

अधिवरा

अधिवारा

२०१

३

चैद५

चैदिक

२१४

२६

प्रदीव प्रतिसुष्टस्य

गृहीतप्रतिसुक्त्य

२२७

पूटनोट १

यात्याव

यात्याव

२२१

८

यमाट

यमाट

२२७

४

चुतक

चुतके

२२०

१४

निष्पत्त

निष्पत्त

२१०

१५

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२३०	२३	फम	फम
२३३	६	विकासित	विकसित
"	१२	का। दर्जा	का दर्जा
२३४	२८	कातिय	कोलिय
२३५	१८	का	का।
२३५	२५	के	६थे
२३६	२७	जगर्डो	जगलो
२३७	२२	दुष्परिणाम	दुष्परिणाम
२३९	१३	सुयोग्य	सुयोग्य
२४०	अन्तिम	वधानिक	वैधानिक
२४१	२८	नियत्रित	नियत्रित
२४२	११	परिपाटिका	परिपाटी का
"	१९	इसके	इसकी
"	२३	प्रतिनिधि	प्रतिनिधि
२४५	अन्तिम	का	को
२४७	१४	क्षोक	क्लोग
,	२४	था	था

प्रस्तुत ग्रंथकार के अन्य ग्रंथ

1	Towns and Cities in Gujarat & Kathiawar 1926	Out of pt
2	Village Communities in Western India, 1927	" " "
3	Rashtrakutas and their Times, Oriental Book Agency, Poona 2	Rs 8 8 0
4	Education in Ancient India, 3rd Edition (in Press) Nandkishore Bros Benares	Rs 4 8 0
5	Position of Women in Hindu Civilisation, Culture Publication House, Benares Hindu University, New D/2 1938	Rs 7-0 0
6	Silaharas of Western India, Publishers as above, 1936	Re. 1 0 0
7	Benares and Saranath Past and Present, Publishers as above	Re 1 4 0
8	Hindu Scriptures and Social Reform 1931 Publishers as above	0 4 0
9	The Age of the Vakatakas and the Guptas, Motilal Benarsi Das, Lahore, (now Benares,) 1946	Rs 8 8 0
	In Press	
10	State and Government in Ancient India	
11	Catalogue of the Gupta Coins of the Bayana Hoard, with 36 Plates.	
12	Ancient Indian Numismatics with about 200 Plates	

